सप्तम माला, खंड 13, अंक 16, सोमवार, 9 मार्च, 1981/18 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

(खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 16, सोमवार, 9 मार्च, 1981/18 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 269 से 271 और 274 से 278	...	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 268, 272, 273 और 279 से 288	...	21-31
अतारांकित प्रश्न संख्या 2601 से 2800,	...	32-170
ध्यान आकर्षण आदि के बारे में	...	170-176
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	176-179
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
आगरा में गोला-बारूद के विस्फोट का समाचार	...	179-192
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	...	179-183
श्री शिवराज वी० पाटिल	...	180-192
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	...	185-188
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत	...	188-189
श्री मूलचन्द डागा	...	190
थोक अनाज व्यापार को हाथ में लेने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने आदि के बारे में याचिका		
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	192
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कुछ छात्रों की गिरफ्तारी		
डा० सुब्रमण्यम स्वामी	...	192-193

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर-गैस संयत्रों के लिए राज सहायता की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत ... 193-194

(तीन) हैदराबाद में निर्मित पशु प्लेग टीके की अप्रभावहीनता

श्री पी० राजगोपाल नायडु ... 194

(चार) जनवार्ता के सम्पादक पर कथित हमला

श्री हरिकेश बहादुर ... 194

(पांच) बीड़ी की बजाय तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने की आवश्यता

श्री अजीत कुमार साहा ... 194-195

(छः) सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में डाक्टरों की कथित लापरवाही

श्री रामबिलास हासवान ... 195-196

(सात) आत्माराम सनातन धर्म कालेज, नई दिल्ली के श्री प्रमोद कुमार पर हुए हमले की न्यायिक जांच की आवश्यकता

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ... 196-197

(आठ) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में मछुओं का संरक्षण

श्री रासबिहारी बहेरा ... 197-198

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक

खण्ड 2 से 4 और ।

पारित करने का प्रस्ताव

श्री आर० वेंकटरामन ... 198-215

श्री सुनील मैत्रा ... 198-215

श्री सुबोध सेन ... 217-218

श्री अजय विश्वास ... 204-219

श्री रीतलाल प्रसाद ... 219

श्री वर्मा नीरेन घोष ... 220

श्री रामावतार शास्त्री ... 202-215

श्री गिरधारीलाल व्यास ... 210-225

श्री जार्ज फर्नान्डीस ... 225-228

सामान्य बजट, 1981-82 सामान्य चर्चा

श्री ई० बालानन्दन ... 236-243

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी ... 243-250

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन ... 250

लोक सभा

सोमवार, 9 मार्च, 1981/18 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रश्न संख्या 268 के सम्बन्ध में—

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी···श्री के. ए. स्वामी···

डा. सुब्रमण्यम स्वामी : क्या मैं उनके स्थान पर यह प्रश्न पूछ सकता हूं, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल श्री स्वामी का नाम लूंगा; तब इस नाम के दो व्यक्ति होंगे :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह ।

काल पात्र

*269. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री भीखा भाई : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1973 में तत्कालीन सरकार द्वारा गाड़े गये और जनता सरकार द्वारा खोदे गये काल पात्र को दोबारा गाड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) काल पात्र को अगस्त, 1973 में भारत की स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती स्मारक महोत्सव अवसर पर गाड़ा गया था । काल पात्र की विषम वस्तु के सम्बन्ध में उत्पन्न बाद का विवाद, जिसने पिछली सरकार को इसे असमय में ही खोदने के लिए प्रेरित किया था, निराधार साबित हुआ । अब तो इस सबकी शोभा और प्रासंगिकता ही जाती रही । इस मामले को यहीं छोड़ देना उपयुक्त होगा ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस काल पात्र में जो तथ्य दिये गये थे, उन्हें काफी तोड़-मरोड़ कर इस देश के सामने रखा गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन

तथ्यों, और इसी सदन के माननीय सदस्य, डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, ने जो चित्र रखा था, उसमें जो अन्तर है, क्या सरकार उस पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है । माननीय डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इसी लोक सभा में कहा था कि इसमें डा. राजेन्द्र प्रसाद का नाम नहीं है । परन्तु काल-पात्र को खोदकर निकालने के बाद उसमें क्या मिला ? उसमें मिला···

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें सूचना दे रहे हैं ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस काल-पात्र में कौन-कौन सी बातें लिखी पाई गई और उन्होंने जो भ्रामक प्रचार किया था, उन दोनों में क्या अन्तर है ।

श्री एस. बी. चव्हाण : भाग (ख) का उत्तर बिलकुल स्पष्ट है कि वह निराधार साबित हुआ है । (व्यवधान)

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस काल-पात्र को गाड़ने में अब क्या आपत्ति है । इसके साथ-साथ इस देश का तीन बरस का जनता शासन का जो काला इतिहास है, क्या मंत्री महोदय उसको भी गाड़ने पर विचार करेंगे ?

श्री एस बी. चव्हाण : काल-पात्र भारत की स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती की स्मृति में गाड़ा गया था ।

सरकार ने भाग (ख) में दिये गये उत्तर के अनुसार अब निर्णय लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री भीखाभाई । यहाँ नहीं है । डा. स्वामी ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं श्री कृष्ण प्रताप सिंह का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रश्न के साथ सम्बद्ध किया है । मैंने 26 जून, 1977 में एक अल्प-सूचना प्रश्न उठाया था जिसके आधार पर काल-पात्र खोदा गया था । अब मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि यह सब निराधार साबित हुआ है । हम यह नहीं जानते कि क्या निराधार साबित हुआ है—काल पात्र के अन्दर रखे हुए दस्तावेज अथवा मेरा आरोप—अतः प्रश्न पूछने से पहले मैं ग्रन्थालय गया था और शिक्षा मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये कागजात देखे जिसमें '1947 से भारत' के विषय में 10,000 शब्दों का विवरण था मैंने उसकी नकल कर ली है । कोई भी इसे ग्रन्थालय में जाकर देख सकता है । क्या यह सच है कि काल-पात्र में '1947 से भारत' में जो विवरण दिया गया है वह केवल ऐतिहासिक विवरण है ? विजयन्त टैंक, ताम्बे की प्लेटें तथा अन्य वस्तुओं का कोई विशेष महत्व नहीं हैं । मेरे लिये 10,000 शब्दों में दिया गया इतिहासिक विवरण ही महत्वपूर्ण है, जो काल पात्र में रखा गया था और जिसकी एक प्रति ग्रन्थालय में रखी गई है । मन्त्री महोदय द्वारा जो बात कही गई है उसके सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि उसमें केवल सात नामों का ही उल्लेख किया गया है जिसमें 4 भारतीय हैं और तीन नाम विदेशी । क्या यह सत्य है कि इस ऐतिहासिक सन्दर्भ में केवल चार भारतीयों अर्थात महात्मा गांधी, पण्डित नेहरू, सरदार पटेल और श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही नाम है ? क्या उसमें सुभाष चन्द्र बोस, राजाजी अथवा स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं है । जो तीन विदेशी नाम दिये गये हैं क्या वह श्री डिक्सन, ग्राहाम तथा मेक्नोगटन का है जिन्होंने भारत के लिये किसी प्रकार का

कोई योगदान नहीं दिया था। मुझे यह नहीं मालूम कि क्या उन्होंने उन 10,000 शब्दों के एतिहासिक विवरण को स्वयं देखा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस आधार पर एतिहासिक विश्लेषण दोषपूर्ण है।

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग में वह चाहते हैं कि मैं यह सदन को बताऊं कि निराधार क्या साबित हुआ है। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि डा. स्वामी ने जो आरोप सदन में लगाये थे, यह निराधार साबित हुए हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसमें सात नाम हैं।

श्री एस. बी. चव्हाण : जहाँ तक प्रश्न के बाद के भाग का सम्बन्ध है, मेरे से पहले शिक्षा मन्त्री, श्री नूरुल हसन ने भी यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि 10,000 शब्दों के इस एतिहासिक विवरण को घटनाओं के क्रम के सन्दर्भ में समूचे रूप मे देखा जाना चाहिए। आप इसे सन्दर्भ के बाहर नहीं पढ़ सकते। यदि आप इन्हें मिलाकर पढ़ें तो जो माननीय सदस्य ने यहाँ कहा है, वह सही नहीं है।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : आपको मुझे संरक्षण देना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या एतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखा गया है। उन्हें एतिहासिक तथ्यों का स्वयं अध्ययन करना चाहिये था हम घटनाओं का क्रम क्यों देखे ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि सुभाष चन्द्र बोष का नाम उसमें क्यों नहीं आया है ? वह एक एतिहासिक व्यक्ति थे। उनके योगदान का भी उल्लेख किया जाना चाहिये था।

प्रो. मधु दंडवते : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि चूंकि उन्होंने बताया है कि विवाद निराधार साबित हुआ है, मैं पिछले 10 अप्रैल को लोकसभा के पटल पर रखे प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट और दो-टूक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि— मैं निश्चित प्रश्न पूछना चाहता हूँ— डा. स्वामी द्वारा बात कही गई है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं— क्या उसमें राष्ट्र-पिता के नाम का केवल एक बार उल्लेख किया गया है, क्या जलियावाले बाग का, आजाद हिन्द फौज का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। क्या यह भी सत्य है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के बलिदान का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है.? संविधान पर बहस करते हुए क्या उसके संघीय ढांचे का कोई उल्लेख नहीं किया गया ? अध्यक्ष महोदय, आप पंजाब से सम्बद्ध हैं और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भाखड़ा बांध और व्यास बांध को गुजरात हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजनाएं बताया गया हैं। इम्पीरियल बैंक का 1945 में राष्ट्रीयकरण हुआ था क्या यह सच है कि काल-पात्र में यह कहा गया था कि उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया ? यदि यह एतिहासिक तथ्य आगामी पीढ़ियों के लिये काल-पात्र में रखे गये थे तो हमारे इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा गया है। आपने काल-पात्र को पुनः न गाड़ने का सही निर्णय लिया है।

श्री एस. बी. चव्हाण : जिन नामों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उन्हें घटन क्रम के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये। श्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम के साथ सम्बद्ध विभिन्न घटनाओं के साथ उनका नाम तीन बार आया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद का नाम भी तीन चार बार आया है। डा. जाकिर हुसैन के नाम का भी उल्लेख किया गया है। 1963 में डा. जाकिर हुसैन

को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया, 1967 में डा. जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद के लिये चुना गया और 1969 में डा. जाकिर हुसैन का स्वर्गवास हुआ।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने आजाद हिन्द फौज का जिक्र किया है।

श्री एस. बी चव्हाण : गांधी जो के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि एक गांधी काल-पात्र भी है, अतः इसमें उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था जिसमें गुजरात को भाखड़ा और ब्यास के साथ संयुक्त परियोजनाओं के लिये दिखाया गया गया था। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है। मैंने आजाद हिन्द फौज के बारे में पूछा था, मैंने इम्पीरियल बैंक के बारे में पूछा था जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण दिखाया गया है जबकि उसका 1945 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या भावी पीढ़ियों को उसमें गलत सूचना दी गई है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : सरकार यह स्वीकार करती है कि उसमें कुछ तथ्यों सम्बन्धी गलतियां हैं। उन्हें सही करना होगा और हम यह कार्य उसी इण्डियन कांऊसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट से करवायेंगे। जहाँ तक उन बातों का सम्बध है जिनका प्रो. मधु दंडवते ने उल्लेख किया है कि उनका उसमें उल्लेख नहीं है, इस बारे में मेरा यह विचार है कि सरकार उनके विचारों के साथ सहमत नहीं हो सकती, वह केवल तथ्यों सम्बन्धी गलतियों को सही करने के लिये सहमत है।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, उन्हें उतमें दी गई गलत सूचना के बारे में क्या कहना है। यदि उन गलतियों को इसलिये सही किया जाना है क्योंकि हमने काल-पात्र खुदवा दिया तो हमारे काल-पात्र खुदवाने सम्बन्धी निर्णय सही था।

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, इन गलतियों का मेरे से पहले वाले मन्त्रियों द्वारा भी उल्लेख किया गया था उन्होंने बताया था कि उसमें कुच गलत विवरण है शायद वे गलतियां टाईप की गलतियां भी हो सकती हैं।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से बड़े अदब के साथ जानना चाहता हूँ कि इस काल पत्र को खोदने में कितना रुपया खर्च हुआ, तथा उसका सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने देश के लोगों को गुमराह किया, गलतब्यानी की, क्या सरकार उन के खिलाफ कोई कमीशन बैठाने को सोच रही है या नहीं ?

स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी केरल की सिंचाई परियोजनायें

*270 **श्री वी. एस. विजय राघवन :** क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से प्राप्त कितनी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र की स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक की लागत कितनी है तथा वे केन्द्र को किस तारीख को प्राप्त हुई;

(ग) क्या उनमें से किसी के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग में केरल सरकार से प्राप्त सात बृहद और दो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं। एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिनमें इन परियोजनाओं के नाम, इनकी अनुमानित लागत, केन्द्रीय जल आयोग में इनके प्राप्त होने की तारीख और इनकी जांच की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई है।

विवरण

केरल की विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (लाख रु०)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
(क)	बृहद स्कीमें			
1.	कवकादावु	1335.50	17-974	प्रस्तावित बाँध द्वारा जलमग्नता के कारण होने वाली क्षति के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने जलमग्नता से होने वाली क्षति की तुलना में होने वाले लाभों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है। उक्त समिति द्वारा मूल्यांकन पूरा कर लिए जाने के बाद ही इस परियोजना पर विचार किया जा सकता है।
2.	मुवत्तुपुझा	3808.15	28.6-75	आवश्यक संवीक्षा के पश्चात केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस स्कीम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। योजना आयोग की सलाहकार समिति की अगली बैठक में स्वीकृति के लिए स्कीम पर विचार करने का प्रस्ताव है।
3.	चिमोनी	1261.53	28-6-75	केन्द्रीय जल आयोए की टिप्पणियां राज्य सरकार को जनवरी और मई, 1976 में भेजी गई थी। राज्य

1	2	3	4	5
				सरकार से इन टिप्पणियों के उत्तर मार्च, 1977 में प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय जल आयोग और राज्य के बीच इन पर पत्र-व्यवहार किया जाता रहा । अन्त में बकाया टिप्पणियों पर राज्य के इंजीनियरों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के साथ जनवरी, 1981 में विचर-विमर्श किया गया। राज्य के इन्जीनियर अब तक विचार-विमर्श के आधार पर इस परियोजना को अंतिम रूप देने और अन्तिम परियोजना-रिपोर्ट को स्वीकृति हेतु मार्च, 1981 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजने पर सहमत हो गए हैं।
4.	इदमलयार	1785.48	30-6-78	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार को दिसम्बर, 1978 और मार्च तथा सितम्बर, 1979 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
5.	करपारा कुरियारकुट्टी सिंचाई स्कीम	2685.60	22-2-79	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार को जून और सितम्बर, 1979 तथा जनवरी, 1980 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
6.	केरल भवानी	805.00	26-6-72	कावेरी के जल के बारे में अन्तर्राज्यीय करार न होने के कारण यह स्कीम पैंडिंग रखी गई है
7.	कुट्टियाडी संवर्धो बहुद्देश्यीय स्कीम	500.00	2-9-77	कावेरी के जल के बारे में अन्तर्राज्यीय करार न होने के कारण यह स्कीम पैंडिंग रखी गई है।

1	2	3	4	5
(ख)	मध्यम स्कीमें			
1.	वामनपुरम	3722	10-10-80	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 28-1-80 को इस परियोजना पर विचार किया गया था चूंकि यह स्कीम लाभों के मुकाबले काफी महंगी पाई गई थी, इसलिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकार से प्रस्तावों का पुनरवलोकन करने का अनुरोध किया गया है।
2.	अट्टापाड़ी	842	30-8-71	कावेरी के जल के बारे में अन्तर्राज्यीय करार न होने के कारण यह स्कीम पैंडिंग रखी गई है।

श्री वी. एस. विजय राघवन : मैं माननीय मंत्री महोदयसे जानना चाहता हूँ कि यदि सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर दिया जाता है तो कितनी एकड़ और भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : श्रीमान्, इन योजनाओं से कुल सिंचित क्षेत्र 0.195 मिलियन हेक्टर होगा।

श्री वी. ए. विजय राघवन : श्रीमान, कुरियार कुट्टी करपारा तथा अट्टापाड़ी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। मैं समझता हूँ कि 1971 में अट्टापाड़ी योजना केन्द्र को प्रस्तुत की गई थी। 10 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अट्टापाड़ी आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विकास इस योजना पर निर्भर करता है। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि इस योजना पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : अट्टापाड़ी एक मध्यम परियोजना है। इस योजना को लम्बित रखा गया है क्योंकि कावेरी जल के सम्बन्ध में अन्तर-राज्यीय समझौता किया जाना है। जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है तब तक उस परियोजना की स्वीकृति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री ए. के. बालन : अट्टापाड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है ?

एक माननीय सदस्य : वह उसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री ए. के. बालन : मैंने मैंने पूछा कि नवीनतम स्थिति क्या है।

श्री जिय उर्रहमान अन्सारी : मैं अभी उनको यह बता सकता हूँ कि अट्टापाड़ी सिंचाई योजना को केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति नहीं मिल सकी है क्योंकि नदी तटीय राज्यों के बीच कावेरी जल के संबंध में अभी अन्तर-राज्यीय समझोता होना है। परन्तु इस अट्टापाड़ी योजना का कार्य राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिया जा रहा है। पहले ही 1980-81 तक 2.84 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के बिना केरल सरकार ने अट्टापाड़ी योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। पहले ही 2.84 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

श्री के. लकप्पा मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि केरल में विशेष रूप से यनद डिवीजन में मनमपाड़ी तथा बानासुर नामक वर्तमान परियोजनाएं हैं। ये सब कबीनी नदी की सहायक हैं कबीनी कावेरी में गिरती है। आप लगभग 245 मेगावाट के इन चालू परियोजनाओं में जल को अवरूध कर रहे हो जिससे आप कबीनी नदी के जल को सुखा रहे हों और कावेरी नदी में जल को जाने से रोक रहे हो। मुझे मालूम नहीं है कि उचित स्वीकृति बिना केरल सरकार ने कैसे इस परियोजना का निर्माण करने को अनुमति दी है जो पड़ोसी राज्यों विशेष रूप से कर्नाटक के हित के प्रतिकूल है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को उस समय तक रोकने के तुरन्त कदम उठायेगी जब तक विवादों का निपटान नहीं हो जाता है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जहाँ तक मेरी जानकारी का संबंध है इन 9 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं बड़ी हैं और 2 परियोजनाएं मध्यम श्रेणी की हैं। केवल अट्टापाड़ी सिंचाई परियोजना ऐसी है जिसका कार्यान्वयन केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार ने शुरू किया है।

पटना में महामारी तथा पशु चिकित्सकों की हड़ताल के कारण ढोरों की मृत्यु

*271 **श्री के. लकप्पा** .

श्री एच. एन. गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में पशु महामारियों के कारण हजारों की संख्या में ढोरों की मृत्यु हो रही है;

(ख) क्या पशु चिकित्सकों ने हड़ताल कर रखी है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने ढोरों के जीवन को बचाने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) बिहार सरकार ने सूचना दी है कि पटना में पशु महामारियों के कारण किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई है। अतः हजारों की संख्या में पशुओं की मृत्यु होने का प्रश्न ही नहीं होता,

(ख) जी नहीं,

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री के. लकप्पा : मेरा प्रश्न दिनांक 24 जनवरी, 1981 के 'करंट' में उल्लिखित तथ्यों पर आधारित है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ फोटों दिखा सकता हूँ। दिनांक 24 जनवरी 1981 के 'करंट' में समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया है कि सैकड़ों तथा हजारों पशु महामारी से मर गये हैं। उन्होंने इससे इन्कार किया है। क्या माननीय मंत्री सम्बन्धित राज्य सरकार से

आवश्यक सूचना प्राप्त करेंगे कि क्या उत्तर बिहार में ऐसी महामारी फैल चुकी थी या नहीं ? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या इस अवधि के दौरान पशु चिकित्सकों ने हड़ताल की थी और क्या वे बिमारी को रोकने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय कर रहे हैं ।

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : मैं अखबारी खबर या माननीय सदस्य द्वारा क्या उल्लिखित 'करंट' में प्रकाशित समाचार पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ मैं केवल राज्य सरकार की सूचना पर विश्वास कर सकता हूँ । यह राज्य का विषय है और राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि उस राज्य में कोई महामारी नहीं फैली है और न किसी पशु की मृत्यु हुई है । जहाँ पशु चिकित्सक की हड़ताल का सम्बन्ध है यह सच है कि उन्होने कुछ समय के लिए हड़ताल की थी और वे कुछ उच्च वेतन चाहते थे । राज्य सरकार ने चौथी वेतन संशोधन समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है और केवल सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर ही उनके वेतन मानों के संशोधन पर विचार किया जायेगा । राज्य सरकार ने इस प्रश्न की जाँच करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति भी नियुक्त की है । अब उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है । परन्तु हड़ताल तथा अन्य बातों के अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ कि उस राज्य में किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई है ।

डा. फारूख अब्दुल्ला : माननीय मंत्री कहते हैं कि महामारी के कारण किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई है । कुछ पशु अवश्य मरे होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी का "नौ" भी होता है ।

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : मैंने कहा कि कोई महामारी नहीं फैली थी ।

श्री के. लक्कप्पा : मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री महोदय राज्य सरकार द्वारा भेजे गये तथ्यों के आधार पर उत्तर देंगे । परन्तु मैं संबंधित मंत्रालय से यह जानना चाहूँगा कि क्या वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करेंगे कि भविष्य में ऐसी महामारी न फैले और ऐसे समय में डाक्टर हड़ताल न करें ताकि पशुओं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त उपाय किये जा सकें । क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देने की कृपा करेंगे कि एक दल बिहार में भेजा जाए ताकि वे उपचारात्मक उपाय कर सकें ?

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : हमने माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों को नोट कर लिया है । राज्य सरकार इस तथ्य से भी अवगत है और वे पहले से ही जानते हैं ।

श्री एच. एन. गौडा : क्या यह सच नहीं है कि बिहार मंत्रिमंडल ने डाक्टरों के वेतन मानों तथा अन्य शर्तों के बारे में तुकाराम समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने का निर्णय किया जो सरकार के पास अभी तक लम्बित पड़ा है ? क्या माननीय मंत्री महोदय उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें निदेश देंगे जो पहले लिये जा चुके हैं ताकि डाक्टर संतुष्ट हो जाए और वे पुन: हड़ताल न करें ?

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : यह राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति है जो इन पहलुओं पर ध्यान दे रही है । वे डाक्टरों को सन्तुष्ट करने के लिये सब कुछ करेंगे ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या बिहार सरकार ने पशुओं के महामारी से बचाव के लिए केन्द्रीय सरकार के पास दवाओं के लिए कोई आग्रह भेजा है ? क्या आप से दवाओं की कोई मांग की है ?

श्री आर. वी. स्वामी नाथन : उन्होंने हमसे कोई सिफारिश नहीं की है और न हमसे कोई अनुरोध किया है।

खादी संस्थानों में न बेचा गया ऊनी कपड़ा

*274. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस ऊनी कपड़े के स्टाक का मूल्य क्या है जो खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित खादी संस्थानों तथा अन्य प्राधिकृत खादी संस्थानों के पास बिना बिका हुआ पड़ है और यह किस तारीख से बिना बिका पड़ा है;

(ख) क्या इन संस्थानों में ऊनी कपड़े की बुनाई और कताई का कार्य पिछले तीन वर्षों से बन्द पड़ा है जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) क्या बाड़मेर और जैसलमेर जिले, जहां ऊनी कारखाने अत्यधिक हैं, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अनबिके स्टाक को बेचने के लिए सरकार ने इस वर्ष क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) खादी संस्थाओं और खादी तथा ग्रामोद्योग के विभागीय भण्डारों दोनों के बारे में ऊनी खादी के प्रारम्भिक स्टाक, उत्पादन तथा अन्तशेष स्टाक की पिछली दो वित्तीय वर्षों की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	प्रारम्भिक स्टाक (लाख रुपये में)	उत्पादन (लाख रुपये में)	31 मार्च को अन्तशेष स्टाक (लाख रुपये में)
1978-79	1,002.19	1,951.10	1,441.25
1979-80	1,441.25	2,222 28	2 515.58

(ख) जी नहीं। यद्यपि गत दो वर्षों के दौरान सर्दी अधिक न पड़ने के कारण ऊनी खादी की बिक्री में कठिनाई हुई थी फिर भी, इस गतिविधि में लगाये गये कारीगरों को रोजगार सुलभ करने के उद्देश्य से ऊनी खादी का उत्पादन जारी रखा गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन कारीगरों को ऊनी खादी में रोजगार सुलभ किया गया था, उनकी संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

वर्ष	ऊनी खादी के अन्तर्गत रोजगार
1977-78	1,80,196
1978-79	2,14,269
1979-80	2,44,803

इससे पता चलता है कि इस अवधि में ऊनी खादी के अन्तर्गत रोजगार में वृद्धि हुई है।

(ग) जी नहीं। 1979-80 के दौरान इन दो जिलों में ऊनी खादी कार्यक्रम (खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की विभागीय गतिविधियों को छोड़कर) के अन्तर्गत उत्पादन और रोजगार निम्न प्रकार थे :

जिला	ऊनी खादी का उत्पादन (लाख रुपये में)	ऊनी खादी के अन्तर्गत रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
जैसलमेर	67.26	3423
बाड़मेर	12.60	1989

(घ) केन्द्र सरकार ने गत वर्षों में 60 दिनों की सामान्य अवधि के मुकाबले में इस वित्तीय वर्ष के दौरान 75 दिनों की अवधि के लिए कम्बलों तथा कम्बलियों की खुदरा बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट तथा ऊनी खादी के सामान की अन्य किस्मों पर 10 प्रतिशत की सामान्य छूट के अतिरिक्त 5 प्रतिशत की विशेष छूट देने हेतु स्वीकृति दी है। राजस्थान की राज्य सरकार ने भी 14-11-1980 से 60 कार्य दिवसों के लिए ऊनी खादी पर 10 प्रतिशत और कम्बलों तथा कम्बलियों पर 15 प्रतिशत की विशेष छूट देने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, राजस्थान की संस्थाओं को सामान्य छूट के अलावा 5 प्रतिशत की थोक बिक्री-छूट देने की अनुमति दी गई थी। उन्हें ऊनी खादी के माल की बिक्री हेतु राज्य में और राज्य के बाहर अस्थायी बिक्री भण्डार खोलने की भी अनुमति दी गई थी। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्थान संघ, जयपुर को उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी राज्यों में ऊनी खादी का माल बेचने के लिए बिहार में पटना में एक वस्त्रागार खोलने की भी अनुमति दी गई थी। सरकार भविष्य में ऊनी खादी के स्टाक समाप्त करने के लिए सभी सम्भव तथा आवश्यक कदम उठाएगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब प्रस्तुत किया है, उससे भी यह स्पष्ट है कि वूलन खादी का क्लोजिंग स्टाक 1978-79 में 14 करोड़ 41 लाख 25 हजार रुपये का था जो सन 1979-80 में बढ़कर 25 करोड़ 15 लाख 28 हजार रुपये का हो गया यानी इतने रुपये का अनसोल्ड स्टाक आपके पास था और यह हर साल बढ़ रहा है। इसको बेचने के लिए आपकी ओर से प्रयास भी किये गए, इसकी भी आपने जानकारी दी है परन्तु वह अपर्याप्त है। मैं जानना चाहता हूं कि जो इतना बड़ा अनसोल्ड स्टाक हर साल बढ़ रहा है, उसके बेचने के लिए क्या ठोस उपाय आप करने जा रहे हैं और कब तक इस अनसोल्ड स्टाक को बेच सकेंगे, कृपया इसकी पूरी जानकारी आप दें ?

श्री बालेश्वर राम : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि मैंने जो उनके प्रश्न का जवाब दिया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि हम रिबेट का पीरियड बढ़ा रहे हैं। जहां लास्ट इयर यह 60 डेज था वहां इस साल हमने इसको बढ़ाकर 75 डेज कर दिया है। इसके अलावा दूसरी जगहों में हम और भी सेन्टर खोलने जा रहे हैं। तो हमारे प्रयास जारी हैं कि जहां तक सम्भव हो जल्द से जल्द स्टाक को बेचा जाए। इस साल राजस्थान में और खास तौर से जिन जिलों की आपने चर्चा का 66 परसेन्ट वह बिक गया है

अभी तक। यह सूचना हमें अभी मिली है कि राजस्थान में 66 परसेन्ट ऊनका स्टाक बिक गया है और भी हमारी कोशिशें चल रही हैं और नये सेन्टर भी खोल रहे हैं। अभी तक खादी ग्रामीण उद्योग के पास करीब करीब 10 हजार से ऊपर प्रोडक्शन सेन्टर हैं। पर सेल कांउटर है साढ़े तीन हजार के करीब ऊनके सेल सेन्टर हैं। इसके अलावा साढ़े दस हजार जो प्रोडक्शन सेन्टर काऊंटर्स हैं, वहाँ भी सेल होती है। इस साल 400 और सेल्स सेन्टर्स खोलने की योजना है जहां तक सम्भव होगा हमारी कोशिश यह होगी कि वूलन खादी बिक जाए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह सन्तोषप्रद नहीं है। दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूँ वह यह है कि आपने जो जवाब दिया है, उसमें बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के 1979-80 के वूलन खादी के प्रोडक्शन के और एम्पलायमेंट के फीगर्स तो दिये हैं लेकिन 1978-79 के फीगर्स नहीं दिये हैं और 1980-81 के अब तक के फीगर्स नहीं दिये हैं। इसलिए पोजीशन किलयर नहीं मालूम पड़ता है कि वास्तव में पहले कितने लोग एम्पलाय किये गये और उसके बाद कितने एम्पलायड हुए। इनकी संख्या बढ़ रही है या नहीं ? मैं पूरी जानकारी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही कम पर्सन्स एम्पलायड हैं और उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। हमारे यहाँ सूखे की स्थिति है और बाड़मेर और जैसलमेर में 3 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है। वहां पर खादी का कार्य ज्यादा होना चाहिए। यह कांस्ट्रक्टिव वर्क है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रोडक्शन के काय बढ़ा करके, एम्पलायमेंट बड़ा करके, हमको कब सेटिसफैक्शन देंगे ? क्या कोई विशेष कार्यक्रम इसके लिए आप बना रहे हैं, यह आप हमें जानकारी दें ?

श्री बालेश्वर राम : 1979-80 के फीगर्स तो मेरे पास एवेलएबिल हैं। उसमें वूलन खादी में राजस्थान में एम्पलायमेंट दिया है 1 लाख 23 हजार 27 लोगों को। इसके पहले साल में यह संख्या थी 99 हजार 619।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आपने जैसलमेर और बाड़मेर के फीगर्स नहीं दिये हैं। ये तो पूरे राजस्थान के हैं।

श्री बालेश्वर राम : दो डिस्ट्रिक्ट्स के अलग करना तो मुश्किल है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आपने 1979-80 की इन्फार्मेशन दी है इन दो के बारे में।

श्री बालेश्वर राम : अलग से आप पूछेंगें, तो दोबारा पूरी सूचना दोनों जिलों की कलेक्ट कर देगें।... (व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : दि क्वेश्चन इज वेरी किलयर। यह बताइए कि स्टाक में कितना है।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ विशिष्ट जानकारी चाहते हो, अनुमति नहीं है।

श्री रेणु पद दास : ऊनी कपड़े के बिना बिके स्टाक को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऊनी खादी के सिले सिलाये कपड़ों तथा अन्य किस्मों का स्तर क्रेताओं की उम्मीद के अनुसार क्यों नहीं बढ़ाया जाता है और उनको घटिया तथा पुराने रखने के स्थान पर फैशन तथा स्टाइल, रंग तथा कट के बारे में उन्हें प्रतियोगी क्यों नहीं बनाया जाता है ?

राव बीरेन्द्रसिंह : श्रीमान, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन का उद्देश्य विशेष रूप से गांवों में समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार सुलभ करने का है और उत्पादन की किस्म की तुलना मिलों में उत्पादित किस्म से नहीं की जा सकती है। परन्तु हम अपनी सभी उत्पादन की वस्तुओं की किस्म में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से गाँवों में उत्पादित घटिया किस्म के ऊनी सामान के कारण सेना भी हमारे कम्बलों तथा अन्य वस्त्रों को खरीदना नहीं चाहती है। इस बात को तो सभी मानते हैं कि बड़े कारखानों में उत्पादित माल की अपेक्षा गाँवों के छोटे कारीगरों द्वारा उत्पादित माल की किस्म अच्छी नहीं हो सकती है।

श्री जेवियर अराकल : जैसा कि आपने बताया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। 95 करोड़ रुपये से अधिक उन्हें दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आयोग का पूर्णरूप से गठन हो गया है या नहीं ? यदि इसका पूर्णरूप से गठन नहीं हुआ है तो क्या मन्त्री महोदय इसका पूर्णरूप से गठन करने के लिए कदम उठायेंगे क्योंकि अब ही चैयरमैन हर चीज की देख-भाल कर रहा है। इसलिए, किस्म तथा अन्य मामलों की जांच नहीं की जा सकती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : एक चैयरमैन सारे काम की देख-भाल नहीं कर रहा है। इस आयोग में दो और सदस्य हैं। इस समय आयोग में एक चेयरमैन तथा दो सदस्य हैं। कुछ और सदस्यों को अति शीघ्र नियुक्त किया जाएगा।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष जी, राजस्थान में, खास तौर से, उसके रेगिस्तानी क्षेत्र में जहाँ प्राय: अकाल रहता है और उसके ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन सालों से अकाल है, उनमें 40 परसेन्ट ऊन पैदा होता है। ऊन की कताई, बुनाई से वहाँ की महिलाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन उसकी बिक्री ठीक न होने के कारण वहाँ स्टाक जमा हो रहा है और उनकी रोजी पर इसका असर पड़ रहा है। जैसा अभी कहा गया कि सरकार ने इस बारे में चेष्टा की है लेकिन उसके वाँछित परिणाम नहीं निकले हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसकी ओर विशेष ध्यान देकर ऐसी व्यवस्था करेगी कि अपनी सरकारी एजेन्सियों जैसे पुलिस, मिलिट्री, अस्पताल और दूसरी संस्थाओं के लिए जो ऊनी माल की खरीद की जाती है वह खरीद इन संस्थाओं के माध्यम से ही अनिवार्यत: की जाए, जिससे कि उनका माल बिक सके और लोगों का रोजगार चल सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर ने जो सजेशन दिया है वह बहुत अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वूलन तैयार किया जाता है। हम मुस्तकिल गवर्नमेंट के विभागों से यह कोशिश करते हैं कि वे इस प्रकार से बना वूलन खरीदें। लेकिन हम किस हद तक उनको मजबूर कर सकते हैं और सरकार की तरफ से ऐसा कोई हुक्म जारी हो सकता है या नहीं इस बात पर विचार किया जायेगा।

एस. टी. डी. द्वारा शहडोल को भोपाल और जबलपुर से जोड़ना

*275. **श्री दलबीर सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहडोल भोपाल और शहडोल-जबलपुर को एस. टी. डी. द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। शहडोल-भोपाल तथा शहडोल-जबलपुर को एस. टी. डी. द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव को दीर्घकालीन योजना में शामिल कर लिया गया है।

(ख) आरजी तौर पर उस प्रस्ताव को 1985-86 में क्रियान्वित किये जाने की योजना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, शहडोल औद्योगिक केन्द्र है। वहां 12 कोल माइंस हैं। अमरकंट थरमल पावर स्टेशन है। इसके साथ-साथ ओरियन्ट पेपर मिल है। इसी तरह से जबलपुर में हमारे प्रदेश का हाईकोर्ट है और केन्द्र भी वहां है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि इसको दीर्घकालीन योजन में लिया जाएगा। यहां पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बहुलता को देखते हुए और चूंकि भोपाल हमारा कैपिटल है, इसको देखते हुए हम इसकी दीर्घकालीन योजना से हटा करके क्या आप अल्पकालीन योजना में शामिल करेंगे ताकि इनको जल्दी से जल्दी एस. टी. डी. से जोड़ा जा सके ?

श्री कार्तिक उरांव : एस. टी. डी. को एक स्टेशन पर प्रयोग किया जा सकता है, इस बात के लिए दो शर्तें पूरी की जानी हैं : (1) स्थानीय एक्सचेंज को स्वाचलित बनाना (2) विश्वसनीय ट्रांसमिशन मिडियम को चालू करना सम्पूर्ण देश में 385 जिला मुख्यालय हैं, इनमें से 146 अभी मैनुअल एक्सचैंज हैं। शहडोल सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इनमें से एक ऐसा स्टेशन है जिसमें मैनुअल एक्सेंज है वहां पर उपस्कर-क्षमता की 360 लाइन हैं और 312 वर्किंग कनक्शन हैं। 12 अभी तक प्रतीक्षा सूची में हैं। परन्तु प्रतीक्षा सूची में इन 12 की 1981 के अन्त तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है। नि.सन्देह शहडोल को उपस्कर के आवंटन के लिए पहले ही योजना बनाई गई थी। परन्तु कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लगाने के कारण इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि श्रमिक अशान्ति और बिजली की कटौती के कारण हमारे पास स्वतः एक्सचेंज उपस्करों की कमी है। इन परिस्थितियों में वह निश्चित तारीख निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है जिस तक ये स्वतः एक्सचेंज उपलब्ध हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त हमने 1983-84 में उपस्कर आवंटन को प्राप्त करने की योजना बनाई है और यह 1984-85 में शुरू हो जायेगी।

अब जबलपुर और भोपाल का प्रश्न आता है। जबलपुर और भोपाल दोनों के लिए अलग अलग 1000 टाइम्स के बिजली स्विचिंग उपस्कर की योजना बनाई जा रही है। जबकि भोपाल के लिए वर्तमान योजना में अयोजन किया गया है और जबलपुर के लिए आगामी योजना में आयोजन किया गया है।

जब जबलपुर में यह टी. ए. एक्स स्थापित किया जायेगा तो हम एस.टी. डी. की व्यवस्था कर सकते हैं। शहडोल में 1984-85 तक स्वचालित टेलीफोन चालू किए जाने पर हम जबलपुर तथा भोपाल को एस. टी. डी. से जोड़ लेंगे। हमें इन परिस्थितियों का सामना करना है।

डा. कृपासिंधु भोई : मेरा प्रश्न यह है . (क) डाक तथा तार विभाग ने हस्तचालित एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज अथवा एस. टी. डी. में बदलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित कर रखा है ? (ख) डाक तथा तार विभाग में बदलने के लिये उपकरणों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार भुवनेश्वर में क्रासबार एक्सचेंज स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : शर्तों के बारे में सभा में कई बार कहा जा चुका है। इसके लिये प्राथमिकताओं की सूची बनी रहती है । सबसे पहले तो हम राज्यों की सभी राजधानियों को केन्द्रीय राजधानी से जोड़ना चाहते हैं और फिर सभी जिला राजधानियों को राज्यों की राजधानियों से मिलना चाहते हैं। साधनों की उपलब्धता इसकी मुख्य शर्त है। मैं एक बात कह सकता हूँ। आज स्टैंडर्ड के अनुसार 600 स्टेशन जोड़े जाने के योग्य हैं। लेकिन इसे किया ही जाना है। इसके लिए स्ट्रोगर एस. टी. डी. उपकरणों को एक लाख के बराबर लाईनों और टी. ए. एक्स उपकरणों 1,2 लाख लाईनों की आवश्यकता है। हमारी क्षमता स्ट्रोगर एस. टी. डी. उपकरणों की 5000 लाईनों और टी. ए. एक्स उपकरणों की 6000 लाईनों की है , अत: इसकी तुलनात्मक स्थिति यह है। अत: इसमें निश्चय ही कुछ त्रुटियाँ आ रही हैं। हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें आशा है कि चालू योजना पूरी होने से पहले सभी जिला मुख्यालयों को राज्य राजधानियों से मिलाया जायेगा। हम इसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं अर्थात् उत्पादन अथवा विस्तार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए अधिकाधिक कार्यवाही की जा रही है (व्यवधान) प्रश्न (ख) का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे भुवनेश्वर के बारे में पूछ रहे थे। भुवनेश्वर का मामला कुछ भिन्न है । जहाँ तक क्रार-बार के विस्तार का सम्बन्ध है, इसकी व्यवस्था राय बरेली में की जा रही है। जहाँ तक एलेक्ट्रनिक विस्तार का सम्बन्ध है, इसका विस्तार प्रतिवर्ष 10 लाख तक होता है। दो कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। इन्हें कहाँ स्थापित किया जायेगा, इसका निर्णय दौरा करने के बाद, सूचना एकत्र करने के बाद तथा रिपोर्ट देने के बाद एक समिति करेगी और आखरी चयन किया जायेगा। सभी स्टेशन इसके लिये आवेदन पत्र दे रहे हैं और भुवनेश्वर क्षेत्र की ओर से भी आवेदन पत्र आये हैं और उसे ध्यान में रखा जायेगा।

श्री वीरभद्र सिंह : मेरा अनुपूरक प्रश्न अभी अभी राज्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से सम्बन्धित है जिसमें कहा गया है कि देश के सभी जिला मुख्य कार्यालय स्वचालित अथवा हस्त चालित टेलीफोन एक्सचेंजों से जुड़े हुए हैं। मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के दो जिला मुख्य कार्यालय, जो 1960 के आस-पास मुख्य कार्यालय बने, अर्थात लाहोल स्थिति जिले के मुख्य कार्यालय केलोंग तथा किनौर जिले के मुख्य कार्यालय कालपा को अभी तक टेलीफोन से ही नहीं जोड़ा गया, वहां टेलफोन एक्सचेंज लगाने की बात तो दूर रही यदि यह सच है तो सरकार इन दो मुख्य कार्यालयों में टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कदम उठा रही है।

श्री सी. एम. स्टीफन : मेरे विचार में ऐसा नहीं कहा गया है कि हमने सभी जिला मुख्य कार्यालयों को जोड़ दिया है। ऐसे जिला मुख्यालयों की संख्या बहुत है। कुछ और भी जिला मुख्य कार्यालय हैं जहाँ अभी टेलीफोन सुविधायें नहीं हैं।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की बिक्री

*276. श्री पीयूष तिरकी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूह आवास समितियों के लगभग 50,000 आबटियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मालिकों को भविष्य में अपनी सम्पत्ति को बेचने का कानूनी अधिकार नहीं होगा;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :

(1) सहकारी ग्रुप आवास समिति द्वारा बनाये गये फ्लैटों के आबंटी फ्लैटों को नहीं बेच सकते किन्तु वे कतिपय शर्तों पर समिति में निहित अपने शेयर और हित को आन्तरित कर सकते हैं।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लैटों का आबंटी कतिपय शर्तों पर अपने फ्लैटों को अन्तरित बेच सकते हैं।

(ख) ग्रुप आवास समितियों के मामले में भूमि तथा फ्लैटों का कानूनी स्वामित्व समिति के पास है, न कि किसी सदस्य के पास।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पीयूष तिरकी : मंत्री महोदय ने कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरन द्वारा निर्मित फ्लेटों के आवंटियों के लिये कुछ शर्तें रखी गयी हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से एक सीधा प्रश्न पूछ सकता हूँ ? ये शर्तें क्या हैं, और क्या सरकार को दि. वि. प्रा. के फ्लैटों के आवंटन तथा हस्तांतरण सम्बन्धी बड़े पैमाने के कदाचारों की जानकारी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री पठिम नारायण सिंह) : कदाचारों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि कहा गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण 1968 के विलियम के अनुसार काम करता है। कुछ बहुत ही कम मामलों में हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है। साधारणत: 10 वर्ष से पहले किसी के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाती। यदि 10 वर्ष से पहले किसी हस्तांतरण के लिये अनुमति दी जाती है तो दि. वि. प्रा. के चेयरमेन ऐसा एक विशेष मामले के रूप में करता है जिसके लिये नियम बने हुये हैं।

श्री पियूष तिरकी : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं और प्रो. मधु दंडवते इस प्रश्न का निपटारा करना चाहते हैं। मैं जाना चाहता हूँ कि क्या मैं आपको 'पीयूष' कहूँ या 'पायस'

श्री पीयूष तिरकी : 'पीयूष'

अध्यक्ष महोदय : दोनों ही शब्द अच्छे हैं।

श्री पीयूष तिरकी : क्या आपको कहीं से कोई प्रस्ताव मिला है, यदि हाँ, तो प्रस्ताव क्या हैं ?

श्री पंठिम नारायण सिंह : मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं, कि इस समय विनियम में संशोधन करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। जो विनियम लागू है, वह पर्याप्त है।

फरक्का बांध सहायक नहर के जरिए गंगा के पानी के गिरने के कारण मुर्शिदाबाद में भूमि का जलमग्न होना

*277 **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा फरक्का बाँध प्रशासन का ध्यान पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध सहायक नहर से, जो जोगीपुर पर हुगली नदी में मिलने से पहले इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, गंगा के पानी के बहने के कारण ज़िला मुर्शिदाबाद में सूती और रघुनाथ गंज पुलिस थाना क्षेत्रों में किसानों की लगभग 30,000 एकड़ कृषि भूमि के गत 4-5 वर्षों से जलमग्न होने, जिसके कारण किसानों को भारी क्षति पहुँची है, की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस जल के बहने के कारणों के बारे में फरक्का बाँध प्राधिकारियों द्वारा कोई जाँच की गई है तथा इन जलप्लावित क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए कोई योजनायें बनाई गई हैं; और

(ग) यदि इस प्रकार पानी का निकाला जाना सभव नहीं है तो क्या सरकार इन भू-स्वामियों को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केवल लगभग 10,234 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है। फरक्का फीडर नहर के चालू होने से पहले भी यह क्षेत्र हर वर्ष मानसून की अवधि में 3½ महीने जलमग्न हो जाता था।

(ख) फरक्का फीडर नहर के जल से प्रभावित पगला-बंसलोई बेसिन के निचले क्षेत्रों का विकास करने और इन क्षेत्रों को रबी की खेती के लिए उपलब्ध करने की एक स्कीम स्वीकृत की गई है जिस पर 4.12 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

इस स्कीम में पगला और बंसलोई नदियों पर नियामकों (रेग्यूलेटर्स) का निर्माण करने और जल-प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक सहित, उत्तर की ओर जाने वाली एक जल-निकास चेनल का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के क्रियान्वयन से निम्नवर्ती क्षेत्रों को कृषि संबन्धी लगभग उतने ही लाभ प्राप्त होने लगेंगे जो उन्हें फरक्का फीडर नहर के चालू होने से पहले प्राप्त हुआ करते थे। इस स्कीम का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है और इसके 2½ वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री त्रिदिब चौधरी : जहाँ तक प्रश्न के (क) भाग का सम्बन्ध है, मंत्री ने जमीन के बारे में इनकार नहीं किया है, यह फरक्का बेरेज फीडर नहर के अतिरिक्त जल प्रवाह से स्थायी रूप से जलमग्न हो चुकी है। वास्तविकता यह है कि पिछले 4,5 वर्षों से यह भूमि स्थायी रूप से जलमग्न हो चुकी है। जिस विकास योजना का जिक्र मंत्री महोदय ने किया, उसमें और 2½ वर्ष लगेंगे। अर्थात कुल 7 वर्ष पिछले वर्षों में यहाँ से कृषकों की फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा है। क्या सरकार पिछले 6,7 वर्षों से लगातार हुये नुकसान का उन्हें कोई मुआवजा

देगी ? उनका कहना है कि जब यह जमीन प्रति वर्ष जब मग्न हुआ करती थी तो दो तीन महिनों तक वहां काफी गाद जमा हो जाती थी जिससे कृषकों को काफी लाभ पहुँचा था । अब यह जमीन पिछले 7,8 वर्षों से पूर्णत: जलमग्न हो चुकी है और कृषकों को काफी हानि हो गयी है। क्या आप उन्हें मुआवजा नहीं देंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी जैसे कि मैं प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूँ फरक्का फीडर नहर का सारा क्षेत्र हर वर्ष मानसून के दौरान 2½ महीने जलमग्न हो जाता है और शेष भाग वर्ष के शेष भाग में जलमग्न रहता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि फरक्का फीडर नहर चालू होने के बाद ही हमने राज्य सरकार के परामर्श से एक योजना स्वीकार की जिसका अब भी कार्यान्वयन हो रहा है । राशि की स्वीकृत दी जा चुकी है ताकि काश्तकारों को कुछ लाभ पहुँच सके । लेकिन जहाँ तक मुआवजा देने का सम्बन्ध है, यह एक बड़ा प्रश्न है । वास्तव में फरक्का बाँध परियोजना प्रशासन ने प्रभावित जमीन के मालिकों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया है । पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि प्रभावित लोग काश्त करने हेतु जमीन प्राप्त करने के इच्छुक हैं । वे मुआवजे के इतने इच्छुक नहीं हैं, वे कृषि कार्यों के लिये उपयोगी जमीन को प्राप्त करने के अधिक इच्छुक हैं । अत: वे पानी निकालने की योजना को पहले कार्यान्वित करना चाहते हैं । वे मुआवजा प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं । अत: पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट के अनुसार हम जमीन प्राप्त करने तथा इसे शीघ्र उपलब्ध करने तथा लाभदायक बनाने के लिये कदम उठा रहे हैं ।

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री जी का उत्तर बिल्कुल निरर्थक है ।

आप यह कैसे कह सकते हैं कि कृषकों की कोई अभिरूचि नहीं है जबकि गत 6-7 वर्षों से वे उस भूमि पर किसी प्रकार की खेती नहीं कर सके हैं और जबकि उनकी भूमि उन्हें अगामी ढ़ाई वर्ष तक खेती के लिए उपलब्ध भी नहीं होगी ? यह खेती योग्य उपजाउ भूमि है । अत: आप किसानों को होने वाली हानि की आसानी से गणना कर सकते हैं । कुछ भी हो आप उनकी क्षतिपूर्ति नहीं कर रहे हैं ।

परन्तु यह कहना सही नहीं है कि किसान लोग क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं । उन्होंने तो क्षतिपूर्ति का दावा किया है ।

आप कह सकते हैं कि न ही तो राज्य सरकार को और न ही केन्द्रीय सरकार को इस बाढ़ प्रकोप केलिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । अत: वे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने को तैयार नहीं हैं । परन्तु फिर भी मुझे इस बात पर प्रसन्नता होगी, यदि शीघ्रातशीघ्र इस पानी को उस भूमि से बाहर निकाल दिया जाए ।

क्या मैं यह जान सकता हूँ कि पानी को बाहर निकालने की योजना को लागू करने का दायित्व फराक्का बैराज प्राधिकरण, पश्चिम-बंगाल सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार में से किसका है ?

मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या केन्द्रीय सरकार ने या राज्य सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दी है अथवा राज्य सरकार को राजकोष से सहायता प्रदान की गई है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, फराक्का बैराज प्राधिकरण ने चटर्जी कान्ट्रेक्टर्स

नाम की एक गैर सरकारी निर्माण कम्पनी को यह कार्य सौंपा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह एक केन्द्रीय परियोजना है। फराक्का बैराज प्राधिकरण ने ठेका दिया है और वह कम्पनी उस परियोजना को लागू कर रही है।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार फराक्का बैराज प्राधिकरण को प्रति वर्ष फसलों की हुई हानि का पता लगाने के निर्देश जारी करेगी और क्या सरकार किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति करने पर विचार करेगी ?

कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : आप इस बात को मानेगें कि भूमिधरों को कुछ उन विकास कार्यक्रमों के कारण प्रायः हानि उठानी पड़ती है जो कि पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट खड़ी करते हैं। परन्तु विकास कार्यों के कारण प्रत्येक मामले में हानि का पता लगाना बड़ा कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त यह एक बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है जो कि लगभग केवल 10,000 एकड़ है।

श्री नीरेन घोष : तो फिर क्षतिपूर्ति कीजिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने प्रति वर्ष फसलों को होने वाली हानि को किसानों की क्षतिपूर्ति करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है। ऐसे सभी मामलों में मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि आया केन्द्रीय सरकार ऐसी सभी क्षतियों की किसानों को क्षतिपूर्ति करने का भार उठा सकती है। इससे पूर्व-दृष्टान्त स्थापित हो जायेगा। कुछ भी हो यह वित्तीय मामला है।

पहिले तो ऐसी योजनाओं को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है और जहां कहीं केन्द्रीय योजनाएं लागू की जाती हैं वहाँ यह देखना राज्य सरकार का काम है कि किसानों और भूमिधरों को बड़े पैमाने पर हानि हुई है जैसा कि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा के मामले में होता है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को राहत देने में मदद देती है।

परन्तु क्या राज्य सरकारों को लोगों को राहत देनी ही होगी ? यदि उन्होंने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं तो मैं अवश्य उन पर विचार करूंगा और कुछ न कुछ निर्णय लूंगा।

प्रो. एन. जी. रंगा : यह तो स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या अब सरकार इस विशिष्ट मामले पर कुछ विचार करेगी चूंकि इसे सदन में उठाया गया है ? यह कोई एक-दो वर्ष की प्राकृतिक आपदाओं का मामला नहीं है, परन्तु यह तो स्पष्ट रूप से गत तीन वर्षों से लगातार हो रहा है और यह लगातार पांच वर्षों तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार की जल-निकासी योजना तैयार नहीं हो जाती है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और यह भी बताना चाहिए क्या फसलों में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करना सम्भव हो सकेगा या वहाँ की राज्य सरकार को आपद ग्रस्त लोगों को किसी न किसी प्रकार की सहायता देनी चाहिये। दस हजार एकड़ कोई छोटा क्षेत्र नहीं है और निश्चय ही दस हजार लोग उस पर निर्भर करते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने माननीय सदस्यों के सुझावों और उनकी भावनाओं को नोट कर लिया है और हम उन पर ध्यान देंगे। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह इतना आसान नहीं हैं। (व्यवधान)

राज्यों में ग्रामीण निर्धन

*278. श्री के. मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग आधे गृहहीन ग्रामीण निर्धन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं;

(ख) यदि हां, तो यदि इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) कृषि मजदूरों, काश्तकारों, मछेरों आदि व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए आवास स्थल-व-सहायता अनुदान की योजना के अन्तर्गत सहायता देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा चुने गये परिवारों के आंकड़ों का एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

इस योजना का कार्यान्वयन छठी पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य क्षेत्र में किया जा रहा है। जिसमें चालू वित्तीय वर्ष (1980-81) के लिए इसका परिव्यय 52.83 करोड़ रुपये है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमानित आवास स्थलों के आबंटन तथा निर्माण सहायता के लिए पात्र परिवारों की संख्या (जैसा कि 30-9-1980 तक बतलाया गया है)
1. आन्ध्र प्रदेश	16,00,000
2. असम	2,37,607
3. बिहार	19,58,000 (क)
4. गुजरात	4,62,333
5. हरियाणा	2,46,392
6. हिमाचल प्रदेश	10,694
7. जम्मू व काश्मीर	20,120
8. कर्नाटक	10,60,852
9. केरल	1,34,889
10. मध्य प्रदेश	9,13,037
11. महाराष्ट्र	4,97,547
12. उड़ीसा	4,19,000

1 2	3
13. पंजाब	2,97,046
14. राजस्थान	8,54,023
15. तमिलनाडु	14,97,000 (क)
16. त्रिपुरा	42,650
17. उत्तर प्रदेश	12,40,340
18. पश्चिम बंगाल	2,82,961
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	8,608
2. चण्डीगढ़	90
3. दादर तथा नागर हवेली	1,035
4. दिल्ली	14,800
5. गोआ, दमण तथा दीव	1,596
6. पांडिचेरी	15,213
	कुल 1,18,16,213

(क) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार।

इस योजना का कार्यान्वयन मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लक्षद्वीप तथा मिजोरम में नहीं किया जा रहा है।

श्री के. मालन्ना : मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर 'नहीं' में दिया गया है। भारतीय रिजर्व-बैंक के अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार, देश के गाँवों में निर्धनों को आवास प्रदान करने के के लिए 430 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण की आवश्यकता होगी। मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों की संख्या 1, 18, 16, 213 है। इसका अर्थ है कि मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने देश में बेघरबार लोगों की संख्या का पता लगाया है और यदि लगाया है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : 1971-72 में भारतीय रिजर्व बैंक की पत्रिका में एक लेख छपा था और माननीय सदस्य उस संख्या को उद्धृत कर रहे हैं परन्तु वास्तव में हमें सूचना राज्य सरकारों और योजना आयोग से मिलती है और हमारे पास जो कुछ भी सूचना उपलब्ध है, उसे मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। देश में ग्रामीण भूमिहीन कामगारों की कुल संख्या 1, 18, 16, 213 है और उन चार राज्यों की जिनके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम-बंगाल और महाराष्ट्र की संख्या 33, 38, 360 है। वास्तव में इस मामले में, हमें अधिकतर राज्य सरकारों के प्रतिवेदनों पर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि इस विषय पर राज्य-क्षेत्र में ही विचार किया जाता है। इसलिए जो सूचना मैंने अभी दी है उसे राज्य सरकारों से प्राप्त किया जाता है।

श्री के. मालन्ना : प्रश्न तो केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता का है । इस क्षेत्र में भी, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन अनुसार,स्वैच्छिक श्रमदान तथा इसी प्रकार से अन्य योगदान के अतिरिक्त आगामी दस वर्षों में 11,360 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता पड़ेगी । अत: चालू वर्ष के लिए 1,135 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है, परन्तु आवंटन केवल 52.83 करोड़ रुपये का किया गया है, यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए वित्तीय सहायता की इस खाई में अन्तर की बात कही गई है । क्या मैं मन्त्री महोदय से इस खाई को भरने के लिए उठाए गये कदमों अथवा किए गए उपायों के बारे में जान सकता हूँ । (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : सरकार ने छठी योजना में ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को मकान बनाने के लिए भूमि खरीदने के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है।। कोई भी ग्रामीण परिवार मकान बनाने के लिए भूमि से वंचित नहीं रहेगा । छठी योजना में ऐसा प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में गोबर गैस संयंत्र

*268. श्री के. ए. स्वामी : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गोबर गैस संयंत्रों के धीमे विकास के क्या कारण हैं;

गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 1979, 1980 और 1981 में आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) 1978, 1979 और 1980 में आन्ध्र प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में कितने गोबर गैस संयंत्र चालू किए गए; और

(घ) 1981 और 1982 में इस तरह के संयंत्रों की स्थापना की क्या योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) आन्ध्र प्रदेश में गोबर-गैस प्लांट कार्यक्रम खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा सीधे क्रियान्वित किया जा रहा है । खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग ने सूचित किया है कि यह कार्यक्रम कृष्णा, गुन्टूर, पूर्वी गोदावरी तथा पश्चिमी गोदावरी, जैसे कृषि की दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में लोकप्रिय है, किन्तु यह तेलंगाना तथा रायलसीमा जैसे क्षेत्रों में, जो अपेक्षाकृत सूखे क्षेत्र हैं तथा जहाँ प्रत्येक कृषक के पास पशु कम संख्या में हैं, लोकप्रिय नहीं है ।

(ख) 1979-90 के दौरान खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में 350 गोबर गैस प्लांटों के लिए 4 54 लाख रुपए राजसहायता के रूप में वितरित किए हैं । 1980-81 में 650 प्लांटों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष के दौरान वास्तविक रूप में

स्थापित किए गये प्लांटों को दी गई राजसहायता की राशि के सम्बन्ध में जानकारी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात मालूम होगी।

(ग) जानकारी इस प्रकार है :

	1978-79	1979-80	1980 81 (अक्तूबर, 1980 तक)
स्थापित किए गए गोबर गैस प्लांटों की संख्या	382	350	222

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में बायोगैस कार्यक्रम के विकास के लिए 50,00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। योजना का विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है। यह योजना आन्ध्र प्रदेश के लिए भी होगी। 1981-82 तथा 1982-83 में आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले बायो गैस प्लांटों की संख्या, ब्यौरे को अन्तिम रूप देने के पश्चात निश्चित की जाएगी।

रोहिणी आवास परियोजना

*272. **श्री गुफरान आजम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहिणी परियोजना की प्रगति हो रही है; इस योजना का ब्यौरा क्या है और योजना के वित्त का स्त्रोत क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों की भूमि का अब तक यदि अभिग्रहण किया जा चुका है, तो कितनी भूमि का और रोहिणी योजना की भूमि का इस समय किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) भूमि के मालिकों को किस प्रकार मुआवजा दिया जायेगा और उनको फार्मों पर किस प्रकार बसाया जायेगा और

(घ) क्या भूमि के मालिक रोहिणी परियोजना में सहयोग कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ। इस परियोजना का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, लगभग 1,725 एकड़ भूमि ही अर्जित कर ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत रखी गई भूमि का सर्वाधिक मौजूदा उपयोग कृषि है।

(ग) भू-अर्जन अधिनियम, 1804 के उपबन्धों के अनुसार मुआवजा नकद दिया जाता है। इस समय, भूमि के मालिकों को फार्मों पर उनको बसाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि भूमि के मालिकों ने मुआवजा प्राप्त करने के पश्चात अर्जित भूमि का शान्तिपूर्वक कब्जा दे दिया है।

विवरण

उत्तर पश्चिम दिल्ली में रोहिणी आवास परियोजना का कुल स्थल क्षेत्र 497.30

हेक्टेयर है इसमें 1.7 लाख मकानों की व्यवस्था है और 8.5 लाख जनसंख्या के लिए अधिकतर आवासीय क्षेत्र हैं। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अर्थ व्यवस्था के तीन अन्य मुख्य क्षेत्रों में 3 लाख कामगारों के लिए रोजगार के अवसरों के लिए कार्य केन्द्रों की व्यवस्था है। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए इसमें मिश्रित समाज के सभी आय वर्गों के लिए मकानों की व्यवस्था करने की आवास नीति है। मकानों का 88 प्र० श० आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आये वर्ग के लिए है। परिवारों की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'इन्क्रीमेन्टल हाऊसिंग' की सकल्पना की ओर ध्यान दिया गया है। प्लाट का सबसे छोटा आकार 26 वर्ग मीटर और सबसे बड़ा आकार 300 वर्ग मीटर का है। भू उपयोग का यरीका निम्न प्रका से है :

भू उपयोग	कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रतिशतता
रिहायशी	1413.00	56.58
वाणिज्यिक	108.50	4.35
औद्योगिक	482.50	19.32
सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधायें	126.42	5.06
मनोरंजनात्मक	211.50	8.47
परिचालन (30 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क)	155.39	6 22
	2497.30	100.00

योजना की वित्तीय व्यवस्था

इस परियोजना से संबंधित विकास कार्य का वित्तीय प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रशासित आवर्तन निधि में से किया जायेगा। तथापि, निर्माण कार्य के लिए धन दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामान्य विकास लेखे में से दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना पुनः तैयार किया जाना

*273. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :**

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, योजना पुनः तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्योरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है :

सरकारी आवास

*279 **श्री दयाराम शाक्य :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टाइप-दो के कुल कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय पुल में टाईप-दो के क्वार्टरों के आबंटन की 31 जनवरी, 1981 को प्राथमिकता तिथि क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को टाइप-दो के क्वार्टरों से आबंटन हेतु वर्ष 1981 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) टाईप-दो के क्वार्टरों के लिए 31 जनवरी, तक की प्रतीक्षा सूची में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में टाइप-दो/बी के निर्माणाधीन क्वार्टरों की कुल संख्या 2586 है।

(ख) 2-12-1958

(ग) और (घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है जैसे ही ये 2586 क्वार्टर जो इस समय निर्माणाधीन हैं, तैयार हो जायेंगे वैसे ही इनका आवंटन आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ङ) 24048.,

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि:

*280 **डा. बसंत कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-सटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (एक) टेलीफोन, (दो) टेलीप्रिंटर, (तीन) टेलेक्स और (चार) पी. ए. बी. एक्स-पी. बी. एक्सचेंज बिलों की बकाया राशि में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) प्रत्येक की कितनी राशि बकाया है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान न वसूल हो सकने वाली कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है; और

(घ) इस बारे में डाक और तार महानिदेशक द्वारा धनराशियों की वसूली के लिये क्या नये प्रयास किये गये हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : (क) जी हाँ।

(ख) टेलीफोन, टेलीप्रिंटर तथा टलेक्स का पिछले तीन वर्षों का बकाया निम्न प्रकार है :-

(एक) **टेलीफोन बील**

वर्ष	प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई को पिछले तीन माह का संचयी बकाया (लाख रुपयों में)
1977-78	1205 (1-7-78 को)
1978-79	1690 (1-7-79 को)
1979-80	1817 (1-7-80 को)

पी. ए. बी एक्स/पी. बी. एक्सचेंजों के बकायों का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता क्योंकि उन्हें अन्य टेलीफोनों के बराबर माना जाता है। अतः उनकी बकाया रकम टेलीफोनों में शामिल है जो निम्न प्रकार है :—

(दो) सर्किट/टेलेक्स बिल (टेलीप्रिंटर सहित)

	(लाख रुपयों में)
1977-78	259.71 (1-7-78 को)
1978-79	370.49 (1-7-79 को)
1979-80	352.76 (1-7-80 को)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाली गई रकम निम्न प्रकार है :—

1977-78	... 15.34 (लाख रुपयों में)
1978-79	... 17.05 (लाख रुपयों में)
1979-80	... 17.93 (लाख रुपयों में)

(घ) बकाया के निपटान के लिए निम्न उपायों पर पुनः जोर दिया गया है :—

(1) भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के टेलीफोन (जो काटे जाने से मुक्त नहीं हैं) सामान्य औपचारिकतायें जैसे टेलीफोन पर दुबारा याद दिलाने अथवा जहां निर्धारित शुल्क की अदायगी की शर्तें हैं वहां रजिस्ट्री नोटीस जारी करना आदि का पालन करने के बाद काट दिए जाते हैं।

(2) टेलीफोन काट देने के बाद बकाया वसूल करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है।

(3) जब यह प्रयास सफल नहीं होते तो उचित मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(4) जब आवश्यक समझा जाता है तो पुलिस/राजस्व प्राधिकारियों की ससायता मांगी जाती है।

(5) बकाया रकम के भुगतान के लिए अर्द्धवार्षिक लक्ष्य संचार सचिव द्वारा नियत किये जाते हैं।

(6) सर्किल अध्यक्षों को यह निदेश दिये गये हैं कि सरकारी उपभोक्ताओं पर बकाया रकम की वह स्वयं पुनरीक्षा करें ताकि ऐसे मामलों में समुचित ढंग से लिखा पढ़ी की जा सके।

(7) संचार सचिव ने व्यक्तिगत रूप से केन्द्र सरकार के सभी मंत्रियों और राज्यों के मुख्य सचिवों को यह लिखा है कि बकाया रकम का भुगतान शीघ्र करें तथा अगर कोई विवाद है तो प्रत्येक कार्यालय में डाक-तार प्राधिकारियों के साथ विवाद को निपटाने के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया जाए।

(8) निदेशालय स्तर पर यूनिटों के कार्यकरण की लगातार पुनरीक्षा करना और निगरानी रखना।

हरित क्रांति और उत्पादन में वृद्धि होना

*281. श्री के. पी. सिंह देव :

श्री चित्त बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के विशेषज्ञों के अनुसार पूरे विश्व में हरित क्रांति चरम शिखर पर पहुँच गई है और कृषि उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखने के लिये नए अवसरों का पता लगाना पड़ेगा;

(ख) भारत में विद्यमान स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या वैज्ञानिक तरीके सोचे जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) मंत्रालय को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किसी मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ ने ऐसा विचार व्यक्त किया है।

(ख) भारत में हरित क्रांति अभी अपने चरम स्तर तक नहीं पहुँची है।

(ग) निम्नलिखित वैज्ञानिक तरीकों के विषय में विचार किया जा रहा है :—

(1) सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाना;

(2) उर्वरकों का अधिक एवं ठीक उपयोग करना;

(3) अच्छे बीजों के वितरण में वृद्धि करना;

(4) अधिक क्षेत्र में वनस्पति रक्षण के लिये उपयुक्त उपाय करना;

(5) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करना;

(6) मृदा एवं जल संरक्षण उपायों पर अधिक बल देना तथा बारानी खेती की उन्नत पद्धती को अपनाना;

(7) "प्रशिक्षण एवं दौरा" नामक नई पद्धति के माध्यम से तकनोलौजी का प्रसार करना;

(8) कृषकों तथा विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना;

(9) अनुसंधान कार्य को तेज करना।

दिल्ली के अध्यापकों की माँगें

*282. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है जिसने अप्रैल 1979 में आन्दोलन चलाने वाली दिल्ली के अध्यापकों की संयुक्त परिषद् द्वारा 1979 में पेश की गई माँगों पर विचार किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्योरे क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि निर्णय में विलम्ब के कारण दिल्ली के अध्यापकों को बहुत चिंता हो रही है और वे अपनी माँगों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) सारा मामला अभी भी विचाराधीन है।

भावनगर, अमरेली और राजकोट में केन्द्रीय विद्यालय

*283. **श्री नवीन रवाणी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर, अमरेली और राजकोट तथा आसपास के क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों में केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बहुत से सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन उनके लिए केन्द्रीय विद्यालय की कोई सुविधा नहीं है जिससे उनके बच्चों को दाखिले आदि के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न तालुका कस्बों और इन जिलों के शहरों में ऐसे केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है।

(ग) इन जिलों के विभिन्न भागों में इस समय कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(घ) 1975 से 1977, 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 और 1 अप्रैल, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक के दौरान कितने विद्यालय निर्मित किए गए हैं अथवा खोले गए हैं; और

(ङ) वर्ष 1981 और 1981 के दौरान ऐसे कितने विद्यालय खोले जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी चव्हाण) : (क) और (ख) 1965-66 से राजकोट में एक केन्द्रीय विद्यालय पहले से ही चल रहा है। भावनगर और अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब उपर्युक्त उत्तरदायी प्राधिकारियों से निर्धारित रूप में निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

(ग) एक

(घ) कोई नहीं।

(ङ) एक वर्ष के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थानों का निर्धारण शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

दिल्ली में पेड़ों की अनधिकृत रूप से कटाई

*284. **श्री तारिक अनवर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1980 में, पेड़ों को अनधिकृत रूप से काटे जाने के सम्बन्ध में तार द्वारा अधिकारियों को सूचित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 11 महीने गुजर जाने के बाद भी इस शिकायत के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) सरकार की उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है जो इस मामले में लापरवाह रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंहराव) : (क) कृषि मन्त्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल को मार्च, 1980 में कुछ पत्र मिले थे, जिनमें दिल्ली में रिज क्षेत्र के संरक्षण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने तथा पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

गुजरात में सिंचाई के अन्तर्गत लाई जाने वाली अतिरिक्त भूमि

*85. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता से कुल कितने अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उसमें से राज्य के मेहसाना जिले में कितने एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में किसी सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

राजधानी में टेलीफोन सेवा में सुधार लाना

*286. **श्री एच. एन. गौडा** : क्या संचार मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन्स के महाप्रबन्धक ने एक प्रेस वक्तव्य में टेलीफोन सेवा में सुधार लाने में कठिनाइयों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में 31 मार्च, 1981 तक एक्सचेंज-वार अनुमानतया कितने टेलीफोन कनेक्शन रिलीज किए जायेंगे ?

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : (क) और (ख) दिनांक 11-2-1981 को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दिल्ली टेलीफोन के महाप्रबन्धक ने टेलीफोन सेवा के सन्तोषजनक न होने के निश्चित कारणों का ब्यौरा दिया और नगर में टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए किए गए तथा किए जाने वाले विभिन्न उपायों का सारांश प्रस्तुत किया।

(ग) दिल्ली टेलीफोन में 1-4-80 से 31-3-1981 तक एक्सचेंजवार दिए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की संभावित संख्या विवरण में दी जा रही है।

विवरण

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	कोड नं.	1-4-80 से 31-3-1981 तक दिये जाने वाले कनेक्शनों की संभावित संख्या
1.	शाहदरा पूर्व	(20)	1
2.	शाहदरा	(21)	—
3.	तीसहजारी	(22,23,25)	2,220

1	2	3	4
4.	दिल्ली गेट	(26,27)	1,293
5.	गाजियाबाद	(85)	—
6.	शक्ति नगर	(71,74)	7
7.	कैंट	(39)	710
8.	करोलबाग	(56,58)	3.349
9.	राजौरी गार्डन	(50,59)	4,155
10.	मलीपुर	(801)	45
11.	जनकपुरी	(55)	1,033
12.	बहादुरगढ़	(83)	—
13.	नजफगढ़	(86)	—
14.	नरेला	(89)	—
15.	नांगलोई	(87)	3
16.	जोरबाग	(61,62,69)	289
17.	ओखला	(63)	35
18.	नेहरू प्लेस	(68)	35
19.	हौजखास	(65,66)	260
20.	चाणक्यपुरी	(67)	304
21.	फरीदाबाद	(81)	302
22.	बदरपुर	(82)	111
23.	बल्लभगढ़	(88)	92
24.	जनपथ	(31,32,34)	—
25.	सचिवालय	(37)	16
26.	राजपथ	(38)	110
27.	कनाट प्लेस	(4)	462
28.	ईदगाह	(51,52)	654
		योग	16,137

उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में असफल होने वाले परीक्षयार्थियों की प्रतिशतता में वृद्धि

*287. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री बी. डी. सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण छात्रों में निराशा व्याप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1977, 1978, 1979 तथा 1980 के दौरान उक्त परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों का तुलनात्मक प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारणों का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख)	वर्ष	फेल हुए छात्रों की प्रतिशतता
	1977	48.7
	1978	45.4
	1979	48.0
	1980	अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कोलाघाट ताप बिजली परियोजना में दूर संचार व्यवस्था

*288. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोलाघाट ताप बिजली परियोजना क्षेत्र में दूर संचार व्यवस्था संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय, उप मंडल मुख्यालय और हल्दिया औद्योगिक काम्पलेक्स विद्युत परियोजना से टेलीफोन लाइन से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो कोलाघाट ताप बिजली परियोजना और निकटवर्ती क्षेत्रों में दूर संचार व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : (क) जी नहीं। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कोलाघाट ताप बिजली परियोजना को तीनों टेलीफन लाइनें संतोषजनक ढग से कार्य कर रही हैं।

(ख) कोलाघाट बिजली कन्द्र की टेलीफोन लाइनें कोलघाट के 50 लाइन वाले स्वचल एक्सचेंज से कार्य कर रही है। यह एक्सचेंज सीधा तामुलक ट्रंक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है जो कि उप मण्डल मुख्यालय है। तामुलक ट्रंक एक्सचेंज राज्य की राजधानी अर्थात् कलकत्ता तथा हल्दिया से सीधा जुड़ा हुआ है। जिला मुख्यालय अर्थात् मिदनापुर के लिए ट्रंक काले खड़गपुर ट्रंक एक्सजेंज से होकर लगाई जाती हैं। यह देश के ट्रंक जालकार्य से छोटे एक्सचेंजों को जोड़ने हेतु विभाग की सामान्य पद्धति के अनुरूप है।

(ग) कोलाघाट स्थित 50 लाइनों वाले मौजूदा स्वचल एक्सचेंज को कोलाघाट में ट्रंक बुकिंग सुविधाओं सहित मार्च, 1981 के अन्त तक 100 लाइनों के हस्तचल टेलफोन एक्सचेंज द्वारा प्रतिस्थापित करने की योजना है। ट्रंक सर्किटों में वृद्धि करने के लिए कोलाघाट और तामुलक के बीच तीन-चैनल कैरियर प्रणाली को भी चालू करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में अनाथालय

2601. श्री हरिहर सोरन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने अनाथालय हैं और उनके नाम क्या क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा में क्योंझर जिले के मनोज मंजरी शिशु भवन को कोई वित्तीय अनुदान दिया है; और

(ग) उड़ीसा के अनाथालयों को दिए गए अथवा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान से सम्बन्धित ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1979-80 और 1980-81 (10 फरवरी, 1981 तक) के दौरान सरकारी अनुदान पाने वाले बाल गृहों के नाम और संख्या संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) उड़ीसा के क्योंझर जिले के मंजरी शिशु भवन को 1979-80 और 1980-81 (10 फरवरी, 1981 तक) के दौरान कोई अनुदान मंजूर नहीं किया है।

(ग) जिन बाल भवनों के मामलों में समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मन्जूरी दे दी गई है, उन्हें धनराशियाँ मन्जूर करने और विमुक्त करने के वास्ते 1979-80 और 1980-81 (10 फरवरी, 1981 तक) के दौरान राज्य सरकार को क्रमश: 64,402 रुपए और 1,73,964 रुपए की धनराशियां सौंपी गई थी।

विवरण

उड़ीसा राज्य में 1979-80 के दौरान सहायता पाने वाले बाल गृहों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	संगठनों के नाम
1.	सर्वोदय समिति, गांधी नगर, जिला कोरापुर।
2.	ठक्कर बापा आश्रम, निमा खंडी, जिला गंजम।
3.	गांधी सेवा संघ, पूर्वी कन्याश्रम, सोरु, जिला बालासोर।
4.	द्रोपदी महिला समिति, वासुदेवपुर जिला पुरी।
5.	लड़कियों के लिए आर. सी. एम. अनाथालय, बदोपदा, जिला गंजम।
6.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, सोनपुर।
7.	उत्कल बालाश्रम, बारांग शाखा, नौपदा।

उड़ीसा राज्य में 1980-81 (10 फरवरी, 1981 तक) के दौरान सहायता पाने वाले बाल गृहों के नाम दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	संगठनों के नाम
1.	ग्रामश्री, ए.-1, सूर्य नगर, भुवनेश्वर।
2.	नेहरु सेवा संघ, बानपुर, पुरी, उड़ीसा।

1	2
3.	लड़कों के लिए आर. सी. एम. अनाथालय, सुरादा, गंजम ।
4.	सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी, चौदवार, कटक ।
5.	महापुरुष आश्रम, कनजियापाल डाकखाना खोदीपुरा, जिला बालासोर ।
6.	पेडावलदा ग्रामदानी संघ, जिला कोरापुट ।
7.	आचार्य हरिहर शिशु भवन, सत्यवती, सखी गोपाल ।
8.	बनवासी सेवा समिति, वल्लीगुडा, जिला फुलबाणी ।
9.	सेवा समाज, रायगदा, जिला कोरापुट ।
10.	ओंकारदेव विश्ववैदिक गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ, धनकनाल ।
11.	कस्तूरवा गाँधी मातृ निकेतन, पेकमाल, सम्बलपुर ।

अभी हाल ही में प्राधिकृत की गई कालोनियों को पेय जल सुविधाएं

2602. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 10,000 जनसंख्या वाली अप्राधिकृत तथा अभी हाल ही में प्राधिकृत की गई कालोनियों को पेय जल तथा सीवेज सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(ख) इन कालोनियों को ये सुविधाएं प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी कालोनियों में ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या माप-दण्ड अपनाया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ये सुविधाएं प्रदान कर दिये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय तथा कार्य निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान की नीति लाभ भोगियों द्वारा विकास प्रभारों का भुगतान करने पर नियमित कालोनियों में जलपूर्ति एवं मल-जल निकास सेवाओं की व्यवस्था करने और अनधिकृत कालोनियों में केवल पानी की सप्लाई करने की है बशर्ते कि मुख्य सेवाएं एवं घन उपलब्ध हो । यह कार्य नियमित कालोनियों के मामले में अनुमानित लागत का कम से कम 30 प्रतिशत और अनधिकृत कालोनियों के मामले में अनुमानित लागत का 35 प्र० श० अग्रिम रूप से संस्थान द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् हाथ में लिया जाना है । शेष राशि आठ वार्षिक किस्तों में वसूल करने योग्य है । लाभ-भोगियों को 10 प्र० श० की छूट दी जाती है । संस्थान ने बताया है कि अब तक इन कालोनियों के निवासियों का उत्तर बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है ।

(घ) इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है ।

नेताजी हाउस को एक राष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित करना

2603. **श्री भीकूराम जैन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस मकान को, जिसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म हुआ था, एक राष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित कर देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली जल प्रदाय संस्थान में पम्प ड्राइवरों की संख्या

2604. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल प्रदाय संस्थान में अस्थाई तथा स्थाई पम्प ड्राइवरों की पृथक-पृथक संख्या क्या है और इसमें कुल कितने पम्प हैं;

(ख) क्या सौ से अधिक पम्प ड्राइवर पिछले दस वर्षों से दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं तथा उनको प्रतिदिन की 10 रुपये की वर्तमान दर की तुलना में 7 रुपये प्रति दिन की पुरानी दर पर भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ये दैनिक मजूरी वाले ड्राइवर स्थायी किये जायें और उनको समय-समय पर बढ़ाई गई दरों पर मजूरी का भुगतान किया जाये ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संबंधित प्राधिकरणों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दैसिन में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोला जाना

2605. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री सुशील भट्टाचार्य :

श्री समर मुखर्जी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बर्दवान के दैसिन शाखा कार्यालय में एक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह स्थान विभाग की वर्तमान नीति के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों की श्रेणी में नहीं आता।

केनोमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास

2606. **श्री ए. नीलालोहिथा दसन नाडार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास नगर में केनोमारा सार्वजनिक पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) तमिलनाडु के अन्य पुस्तकालयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केनोमारा सार्वजनिक पुस्तकालय में उपलब्ध बहुत अधिक संग्रह तथा राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था के रूप में इसके दर्जे व स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पुस्तक और समाचार पत्र (सार्वजनिक पुस्तकालय) वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत इसे एक प्रापी (रिसिपिएन्ट) पुस्तकालय के रूप में घोषित करने का निर्णय किया था।

(ग) पुस्तक और समाचार पत्र (सार्वजनिक पुस्तकालय) वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत तमिलनाडु में किसी अन्य पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में घोषित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

पंजीकृत ईंट संयंत्र को बन्द करना

2607. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पंजीकृत ईंट बनाने वाले संयन्त्र को 1982 से बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने इस यांत्रिकृत ईंट संयन्त्र को चरणबद्ध ढंग से बन्द करने का फैसला किया है क्योंकि 1966-67 में इसकी स्थापना से लेकर इसमें निरन्तर घाटा हो रहा है।

डाक-वाहन

2608. **श्री मतीलाल हसदा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार कुल कितनी डाक-वाहनों की आवश्यकता है;

(ख) देश में राज्यवार काम कर रही डाक वाहनों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि डाक गाड़ियों की कमी होने के कारण डाक सेवाएं अस्त व्यस्त हो रही हैं; और

(घ) डाक वितरण सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) रेल डाक सेवा के डाक वाहनों को रेलवे जोन के अनुसार आवंटित किया जाता है न कि राज्यवार। देश में अपेक्षित तथा काम कर रहे डाक वाहनों की कुल संख्या इस प्रकार है :

अपेक्षित	कार्यरत
787	763

(ग) गाड़ियों में वैकल्पिक स्थान दिया जाता है। नई डाक गाड़ियाँ निर्मित करने के बारे में रेलवे विभाग के साथ बहुत ही ऊंचे स्तर पर पत्राचार चल रहा है।

(घ) विलम्ब रोकने तथा डाक एवं वितरण प्रबन्ध सुधारने के लिये सक्रिय चौकसी तथा निरन्तर मानीटरिंग की जाती है।

जनकपुरी, नई दिल्ली में पार्क

2609. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मंजिला जनता क्वार्टर्स कालोनी, जनकपुरी, नई दिल्ली में पार्क और सड़कें, खस्ता हालत में हैं और कूड़ाघर नहीं बनाए गए हैं जिससे गंदगी फैलती है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सुचित किया है कि जनकपुरी में एक मंजिलें जनता क्वार्टरों के पार्कों का उचित अनुरक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जनकपुरी में एक मंजिली जनता क्वार्टरों की कालोनी में (सर्विसलेनों के अलावा) केवल एक सड़क है जोकि बहुत अच्छी हालत में है। दिल्ली नगर निगम न कूड़ेदान लगाने की व्यवस्था के लिए कार्यवाई आरम्भ कर दी है। इसने यह भी सूचित किया है कि कूड़ा डालने के खत्ते बनाने का कार्य सीवर लाइन डालने के कार्य के पूरा होने पर किया जायेगा।

राज्यों में राष्ट्रीय बीज परियोजनायें

2610. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ राष्ट्रीय बीज परियोजनायें कार्य कर रही हैं;

(ख) प्रमाणित बीजों के 'प्रोसेसिंग' और विपणन के लिए उड़ीसा बीज निगम की कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) ऐसे कौन-कौन से बीज हैं जिन्हें राज्य बीज निगम में 'प्रोसेसिंग' के लिए प्रमाणित किया गया है; और

(घ) उड़ीसा में बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के विस्तार और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।

(ख) परिसंस्करण संयन्त्रों की स्थापना करने और सम्बद्ध कार्यकलापों जैसे विपणन, मुख्य कार्यालय आदि खोलने हेतु परियोजना में उड़ीसा राज्य बीज निगम के लिये 127 लाख रुपए की धन राशि निर्धारित की गई थी।

(ग) धान, आलू मूंगफली परियोजना की मुख्य फसलें हैं जिनकी उड़ीसा राज्य बीज निगम द्वारा संभाल किये जाने की आशा की जाती है। तथापि वे इच्छानुसार किसी भी प्रमाणित बीज का उत्पादन कर सकते हैं।

(घ) राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.21 लाख रुपए का प्रावधान है। तथापि, राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार, उड़ीसा सरकार राज्य में राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु 41 41.37 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था कर रही है।

पटसन उत्पादकों की बढ़िया किस्म का बीज और ऋण दिया जाना

2611. **श्री राम चन्द्र रथ :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा बढ़िया किस्म के बीज की कम सप्लाई किए जाने के कारण देश में पटसन उत्पादकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का पटसन उत्पादकों की बढ़िया किस्म के बीज की सप्लाई बढ़ाने तथा वित्तीय ऋण देने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्यान्नों का आयात

2612. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में (वर्ष-वार) कितने खाद्यान्न का आयात किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : जून, 1976 तथा उसके बाद से विदेशों से अनाज की खरीदारी बन्द कर दी गई थी। तथापि, जून, 1976 से पूर्व आयात करने से सम्बन्धीत किए गए प्रबन्धों के प्रति 1977-78 में 1.79 लाख मीटरी टन गेहूँ सहायता के रूप में प्राप्त हुआ था। 1978-79 और 1979-80 के दौरान अनाजों का कोई आयात नहीं किया गया है।

भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता

2613. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के विकास के लिये वर्ष 1979-80 और 1980-81 में भिन्न-भिन्न स्वेच्छिक संगठनों को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी;

(ख) इन वर्षों में किन-किन संगठनों को कितनी कितनी सहायता दी गई;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन भाषाओं को उनके विकास और संवर्धन के लिये रखा गया;

(घ) उनके मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) आदिवासी स्वैच्छिक संगठनों को उनके द्वारा अपनी भाषा के लिये अब तक खोजी गई पांडुलिपी के सवर्धन प्रचार और संरक्षण के लिये कितनी धनराशि दी गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) "भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वेच्छिक संगठनों/शौक्षिक संस्थाओं को सहायता' की योजना के अन्तर्गत अनुदान उन स्वैच्छिक संगठनों को दिए जाते हैं जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं (हिन्दी और संस्कृत को छोड़कर जिनके लिए अलग योजनाएं हैं) तथा भारत में प्रयुक्त जन-जातीय भाषाओं सहित अन्य मान्यता-प्राप्त भाषाओं में पंजीकृत होते हैं।

वर्ष 1979-80, 1980-81 के दौरान जिन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए गए हैं, उनके विवरण संलग्न हैं। लिपि के विकास के लिए किसी स्वैच्छिक संगठन को कोई अनुदान अभी तक नहीं दिया गया है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर 40 जन-जातीय तथा सीमा-वर्ती भाषाओं के सम्बन्ध में कार्य करता रहा है इनमें से कुछ भाषाओं में सस्थान ने कई ध्वन्यात्मक रीडर, व्याकरण, शब्दकोश, स्कूल प्राइमर, प्रौढ़ साक्षरता प्राइमर आदि प्रकाशित किए हैं। लिपि के सम्बन्ध में सरकार का विचार यह है कि एक भाषा के लिये लिपि चुनने का मामला उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो उस भाषा को बोलते हैं।

विवरण-1

वर्ष 1979-80 के दौरान भातीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत एल. जी. सैल से अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की सूची विवरण के रूप में

1. असम साहित्य सभा, जोरहाट	73,000-00
2. असम साहित्य सभा, असम	7,500-00
3. असम साहित्य सभा, गोहाटी	1,200-00
4. कोटन कालेज, असम	2,000-00
5. निखिल भारत बांगा साहित्य सम्मेलन, नई दिल्ली	10,000-00
6. इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ नॉलिज, कलकत्ता	4,846-00
7. संस्कृत कन्नड़ डिकशनरी, बँगलौर	18,845-00
8. मोती लाल मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ	16,969-50
9. रेनज्योग मुतान्ची रिंगमोम, कुरमोम	4,843-00
10. केरल स्टेट जवाहर बाल भवन, त्रिवेन्द्रम	3,500-00
11. माउनी विद्यापीठ, कोल्हापुर	987,00
12. श्री राम कोशा मन्डल, पूणे	72,500-00
13. निखिल भारत सिंधी साहित्य सम्मेलन, बम्बई	5,0000
14. डा. के. के. नेन्कटाचार्य अनन्ताचार्य रिसर्च इन्स्टीच्यूट बम्बई	25,000-00
15. भारती तमिल संगम, कलकत्ता	1,130-00

16- विला अकादमी, हैदराबाद	6,533-30
17. इदारा-ये-अदाबीत-ए-उर्दू, हैदराबाद	7,183-00
18. गालिब इन्स्टीच्यूट, नई दिल्ली	3,737-50
19. शाऊर पब्लिकेशन्स नई दिल्ली	9,943-75
	2,74,718-05

विवरण-2

वर्ष 1980-81 के दौरान भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक सगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत एल. जी. सेल से अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की सूची

1. रामन केन्द्र, नई दिल्ली	1,000-00
2. एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता	5,075-00
3. श्रीराम कोशा मण्डल, पुणे	72,500-00
4. विल्ला अकादमी, हैदराबाद	9,784-30
5. केरल स्टेट जवाहर भवन, त्रिवेन्द्रम	500-00
6. ज्ञान मन्डल बारावती स्टेडियम, कटक	3,163-00
7. अखिल भारत सिन्धी बोली एण्ड साहित सभा, दिल्ली	5,000-00
8. मेसर्स अन्जना पब्लिकेशन, अहमदाबाद	790-00
9. निखिल भारत बाँग भाषपा प्रोसार समिति नई दिल्ली	7,600-00
10. अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द नई दिल्ली	1,345-00
11. डोगरा हिमाचल संस्कृति संयम दिल्ली	10,000-00
12. सरदार पटेल युनिवर्सिटी, गुजरात	50,000-00
13. कामरूप अनुसंधान समिति, गोहाटी	49,500-00
14. मैसर्स कुन्ज सिन्धी लिटरेरी मेगेजीन, बम्बई	2,299-00
15. यूपी समिति राजस्थानी शब्दकोश, जयपुर	31,758-50
16. नेशनल कौंसिल आफ एजुकेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता	50,000-00
17. संस्कृत कन्नड़ डिक्शनरी, बंगलौर	20,000-00
18. डा. यू. वी. स्वामीनाथन आयर लाइब्रेरी, मद्रास	10,000-00
19. इन्डो-एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता	12,750-00
कुल रुपए :	3,33,064-80

काजू विकास के लिए आबंटित धनराशि

2614. श्री के. प्रधानी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में काजू विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उस अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रयोजना के लिये उड़ीसा को आवंटित की गई धनराशि कितनी है;

(ग) क्या उड़ीसा के काजू उत्पादकों को कोई आर्थिक सहायता देने का सरकार का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) अभी तक संसद ने वर्ष 1981-82 के बजट परिव्यय के लिए मंजूरी नहीं दी है। तथापि, भारत सरकार के हिस्से के रूप में 114.20 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) भारत सरकार के हिस्से के रूप में 18.01 लाख रुपए।

(ग) जी, हाँ।

(घ) (1) इस योजना के तहत प्रदर्शन प्लाटों की तैयारी के लिए उत्पादकों को 0.8 हैक्टार वाले प्लाटों के लिए 500 रुपये राज सहायता देने का प्रस्ताव है। बजट प्रस्तावों में उड़ीसा के लिए इस योजना के तहत 65000 रुपये का प्रावधान किया गया है।

(2) काजू के बागानों के लिए तीन बराबर किस्तों में 900 रुपये प्रति हैक्टार की राज सहायता देने का प्रस्ताव है। उड़ीसा के 1981-82 के बजट में 1.88 लाख रुपये की रकम रखी गई है।

राव तुला राम कालिज के स्टाफ को वेतन का भुगतान न किया जाना

2615. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राव तुला राम कालेज में वर्ष 1979 और 1980 में विद्यार्थियों को कोई दाखिले नहीं दिये गये थे;

(ख) क्या वर्तमान समय में कालेज के हाजिरी रजिस्टर पर एक भी छात्र का नाम नहीं लिखा हुआ है;

(ग) कालेज के अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ को प्रति माह वेतन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त धनराशि के सम्बन्ध में कितना अनुदान दिया जाता है;

(ङ) क्या यह सच है कि स्टाफ (अध्यापन और गैर-अध्यापन दोनों प्रकार का) को नवम्बर, 1980 से अब तक केवल इस मामूली कारण की वजह से वेतन नहीं दिया गया है कि न्यास ने कालेज के 1970 में आरम्भ होने से लेकर उसके रख रखाव पर हुए खर्च की देयता पूरी करने के लिए कुल अंश के प्रतिशत का भुगतान नहीं किया था और जुलाई, 1975 से स्टाफ को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया गया है; और

(च) सरकार का कालेज की वर्तमान स्थिति, विशेषरूप से स्टाफ के भविष्य के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1979-80 के दौरान 84 छात्रों को कालेज में दाखिला दिया गया था। वर्ष 1980-81 के दौरान किसी छात्र को दाखिला नहीं दिया गया।

(ख) जी, हाँ, क्योंकि अब छात्रों को अन्य कालेजों में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ग) लगभग 31,000/-रुपये।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को कर्मचारियों के वेतन सहित खर्च की विभिन्न मदों पर अपने हिस्से के रूप में एक मुश्त अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है। पिछले वर्षों के दौरान किए गए 2,630/-रुपये और 1980-81 के दौरान 3 79 लाख रुपये के अधिक भुगतान का समायोजन करने के बाद कालेज को वर्ष 1979-80 के दौरान 3.32 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(ङ) कर्मचारियों को अक्टूबर. 1980 तक के वेतन का भुगतान किया गया, यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1980-81 के दौरान अब तक मुक्त किए गए अनुदान से दिसम्बर, 1980 तक के वेतन का भुगतान किया जा सकता था। इसके अलावा, आयोग द्वारा अनुदान केवल तभी मुक्त किये जा सकते हैं जब कालेज 19 9-80 के परिक्षित लेखे और 1-10-1980 से 31-3-1981 तक की अवधि की प्रत्याशित आय और खर्च का विवरण प्रस्तुत कर दें।

(च) कालेज के प्रबन्धकों द्वारा दायर समादेश याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो जाने पर इस मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दिल्ली विश्व-विद्यालय द्वारा आगे विचार किया जाएगा।

उड़ीसा में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

2616. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1981-82 के दौरान कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हैं;

(ग) क्या राज्य के मयूरभंज जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ङ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) 1981-82 के दौरान असैनिक (सिविल) और रक्षा क्षेत्रों में 20 केन्द्रीय विद्यालयों को खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा की संस्थाओं के परिसरों तथा उन स्थानों में भी, जहाँ केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम स्थित हैं, कुछ केन्द्रीय विद्यालयों के खोले जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) प्रस्तावों के निर्धारित मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार प्राप्त हो जाने पर नए केन्द्रीय विद्यालयों के खोले जाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विचार किया जाता है। जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, इस समय संगठन के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पुस्तक परिदान अधिनियम के अधीन प्रकाशनों की सप्लाई

2617. श्री डी एस. ए. शिवप्रकाशम् : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से प्रकाशक पुस्तक परिदान अधिनियम के अन्तर्गत अपने प्रकाशनों की प्रतियां विभिन्न पुस्तकालयों को नहीं भेजते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि प्रकाशनों की प्रतियां उक्त अधिनियम के अनुसार भेजी जाएं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) पुस्तक तथा समाचार-पत्र संवितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जो प्रकाशक अपने प्रकाशनों की एक-एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालयों को मुहैया नहीं करते हैं, उन्हें सम्बन्धित पुस्तकालयों द्वारा स्मरण कराया जाता है। प्रकाशन की प्रतिलिपि मुहैया न करने वाले प्रकाशकों के जो विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं उनके सम्बन्ध में पुस्तकें मुहैया करने का अनुरोध सरकार द्वारा भी किया जाता है। यदि सरकार के अनुरोध पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है तो सरकार अधिनियम की धारा 5 और 6 के अन्तर्गत ऐसे प्रकाशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई कर सकती है।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

2618. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में राज्य-वार तथा वर्ष-वार कुल कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने केन्द्रों की स्थापना की जानी है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और स्वैच्छिक एजेन्सियों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत थोड़े से केन्द्र नेहरू युवक केन्द्रों की एजेन्सी के माध्यम से भी स्थापित किए गए हैं। एक विवरण संलग्न है। जिसमें वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार स्थापित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र दर्शाए गए हैं तथा नेहरू युवक केन्द्रों द्वारास्थापित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या भी अलग से दर्शायी गई है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार स्थापित केन्द्रों की संख्या के सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त होने पर ही मिल पायेगी।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की कुल सं०	नेहरू युवक केन्द्र द्वारा स्थापित केन्द्र	केन्द्रों की कुल सं०	नेहरू युवक केन्द्र द्वारा स्थापित केन्द्र	केन्द्रों की कुल सं०	नेहरू युवक केन्द्र स्थापित केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	676	—	2,913	1,066	7,113	40
2. असम	344	—	7,201	238	5,555	—
3. बिहार	120	—	6,143	399	5,260	—
4. गुजरात	990	—	10,191	226	10,696	101
5. हरियाणा	1,431	—	3,280	81	2,486	95
6. हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं है	—	1,233	410	861	—
7. जम्मू और काश्मीर	उपलब्ध नहीं है	—	1,536	68	1,191	—
8. कर्नाटक	4,940	—	8,691	324	6,804	137
9. केरल	उपलब्ध नहीं है	—	5,564	378	288	228
10. मध्य प्रदेश	811	—	6,136	620	4,944	345
11. महाराष्ट्र	1,638	—	8,765	—	14 537	20
12. मणिपुर	251	—	1,072	140	400	—
13. मेघालय	365	—	393	—	321	—
14. नागालैंड	210	—	563	3	540	—
15. उड़ीसा	797	—	3,410	521	8,575	—
16. पंजाब	624	—	494	236	0,251	—
17. राजस्थान	1,254	—	5,532	414	9,038	399
18. सिक्कम	उपलब्ध नहीं है	—	494	4	32	—
19. तमिलनाडु	3	—	6,221	364	12,206	225
20. त्रिपुरा	859	—	2,274	102	1,514	—
21. उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	—	5,345	984	5,227	502
22. पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं है	—	4,481	296	2,681	—
23. अ. और नि. द्वीप समूह	21	—	101	4	45	—
24. अरूणाचल प्रदेश	175	—	460	23	301	—
25. चंडीगढ़	19	—	179	38	170	30
26. दादर और नगर हवेली	4	—	82	—	14	—
27. दिल्ली	101	—	801	109	1,127	—

1	2	3	4	5	6	7
28. गोवा,दमन और दीव	15	—	22	22	164	—
29. लक्ष द्वीप	20	—	30	—	21	—
30. मिजोरम	140	—	230	—	287	—
31. पांडिचेरी	34	—	216	39	417	51
कुल	15,842	—	94,150	7,109	1,03,066	2,173

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नयागढ़, पुरी में बिक्री डिपुओं की स्थापना किया जाना

2619. **श्री नारायण साहू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा नयागढ़ सब-डिवीजन (पुरी) और मयूरभंज, उड़ीसा में बारीपाड़ा में बिक्री डिपुओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या यह सच है कि इन बिक्री डिपुओं के न होने से इन पिछड़े जिलों में भारतीय खाद्य निगम को स्टाक-वितरण में भारी असुविधा हो रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) नागरिक पूर्ति उप-मन्त्री जब मयूरभंज के दौरे पर गये थे तब कुछेक लोगों ने उन्हें बारीपाड़ा में भारतीय खाद्य निगम का एक डिपो खोलने के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उपमन्त्री ने भी कृषि राज्य मन्त्री को नयागढ में एक डिपो खोलने के बारे में एक पत्र लिखा है। यह मामला विचाराधीन है।

असम में मत्स्य ग्रहण उद्योग के लिए अनुदान ऋण

2620, **श्री संतोष मोहन देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम की पांचवीं योजना अवधि के दौरान मत्स्य-ग्रहण उद्योग के विकास के लिए अनुदान और ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई तथा छठी योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है; और

(ख) इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) पांचवी योजना के दौरान मत्स्यकी के विकास के लिए अनुदान और ऋण हेतु क्रमशः 16,56,850 रुपये और 2,35,000 रुपये की धनराशि दी गई है, जबकि चालू वर्ष के दौरान 20 लाख रुपये का तदर्थ अनुमान दिया गया है। छठी योजना के अन्तर्गत असम में मत्स्यकी के विकास हेतु 26 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(ख) असम के कामरूप और दारंग जिलों में मत्स्य कृषक विकास एजेंसी (एफ. एफ. डी. ए.) 66.87 हैक्टार जल क्षेत्र को गहण मत्स्य पालन के अन्तर्गत लायी है और 237 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिया है। इन एजेंसियों ने 19.58 लाख बीज मछली उत्पादन करके उसे मत्स्य पालकों में वितरित किया। मत्स्य कृषक विकास एजेंसी के अन्तगत सघन मत्स्य पालन हेतु लाये गये जल क्षेत्र से अब तक लगभग 14.7 मीटरी टन मछली पकड़ी जा चुकी हैं।

टेलीफोन विभाग में कदाचार

2621. **श्री सुधीर कुमार गिरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टेलीफोनों के स्थानान्तरण के समय अथवा नए लोगों के नए कनेक्शनों का आबंटन करने के समय कदाचार का सहारा लिया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) इस किस्म के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं। ऐसे मामलों की पूर्ण रूप से जाँच पड़ताल की जाती है और दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जाती है।

विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में छोटे किसानों के लिए मंजूर किए गए नल कूप

2622. **श्री शिव कुमार सिंह** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से वित्त-पोषित सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के छोटे किसानों के लिए कितने राज्य नलकूप मंजूर किए गए; और

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि केन्द्रीय सिंचाई विभाग के माध्यम से खर्च की जा रही है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मध्य प्रदेश में छोटे किसानों के लिए स्वीकृत उन सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत, जिनकी वित्त व्यवस्था विश्व बैंक सहायता से की जा रही है, राजकीय नलकूपों की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह सवाल पैदा नहीं होता।

लघु सिंचाई कार्यों पर बल

2623. **श्री मधु दण्डवते** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर बल दिये जाने कीजगह लघु सिंचाई कार्यों, क्षरण टंकियों नलकूपों आदि पर बल देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित करने का है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। सिंचाई के विकास में बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई वर्क्स की भूमिका एक दूसरे के पूरक की है और इसलिए इन सभी पर समान बल दिया जाता है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

नदियों से गाद निकालने के लिए कर्नाटक का प्रस्ताव

2624. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य में नदियों से गाद निकालने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड के माध्यम से जुड़े हुए स्थान

2625. श्री वासुदेव आचार्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के अन्त तक राज्यवार, राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड के माध्यम से कितने नगर/शहर जुड़े हुए हैं; और

(ख) वर्ष 1981 के दौरान और कितने नगरों/शहरों को इसके माध्यम से जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) जोड़े जाने वाले संभावित नगरों/शहरों की संख्या दस है।

विवरण

31-12-80 तक राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड के माध्यम से जुड़े राज्य वार नगरों/शहरों की संख्या दर्शाने वाली सूची।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जुड़े हुए नगरों/शहरों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	17
2.	असम	1
3.	बिहार	10
4.	गुजरात	5
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू एवं कशमीर	3
8.	कर्नाटक	12
9.	केरल	12
10.	मणीपुर	—
11.	मेघालय	1
12.	महाराष्ट्र	5
13.	नागालैंड	2
14.	उड़ीसा	3
15.	पंजाब	6
16.	राजस्थान	1
17.	सिक्किम	1
18.	तमिलनाडु	24
19.	मध्य प्रदेश	5

1	2	3
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	12
22.	पश्चिम बंगाल	15
		137
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अण्डमान निकोबार	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	चंडी गढ़	1
4.	दिल्ली	1
5.	गोवा	1
6.	लक्षद्वीप	—
7.	मिजोरम	—
8.	नगर हवेली	—
9.	पाँडि चेरी	—
		3
	कुल योग	140

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्ट्री

2626. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी 1978 कुल मिलाकर इस दृष्टि से पुरानी पड़ गई है कि बड़ी संख्या में टेलीफोनों में परिवर्तन हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो नई डायरेक्टरी जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नई डायरेक्टरी कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी हाँ। दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी (31-12-78 तक संशोधित) का 1978 का संस्करण अप्रैल 1979 में वितरित किया गया था। फिर भी (1978 का संस्करण प्रकाशित होने के बाद) पूरक डायरेक्टरियाँ उत्तरोत्तर रूप से मार्च 1979, फरवरी, 1980, अप्रैल 1980 और जनवरी, 81 में छापी गयीं।

(ग) नई टेलीफोन डायरेक्टरी छप रही है तथा आशा है कि मार्च 1981 के अन्त तक वितरण के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मस्टर रोल के श्रमिकों को नियमित किया जाना

2627. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नैमित्तिक मजदूर, बढ़ई, मेसन, रंग साज के रूप में कार्य कर रहे उन नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए कोई निर्णय लिया है, जिन्होंने सामान्य व्यवधान के साथ नैमित्तिक मजदूरों के रूप में छः महीने की सेवा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निर्णय के कब लागू होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मस्टर रोल के कर्मचारियों को नितान्त नैमित्तिक किस्म के कार्यों पर लगाया जाता है और ये बहुत ही थोड़ी अवधि के लिए होते हैं। उन्हें सिर्फ मौसमी कार्यों के लिए या विभागीय तौर से किए गए मूल कार्यों जो कम से कम होते हैं, लगाना अपेक्षित है। वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और वे दैनिक प्रकार के कर्मचारी हैं। सीधी भर्ती कोटा के प्रति सभी भर्ती रोजगार कार्यालय के नामजदों में से किए जाते हैं। उसी वर्ग के मस्टर रोल पर रखे गए छंटनी वाले और सरप्लस कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाती है किन्तु मस्टर रोल के कर्मचारी रोजगार कार्यालय के माध्यम से आ सकते हैं। नियमित नियुक्ति में मस्टर रोल के कर्मचारियों को अपने आप नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

छठी योजना के दौरान गोआ में बागवानी की योजनाएं।

2628. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गोआ में बागवानी योजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : गोआ में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान फूलों, काजू, नारियल तथा मसालों की बागवानी सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अस्थायी रूप में 57.240 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न बागवानी योजनाओं के लिए गोआ प्रशासन ने 55 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा है।

राजकोट (गुजरात) में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास

2629. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट (गुजरात) में (रेलवे कर्मचारियों सहित) केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) अब तक विभाग वार कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं; और

(ग) प्रत्येक विभाग के लिए कितने क्वार्टर तुरन्त बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान/निदेशालय में विकलांग व्यक्ति

2630. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान, निदशालय ने विकलगं व्यक्तियों के लिए कोई पद आरक्षित किये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। कनिष्ठ लिपिकों, कनिष्ठ आशुलिपिकों तथा सहायक स्टाफ ग्रेड-1 के पदों में भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान, निदेशालय में विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला-खानों और लौह-अयस्क के क्षेत्रों में मादक पेय की खपत की वृद्धि

2631. **श्री ए. के. राय** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनवाद कोयला-क्षेत्र और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ लौह-अयस्क खान-क्षेत्र के विशेष संदर्भ में, समाज के कमजोर लोगों को कोयला खानों और लौह-अयस्क खान क्षेत्रो में स्थित बस्तियों में मादक पेय खपत में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसके परिणाम-स्वरूप विभिन्न सामाजिक बुराइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मध्य प्रदेश की उल्ली-राझेरा लौह-अयस्क खानों के एक समाज-सुधारक के बारे में जानकारी है, जिसने उक्त क्षेत्र के लौह-अयस्क खनिकों की शराब की लत को छुड़ाने के लिए सराहनीय उपाय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उस जोन में शराब की खपत में तेजी से कमी आई है; और

(ग) क्या सरकार का खान क्षेत्रों में शराब पीने के विरुद्ध जोरदार अभियान शुरू करने के लिए ऐसे समाज सुधारकों को प्रोत्साहित करने तथा शराब की दुकानों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) यह जानकारी बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

नारायणा गांव में बाजार का निर्माण

2632. **श्री धर्म दास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारायणा गाँव में एक बाजार के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) इसके लिए कितना भूमि-क्षेत्र खाली कराया गया है और विस्थापित लोगों में से कितनों को पुनर्वासित किया जा चुका है;

(ग) यह बाजार कब तक पूरा हो जायेगा;

(घ) इस बाजार में दुकानों का आबंटन किस आधार पर किया जाएगा;

(ङ) क्या इसमें अनुसूचित जातियों, स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण किया जायेगा; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने प्रस्तावित बाजार विन्यास/भवन नक्शों को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ख) लगभग 2 : 2 एकड़ भूमि खाली कराई गई थी। भूमि खाली करने वालों को अभी तक 28 दुकान/स्टाल शैड और 3 औद्योगिक प्लाट आवंटित किये गये हैं।

(ग) विपणन केन्द्र के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि वर्ष 1982 के दौरान अपेक्षित मात्रा में भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध होती रहे।

(घ) निलामी और पर्चियों द्वारा।

(ङ) और (च) जी, हाँ। दुकानों के आबंटन के लिए निश्चित की गई प्रतिशतता के अनुसार इन श्रेणियों के लिए आरक्षण होगा।

जयपुर में क्षेत्रीय डाक निदेशक, अजमेर, के कार्यालय का कार्यकरण

2633. **आचार्य भगवान देव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान पोस्टल सर्किल का क्षेत्रीय डाक निदेशक अजमेर का कार्यालय जयपुर में कार्य कर रहा है;

(ख) इसे अजमेर में स्थानांतरित न करने के कारण क्या हैं; और

(ग) इस कार्यालय को अजमेर में स्थानांतरित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) डाक सेवाओं के क्षेत्रीय संगठन का विकेन्द्रीकरण करने की योजना की पुनरीक्षा की जा रही है।

अण्डों की प्रति व्यक्ति खपत

2634. **श्री टी. दामोदर रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अण्डों की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत क्या है;

(ख) अन्य देशों में अण्डों की प्रति व्यक्ति खपत के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आहार-पोषण की मात्रा को पूरा करने के लिए लोगों को अच्छे किस्म के अण्डे उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

(क) देश में प्रति व्यक्ति अण्डों की वार्षिक खपत के सम्बन्ध में सही-सही आँकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि काफी व्यक्ति विभिन्न कारणों से अण्डों का प्रयोग नहीं करते। तथापि 1979-80 के दौरान देश में 123200 लाख अण्डों का उत्पादन हुआ जबकि आबादी लगभग 6540 लाख थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धि 18.8 अंडे रही है।

(ख) तथा (ग) विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार 1978 के दौरान यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 184 से 292 अंडे तथा अमरीका में 277 अंडे थी।

(घ) अंडों की उपलब्धि में सुधार लाने के लिए 1984-85 तक अंडों के उत्पादन को बढ़ाकर 63,000 लाख अंडे प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। लघु/सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के सहयोग से अंडा उत्पादन कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है। अंडों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अंडों के विपणन का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नफेड) को सौंप दिया है।

मद्रास टेलीफोन के लिए परामर्शदात्री समिति

2635. **श्री एन. डेनिस :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास टेलीफोन्स के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है; और

(ख) परामर्शदात्री समिति में नाम निर्देशन किस आधार पर किया जाता है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, समाचार पत्र, चिकित्सा व्यवसाय, विधि, व्यवसाय, समाज सेवकों आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत नामांकन विभिन्न संगठनों/सम्बद्ध निकायों के माध्यम से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं। संसद सदस्यो का नामांकन संसदीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य प्रशासन, विधायकों निगम अथवा नागरिक संस्था से सम्बन्धित नामांकन सम्बन्धित राज्य सरकार/निगम के माध्यम से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति और अध्यापकों की वेतनमानों में वृद्धि

2636. **श्री मोती भाई आर. चौधरी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा ऐसी बड़ी उम्र की स्त्रियों को जिनकी पढ़ाई-लिखाई टूट गई है शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई सघन पाठ्य क्रम चलाये जा रहे हैं और यह योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी तथा ऐसी कितनी कक्षायें आयोजित की जा रही हैं;

(ख) ऐसी कक्षाओं के आयोजन के लिए क्या सहायता दी गई है और अध्यापकों को कितना वेतन तथा प्रत्येक छात्र को कितनी छात्रवृत्ति दी जा रही है;

(ग) मूल्यों में प्रति वर्ष हो रही वृद्धि के अनुरूप छात्रवृत्ति की राशि और अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जा रही है; और

(घ) छात्रवृत्ति की वर्तमान राशि और अध्यापकों को इस समय दिया जा रहा वेतन किस वर्ष से दिया जा रहा है और क्या उस वर्ष के बाद मूल्यों में और जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की राशि तथा अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि की जाएगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ। 1958 में शुरू की गई इस योजना के अन्तर्गत 18-30 वर्ष के आयु वर्ग में वयस्क महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इस समय आयोजित किए जा रहे पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) दो वर्ष के पाठ्यक्रम	517
(2) फेल हुई उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष के पाठ्क्रम	127
(3) व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	464
	1108

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 1975 में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इन दरों के पुनरीक्षण की मंजूरी दे दी है।

विवरण

25 उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष की अवधि के वयस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम का स्वीकृत योजनात्मक बजट

1. आवासीय

	रुपए
(1) 50 रुपए प्रति मास प्रति उम्मीदवार तक की दर से 24 महीनों के लिये 25 उम्मीदवारों का पोषण	30,000
(2) 10 रुपये प्रतिमास प्रति उम्मीदवार की दर से जेब खर्च	6,000
(3) 600 रुपये प्रति मास की दर से अध्यापकों का वेतन	14,400
(4) 100 रुपये प्रति मास की दर से किराया	2,400
(5) शैक्षिक उपकरण	1,000
(6) फुटकर खर्च	500
अधिकतम सीमा : जोड़	54,300

2. *मिले जुले पाठ्यक्रम*

	रुपये
(1) 50 रुपये प्रति उम्मीदवार प्रतिमास की दर से 20 आवासीय उम्मीदवारों का पोषण	24,000

(2) 10 रुपये प्रति मास प्रति उम्मीदवार की दर से 5 गैर-आवासीय उम्मीदवारों को वजीफे	4,800
(3) 15 रुपये प्रति मास प्रति उम्मीदवार की दर से 5 गैर-आवासीय उम्मीदवारों को वजीफे	1,800
(4) 600 रुपये प्रति मास की दर से अध्यापकों का वेतन	14,400
(5) 100 रुपये प्रति मास की दर से किराया	2,400
(6) शैक्षिक उपकरण	1,000
(7) फुटकर खर्च	500
अधिकतम सीमा : जोड़	48,900

3. गैर-आवासीय पाठ्यक्रम

(1) 15 रुपये प्रति मास प्रति उम्मीदवारों की दर से 25 उम्मीदवारों को वजीफे	9,000
(2) 600 रुपये प्रतिमास की दर से अध्यापकों का वेतन	14,400
(3) 100 रुपये प्रति मास की दर से किराया	2,400
(4) शैक्षिक उपकरण	1000
(5) फुटकर खर्च	500
अधिकतम सीमा : जोड़	27,300

25 उम्मीदवारों के लिए एस. एस. एल. सी. में फेल हुई महिलाओं हेतु एक वर्ष के पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए योजनात्मक बजट

1. आवासीय

	रुपये
(1) 50 रुपये प्रति मास प्रति उम्मीदवार की दर से 12 महीनों के लिये 25 उम्मीदवारों का पोषण	15,000
(2) 10 रुपये प्रति मास प्रति उम्मीदवार की दर से जेब खर्च	3,000
(3) 600 रुपये प्रति मास की दर से अध्यापकों का वेतन	7,200
(4) 100 रुपये प्रति मास की दर से किराया	1,200
(5) शैक्षिक उपकरण	500
(6) फुटकर खर्च	250
अधिकतम सीमा : जोड़	27,150

2. मिले जुले पाठ्यक्रम

(1) 50 प्रति मास प्रति उम्मीदवार की दर से 20 आवासीय उम्मीदवारों का पोषण	12,000

(2) 20 आवासीय उम्मीदवारों के लिए 10 रुपये प्रति मास प्रति उम्मीदवार की दर से जेब खर्च	2 400
(3) 15 रुपये प्रति मास प्रति उम्मीदवार की दर से 5 गैर-आवासीय उम्मीदवारों को वजीफे	900
(4) 600 रुपये प्रति मास की दर से अध्यापकों का वेतन	7,200
(5) 100 रुपये प्रति मास की दर से किराया	1,200
(6) शैक्षिक उपकरण	500
(7) फुटकर खर्च	250
अधिकतम सीमा : जोड़	24,400

3. गैर-आवासीय पाठ्यक्रम

(1) 15 रुपये प्रति उम्मीदवार की दर से 25 उम्मीदवारों को वजीफे	4,500
(2) 600 रुपये प्रति मास की दर से अध्यापकों का वेतन	7,200
(3) 100 रुपये प्रति मास की दर से किराया	1,200
(4) शैक्षिक उपकरण	500
(5) फुटकर खर्च	250
अधिकतम सीमा जोड़	13,650

दिल्ली में अध्यापकों, उप-प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्ति

2637. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के उच्च/उच्चतर माध्यमिक और सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में, अलग अलग, अध्यापकों उप-प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सबधित अध्यापकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सहायता प्राप्त स्कूलों सहित सभी स्कूलों में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो बकाया रिक्त पड़े पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और उनका कोटा कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी चव्हाण) : (क) दिल्ली/प्रशासन/नई दिल्ली नगर पालिका ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी है ।

	प्रधानाचार्य	उप-प्रधानाचार्य	अध्यापक
दिल्ली प्रशासन			
(1) राजकीय स्कूल	261	335	1628

(2) सरकारी सहायता प्राप्त	129	13	5750
नई दिल्ली नगरपालिका	2	2	162

नई दिल्ली नगर पालिका के नियंत्रण में कोई सहायता प्राप्त उच्च, उच्चतर माध्यमिक अथवा सीनियर माध्यमिक स्कूल नहीं है।

(ख)

दिल्ली प्रशासन

(1) राजकीय सहायता	25	74	742
(2) सरकारी सहायता प्राप्त	—	—	27
नई दिल्ली नगर पालिका	—	—	6

(ग) जी, नहीं।

(घ) पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न होने के कारण राजकीय स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद भरे नहीं जा सके। जहाँ तक सहायत प्राप्त स्कूलों का सम्बन्ध है, ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करके भरा जाए तथा प्रबन्धकों को इसके अनुपालन के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि प्रधानाचार्यों और उप-प्रधानाचार्यों के पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और प्रत्येक सहायता प्राप्त स्कूल में इनकी संख्या भी कम होती है, अतः हो सकता है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त करने में अभी कुछ समय लगे।

कृषि क्षेत्र में पूंजीनिवेश

2638. **श्री दौलतराम सारण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक कृषि क्षेत्र में कितना सरकारी तथा गैर सरकारी पूंजीनिवेश किया गया है;

(ख) वार्षिक कृषि उत्पादन कितना होता है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामी नाथन) : (क) कृषि क्षेत्र में योजना व्यय, जो अधिकांशतः पूंजीनिवेश के रूप में उपयोग किया गया है, निम्नलिखित रहा है :

(करोड़ रुपए)

अवधि		कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	योग
1		2	3	4
1. तीसरी योजना में किया गया व्यय	(1961-66)	1088.9	664.7	1753.6

1	2	3	4
2. वार्षिक योजनाओं में किया गया व्यय	(1966-69)	1107.1	471.0	1578.1
3. चौथी योजना में किया गया व्यय	(1969-74)	2320.4	1354.1	3674.5
4. पांचवी योजना (1) में किया गया व्यय	(1974-78)	3490.0	2715.8	6205.8
का अनुमानित व्यय (2)	(1978-79)	1764.7	1197.2	2961.9
5. 1979-80 का परिव्यय		1815.2	1260.0	3075.2
6. छठी योजना (1980-85) के प्रारूप का परिव्यय		11058.8	12160.0	23218.8

जहां तक कृषि में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किए गए पूंजी निवेश का संबंध है, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने इस क्षेत्र में निवल घरेलू पूंजी निर्माण के सम्बन्ध में अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नामक प्रकाशन में निम्नलिखित आँकड़े दिए हैं :

(लाख रुपये में)

योजना अवधि	प्राइवेट
1. तीसरी योजना (1961-66)	603
2. वार्षिक योजनाएं (1966-69)	959
3. चौथी योजना (1969-74)	3032
4. पांचवीं योजना (1974-79)	6462

(ख) खाद्यान्न तथा गैर-खाद्यान्न दोनों फसलों का वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक के रूप में संलग्न विवरण से दिया गया है।

(ग) 1971 की जनगणना के अनुसार, काश्तकारों तथा कृषि श्रमिकों के रूप में कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की कुल संख्या 1258 लाख थी। इससे अधिक ताजे आँकड़े 1981 की जन गणना के परिणामों के प्रकाशित होने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

विवरण

खाद्यान्न तथा गैर-खाद्यान्न दोनों फसलों के कृषि उत्पादन का अखिल भारतीय सूचकांक-1961-62 से 1979-80 तक।

(आधार : 1969-70 को समाप्त होने वाली त्रिवार्षिक अवधि—100)

वर्ष	कृषि उत्पादन सूचकांक
	(सभी फसल)
1961-62	86.8
1962-63	85.3

1	2
1963-64	87.2
1964-65	96.9
1965-66	80.8
1966-67	80.7
1967-68	98.9
1968-69	97.3
1969-70	103.8
1970-71	111.5
1971-72	111.2
1972-73	102.3
1973-74	112.4
19 4-75	108.8
1975-76	125.3
1976-77	116.5
1977-78	133.3
1978-79	137.9
1979-80	1 6.5

बेडी पत्तन से ओखा पत्तन तक के भूभाग का मेरिन नेशनल पार्क के रूप में विकास

2639. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेडी पत्तन से ओखा पत्तन तक समुद्र तट के साथ-साथ एक सौ किलोमीटर भूभाग का मेरिन नेशनल पार्क के रूप में विकास करने के बारे में गुजरात सरकार का प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुआ था;

(ख) इस परियोजना की स्वीकृति कब तक दी जायेगी; और

(ग) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) गुजरात राज्य सरकार ने कच्छ की खाड़ी के निकट 110 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मैरिन नेजनल पार्क घोषित करने के अपने विचार के विषय में 1-8-1980 को एक अधिसूचना जारी की थी।

(ख) राष्ट्रीय पार्क के विकास सम्बन्धी योजना इस मंत्रालय में 19-12-1980 को प्राप्त हुई थी और इस समय इसकी जांच की जा रही है।

(ग) 1981 से 1985 की अवधि के दौरान इस योजना के तहत अनुमानित व्यय 57 लाख रुपए है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में

2640. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को 'डीम्ड' विश्वविद्यालय घोषित किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी संरचना तथा संगठनात्मक ढाँचा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि शिक्षा मन्त्रालय ने 1958 में संस्थान के ज्ञापन पत्र का अनुमोदन कर दिया था, यदि हाँ, तो क्या यह अभी भी संस्थान के अनुमोदित ज्ञापन पत्र के अनुसार कार्य कर रहा है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कुछ विषयों में गैर-संकाय के सदस्यों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शिक्षा देने के लिए इन्चार्ज बना दिया है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कुछ गैर-संकाय के सदस्यों, जिन्होंने डाक्टरेट डिग्री के लिए अपने आपको बाहर के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत करवाया हुआ है, को पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम का इन्चार्ज बना दिया गया है, यदि हाँ, तो 'डीम्ड' विश्वविद्यालय के अधिनियम में क्या उपलब्ध है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान का संगठनात्मक ढाँचा प्रदर्शित करने वाली एक संक्षिप्त टिप्पणी सलग्न है (विवरण-I)

(ग) जी नहीं, श्रीमान। यह सच नहीं है कि शिक्षा मन्त्रालय ने वर्ष 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान के लिए एक संस्था के ज्ञापन का अनुमोदन किया था। किसी सरकारी स्थान को 'डीम्ड' विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए ऐसी कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं थी।

(घ) और (ङ) सामान्य तौर पर केवल नियमित संकाय सदस्यों को ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का इन्चार्ज बनाया जाता है। तथापि, उन विज्ञानियों को, जो स्नातकोत्तर संकाय के सदस्य नहीं हैं तथा उनको जो उच्चतर डिग्रियों हेतु बाहर के विश्व वद्यालयों के साथ पजीकृत हैं, उनको विशेषज्ञता, के क्षेत्र के किसी एक विशेष विषय मे भाषण-माला में भाषण देने का सीमित शिक्षण दायित्व दिया जा सकता है। सितम्बर, 1980 के, भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान ने निश्चय किया है कि उन सब विज्ञानियों को, जो उच्चतर अध्ययन करना चाहते हैं और उच्चतर डिग्री हेतु पजीकरण कराते हैं, उस समय तक के लिए जब तक कि वे अपना अध्ययन पूरा नहीं कर लेते, या तो अध्ययन अवकाश पर जाना होगा या उस प्रकार का अवकाश लेना होगा जो उनको देय हो। इस प्रकार से, ऐसे विज्ञानियों को शिक्षण का उत्तरदायित्व सोंपने का अब प्रश्न ही नहीं उठता जिनके नाम बाहर के विश्वविद्यालयों के साथ पन्जीकृत हैं।

विवरण-I

विषय:— भारतीय कृषि अनुसंधान का संगठनात्मक ढाँचा प्रदर्शित करने वाली एक सक्षिप्त टिप्पणी

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की एक संघटक

इकाई है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत एक सोसायटी है। निदेशक इस संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। संस्थान के भीतर उच्चतम नीति निर्मावी निकाय प्रबन्ध मण्डल है जिसका गठन भारतीय कृषि अनुपन्धान परिषद द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार किया गया है। यहाँ एक शैक्षिक परिषद है जो स्नातकोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है। शैक्षिक परिषद को, बदले में, (1) अनेक स्थायी समितियों (2) स्नातकोत्तर निकाय, और (3) अपनी-अपनी शाखाओं में अध्ययन के मण्डल द्वारा सहयोग दिया जाता है। एक कार्यकारी परिषद भी है जो प्रशासन सम्बंधी मामलों में मुख्य कार्य कार्यान्वयन निकाय है, एक अनुसन्धान परिषद, जो अनुसन्धान की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए उत्तरदायी है। प्रबन्ध मण्डल और उपरोक्त विभिन्न परिषदों का गठन विवरण दो में दर्शाया गया है।

शैक्षिक परिषद की निम्नलिखित स्थायी समितियाँ होती हैं :—

(1) पाठ्यक्रमों और शैक्षिक मामलों की स्थायी समिति।

(2) संकाय और छात्र-समस्याओं तथा अनुशासन की स्थायी समिति।

(3) छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता और शैक्षिक प्रगति की स्थायी समिति।

(4) छात्र कल्याण, बोर्ड और निवास की स्थायी समिति।

(5) अन्तःशाखीय सुविधाओं और निर्देशनों की स्थायी समिति।

स्थायी समितियों का गठन शैक्षिक परिषदों से सदस्यों को लेकर तथा छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल करके बनायी जाती हैं (सिवाय उस समिति के मामले के जिसका उल्लेख ऊपर सबसे अन्त में किया गया है)। स्नातकोत्तर संकाय का अध्यक्ष 'डीन' होता है।

विवरण-2

विभिन्न निकायों का गठन और सम्बन्धित पक्ष

प्रबंधक मण्डल

(1) निदेशक	अध्यक्ष
(2) संकाय अध्यक्ष और संयुक्त निदेशक, पी जी. स्कूल	सदस्य
(3) संयुक्त निदेशक (विस्तार)	,,
(4) सयुक्त निदेशक (अनुसन्धान)	,,
(5) सम्बंधित शाखाओं के दलों के प्रभाग अध्यक्ष/विभाग अध्यक्ष और प्रायोजना समन्वयक-दो वर्ष की अवधि कुल संख्या 8 से अधिक नहीं बढ़नी है।	,,
(6) सरकारी निकाय के दो सदस्य-अध्यक्ष द्वारा नामित	,,
(7) एक कृषि विश्वविद्यालय का एक उप-कुलपति (अध्यक्ष द्वारा नामित होना है)।	,,
(8) भा. कृ. अ. प. से एक प्रतिनिधि (महानिदेशक) द्वारा नामित होना है)।	,,

(9) निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान सन्स्थान/निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान सन्स्थान (महा-निदेशक द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से नामित होना है) । ,,

(10) कृषि आयुक्त. कृषि विभाग ,,

(11) सन्स्थान में की गई अनुसन्धान के क्षेत्र का एक प्रख्यात विज्ञानी, जो भा. कृ. अ. प. द्वारा न चलायी गयी हो (दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित होना है) । ,,

(12) कृषि के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो गैर-सरकारी सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामित होना है) । ,,

(13) सन्स्थान के अनुसन्धान कार्य से सम्बन्धित एक प्रख्यात सदस्य शिक्षाशास्त्री, जो भा. कृ. अ. प. द्वारा न नियोजित हो (दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है) । ,,

(14) वित्त सलाहकार, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद या उनका नामित व्यक्ति । ,,

(15) दिल्ली प्रशासन का विकाश आयुक्त ,,

(16) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सदस्य सचिव

कार्यकारी परिषद

(1) निदेशक अध्यक्ष

(2) सकाय अध्यक्ष और सन्युक्त निदेशक सदस्य

(3) सयुक्त निदेशक (विस्तार) ,,

(4) संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) ,,

(5) आठ प्रबन्ध विज्ञानी (प्रायोजना निदेशक/प्रभाग अध्यक्ष (चार स्कूलों में से कम-से-कम एक. फसल उत्पादन, फसल संरक्षण, फसल सुधार तथा समाज विज्ञान सामान्य सेवाएँ) दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है) । ,,

(6) प्रायोजना समन्वयकों का एक प्रतिनिधि (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है) । ,,

(7) क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रों/अन्य केन्द्रों से एक प्रतिनिधि (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है । ,,

(8) (संयुक्त निदेशक) प्रशासन) सदस्य सचिव

अनुसंधान परिषद

(1) निदेशक	अध्यक्ष
(2) संयुक्त निदेशक (अनुसन्धान)	सदस्य
(3) संयुक्त निदेशक (विस्तार)	,,
(4) संस्थान के चार प्रबन्ध विज्ञानी (प्रयोजना निदेशक प्रभागाध्यक्ष) एक विज्ञानी को निम्नलिखित स्कूलों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करना है, यानी फसल उत्पादन, फसल संरक्षण, फसल सुधार तथा समाजिक विज्ञान/ सामान्य सेवाएं । (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है) ।	,,
(5) प्रबन्ध के अतिरिक्त संस्थान के पाँच विज्ञानी, दो वर्ष की अवधि के आधार पर ।	,,
(6) एक प्रायोजना समन्वयक (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है)।	,,
(7) क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रों/अन्य बाहर के केन्द्रों से एक विज्ञानी (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है) ।	,,
(8) संस्थान के बाहर से दो प्रख्यात विज्ञानी (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है) ।	,,
(9) संयुक्त निदेशक, प्रशासन	,,
(10) वरिष्ट विज्ञानी (आर. सी. पी.)	सदस्य सचिव

विस्तार परिषद

(1) निदेशक	अध्यक्ष
(2) संयुक्त निदेशक (विस्तार)	सदस्य
(3) संयुक्त निदेशक (अनुसन्धान)	,,
(4) संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	,,
(5) संस्थान के चार प्रबन्ध विज्ञानी (प्रायोजना निदेशक/ प्रभागाध्यक्ष एक विज्ञानी को निम्नलिखित स्कूलों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करना है, यानी फसल उत्पादन फसल संरक्षण, फसल सुधार तथा सामाजिक विज्ञान/ सामान्य सेवाएं (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है) ।	,,
(6) संस्थान के पाँच विज्ञानी (दो वर्ष की अवधि लिए सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है) ।	,,
(7) एक प्रायोजना समन्वयक (दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है) ।	,,

(8) क्षेत्रीय केन्द्रों/अन्य बाहरी केन्द्रों से एक विज्ञानी (दो वर्ष के कार्यकाल के आधार पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित होना है)। ,,

(9) कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि कृषि आयुक्त द्वारा नामित होना है)। ,,

(10) दिल्ली प्रशासन के दो प्रतिनिधि (कृषि, पशुपालन, सिंचाई तथा जल निकासी, साख विपणन आदि के क्षेत्रों से विकास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन द्वारा नामित होना है)। ,,

(11) पशु धन विकास तथा एनिमल हैल्थ कवर का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विस्तार विज्ञानी (निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान/निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सक अनुसन्धान संस्थान द्वारा नामित होना है— नियुक्ति दो वर्ष के कार्यकाल के आधार पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा होनी है)। ,,

(12) कृषि विस्तार प्रभागाध्यक्ष सदस्य सचिव

शैक्षिक परिषद

(1) निदेशक अध्यक्ष

(2) संकायाध्यक्ष, पी. जी. स्कूल उपाध्यक्ष

(3) सयुक्त निदेशक (अनुसन्धान) सदस्य

(4) संयुक्त निदेशक (विस्तार) ,,

(5) भारतीय कृषि अनुसन्धान सस्थान से बाहर के चार प्रख्यात विज्ञानी जोकि कृषि शिक्षा सहित शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात हों। ,,

(6) प्रत्येक प्रभाग से एक प्राध्यापक या जहाँ कहीं प्रध्यापक नहीं हैं वहाँ प्रभागाध्यक्ष। ,,

(7) निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसन्धान सस्थान (आई. ए. एस. आर. आई.)। ,,

(8) कृषि सांख्यिकी का प्राध्यापक (आई.ए.एस.आर.आई.। ,,

(9) मास्टर आफ हाल्स ,,

(10) स्नातकोत्तर संकाय से दो प्रतिनिधि ,,

(11) दो विद्यार्थी प्रतिनिधि ,,

(12) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) ,,

(13) कुल सचिव (शैक्षिक) सदस्य सचिव

पेयजल की सप्लाई के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यू. एन. आई. सी. ई. एफ. की सहायता

2641. **श्री अटल विहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 80 प्रतिशत शहरी जनसंख्या और 24 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल की सप्लाई की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ के परामर्श से इस बारे में एक परिव्यय तैयार किया गया है जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए 3,046 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2,432 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या विशेष कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पिछले अनुमानों के अनुसार, नगर की लगभग 82 प्र० श० और गाँव की 30 प्र० श० आबादी को पेय जल की सप्लाई की गई है।

(ख) तथा (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में जलपूर्ति एवं सफाई के लिए निर्धारित 3922.02 करोड़ रुपये के परिव्यय में से ग्रामीण जलपूर्ति के लिए 2007.11 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। ये परिव्यय अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के परामर्श से तैयार किए गए हैं। देश के समस्या ग्रस्त गाँवों को स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस योजना में बड़े बड़े शहरों में पर्याप्त पानी की सप्लाई को निरन्तर प्राथमिकता देने एवं छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की आवश्यकताओं की ओर काफी ध्यान देने की आवश्यकता को भी मान्यता दी गई है।

पेय जल के अभाव वाले गाँव

2642. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने गांवों में पेय जल की व्यवस्था नहीं है;

(ख) गुजरात राज्य के कितने गाँवों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) इन गांवों में आगामी पाँच वर्षों में यह सुविधा देने के लिए कार्यक्रम क्या है और इसके लिए कितना परिव्यय रखा गया है; और

(घ) आगामी पाँच वर्षों में पेय जल दिये जाने के बाद कितने गाँव फिर भी ऐसे बच जायेंगे जहाँ पेय जल की व्यवस्था करना शेष रह जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1-4-1980 को देश में समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या (अर्थात् उन ग्रामों में जहाँ 1.6 किलोमीटर की उचित दूरी के अन्दर पेय जल का विश्वस्त स्त्रोत नहीं है या जहाँ जल के स्त्रोत हैजा, नेहरुआ कीटाणुओं आदि की बीमारियों से ग्रस्त हैं अथवा जहाँ जल में अधिक मात्रा में लवण, लौह, फलोराइड या स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाले अन्य विषाक्त द्रव्य विद्यमान हैं) दो लाख से अधिक थी।

(ख) 1-4-1980 को 5318 समस्याग्रस्त ग्राम।

(ग) तथा (घ) : छठी योजना अवधि के दौरान इस योजना से देश के सभी समस्या

ग्रस्त गाँवों को लाभ पहुँचेगा। छठी योजना में ग्रामीण जलपूर्ति के लिए परिव्यय 2007.11 करोड़ रुपये है।

जल परिष्करण संयन्त्र (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) का बेकार पड़ा रहना

2643. **श्रीमती मोहसिना किदवई :**
श्री सतीश अग्रवाल :
श्री एन. के. शेजवलकर :
श्री जगदीश टाइटलर :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री के. ए. राजन :
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव :
श्री धर्मवीर सिंह : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्था, के पास पिछले दो वर्षों से 7 करोड़ रुपये के मूल्य का एक जल परिष्करण संयन्त्र बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मशीन को बेकार रखने के क्या कारण हैं विशेषकर इस बात को ध्यान में रख कर कि राजधानी में जल की अत्यधिक कमी है; और

(ग) इस संयन्त्र को अब प्रयोग में लाने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। हैदरपुर में जल शोधन संयन्त्र की स्थापना क्षमता 1000 लाख गैलन प्रति दिन है। अप्रैल, 1978 से आधी स्थापन क्षमता प्रयोग में लायी जा रही है। इस सन्यन्त्र की अनुमानित लागत, सम्बन्धित कार्यों सहित 1293 लाख रुपये थी।

(ख) हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे पानी की अतिरिक्त सप्लाई के लिए उपमार्ग के निर्माण का कार्य अभी पूरा किया जाना है जिससे सन्यन्त्र अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने लगेगा,

(ग) हरियाणा सरकार को उपमार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है और उन्होंने इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है।

गुजरात को खाद्यान्नों की मासिक माँग

2644. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गुजरात राज्य की चावल, गेहूँ, बाजार' तथा ज्वार आदि की मासिक माँग का ब्योरा क्या है;

(ख) गुजरात राज्य ने जनवरी, 1080 से जनवरी, 1981 के बीच प्रतिमास चावल, गेहूँ, बाजरा तथा ज्वार की कितने मीटरी टन की माँग की और कितनी मात्रा की सप्लाई की गई; और

(ग) गुजरात राज्य की खाद्यान्नों की आवश्यक माँग को स्वीकार न करने के क्या

कारण हैं, यह माँग कब तक पूरी की जायेगी और सरकार द्वारा इस बारे में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) :खाद्यान्नों की माँग, आवंटन और उठान को बताने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) जहां तक चावल का सम्बन्ध है, गुजरात सरकार की मांग के अनुसार चावल का पूरा आवंटन किया जा रहा है। समूची उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के गेहूँ आवंटनों का युक्तियुक्तकरण कर दिया गया है। गुजरात सहित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के गेहूँ के आवंटनों को कम कर दिया गया है।

विवरण

जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक गुजरात सरकार की खाद्यान्नों की माँग, उन्हें किए गए आवटन और उन्हें की गई सप्लाई को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग		आवंटन			उठान			
	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	चावल	गेहूँ	मोटे अनाज
जनवरी, 80	8.0	41.5	15.0	8.0	31.5	0.1	8.0	25.7	0.1
फरवरी, 80	8.0	46 5	15.0	8.0	36.5	—	4.5	32.3	0.3
मार्च, 80	8 0	36.5	15.0	8.0	36.5	—	10.1	37.8	0.7
अप्रैल, 80	5.0	26.5	50.0	5.0	26.5	10.1	7.6	37.4	0 5
मई, 80	5.0	26.5	20.0	5.0	26.0	—	5.0	20.6	0.3
जून, 80	5.0	21.5	20.0	5.0	21.5	14.3	5.0	15.4	1.4
जुलाई, 80	10.0	21.5	20.0	10 0	21.5	7.8	1.8	10.4	0.4
अगस्त, 80	8.0	26.5	20.0	8.0	17.96	—	11.6	28.1	0.2
सितम्बर, 80	15.0	36.5	20.0	15.0	17 96	—	7.9	20.9	1.4
अक्तूबर, 80	15.0	36.5	20.0	15.0	14.5	—	4.5	15.9	2.4
नवम्बर, 80	15.0	36.5	20.0	15.0	14.5	20.0	2.4	10.6	0.5
दिसम्बर, 80	10.0	31.5	20.0	15.0	14.5	—	14.4	14 7	3.7
जनवरी, 1981	15.0	36.5	20.0	15.0	14 5	—	9.7	15.2	1.3

चावल और मोटे अनाज के लिए बताए गए आंकड़े सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हैं।

गेहूँ के लिए बताए गए आंकड़े रोलर फ्लोर मिलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों के लिए हैं।

नोएडा

2645. श्री केशवराव पारधी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोएडा द्वारा हुडको पद्धति के अन्तर्गत मध्यम श्रेणी के बने-बनाए फ्लैट देने के लिए 1979 में दिए गए विज्ञापन के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को छोड़कर) ने आवेदन-पत्र दिये;

(ख) इनमें कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने नियोक्ता का यह प्रमाण-पत्र संलग्न किया है कि यदि उसे मकान आवंटित कर दिया जाता है तो वह बाद में सारी राशि अर्थात् 46,200 रुपये नोएडा को सीधे अदायगी कर देगा, ताकि उसे वही प्राथमिकता मिल सके जो नकद अदायगी करने वाले आवेदनकर्त्ताओं को दी जाती है;

(ग) क्या नोएडा ने इन प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करने के बाद उन्हें वही प्राथमिकता दी जो कि नकद अदायगी करने वाले आवेदनकर्त्ताओं को दी जाती है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक विकास प्राधिकरण है। इसलिए यह सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालने के बारे में

2646. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री जी. वाई. कृष्णन :

श्री बी. बी. देसाई : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डाले जाने के बारे में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी बतलाया गया है कि यदि यह प्रथा जारी रही तो समूची कृषि ऋण व्यवस्था ही ठप्प हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो कितने राज्यों ने ऋणों को बट्टे खाते डालने का निर्णय किया है; और

(घ) इससे कुल कितने किसान लाभान्वित होंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) भारत सरकार का यह स्पष्ट मत है कि संस्थागत ऋणों को पूरी तरह से समाप्त करने के किसी भी उपाय से वसूली का वातावरण धूमिल हो जायेगा, जानबूझकर भुगतान न करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा ऋण देने वाली संस्थाओं को क्षमता में कमी आएगी। छठी पंचवर्षीय योजना के मसविदे तथा छठी पंचवर्षीय योजना, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् ने

क्रमशः अगस्त 1980 तथा फरवरी 1981 में स्वीकृति प्रदान की है, में संस्थागत ऋणों को माफ करने से गम्भीर परिणाम होने का उल्लेख किया गया है।

(ग) तथा (घ) महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में संस्थागत ऋण माफ करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत 7.81 लाख छोटी जोत वाले तथा 4.52 लाख छोटे कृषक आते हैं। तथापि, लाभान्वित होने वाले कृषकों की वास्तविक संख्या का पता तभी चलेगा जब माफ की जाने वाली धनराशि उधारकर्त्ता के व्यक्तिगत खाते की जांच करने के बाद समायोजित कर ली जाएगी। अन्य राज्यों में ऋण माफ करने से सम्बन्धित निर्णय का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

प्रत्येक खण्ड मुख्यालय के लिए टेलीफोन एक्सचेंज अथवा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा

2647. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की प्रत्येक खंड मुख्यालय में एक टेलीफोन एक्सचेंज अथवा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) छठी योजना में प्राथमिकता के आधार पर बाकी के कितने स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) जी हां।

(ख) 97 प्रतिशत से ऊपर।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान जहां कहीं तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होगा शेष 139 ब्लाक मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना है। फिर भी, टेलीफोन एक्सचेंजों का खोलना अर्थ की व्यवहार्यता और व्यक्तिगत टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पर आधारित होगा।

डी. डी. ए. के समकक्ष दिल्ली में एक आवास बोर्ड का गठन

2648. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के समकक्ष एक दूसरा आवास बोर्ड गठित किये जाने के लिये एक प्रस्ताव सरकार के पास विचारार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और कब तक इस तरह का बोर्ड गठित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने आरम्भ में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आवास बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव किया था जिसको उनके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् समाप्त कर दिया गया था।

उड़ीसा में भूमि सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता

2649. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को राज्य में भूमि सुधार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1980-81 के दौरान अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : उड़ीसा सरकार को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश के रूप में वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान 6,05,799 रुपये की धनराशि बंटित की गई है।

पंचायत समितियों तथा जिला बोर्डों को सुदृढ़ बनाना

2650. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि पचायत समितियां, गाँव पंचायतें और जिला बोर्डों जैसे स्वायत्तशासी निकायों को मजबूत बनाया जाए और पंचायत राज शक्तियों और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का सशक्त माध्यम हो;

(ख) यदि हाँ, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की गई थी और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय पंचायतें आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं और वे प्रभावशाली कार्य नहीं कर सकती और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ।

(ख) रिपोर्ट अगस्त, 1978 में प्रस्तुत कर दी गई थी। समिति की सिफारिशों पर मई, 1979 में हुये मुख्य मन्त्रियों के एक सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था तथा उन पर सर्वसम्मति हो गई थी। अब एक आदर्श विधान तैयार किया जा रहा है।

(ग) अधिकांश पचायतें सुदृढ़ हैं। चूंकि पंचायती राज राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है अतः जो पंचायतें सुदृढ़ नहीं हैं, उनके संसाधनों में वृद्धि करने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है।

छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

2651. **श्री एन. ई. होरो** :

श्री जी. वाई. कृष्णन् :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशिष्ट जनसंख्या वाले छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों के समेकित विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में धन राशि खर्च करते समय जनसंख्या पर भी विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) एक लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे तथा मध्यम नगरों के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एकीकृत विकास योजना चल रही है। योजना के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(1) इस योजना में 1972 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या इससे कम आबादी वाले नगरों को शामिल किया जायेगा।

(2) उप मण्डलीय नगरों के मुख्यालयों या मण्डियों या अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों को वरीयता दी जायेगी।

(3) अनुमोदित योजनाओं के आधार पर प्रति नगर व्यय का स्तर 1 करोड़ रुपये के आस-पास होगा जिसमें से मार्गनिर्देशनों के अनुरूप की योजनाओं के लिए योजनावधि के दौरान 40 लाख रुपये तक की केन्द्रीय ऋण सहायता दी जायेगी और शेष राशि राज्य सरकार तथा कार्यान्वियन अभिकरणों द्वारा दी जायेगी।

(4) समानता के आधार पर सहायता के लिए पात्र घटक इस प्रकार हैं :—

(क) रिहायशी, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक योजनाओं के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास/रिहायशी योजना में ढाँचों सहित या रहित स्थलों तथा सेवाओं को शामिल किया जायेगा।

(ख) यातायात तथा परिवहन।

(ग) दूर दराज क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण-विकास के लाभ के लिए मण्डियों/मार्किटों, औद्योगिक सम्पदाओं तथा अन्य सेवाओं या प्रगति सुविधाओं का विकास।

(घ) राज्य सरकारों को अपने घटकों में गन्दी बस्ती सुधार की योजनाओं, नगर नवीकरण, जलपूर्ति तथा स्वच्छता, निवारक चिकित्सा सुविधाएं, पार्क तथा खेल के मैदान इत्यादि को शामिल करना चाहिए।

(5) इस बात पर बल दिया गया है कि नगर के स्थानीय निकायों को कार्यक्रम के बनाने में भाग लेने तथा उनके कार्यान्वयन और परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा उनको सहायता दी जानी चाहिए।

(6) केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है जिसको 25 वर्षों में 5 वर्ष की स्थान अवधि सहित 5-5 प्र० श० की ब्याज की दर पर अदा करना होता है।

संयुक्त विकास योजना के लिए पृथ्वी धरातल के आकार-प्रकार तथा पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन।

2652. श्री डी. पी. यादव :

श्री पी. राजगोपाल नायडु : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह मालूम है कि किसी क्षेत्र का संयुक्त विकास करने से पहले पृथ्वी के धरातल के आकार प्रकार का वैज्ञानिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन भू-तल जल सम्भाव्यता अध्ययन करना होता है तथा आकृति विज्ञान सम्बन्धी नक्शे, मिट्टी की किस्म का नक्शा और भूमि के प्रयोग आदि सम्बन्धी नक्शा बनाना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन किया गया है और इस कार्य में लगी वैज्ञानिक संस्थाओं की कुल संख्या क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) यद्यपि इस प्रकार के अध्ययनों के माध्यम से एकत्र किये गये आंकड़े लाभकारी होंगे तथा ऐसी सम्पूर्ण संसाधन सूचियों को तैयार करना ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक तथा समन्वित विकास के लिए अपेक्षित होगा फिर भी, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय ने इस प्रकार के समय लगने वाले तथा व्यापक सर्वेक्षणों की प्रतीक्षा किये बिना ग्राम विकास कार्यक्रमों को शुरू करने तथा उन्हें जारी रखने की तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें देश के सभी विकास खंडों में निर्धनतम व्यक्तियों को आय पैदा करने वाली परिसम्पत्तियां तथा संसाधन सुलभ करके गरीबी दूर करने पर विशेष बल दिया गया है । समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम अब देश के सभी विकास खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खंड में कम से कम 3000 परिवारों को सहायता पहुँचाने का लक्ष्य है और इस तरह से छठी योजना के दौरान 15 मिलियन से अधिक परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाएगा ।

तुंगभद्रा परियोजना

2653. श्री बी. बी. देसाई : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना जो भारत की एक बड़ी सिंचाई एवं-बिजली परियोजना है तथा कर्नाटक का सबसे बड़ा उपक्रम है, धीरे-धीरे अपनी उपयोगिता खो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 100 करोड़ रुपये वाली इस विख्यात परियोजना, जिसकी मूलत: 311 वर्ष तक चलने का अनुमान था, अब बहुत कम समय चलेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या जलाशय के 1989 तक ही चलने की आशा है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि समय-समय पर तलछाटन करने के केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांत की 1971-72 तक अवहेलना की गई थी;

(च) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दो मिट्टी परीक्षण केन्द्रों की स्थापना में तीन वर्षों का विलम्ब हो गया था; और

(छ) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) जल संचयन जलाशय परियोजनाओं में गाद का जमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इन परियोजनाओं की योजना बनाते समय अपेक्षित व्यवस्था की जाती है । हाल में 1978 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार तुंगभद्रा जलाशयों की कुल आयु 208 वर्ष आंकी गई है ।

(ङ) और (च) सबसे पहले 1963 में जल-सर्वेक्षण किए गए थे । प्रारम्भ में, उपकरणों उपस्करों, मोटर लांचों आदि के प्राप्त न होने के कारण सर्वेक्षण शुरू करने में कुछ देरी हुई थी।

(छ) कर्नाटक सरकार द्वारा वाहक्षेत्र में 1962-63 से भू-संरक्षण, वनरोपण और जल

धारा प्रबन्ध के उपाय किये जा रहे हैं। तुंगभद्रा बोर्ड भी जलाशय से ऊपर के क्षेत्र में वनरोपण कर रहा है।

सिंहस्थ पर्व के उपलक्ष में डाक टिकट

2654. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान जारी किये गये स्मारक डाक टिकटों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1980 में उज्जैन में, सफलतापूर्वक आयोजित हुए 'सिंहस्थ पर्व' के उपलक्ष में एक डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या मंत्रालय सिंहस्थ पर्व, जो कि देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकात्मकता का सर्वोच्च प्रतीक है के समक्ष आयोजना की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करके लोगों की भावनाओं को सम्मान देगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1980 के दौरान जारी किये गये डाक टिकटों की सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) जी हाँ।

(ग) 1981 के दौरान डाक टिकट जारी करने के लिये कार्यक्रम को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी करने हेतु डाक टिकटों की संख्या को देखते हुये खेद है कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जा सकता।

विवरण

डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम-1980

क्रम स.	विषय	जारी करने की तारीख	डाक टिकटों की संख्या	मूल्य वर्ग (पैसे)
1.	यूनिडो सम्मेलन	21-1-80	1	100
2.	भारत-80 (माला)	25-1-80	4	30,50 100, 200
3.	इन्जीनियरों का संस्थान	17.2-80	1	30
4.	मद्रास सैपर्स	26-2-80	1	30
5.	मधुमक्खी सम्मेलन	29-2-80	1	100
6.	चतुर्थ विश्व पुस्तक मेला	29-2-80	1	30
7.	वेल्थी फिशर	18-3-80	1	30
8.	दारूल उलूम देवबंद	21-3-80	1	30
9.	केशव चन्द्र सेन	15-4-80	1	30
10.	छत्रपति शिवाजी महाराज	21-4-80	1	30
11.	एशियाई टेबल टेनिस	9-5-80	1	30
12.	नारायण मल्हार जोशी	5-6-80	1	30
13.	एस. परमेश्वर अय्यर उल्लूर	6-6-80	1	30
14.	एस. एम. जामिल अली	25-6-80	1	30

1	2	3	4	5
15.	हेलन केलर	27-6-80	1	30
16.	22 वां ओलिम्पिक, मास्को	19-7-80	2	100,280
17.	प्रेमचन्द	31-7-80	1	30
18.	मां टेरेसा	27-8-80	1	30
19.	अर्ल माउंटबेटन	28-8-80	1	280
20.	स्काटिश चर्च कालेज	27-9-80	1	35
21.	राजा अण्णामले चेट्टियार	30-9-80	1	35
22.	दांडि मार्च (युग्म रूप में)	2-10-80	2	35,35
23.	जय प्रकाश नारायण	8-10-80	1	35
24.	हुकना पक्षी	1-11-80	1	230
25.	1400 हिजरी	3-11-80	1	35
26.	बाल दिवस	14-11-80	1	35
27.	ध्यान चन्द	3-12-80	1	35
28.	स्वर्ण खनन शताब्दी	20-12-80	1	100
29.	एम. ए. अन्सारी	25-12-80	1	35
30.	भारत सरकार टकसाल	27-12-80	1	35
31.	भारतीय दुल्हनें	30-12-80	4	100, 00 100,100

दिल्ली के बेगमपुर गांव का धसना

2 :5. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में बेगमपुर गांव के धंसने का खतरा है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश में तालाब-पारिस्थितिकी आदि के बारे में अनुसंधान एकक

2656. **श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा में राज्य में खारे पानी के गहन विकास को ध्यान में रखते हुए तालाब-पारिस्थितिकी, 'मोनोकल्चर' और पोलि-कल्चर' के भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए पृथक अनुसंधान एकक स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा में तालाब-पारिस्थितिकी, 'मोनोकल्चर' और पोलि-कल्चर' के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए एक पृथक अनुसंधान एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार (वन और ग्रामीण विकास विभाग) से एक सुझाव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में तटीय आंध्र प्रदेश में उपलब्ध खारे पानी की मात्रा दिग्दर्शित की गयी है और बताया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार खारे पानी के इन क्षेत्रों के विकास पर विचार कर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया था कि तालाब पारिस्थितिकी, 'मोनोकल्चर' और 'पोलि कल्चर' के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा काकीनाडा में एक पृथक अनुसंधान एकक स्थापित किया जाय। परिषद ने आंध्र प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव की जांच इसी क्षेत्र में खारे पानी में मछली पालन पर स्वयं के चल रहे अनुसंधान कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर की। इसी क्षेत्र में स्थित खारे पानी में मछली पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के केन्द्र के अलावा केन्द्रीय मत्स्यकी शिक्षा संस्थान के भी काकीनाडा में अपने फार्म हैं जहां पर खारे पानी में मछली पालन और झींगा पालन पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। अतः राज्य का विभाग इस क्षेत्र में पहले से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को अपना सकता है परिषद तो इस प्रस्तावित कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान कर सकती है जो अनिवार्य रूप से विकासीय प्रकृति की है।

उर्वरकों में नाइट्रोजन का तत्व

2657. **श्री राम अवध** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक कारखानों में उत्पादित उर्वरकों में नाइट्रोजन का तत्व अपेक्षित मात्रा में नहीं है; और

(ख) क्या अच्छी किस्मों के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन कारखानों पर सरकार का कोई नियंत्रण है या वह उनका निरीक्षण करती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी स्वामीनाथन) य (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि देसी उर्वरक निर्माता उर्वरक तैयार करते सम नाइट्रोजन तत्वों की उतनी मात्रा का प्रयोग नहीं करते जितनी निश्चित की गई है।

(ख) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 में उर्वरकों की क्वालिटी की जांच करने तथा उर्वरकों की तैयारी व स्टार करने के स्थानों का निरीक्षण करने की समुचित व्यवस्था मौजूद है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को अधिकार दिये गए हैं।

राजस्थान में सिंचाई परियोजनायें

2658. **श्री चतुर्भुज** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा जिले में बिलासी बांध परियोजना (किशनगंज क्षेत्र) और छठी परियोजना, भीम सागर परियोजना, हरिश्चन्द्र सागर परियोजना और प्रस्तावित मनोहर थाना परियोजना तथा झालावाड़ जिले की प्रस्तावित गागरोन परियोजना पर कुल खर्च के बारे में परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर इस वर्ष कुल कितनी राशि खर्च की जा रही है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना कब पूरी हो जायेगी इस बारे में ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इनको प्रारम्भ करने की तारीख क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	1979-80 तक किया गया व्यय (लाख रुपयों में	1980-81 के दौरान प्रत्याशित व्यय लाख रुपयों में	जिस वर्ष परियोजना प्रारम्भ हुई (लाख रुपयों में	जिस वर्ष परियोजना पूरी होने की संभावना है
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिलासी	275	शून्य	5	1980-81	छठी योजना के अन्त तक
2.	छापी	650	शून्य	5	1980-81	सातवीं योजना
3.	श्रीमसागर	747	273.86	175	1977*	छठी योजना
4.	हरिशचन्द्र सागर	291	119.44	100†		1981-82
5.	मनोहर थाना	4054	शून्य	शून्य	अभी शुरू नहीं की गई	राज्य सरकार द्वारा अभी निर्णय किया जाना
6.	गगरिन	1160	शून्य	शून्य	अभी शुरू नहीं की गई	

* कार्य पहले 1954 में आरम्भ किया गया था लेकिन 1958-59 में असंवार नगर के निवासियों के विरोध पर उक्त कार्य स्थगित कर दिया गया।

कार्य 1970 में पुन: आरम्भ किया गया लेकिन वित्तीय तंगी के कारण 1972 में इसे पुन: स्थगित कर दिया गया। कार्य 1977 में फिर से शुरू किया गया है।

† कार्य 1955 में आरंभ हुआ था और 1956 में पूरा हो गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1956, 1969 और 1970 के वर्षों में बीयर में बरार आ गई।

कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण

2659. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को अपनी छठी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पुनरीक्षण के विषय क्या हैं; और

(ग) कलकत्ता विश्वविद्यालय में कितने विभाग हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय के उन विभागों के लिए न्यूनतम प्रावधान क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) और (ख) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कलकत्ता विश्वविद्यालय से छठी योजना के दौरान 100.00 लाख रुपये के अस्थायी विनिधान के अन्दर सामान्य विकास सहायता के लिए प्रस्ताव तैयार करके आयोग को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके उत्तर में विश्वविद्यालय ने 707.03 लाख रुपए के कुल परिव्यय के प्रस्ताव भेजे। प्रारंभिक जांच के बाद, आयोग ने विश्वविद्यालय को यह सलाह दी कि वे इन प्रस्तावों को संशोधित करें तथा तत्सम्बन्धी खर्च को कम करके लगभग 200.00 लाख रुपये तक रखें। विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के लिए भी सलाह दी गई थी कि विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा जिन प्रस्तावों के लिए सहायता दी जाती है, उन्हें सामान्य विकास सहायता के उन प्रस्तावों से अलग रखा जाए, जिनके लिए अस्थायी विनिधान होता है। जो प्रस्ताव अस्थायी विनिधान के बाहर सहायता योग्य होते हैं, उनमें व्यवसाय अध्ययन कालेज, इंजीनियरी, प्रौद्योगि की तथा अन्य प्रयुक्त विज्ञान विभागों का विकास, संगणक सेवा, पत्राचार पाठयक्रम, विश्वविद्यालय सेवाओं और उपकरण केन्द्र का विकास शामिल है।

(ग) कलकत्ता विश्वविद्यालय में 67 विभाग हैं जिनमें कृषि और चिकित्सा विभाग भी हैं। इन दो विभागों को उनके विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता नहीं दी जाती। शेष विभागों के सम्बन्ध में सामान्य विकास सहायता के लिए अस्थायी विनिधान प्रत्येक विभाग की आवश्यकताओं के आधार पर नहीं किया जाता, अपितु विश्व विद्यालय के दर्जे, विभिन्न विभागों के विकास के स्तर, उनके लिए पहले से ही किये गये निर्देशों इत्यादि का पूर्ण मूल्यांकन करने के आधार पर किया जाता है। यह आवटन भी योजनावधि के दौरान आयोग के पास उपलब्ध होने वाले संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करता है।

1980-81 के दौरान मीठे तत्वों का उत्पादन

2660. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू मौसम 1980-81 के दौरान चीनी, गुड़ और खंडसारी जैसे मीठे तत्वों का कुल अनुमानित उत्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या गन्ना चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र से गुड़ और खाण्डसारी एककों को दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो चालू मौसम में पूर्वानुमान की तुलना में चीनी के उत्पादन में कितनी कमी आएगी ?

संसदीय कार्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) हालांकि चालु मौसम 1980-81 के दौरान लगभग 52 से 54 लाख मीटरी टन चीनी का कुल उत्पादन होने की आशा है, लेकिन मौसम के अन्त से पूर्व गुड़ और खांडसारी के उत्पादन का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ऐसे अनुमान शेष बचे-खुचे गन्ने के उत्पादन, अर्थात् चीनी का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल की गई मात्रा और बीज, चारे, चूसने, छीजन

आदि के लिए व्यवस्था करने हेतु मात्रा को कुल उत्पादन से निकाल कर गन्ने की जो मात्रा बच जाती है, के आधार पर लगाये जाते हैं।

(ख) और (ग) : कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल जैसे कुछेक राज्यों में चीनी फैक्ट्रियों के सुरक्षित क्षेत्रों में गन्ने के स्थान पर अन्य फसलें बोने के बारे में सूचना मिली है। तथापि, सरकार द्वारा पहले से ही किए गये कुछेक उपायों की दृष्टि में, इस प्रकार गन्ने के स्थान पर अन्य फसलें बोने के फलस्वरूप चीनी के अनुमानित उत्पादन में कोई अधिक कमी नहीं होगी।

ग्रामों के विकास के लिए योजना

2661. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री जैनुल बशर : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामों के विकास के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का उक्त योजना को किस ढंग से क्रियान्वित करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने हमारे ग्रामीण इलाकों में स्थानीय संसाधनों को विकसित करने के लिए देश के सभी विकास खण्डों में 2 अक्तूबर, 1980 से समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य छठी योजना अवधि के दौरान प्रत्येक खण्ड में कम से कम 3,00 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इस कार्यक्रम को उपदानों तथा ऋणों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। आशा है कि योजना अवधि के दौरान सरकारी निधियों जिन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर आधार पर वहन किया जाता है, का आबंटन प्रति खण्ड लगभग 35 लाख रुपये होगा।

(ग) योजना को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा विकास खण्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जनता के प्रतिनिधियों और पंचायती संस्थाओं का सहयोग मांगा जा रहा है। पांच वर्ष की अवधि के लिए खण्ड स्तरीय योजनाएं तैयार की जा रही हैं और इन्हें क्षेत्र स्तर पर राज्य सरकार के विभागों, निगमों, बैंकिंग संस्थाओं आदि के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

दूध के उत्पादन पर निवेश की गई तथा अंशदान के रूप में प्राप्त हुई राशि

2662. **श्री बापूसाहेब पुरुलेकर :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूध के उत्पादन के लिए विश्व बैंक से प्राप्त अंशदान सहित कुल कितनी राशि राज्यों को उपलब्ध कराई गई;

इसमें से कितनी राशि अब तक (31 जनवरी, 1981 तक) व्यक्तिगत रूप से लोगों को सहकारिताओं तथा कम्पनियों और अन्य संयुक्त निकायों को अनुदान अथवा राजसहायता अथवा ऋण के रूप में बांटी गई ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके;

(ग) इसमें से कितनी राशि अनुदान अथवा राजसहायता अथवा ऋण के रूप में ग्रामीण निर्धन लोगों को वस्तुतः बांटी गई, उस पर ब्याज की दर क्या थी, कितने समय में उसकी वापस आ अदायगी की जानी है और प्रति व्यक्ति अथवा प्रति परिवार कितनी राशि की सहायता दी गई है; और

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने उक्त योजना अपनाने वाली अथवा उक्त निधि से प्राप्त करने वाली कम्पनियों, सहकारिताओं अथवा संयुक्त निकायों को भूमि प्रदान की है ताकि वे उस पर अपने पशुओं के लिए चारा उगा सकें या उन्हें वहां चरा सकें और क्या ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि कोई अन्य अवांछित तत्व उनकी इस भूमि में घुसपेठ न कर सकें ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) भारत सरकार का इनसे सीधा सम्बन्ध है :—

(1) विश्व खाद्य कार्यक्रम की जिस सहायता से आपरेशन फ्लड़-1 परियोजना (2) विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में तीन समेकित पशु व डेरी विकास परियोजनायें (3) यूरोपियम आर्थिक समुदाय से जिस सहायता तथा विश्व बैंक की ऋण सहायता से आपरेशन फ्लड़-2 परियोजना ।

2. आपरेशन फ्लड-1 के तहत यह विचार किया गया था कि 116 40 करोड़ रुपये की निधि उपहार के रूप में प्राप्त हुए जिन्सों की 4 महानगरों में बिक्री करने से तैयार की जाएगी ।

3. विश्व बैंक ने 1974 में कुल 117.40 करोड़ रुपये की लागत की तीन समेकित पशु व डेरी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी तथा 55.49 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की सहमति दी थी ।

4. आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए कुल 485.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी । यूरोपियन आर्थिक समुदाय जिन्स प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है, जिससे 206.00 करोड रुपये की निधि प्राप्त होगी । विश्व बैंक 129.00 करोड़ रुपये की सहयाता देने को सहमत हो गया है ।

5. आपरेशन फ्लड-1 के तहत तैयार की गई निधि का इन मदों के लिए उपयोग किया गया है :—

(1) चार महानगरों में चालू डेरियों का विस्तार करने (2) नई शहरी डेरियों की स्थापना करने (3) दूध के मण्डरण तथा अधिक दूरी तक दुग्ध परिवहन की सुविधायों के लिए (4) दुग्ध संचयन प्रशीक्तन केन्द्रों तथा फीडर बैलेसिंग मिल्क प्लान्टों की स्थापना करने (5) तकनीकी आदानों को मुहैया करके दूध का उत्पादन बढ़ाने (6) उन्नत दुधारू पशुओं का विकास करने (7) ग्रामों से दूध की अधिप्राप्ति को संगठित करने तथा (8) मानव शक्ति का विकास करने । परियोजना के आरम्भ होने से 30-11-1980 तक कुल 112.74 करोड़ रुपये की निधि तैयार की गई । इसमें से 3.05 करोड़ रुपये राज्यों को डेरी विकास के लिए वितरित किए गए हैं ।

6. अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐजेंसी की सहायता प्राप्त परियोजनाओं में चुनींदा जिलों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी आदानों की व्यवस्था करने तथा विपणन योग्य दुग्ध के

लिए परिसंस्करण तथा विपणन की सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता प्राप्त तीन परियोजनाओं पर अब तक कुल 52.88 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इसमें से भारत सरकार ने 12.63 करोड़ रुपये का योगदान दिया है तथा विश्व बैंक से इन तीन राज्यों को लगभग 28.07 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई। भारत सरकार ने 50 : 50 के आधार पर साम्य पूंजी योगदान दिया है तथा प्रशिक्षण और विस्तार पर 75 : 25 के आधार पर योगदान दिया है।

7. आपरेशन फ्लड-2 परियोजना हाल में ही आरम्भ हुई है। अभी तक 18 राज्यों ने भारतीय डेरी निगम के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यविधियां हैं। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 31-1-1981 तक राज्यों को 6.00 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

8. आपरेशन फ्लड-1 तथा 2 के तहत सहायता का प्रतिमान 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में है। प्रत्येक व्यक्ति कम्पनियों तथा अन्य संयुक्त निकायों के लिए सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है। दुग्ध संचयन तथा प्रशीतन केन्द्रों, फीडर बैलेंसिंग प्लान्टों, प्रजनन फार्मों आदि की स्थापना के लिए राज्य सरकारों ने सामान्यतः भूमि उपलब्ध कराई है। राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक निकायों को चारा उगाने या अपने पशुओं को चराने के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

दिल्ली में नियमित की गई कालोनियों में सुविधाएं

2663. **श्री जगपाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नियमित की गई कालोनियों मे सभी सुविधाएं प्रदान करने पर विचार किये जाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी और किन कालोनियों में ये सुविधाएं दी जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

समदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया कि उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत यद्यपि नियमित कालोनियों को कुछ न्यूनतम सुविधाएं दी जा रही हैं फिर भी पूर्ण विकास/सुविधायें चरणबद्ध तरीके से केवल तभी दी जा सकती हैं जब कि इसके द्वारा निर्धारित विकास प्रभारों का भुगतान निवासियों/प्लाट मालिकों द्वारा किया जाय। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसके विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली अनधिकृत कालोनियों में वह जल सप्लाई इत्यादि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार कर रहा है। दिल्ली में नियमित कालोनियों को सभी सुविधायें कब तक प्रदान की जायेंगी, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित समय सीमा बताना व्यवहारिक नहीं है।

गरीब कृषकों के लिए मकान

2664. **श्री जो. वाई. कृष्णन** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास के मामले में खर्च की जा रही सार्वजनिक राशि से जरूरतमन्द वर्गों, विशेषकर देश में गरीब कृषकों को लाभ नहीं हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार गरीब कृषकों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) आवास राज्य का विषय है इसलिए इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित दो योजनायें केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं :—

(1) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम; और

(2) ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए मकान निर्माण के लिए वास-स्थल व सहायता देने की योजना।

ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम, व्यक्तियों और उनके सहकारी समितियों को ग्रामों में मकान बनाने और सुधार करने के लिए ऋण देती है। यह ऋण निर्माण की लागत के 80 प्र० श० तक सीमित है जिसमें यह शर्तें हैं कि प्रति मकान अधिक से अधिक 5,000 रुपये का हो। जहाँ निर्माण की लागत 3,000 रुपये से कम हो वहाँ ऋण सहायता 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। एक मकान की निर्माण की कुल लागत 8,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दूसरी योजना के अन्तर्गत 30 से 40 पात्र परिवारों के समूह के लिये एक पक्का कुआँ और सम्पर्क मार्ग सहित मकान का प्लाट निशुल्क दिया जाता है और प्रति परिवार के लिए स्थानीय भवन सामग्री की खरीद के लिए लगभग 200 रुपये की और सहायता दी जाती है। ताकि जो प्लाट दिया गया है उस पर मकान बना सके जिन पर श्रम कार्य की व्यवस्था लाभ भोगियों की द्वारा स्वयं की जाती है। इस योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) के लिए 353.5 करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय है।

मकानों के मामले में आवास योजनाओं के लिए भारत सरकार की गतिविधियां राज्य सरकारों और अन्य आवास अभिकरणों को आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) सामान्य बीमा निगम (जी. आई. सी.), और जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.) के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने तक ही प्रायः सीमित है।

छठी योजना के दौरान हुडको के 600 करोड़ रुपये के ऋणों में से, 90 करोड़ रुपये ग्रामीण आवास के लिए निर्धारित किये गये हैं।

सामान्य बीमा निगम के वार्षिक ऋण की मौजूदा मात्रा 18 करोड़ रुपये है जो केवल ग्रामीण आवास और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ई. डब्ल्यू. एस.) के लिए है, जबकि जीवन बीमा निगम के 44 करोड़ रुपये के वार्षिक ऋण में से, 10 करोड़ रुपये केवल ग्रामीण आवास के लिए हैं।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना

2605. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के निष्पादन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितना आवंटन किया गया;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के किस भाग को पूरा किया जाना है;

(ग) क्या प्रस्तावित कोसी नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को पूरी तरह से कब तक कार्यान्वित किया जायेगा और कितनी वार्षिक धनराशि आवंटित की जायेगी और वार्षिक लक्ष्य क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1980-81 के लिए बिहार-भाग के लिए अनुमोदित योजना-परिव्यय 6 करोड़ रुपये है।

(ख) बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के मानीटरिंग संगठन को भेजी गई सूचना के अनुसार नहर के बिहार-भाग के सम्बन्ध में मार्च, 1981 के अन्त तक हुई कुल प्रगति इस प्रकार होगी। मुख्य नहर और इसकी वितरणियों में किए जाने वाले मिट्टी के कुल कार्य के 35 प्रतिशत के पूरा होने की आशा है। इसी प्रकार, लाइनिंग के 54 प्रतिशत कार्य के पूरा होने की आशा है। 356 संरचनाओं में से 11 संरचनाओं के पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। वितरण प्रणाली के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य चल रहा है।

(ग) जी, नहीं। प्रस्ताव पर अभी राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

(घ) समूची परियोजना को मार्च, 1987 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये संशोधित निर्माण कार्यक्रम मे निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं :—

क्रम वर्क्स की मुख्य आइटम	जिस वर्ष कार्य पूर्ण किया जाना है।	कुल सिंचाई क्षमता का सृजन
1. भारत-नेपाल सीमा और भूटाही बालान के बीच मुख्य नहर और वितरण प्रणाली और जल-निकास	मार्च, 1983	0.20 लाख हैक्टेयर
2. भूटाही बालान और कमला के मध्य मुख्य नहर तथा वितरण प्रणाली और जल-निकास	जून, 1985	0.78 लाख हैक्टेयर
3. मुख्य नहर का शेष भाग तथा वितरण और जल-निकास	मार्च, 1987	2.08 लाख हैक्टेयर

पश्चिमी कोसी नहर (बिहार भाग) की 161.81 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से मार्च, 1980 तक 21.2 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। छठी योजना अवधि (1980-85) में 80 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। इस समय प्रस्तावित परिव्यय का वर्ष वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

1980-81	6 करोड़ रुपये
1981-82	15 करोड़ रुपये

1982-83	17 करोड़ रुपये
1983-84	19 करोड़ रुपये
1984-85	28 करोड़ रुपये

पश्चिम बंगाल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आटा मिलों के लिए गेहूं की सप्लाई

2665. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया है कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आटा मिलों के लिए गेहूँ की मात्रा बढ़ाई जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने अब तक इस पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) अतीत में राज्य सरकारों से प्राप्त मांगों के अनुसार गेहूँ का आवंटन किया जाता था। यह पाया गया था कि किये गये आवंटनों की तुलना में कम उठान किया जाता था। 1980 के मध्य में गेहूँ की स्थिति का पुनः जायजा लेने पर, अगस्त, 1980 से राज्यों को गेहूँ के आवंटनों का युक्तियुक्तकरण कर दिया गया था ताकि आवंटन उठान के निकट-निकट किये जा सकें, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल सहित सभी राज्यों के गेहूं के आवंटनों की मात्रा में कमी हुई है। 1980 के दौरान पश्चिमी बंगाल सरकार को उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आटा मिलों के लिये 1953.66 हजार मीटरी टन गेहूँ आवंटित की गई थी और जनवरी से मार्च, 1981 की अवधि के लिये 262.54 हजार मीटरी टन गेहूँ आवंटित की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में मुर्गी-पालन के लिए पक्षी अनुसंधान संस्थान

2667. **श्री पी. राजगोपाल नायडु** :

प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर मुर्गी-पालन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, मुर्गियों में फैलने वाली विभिन्न बीमारियों की जांच करने और उन पर विभिन्न टीकों का प्रयोग करने तथा उनका प्रभाव देखने के उद्देश्य से उक्त राज्य में पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का कार्यकरण

2668. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक और कब से;

(ग) क्या सरकार ने इसके कार्यकरण की जाँच के लिये कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 1.50 करोड़ रुपये। पिछले वर्ष इस निगम ने 22 लाख रुपये का लाभ कामाया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण आवास संबंधी सर्वेक्षण

2669. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री के. प्रधानी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार हैं कि विभिन्न संस्थागत एजेन्सियों की 800 करोड़ रुपये की आवास योजनाओं ने शहरी क्षेत्रों को ही लाभान्वित किया है और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण आवास सम्बन्धी पेपर में व्यक्त की गई है;

(ग) उक्त पेपर में और दूसरी क्या बातें पेश की गई हैं; और

(घ) सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष और छठी पचवर्षीय योजना के दौरान इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1980 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में 'आकेजनल पेपर्स' शीर्षक के अन्तर्गत एक अनुसन्धान अधिकारी द्वारा लिखे गये एक लेख में से टिप्पणियाँ हैं।

(ग) इस प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित लेख में दिए गए निष्कर्ष विवरण में संलग्न है।

(घ) आवास राज्य का विषय होने के कारण इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अधीन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में राज्य क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थल व गृह निर्माण सहायता की व्यवस्था की एक योजना शामिल है। छठी योजना में 68 लाख परिवारों को आवास स्थल तथा 36 लाख परिवारों को मकानों के निर्माण के लिये 353.5 करोड़ रुपये की कुल लागत की वित्तीय सहायता देनी है।

आवास के क्षेत्र में भारत सरकार की गतिविधियां राज्य सरकारों और अन्य आवास अभिकरणों को उनकी आवास योजनाओं के लिए ऋण आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको), सामान्य बीमा नीगम (जी.आई. सी.) तथा जीवन बीमा निगम (एल. आई.सी.) के माध्यम से उपलब्ध कराने तक ही प्रायः सीमित है, इसमें ग्रामीण आवास पर बल दिया जाता है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुडको के 600 करोड़ रुपये में से 90 करोड़ रुपये ग्रामीण आवास के लिए उद्दिष्ट किये गये हैं। सामान्य बीमा निगम का वार्षिक ऋणों का वर्तमान स्तर जोकि केवल ग्रामीण आवास तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आवास के लिए है, 18 करोड़ रुपये है जबकि जीवन बीमा निगम के 44 करोड़ रुपये के वार्षिक ऋणों में से 10 करोड़ रुपये केवल ग्रमीण आवास के लिए हैं।

विवरण

परिवारों का रहन सहन का स्तर मकान की औसत कीमत की व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय विविधता में परिलक्षित होता है। चार राज्यों, अर्थात्, पंजाब हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में एक ग्रामीण परिवार के मकान की औसतन कीमत 3,000 रुपये से अधिक है, जबकि, असम, आन्ध्र प्रदेश तामिलनाडु तथा उड़ीसा में यह औसत 1,500 रुपये से कम था।

मकान न होने के कारणों में से धन का अभाव बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगभग 82.5 प्रतिशत या 420 लाख मकान रहित परिवार तीन निम्नतम वर्गों से थे। इन में से 87.5 प्र.श. गैर कृषक अधिकतर खेतिहर श्रमिक थे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के 4 राज्यों में आवास रहित परिवार अपेक्षाकृत अधिक थे। इन में से कुछ राज्यों में काश्तकारी खेती या बन्धवा मजदूर पद्धति इसका कारण हो सकती हैं। हालाँकि आवास रहित होना कोई गम्भीर समस्या नहीं थी, तीन निम्नतम सम्पति वाले वर्गों से 889 लाख परिवारों द्वारा बतलाई गई मकानों की स्थिति शोचनीय थी। जहां तक उनके मकानों की कीमत ग्रामों के मकानों के मानदण्ड की कीमत से आधी भी नहीं थी। गरीब खेतिहर परिवारों के मकान (तीन निम्नतम सम्पत्ति वाले वर्गों में) गैर खेतिहरों के मकानों से घटिया थे।

इन लोगों के मकानों का पुनर्निर्माण और 1981 तक बनने वाले नये परिवारों को मकान देने में 13,090 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय होगा, जो कि लगभग 3,056 रुपये प्रति मकान होगी। यह मानने पर भी कि 10 प्र.श. लाभभोगियों का अंशदान होगा मकान बनाने के लिए और 3.3 प्रतिशत स्वेच्छिक श्रम होगा, शेष 11350 करोड़ रुपये एकत्र करने होंगे। वित्तीय आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत वार्षिक सरकारी सहायता मानने पर भी लगभग 850 करोड़ रुपये की कमी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे मकानों से परिवारों की आय तथा रोजगार में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे श्रमिक की उत्पादकता पर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार इस कार्यक्रम से कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी जिसका लगभग आधी ग्रामीण क्षेत्रों से होगा। ग्रामीण आवास पर इस वर्ष की अवधि में किया गया 11,350 करोड़ रुपये का पुंजी निवेश से लाभ होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की धनवान समर्थक गतिविधियां

2670. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जाँच की है कि भूमि के अर्जन तथा नीलामी द्वारा अथवा विक्रय द्वारा भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की वर्तमान नीति मुख्यतया धनवानों और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के पक्ष में है तथा निम्न मध्यम वर्ग के उन

लोगों के हितो की उपेक्षा की गई है जो दिल्ली में अनधिकृत भूमि पर अनेक अनधिकृत कलोनियों में अपने मकानों में रह रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार के क्या विचार हैं तथा उनका क्या आधार है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली का सुनियोजित विकास करने के लिए अपेक्षित भूमि अर्जित की जाती है और तत्पश्चात् इसका विकास करने के लिए इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को दे दिया जाता है। सामान्य नीति के रूप में, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग आदि के लोगों को रिहायशी भूमि देने जैसे कतिपय मामलों को छोड़कर जहाँ भूमि पूर्व निर्धारित दरों पर आबंटित की जाती है, उस विकासित भूमि की बिक्री नीलामी द्वारा की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कुल भूमि के छोटे छोटे भू-खण्डों को ही नीलामी द्वारा बेचा जाता है जबकि बड़े बड़े भू-खण्डों को पूर्व—निर्धारित दरों पर आबंटित किया जाता है।

दिल्ली में टेलीफोन सेवा

2671. **प्रो. पी. जे कुरियन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार राजधानी तथा देश के अन्य भागों में बिगड़ती हुई टेलीफोन सेवा में सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार को विभाग द्वारा अन्धाधुन्ध बिल बनाए जाने की जानकारी है, यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि सरकारी अधिकारियों तथा उद्योगपतियों के बीच कोई साँठ-गाँठ है तो सरकार ने उनका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) राजधानी में टेलीफोन की सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। यह कहना उचित नहीं है कि टेलीफोन बिल अंधाधुन्ध जारी किए जाते हैं और न ही तो सरकार के ध्यान में ही इस प्रकार की कोई बात आई है कि कर्मचारियों और उद्योगपतियों के बीच कोई साँठ-गाँठ है।

निर्धन किसानों के लिये मकान

2672. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे किसानों (काश्तकारों) की निर्धनतापूर्ण दशा के बारे में सूचनायें एकत्रित कर ली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहाँ निर्धन काश्तकारों की दशा खराब है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)

सरकार आमतौर से ग्रामीण आवास की स्थिति के बारे में समय-समय पर सूचना एकत्र करती रहती हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की अपर्याप्तता सारे देश में व्याप्त है और इस विषय में किसी विशिष्ठ राज्य/राज्यों को इंगित कठिन है।

(ग) आवास राज्य का विषय होने के कारण इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के ऊपर है। भारत सरकार की गतिविधियां अधिकतर राज्य सरकारों और अन्य आवास अभिकरणों को उनकी आवास योजनाओं और ग्रामीण आवास के प्रावधान के लिए ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित है जैसे कि आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) सामान्य बीमा निगम (पी. आई. सी.) तथा जीवन बीमा निगम (एल.आई. सी.) के माध्यम से दिया जाता है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुडको के 600 करोड़ ऋण में से 90 करोड़ रुपये ग्रामीण आवास के लिए उद्दिष्ठ किये हैं। सामान्य बीमा निगम का वार्षिक ऋणों का वर्तमान स्तर जो कि अलग से ग्रामीण आवास तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए है, 18 रोड़ रुपये है जबकि जीवन बीमा निगम के 44 करोड़ रुपये के वार्षिक ऋणों में से 10 करोड़ रुपये अलग से ग्रामीण आवास के लिए है।

केरल में एस. टी. डी. सुविधाएं

2673. **श्री के. कुन्हम्बु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कितने नगरों और शहरों में एस. टी. डी. की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या केरल के सभी बड़े नगरों को एस. टी. डी. व्यवस्था से जोड़ने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) केरल के उन नगरों और कस्बों की संख्या चौदह है जहाँ एस. टी. डी. सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) यह कार्य योजनाबद्ध रूप में उन्हें ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज जालकार्य से जोड़कर किया जाएगा।

गुजरात में स्थानों को एस. टी. डी. के माध्यम से जोड़ा जाना

2674. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राजकोट, भावनगर गोन्डल, धोरसी अमरेली स्वरकेन्डाला, महुआ, अहमदाबाद आदि नगर एस. टी. डी. लाइन से परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(घ) एस टी डी लाइन से इनके परस्पर कब तक जुड़ जाने की आशा है;

(ग) अमरेली-अहमदाबाद, अमरेली-राजकोट और अमरेली-भावनगर के बीच एस. टी. डी. लाइन की कब तक व्यवस्था हो जाएगी;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस सुविधा के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(च) वर्ष 1981-82 के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था किए जाने की आशा है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) जी हां, राजकोट और अहमदाबाद को छोड़कर जो पहले ही उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

(ख) अहमदाबाद और राजकोट के मामलों को छोड़कर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग चालू करने हेतु पूर्वापेक्षित अर्थात् समुचित किस्म के स्वचल एक्सचेंज की व्यवस्था और विश्वसनीय पारेषण माध्यम अभी पूर्ण किए जाने हैं।

(ग) इन्हें चालू योजना और आगमी योजना अवधि के दौरान एक दूसरे के साथ उत्तरोत्तर जोड़े जाने की संभावना है।

(घ) अमरेली-अहमदाबाद, अमरेली-राजकोट और अमरेली भावनगर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्गों को मौजूदा योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर चालू किए जाने की योजना है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान स्विचिंग संघटक हेतु बजट प्रावधान निम्न प्रकार है—

1978-79	—	2,57,410
1979-80	—	कुछ नहीं
1980-81	—	कुछ नहीं

(च) 1981-82 में स्विचिंग संघटक हेतु 25000 रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा

2675. **श्री काजी सलीम :**

प्रो॰ मधु दण्डवते : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करने का निर्णय किया है अथवा करने का विचार है क्योंकि उसमें अनेक कमियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1978 में प्रारम्भ किए गए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदेश की सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना

2676. **श्री आनन्द सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें सहकारी या सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलें संस्थापित कर दी गई हैं या की जा रही हैं या भविष्य में संस्थापित की जाने वाली मिलों के लिए स्थल का अनुमोदन कर दिया गया है;

(ख) जो मिलें पहले ही संस्थापित की जा चुकी हैं उनकी संस्थापना पूरी होने की तारीख तथा जून, 1980 तक उनका चीनी उत्पादन क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में उन्हें प्रति वर्ष क्या लाभ या हानि रही; और

(च) इन मिलों के संस्थापना वर्ष में मिल के क्षेत्र में अनुमानित गन्ने का उत्पादन तथा उसके पश्चात उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख)

विवरण-1 संलग्न है उत्तर प्रदेश में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में स्थापित की गई चीनी फैक्ट्रियों के जिलों और उनके स्थान साथ में उनकी स्थापना के वर्ष का ब्योरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2063/81]

विवरण–2 संलग्न है जिसमें उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में उन लाइसेंस शुदा चीनी फैक्ट्रियों के प्रस्तावित जिलों और स्थान का ब्योरा दिया गया है जो कि स्थापना की प्रक्रिया में हैं सहकारी क्षेत्र में ऐसी कोई चीनी फैक्ट्री की स्थापना का कार्य इस समय लम्बित नहीं है जिसे लाइसेंस दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 2063/81]

विवरण-3 और 4 संलग्न हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में क्रमशः सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में स्थापित मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों का उनकी स्थापना के वर्ष से चीनी के उत्पादन का ब्योरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सख्या एल टी 2063/81]

(ग) और (घ) यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। उपलब्ध होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में टैट्रा-पैकों में दूध की सप्लाई

2677. **श्री सुशील भटटाचार्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में इकहरे कागज के बने सुन्दर टैट्रा-पैकों में दूध की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव इससे पूर्व दो बार अस्वीकार कर दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त प्रणाली को पुनः आरम्भ करने क्या के कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) भारतीय डेरी निगम विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अपूतिक दूध की पैकिंग तथा विपणन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले लेमिनेटेड कागज का उत्पादन करने के लिए गुजरात में बड़ोदा के समीप आईटौला में एक संयंत्र स्थापित कर रहा है।

(ख) तथा (ग) लेमिनेटेड कागज का उत्पादन करने के प्रस्ताव को जीवाणु रहित दूध की स्वीकार्यता, उसके सही हालत में रहने की अवधि और गाँवों में पैदा किये जाने वाले दूध का शहरी क्षेत्रों में सीधे विपणन करने के महत्व जैसे सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक विचार करने के बाद फिर से मंजूरी दी गई थी।

खिरोरी नदी पर सल्यूस गेट व पुल की योजना

2678. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री खिरोरी नदी पर सल्यूस गेट एवं पुल की योजना के बारे में 18 नवम्बर, 1980 के अतिारांकित प्रश्न संख्या 293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकाया, मुरैथा और काली गांव के निकट पर खिरोरी नदी पर सल्यूस गेट का निर्माण करने के लिए अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या धोम बागमती नदी पर माधोपुर और राघोली के निकट अकरबार घाट पर सल्यूस गेट बनाने का प्रस्ताव है; यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिहार के मुख्य मंत्री ने 23 जनवरी, 1980 को बसैथा में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए अघबाड़ा योजना का उद्‌घाटन किया था; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (च) जी, नहीं। राज्य सरकार से सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है और उन्हें याद दिलाया जा रहा है।

केरल को खाद्यान्नों का आवंटन

2679. **श्री के. ए. राजन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, केरल राज्य में खाद्यान्नों की राशन पद्धति को चालू रखने के लिए उसकी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन महीनों में खाद्यान्नों की मासिक आवश्यकता कितनी थी और वास्तविक रूप में कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जहां तक चावल का सम्बन्ध है केरल सरकार की मांग के अनुसार उनको चावल का पूरा आवंटन किया जा रहा है। समूची उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गेहूँ के आवंटनों का युक्तियुक्तकरण कर दिया गया है। केरल सहित सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के गेहूँ के आवंटनों की मात्रा को कम कर दिया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि के लिए केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की मांग, उनको किए गए आवंटन और उनके उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टनों में)

मास	मांग				आवंटन				सप्लाई			
	चावल	गेहूँ सा० वि०	गेहूँ मिल	जोड़	चावल	गेहूँ सा० वि०	गेहूँ मिल	जोड़	चावल	गेहूं सा० वि०	गेहूं मिल	जोड़
नवम्बर 1980	135.0	10.0	10.0	155.0	135.0	4.0	4 0	143.0	65.8	3.2	5.2	74.2
दिसम्बर 1980	135.0	10.0	10 0	155.0	135.0	4 0	4.6	143.6	72.4	3 8	4.0	80.2
जनवरी 1981	135.0	10.0	10.0	155.0	135.0	4.0	4.0	143.0	77.1	3.5	4.6	85.2

सा० वि०—सार्वजनिक वितरण

राज्यों में फसल क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र

2680. **श्री के. टी. कोसलराम :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने क्षेत्र में फसल बोई गई है और कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई, इसके नवीनतम आँकड़े क्या हैं और फसल क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है;

(ख) नलकूपों और अन्य भूमिगत जल संसाधनों से राज्यवार फसल क्षेत्र के सिंचित किये जा रहे नवीनतम आँकड़े क्या हैं; और

(ग) पूरे देश में नलकूपों की मदद से अधिक क्षेत्रफल को खेती के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) ये आँकड़े कृषि मंत्रालय के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संकलित किए जाते हैं। अद्यतन उपलब्ध सूचना, वर्ष 1977-78 के बारे में है। प्रश्न के भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में अलग-अलग जानकारी देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे गए हैं।

(ग) जो महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ ये हैं :

(1) उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में, जहाँ भावी विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक भूगत जल क्षमता है, भूगत जल के विकास में तेजी लाने पर अधिकतम बल देना।

(2) उन स्थानों पर जहाँ अधिक संख्या छोटे किसानों की हो और उन क्षेत्रों में जहां गैर सरकारी नलकूपों के लगने की संभावना न हो, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, सरकारी नलकूप लगाये जाने पर (उन क्षेत्रों में जहां संभव हो) जोर देना और सरकारी नलकूपों के बेहतर प्रबन्ध और उपयोग की ओर जिसमें इस समय सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है, अधिक ध्यान देना।

(3) सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के मामले में चिरकालिक सूखा प्रवण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, जहाँ अधिक संख्या छोटे किसानों की हो।

(4) इस कार्यक्रम के लाभ छोटे किसानों तक पहुँचाने के लिए जो वैयक्तिक रूप से वर्क्स के मालिक नहीं हो सकते, सामूहिक/सामुदायिक वर्क्स को प्रोत्साहन देना, जिनमें संयुक्त रूप से किराये पर लिए गए पम्पसेटों द्वारा व्यक्तिगत बोरिंग करना भी शामिल है,

(5) सिंचाई की मात्रा में वृद्धि करने, सिंचाई की मांग की नाजुक अवधि के दौरान सिंचाई की सप्लाई के स्तर में सुधार लाने, जल-जमाव और लवणता के खतरे को कम करने और समस्तरीय (हारीजान्टल) जल-निकास की आवश्यकता को न्यूनतम करने के उद्देश्य से भूतल और भूगत जल के संयुक्त उपयोग पर अधिकतम बल देना।

(6) बिजली और डीजल दोनों की खपत कम करना और उन क्षेत्रों में जहाँ जल-स्तर ऊंचा है, जल लिफ्ट करने के लिए वायु शक्ति तथा पशु शक्ति का उपयोग करना।

(7) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की गतिविधियों को विकासोन्मुख बनाना।

(8) भूगत जल क्षमता को, विशेषकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, तेजी से उपयोग

में लाने के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को सुदृढ़ बनाना और राष्ट्रीय भूमिगत जल विकास निगम की स्थापना क ना ।

(9) पम्प सेटों और कार्य की अन्य मदों के लिए सेवा और मरम्मत की सुविधाएं प्रदान करना जिनका किसान आसानी से लाभ उठा सकें ।

(10) पम्पसेटों की कुशलता में वृद्धि करने ताकि विद्युय और डीजल की, जिनकी कमी है, बचत की जा सके, उपयुक्त पम्पसेटों को चुनाव करने और अन्य आनुषांगिक उपस्करों का चुनाव करने का काम राज्यों में राज्य स्तर की तकनीकी समितियों द्वारा किया जा रहा है ।

विवरण 1

भारत में 1977-78 में सकल सिंचित क्षेत्र और सकल बुवाई क्षेत्र (अनन्तिम)

(हजार हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	सकल बुवाई क्षेत्र	सकल बुवाई क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4378	12536	34.9
असम	572 (ख)	3311†	17.3
बिहार	3780	11565	32.7
गुजरात	1814†	10353 (ग)	17.5
हरियाणा	2776	5435	51.1
हिमाचल प्रदेश	155	935	16.6
जम्मू और कशमीर	397	966	41.1
कर्नाटक	1699	11036	15.4
केरल	354	2924	12.1
मध्य प्रदेश	2238	21508	10.4
महाराष्ट्र	2306	19860	11.6
मणीपुर (घ)	75	213*	35.2
मेघालय	48	209	23.0
नागालैंड	54	182	29.7
उड़ीसा	1449	7931	18.3
पंजाब	7195	6390	81.3
राजस्थान	3167	16924	18.7
सिक्किम (क)	10	65	15.4
तमिलनाडु	3722	7768	47.9

1	2	3	4
त्रिपुरा	29	385	7.5
उत्तर प्रदेश	10009	23349	42.9
पश्चिम बंगाल	1541 (च)	7878	19.6
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	33	—
अरुणाचल	24	130	18.5
दादर और नगर हवेली	1	21	4.8
दिल्ली	65	100	54.0
गोआ, दमन और द्वीव	13	143	9.1
लक्षद्वीप	—	3	—
मिजोरम	9 (ङ)	105*	7.6
पांडि चेरी	41	35	77.4
अखिल भारत	45910	172311	26.6

(क) 1976-77 की कृषि सम्बन्धी गणना पर आधारित
(ख) वर्ष 1953-54 से सम्बन्धित
(ग) वर्ष 1976-77 से सम्बन्धित
(घ) तदर्थ अनुमान
(ङ) वर्ष 1974-75 से सम्बन्धित
* अनुमानित
(छ) वर्ष 1973-74 से सम्बन्धित

विवरण 2

नलकूपों और अन्य कुओं से सिंचित सकलक्षेत्र

(हजार हेक्टेयर)

राज्य	नलकूप	अन्य कुएं
आन्ध्र प्रदेश	164	837
बिहार	1206	271
हरियाणा	1185	29
कर्नाटक	(क)	430
मध्य प्रदेश	38	840
पंजाब	2940	126
राजस्थान	27	1705
दिल्ली	29	6

1	2	3
दादर और नागर हवेली	—	1
पांडेचेरी	23	(क)
जम्मू और कश्मीर	4	1
त्रिपुरा	—	—

(क) 500 हेक्टेयर से कम

टिप्पणी : अन्य राज्यों से ऐसी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

दूर संचार उपकरणों का निर्माण करने के लिए नई फैक्ट्रियों की स्थापन किया जाना.

2681. **श्री जेवियर अराकल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार उपकरणों के निर्माण करने के लिए कुछ नई फैक्ट्रियां स्थापित किए जाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनकी लागत क्या होगी और किन राज्यों में इनकी स्थापना की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का इस विभाग में तत्काल उपयोग के लिए कोई उपकरण आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी कीमत क्या होगी और किस देश से उसका आयात किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सरकार ने अस्सीवें दशक (1980-90) के दौरान इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर तैयार करने के लिए दो बड़े कारखाने स्थापित करने का निर्णय सिद्धान्त रूप में ले लिया है । प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता 5 लाख लाइनें प्रतिवर्ष होगी और इनमें से प्रत्येक की अनुमानित लागत 60 करोड़ रुपये रहेगी । इन कारखानों की स्थापना के स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । जहां तक प्रयोक्ताओं के घरों में लगने वाले टेलीफोन उपकरणों का सवाल है, डाक तार विभाग की बढ़ी हुई जरूरतों को इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर पूरा करने का प्रस्ताव है ।

(ग) देश में तैयार होने वाले दूर संचार उपस्कर और इनकी मांग के बीच बराबर बढ़ रहे अन्तर को ध्यान में रखते हुए, दूर संचार उपस्करों की कुछ मदों का आयात किया जाना, आने वाले कुछ दिनों तक, अनिवार्य लग रहा है । फिर भी टेलीफोन उपकरणों सम्बन्धी सारी जरूरतें देश में ही तैयार उपकरणों से पूरी की जाएंगी ।

(घ) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान आयात के लिए, अनुमान है कि क्रमशः 70 करोड़ तथा 80 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लगेगी । प्रत्येक मदों के आयात के लिए जारी होने वाले टेण्डरों के जवाब में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन देशों के बारे में निर्णय लिया जायेगा जहां से आयात होना है ।

वेश्यावृत्ति पर रोक

2682. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

स्वामी इन्द्रवेश : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी तथा अन्य राज्यों में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्वयंसेवी निकायों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) और (ख) स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पण्यन दमन अधिनियम को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है, इसलिए वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए समाज कल्याण मंत्रालय का राजधानी तथा अन्य राज्यों में निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो भी, इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन अल्पकालिक निवास गृह, जिनमें सामाजिक और नैतिक खतरे में पड़ी स्त्रियों और लड़कियों को अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है, चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं। इस समय इस योजना के अन्तर्गत प्रायोगिक आधार पर 6 ऐसे गृह चलाए जा रहे हैं।

महिलाओं में साक्षरता

2683. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) उनमें क्रमश: प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर स्तर की शिक्षा प्राप्त महिलाओं की प्रतिशतता कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) और (ख) रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा प्रकाशित 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत की महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता (0-4 आयु वर्ग को छोड़कर (21.97 थी। उन महिलाओं की प्रतिशतता, जिन्होंने प्राथमिक और उच्च शिक्षा तक अध्ययन किया क्रमश: 7-15, 1.46 और 0.32 थी।

आटोमेटिक स्विचिंग उपकरणों का उत्पादन

2684. **श्री के. बी. चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आटोमेटिक स्विचिंग उपकरणों का वार्षिक उत्पादन कितना होता है;

(ख) वर्तमान हस्तचालित एक्सचेंज के स्थान पर स्वचालित एक्सचेंज लगाने में क्या मानदण्ड अपनाया जाता है, और

(ग) क्या सरकार का विचार बीजापुर में स्वचालित एक्सचेंज लगाने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) स्वचालित स्विचिंग उपस्कर का वार्षिक देशी उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(1) स्थानीय एक्सचेंज उपस्कर—लगभग 1.30 लाख लाइनें

(2) ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज जंक्शन उपस्कर, यातायात सुविधा, टेलेक्स एस.टी.डी.एस एल.ओ डी. आदि } = लगभग 0.64 लाख लाइनें ।

(ख) सरकार का यह प्रयास है कि करचल एक्सचेंजों को यथा संभव शीघ्र स्वचालित बना दिया जाए । परन्तु, विभाग देश में स्वचालित एक्सचेंज उपस्कर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है । वर्तमान उत्पादन पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि यह उत्पादन वर्तमान स्वचालित एक्सचेंजों के विस्तार की भी पूर्ति नहीं कर सकता ।

देश में स्वचालित एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । आशा है कि बढ़े हुए उत्पादन से 1983 के दौरान तथा उसके बाद ही सप्लाई हो सकेगी ।

इस अस्थायी रुकावट के बावजूद, विभाग देश में स्थानीय टेलीफोन सेवा को अन्ततोगत्वा स्वचालित बनाने के उद्देश्य पर सतत रूप से प्रयत्नशील है । इस उददेश्य की दिशा में एक कदम के रूप में उपलब्ध स्वचालित एक्सचेंज उपस्कर की सीमा के भीतर ही निम्न प्रकार के मामलों में वर्तमान एक्सचेंजों के स्थान पर स्वचालित एक्सचेंज लगाने का चरणबद्ध कार्यक्रम है :—

(1) राज्यों की राजधानियों तथा जिला मुख्यालयों के सभी करचल एक्सचेंज

(2) बहुत अधिक एक्सचेंज क्षमता तथा माँग वाले करचल एक्सचेंज ।

(ग) जहाँ तक बीजापुर का सम्बन्ध है, 1983-84 के दौरान सप्लाई के लिए स्वचालित एक्सचेंज उपस्कर के आवंटन का अस्थायी प्रस्ताव है ।

यह आशा है कि अगर कोई प्रत्याशित चूक न हुई तो 1985-86 में स्वचालित एक्सचेंज संस्थापित कर दिया जाएगा ।

दिल्ली दुग्ध योजना में मितव्ययिता ।

2685. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री पी. राजगोपाल नायडू :

श्री. पी. जे. कुरियन :

श्री धर्मवीर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध योजना में व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : दिल्ली दुग्ध योजना में व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं;

(1) क्षमता का पूर्ण उपयोग करने, कार्यकुशलता में सुधार लाने, बोतलों के टूटने में कमी लाने और चिकनाई तथा एस.एन.एफ. के अभाव को दूर करने की दृष्टि से केन्द्रीय डेरी के संयन्त्रों और उपकरणों के व्यापक पुनर्नवीकरण कार्यक्रम ।

(2) निकटवर्ती राज्यों की राज्य एजेंसियों/सहकारी समितियों के माध्यम से कच्चे दूध की अधिप्राप्ति करना ताकि संचयन और प्रशीतन केन्द्रों के रख रखाव पर बिना ऊपरी खर्च किए नियमित आधार पर कच्चे दूध की निश्चित मात्रा मिलती रहे ।

(3) वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भण्डार प्रक्रिया को सरल बनाना और शाखा

अधिकारियों को अधिकार प्रदान करना ताकि भण्डार सामग्री की खरीद में विलम्ब न होने पाए।

(4) पारी के समय में संशोधन करना और अनुरक्षण पारी को रात से बदलकर दिन में करना जिससे संयन्त्रों और उपकरणों का बेहतर रख रखाव मरम्मत हो सके।

(5) मूल विनिर्माताओं या उनके प्राधिकृत वितरकों/डीलरों से असली फालतू पुर्जों की सीधी खरीद करना।

(6) रविवार और छुट्टियों में तथा सभी कार्य दिवसों की रात्रि पारी के दौरान डेरी में ड्यूटी अफसर को लगाना ताकि कार्यालय के समय के बाद किए जाने वाले काम की ठीक ढंग से देखभाल हो सके।

(7) मासिक लाभ-हानि के विवरणों के आधार पर प्रबन्ध लेखांकन तथा आसूचना की नई प्रणाली को प्रारम्भ करना।

छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों के लिए गोदाम

2686. **श्री आर. एन. राकेश :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों के लिए खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष के दौरान कितने गोदामों का निर्माण किया गया ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ। कृषि उत्पादों विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों की भण्डारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय जाल की स्थापना हेतु योजना के नाम से वर्ष 1979-80 में एक योजना तैयार तथा संस्वीकृत की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत निर्माण की लागत का एक भाग केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया जाता है।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में कुल 10,000 मीटरीटन तथा उत्तर प्रदेश में 37,000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले क्रमश: 25 गोदामों तथा 111 गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत की गई थी। इनमें से अभी तक किसी भी गोदाम का निर्माण पूरा नहीं हुआ है।

नारियल उपकर लगाया जाना तथा उसका उपयोग

2687. **श्री आर. के. महालगी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नारियल विकास बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत नारियल उपकर के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की है;

(ख) यह उपकर लगाने के विशिष्ट उद्देश्य क्या थे;

(ग) सरकार ने उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यवाही करने हेतु समुचित अधिकार प्राप्त बोर्ड कब नियुक्त किया था;

(घ) क्या उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि का उक्त उद्देश्यों के लिए उपयोग कर लिया गया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 के तहत दिसम्बर, 1980 तक खोपरा पर उपकर के रूप में 122.00 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है।

(ख) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत नारियल उद्योग के समेकित विकास के लिए उपकर लगाया गया है।

(ग) 12 जनवरी, 1981 से नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

(घ) तथा (ङ) हाल ही में गठित नारियल विकास बोर्ड को 1981-82 के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें उसके विभिन्न कार्यकलाप शामिल हों। उपकर से प्राप्त राशि से उपयुक्त अनुदान देने के प्रश्न पर बोर्ड के प्रस्तावों के प्राप्त होने के पश्चात ही विचार किया जाएगा।

राजस्थान राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से एस. टी. डी. सेवा से जोड़ा जाना

2688. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की राज्य की राजधानी को उसके जिला मुख्यालयों से एस. टी. डी. सेवा द्वारा जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के कितने जिलों को एस. टी. डी. द्वारा जयपुर से जोड़े जाने अभी शेष हैं; और

(ग) इस कार्य के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। उत्तरोत्तर योजनाबद्ध रूप में।

(ख) ये जिले इस प्रकार हैं :—अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, बून्दी, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, जालोर, जैसलमेर, झालवाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पालीमारवाड़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक, उदयपुर।

(ग) स्वचल ट्रंक एक्सचेंजों के साथ जिला मुख्यालयों को जोड़ने हेतु योजना के अन्तर्गत करचल एक्सचेंजों का स्वचलीकरण, स्वचल ट्रंक एक्सचेंजों की संस्थापना तथा विश्वसनीय केबल/रेडियो पारेषण माध्यम की व्यवस्था करना शामिल है।

मध्य प्रदेश की राजधानी को जिला मुख्यालयों से एस. टी. डी. सेवा से जोड़ा जाना

2689. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से एस. टी. डी. सेवा से जोड़ने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से जिले हैं जिन्हें अभी तक एस. टी. डी. से भोपाल के साथ जोड़ा जाना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। उत्तरोत्तर योजनाबद्ध रूप में।

(ख) ये जिले इस प्रकार हैं :—

बालघाट, बेतूल, जगदलपुर, भिंड, बिलासपुर, छतरपुर, धार, देवास, दुर्ग, दातिया, दामोह, ग्वालियर, गुने, होसंगाबाद, झाबुआ, खांडवा, खारगोण, मन्दसौर, मांडला, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रतलाम, रायगढ़, रायसेन, रीवा, राजनंदगाँव, राजगढ़, सतना, सागर, शाहडोल, सिओनी, शिवपुरी, सिधी, शाजपुर, अंबिकापुर, टीकमगढ़, विदिशा, छिन्दवाड़ा।

विझिंजम मत्स्य बन्दरगाह, केरल

2690 **श्री इ. के. इम्बीची बाबा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल की विझिंजम मत्स्य बन्दरगाह परियोजना के उस दूसरे चरण को स्वीकृति प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं, जो केन्द्रीय सरकार के पास काफी लम्बे समय से विचाराधीन पड़ी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : विझिंजम मत्स्य बन्दरगाह का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और इस बन्दरगाह से बड़े मत्स्य जलयानों का परिचालन संभव है यद्यपि आंशिक प्रशान्ति सम्बन्धी परिस्थितियों की व्यवस्था की जा चुकी है। दुर्भाग्यवश, उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। विश्व बैंक (जिनके विचारार्थ यह परियोजना दो बार सामने रखी गई थी) ने इस परियोजना के सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं दी। उनका मत था कि इस बात का औचित्य सिद्ध नहीं होता कि अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था होने से उत्पादन आदि में वृद्धि होगी।

बाद में, केरल सरकार ने 32.75 करोड़ रुपये के निवेश के सम्बन्ध में एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य को परामर्श दिया गया है कि वह विझिंजम से परीक्षण परिचालन द्वारा आर्थिक व्यवहार्यता का औचित्य सिद्ध करे। इस सुझाव के विषय में कोई अनुकूल प्रतिक्रिया न होने के कारण भारत सरकार के कुछ जलयानों के उपयोग की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

मलकागंज में गांधी स्कवेयर के पीछे सीवर लाइन

2691. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मलकागंज में गांधी स्कवेयर के पीछे की सीवर लाइन बहुधा अवरुद्ध हो जाती है और इस बारे में असंख्य शिकायतें हैं;

(ख) क्या आवासीय कालोनी, कार सर्विस स्टेशन और गांधी स्कवेयर के पीछे स्थित धोबी घाट के लिए एक ही सीवर लाइन है;

(ग) क्या सीवर लाइन के बार-बार अवरुद्ध होने के कारणों का पता लगा लिया है; और

(घ) क्या (एक) वर्तमान सीवर पाइपों को अधिक क्षमता वाले पाइपों में बदलने; अथवा (दो) कार सर्विस स्टेशन और धोबी घाट के लिये पृथक सीवर लाइन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हाँ। सर्विस स्टेशनों से आने वाले गाद के कारण रुकावट होती है।

(घ) विद्यमान मल नलों का आकार पर्याप्त है। इसको बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया है। दिल्ली नगर निगम, अधिनियम 1957 की धारा 241 के अन्तर्गत सर्विस स्टेशन को नोटिस जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण गोदाम

2692. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लिए कुल कितने ग्रामीण गोदाम स्वीकृत किये गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले में अभी तक किसी भी गोदाम का निर्माण नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इनके कब शुरू होने की संभावना है और ये किन स्थानों पर बनाए जाएंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) फरवरी 1981 के अन्त तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/विश्व बैंक गोदाम परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को 107 ग्रामीण गोदाम मंजूर किए गये थे। वर्षवार मंजूर किए गए गोदामों की संख्या तथा उनके स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं (अनुबन्ध-1)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2064/81[

(ख) और (ग) जी, नहीं। ग्यारह ग्रामीण गोदाम पहले ही पूरे हो चुके हैं और नौ गोदामों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। इन गोदामों के स्थान और निर्माण सम्बन्धी चरण के बारे में एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-2)। शेष गोदामों का निर्माण कार्य उनके स्थलों के चयन और टेण्डर आदि स्वीकार होने पर ही शुरू होगा।

लद्दाख में डाकघर तार घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज

2693. **श्री पी. नामग्याल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में विद्यमान डाकघरों, तार घरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) नए डाकघर, तार घर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने के लिए डाक तार विभाग के वर्तमान मानक और मानदंड क्या है;

(ग) क्या लद्दाख की जनसंख्या जो 97,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के दुर्गम क्षेत्र में फैली हुई है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लद्दाख में विद्यमान डाकघरों, तार घरों और टेलीफोन एक्चेंजों की संख्या पर्याप्त है;

(घ) लद्दाख के विस्तृत और दुर्गम क्षेत्र और छितरी हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार और अधिक डाक घर, तारघर और टेलीफोन एक्चेंज खोलने के लिए नियमों और मानकों में छूट देने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) लद्दाख क्षेत्र में फिलहाल 68 डाकघर, 5 तारघर 3 टेलीफोन एक्चेंज हैं।

(ख) मानदण्ड विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ऐसा बतलाया गया है कि लद्दाख क्षेत्र में डाकघरों की संख्या पर्याप्त है। तथापि, तारघरों की संख्या पर्याप्त नहीं है। जैसा कि मानदण्डों में निर्दिष्ट है। पंजीकृत माँग के आधार पर टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाते हैं।

(घ) और (ङ) विशेष क्षेत्रों में डाकघर तथा तार घर एवं टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की नीति को विभाग ने पहले ही उदार बना दिया है। लद्दाख क्षेत्र भी इन्हीं उदारीकृत मानदण्डों के अन्तर्गत आता है।

विवरण-1

ग्रामीण इलाकों में डाक घर खोलने हेतु निर्धारित मानदंडों का सारांश

ग्रामीण इलाकों में डाक घर खोलने हेतु मानदंड निम्न हैं :—

संक्षिप्त रूप से, ग्रामीण इलाकों के गाँवों में डाक घर निम्न शर्तों पर खोले जा सकते हैं :

(1) ग्राम या तो ग्राम पंचायत मुख्यालय हो अथवा वहाँ की आबादी कम से कम 2000 अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(2) वर्तमान डाक घर से उस ग्राम की दूरी कम से कम 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(3) प्रस्तावित डाक घर से अनुमानित आय उसके अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत होने का अनुमान हो।

पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों के मामले में डाकघर निम्न शर्तों पर खोले जा सकते हैं :—

(1) ग्राम या तो ग्राम पंचायत मुख्यालय हो अथवा वहाँ की आबादी कम से कम 1000 होनी चाहिए (इस उद्देश्य से 1.5 की०मी० अरीय दूरी के भीतर के ग्राम समूह को भी हिसाब में लिया जा सकता है।

(2) वर्तमान डाक घर से उस ग्राम की दूरी कम से कम 3 कि०मी० होनी चाहिए।

(3) प्रस्तावित डाक घर से अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत होने का अनुमान हो।

पोस्टमास्टर जनरलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे डाक घर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में निर्धारित मानदंडों में ढील दे सकते हैं।

सामान्यतया ग्रामीण इलाकों में खोले गए नये डाक घर विभागेतर शाखा डाक घर स्तर के होते हैं। विभागेतर शाखा डाक घरों को विभागेतर एजेंट व्यवस्था करते हैं।

विवरण-2

हानि पर संयुक्त डाक तार घर खोलने की नीति :

तारघर सामान्यतया जब खोले जाते हैं जब प्रस्ताव लाभकर हों परन्तु अविकासित क्षेत्रों में इस सुविधा के विस्तार हेतु घाटा उठाकर भी विभाग द्वारा कुछ स्थानों की श्रेणियों के स्थानों पर यह नीति अपनाई जा रही है।

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मंडलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या आधि तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हों।

संयुक्त डाक तार घर खोलने हेतु शर्तें :

घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के वगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हों।

संयुक्त डाक तार घर की व्यवस्था के लिए शर्तें।

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(8) ग्राम रास्ते से दूर के स्थान

संयुक्त डाक तार घर की व्यवस्था के लिए शर्त।

(क) मोजूदा तारघर से 20 कि. मी. से बाहर (अरीय दूरी) होना चाहिए।

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

(9) पर्यटन तीर्थ केन्द्र, कृषि सिंचाई/परियोजना स्थल/नगर

संयुक्त डाक तार घर की व्यवस्था के लिए शर्त

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु. वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।

संयुक्त डाक तार घर की व्यवस्था के लिए शर्त

10. सभी अन्य स्थान

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि री दशा में किराये और गारंटी के आधार पर

नोट :— जनसंख्या संबन्धी आँकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 कि. मी. अर्द्ध व्यास के वृत में आए हुए सभी स्थानों की सम्मिलित जनसंख्या यदि 2500 या उससे अधिक हो तो केन्द्रीय स्थान पर बिना हानि और अल्पतय राजस्व की शर्तों के सार्वजनिक टेलीफोन खोला जा सकता है। इस छूट के अन्तर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 कि. मी. से कम दूरी पर नहीं खोले जा सकते हैं।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी।

(1) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय

(2) जिन स्थानों पर लेम्पस (बड़े आकार की बहूदेशयीय सहकारी समितियाँ) स्थापित है और

(3) ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

नोट:-2 यदि प्रस्तावित तारघर के 8 कि. मी. के भीतर कोई अन्य तार घर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तार घर नहीं खोला जाना चाहिए।

विवरण-3

टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

विभाग के सामान्य नियमों के अन्तर्गत टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए प्रायोजनाओं की मंजूरी प्रायोजना का वित्तीय मूल्यांकन करने तथा यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जा सकती है कि वार्षिक आवर्ती व्यय प्रत्याशित वार्षिक राजस्व से अधिक नहीं होगा। फिर भी ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए 100 लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्चेंज खोलना उनका विस्तार करने के लिए निम्न उदार की वृत नीति अपनाई है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाइनों तक की क्षमता वाले छोटे टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा उनका विस्तार करने के लिए प्रत्येक पृथक योजना के लाभकारी होने पर जोर नहीं दिया जाएगा। इसके बजाए ऐसे टेलीफोन एक्चेंज खोलने तथा उनका विस्तार करने के लिए निजी तथा सार्वजनिक (सरकारी टेलीफोन से भिन्न) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए माँग को आधार माना जायगा।

(2) 25 लाइनों का एक नया एक्सचेंज तभी लगाया जा सकता है जबकि किसी ग्राम में अथवा केन्द्रीय ग्राम में से 5 किलोमीटर की अरीय दूरी के अन्दर पड़ने वाले ग्राम समूह में ऐसे 10 कनेक्शनों के लिए माँग हो तथा साथ ही प्रत्याशित राजस्व प्रत्याशित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 49 प्रतिशत हो।

(3) 25 लाइनों वाले एक्सचेंज के बदले 50 लाइनों वाला एक्सचेंज तक लगाया जाएगा जब मांग 23 तक पहुंच जाती है तथा 50 लाइनों के एक्सचेंज का 100 लाइनों तक विस्तार तब किया जाएगा जब माँग 46 तक पहुँच जाती है तथा साथ ही प्रत्याशित राजस्व प्रत्याशित वार्षिक आवर्ती व्यय का क्रमश: 50 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत हो।

2. उपयुक्त उदारीकृत नीति केवल छोटे स्वचल एक्सचेंज खोलने। विस्तार करने के लिए ही लागू होती है। छोटे करचल एक्सचेंज खोलने में कम से कम 5 आपरेटर नियुक्त करने पड़ते हैं इसलिए छोटे करचल एक्सचेंज खोलने में कहीं अधिक घाटा होता है। अतएव 100 लाइनों से कम का करचल एक्चेंज खोलने के बारे में सामान्यतया विचार नहीं किया जाता है।

3. दूरसंचार मंडलाध्यक्ष उन स्थानों पर 25 लाइनों वाले छोटे स्वचालित केन्द्र खोलने

की योजनाओं की मंजूरी देते हैं जहां कम से कम दस संभावी ग्राहक 100 रुपये की अग्रिम राशि के साथ अपनी मांगों को पंजीकृत करते हैं। इस प्रयोजनार्थ उन्हें क्षेत्र के उप-प्रभागीय अधिकारी, तार/टेलीफोन से सम्पर्क करना होता है।

ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त भवन किराये पर लेने पड़ते हैं और केन्द्र के लिए उपकरण, विद्युत संयन्त्र, बैटरी, केबल लाइन सामग्री आदि प्राप्त करने पड़ते हैं। अतः स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् किसी केन्द्र को चालू करने के लिए सामान्यतया लगभग 24 महीने लग जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

2694. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बच्चों के कल्याण के लिए चालू की गई विशेष परियोजनाओं में अब तक कोई प्रगति हुई है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र ने इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना खर्च किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार नए कार्यक्रम चलाए तथा चालू बाल कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार किया :—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी चालू बाल कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत किया। टेटनस, चेचक, डिपथीरिया से बचाव के लिए टीकाकारण, विटामिन "ए" की कमी से हुए अन्धेपन को रोकने के लिए रोगप्रतिरोधन तथा माताओं और बच्चों को पोषाहार रक्तक्षीणता को रोकने के लिए रोगप्रतिरोधन को पिछले वर्षों की अपेक्षा विस्तृत किया गया। इस विस्तार को बनाए रखा गया है।

(2) निर्माण और आवास मंत्रालय ने तेज किए गए ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत 'समस्या वाले गांवों" को सुरक्षित पेय जल प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की। अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय और स्वच्छता दशक (1981-90) में इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है।

(3) समाज कल्याण मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में 50 और परियोजनाएं मंजूर करके समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का विस्तार किया।

तब से 1980-81 में 50 और परियोजनाएं मंजूर करके इस कार्यक्रम का और विस्तार किया गया है, जिससे परियोजनाओं की कुल संख्या 200 हो गई है। 1981-82 में 100 और परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय किया गया है। 1980-81 के दौरान इस कार्यक्रम पर 544 लाख रुपए का खर्च होने का अनुमान है।

बच्चों के कल्याण के विशेष संदर्भ में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अन्य कार्यक्रम थे : बेरीटेबल एन्डोमेन्ट एक्ट, 1890 के अन्तर्गत 2 मार्च 1979 को राष्ट्रीय बाल कोष का निर्माण तथा बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया जाना। ये पुरस्कार हैं : बाल कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए एक व्यक्ति को 20,000 रुपए नकद और एक प्रशस्तिपत्र तथा एक संस्था को एक लाख रुपए और एक प्रशस्तिपत्र। बालक से बालक तक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा छोटे बच्चों की देखभाल करना है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान सूखाग्रस्त इलाकों में "पोषाहार के लिए खाद्य" कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इसे मार्च 1981 तक 5 राज्यों में जारी रखा जाएगा।

(4) खाद्य विभाग ने इस कार्यक्रम को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान जारी रखा। उस विभाग के पोषाहार कार्यक्रम के वास्ते 1980-81 के लिए 392 लाख रुपए का परिव्यय था।

(5) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रात्रय समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाएं चला रहा है, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इसके अतिरिक्त 21 राज्यों में 1979-80 के दौरान शुरू की गई 23 सघन विकास परियोजनाएं हैं। इस परियोजना का उद्देश्य स्वस्थ पर्यावरण और आय देने वाली गतिविधियों की व्यवस्था करके बच्चों और माताओं का पूर्ण विकास करना है। इस परियोजना के लिए प्रति खण्ड 1 लाख डालर की यूनिसेफ सहायता उपलब्ध है तथा अब तक लगभग 50 प्रतिशत यूनिसेफ सहायता विमुक्त की जा चुकी है।

2. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी अपने चालू बाल कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना और राज्य कार्य योजनाओं के आधार पर नए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

3. समाज कल्याण मंत्रालय के अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए कार्यक्रमों के अनुमानित खर्च बता दिए गए हैं।

मत्स्य उद्योग के बारे में राष्ट्रीय नीति

2695. **श्री जय नारायण रोट** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मत्स्य उद्योग के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है। और क्या इसे कार्यान्वित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) मात्स्यकी उद्योग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति का उल्लेख छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रग्रहण मात्स्यकी एवं मछली पालन, गहरे समुद्र में मत्स्यन, डिम्पोना उत्पादन का विकास करके तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं और विपणन व्यवस्था जुटा करके समुद्री एवं अन्तर्देशीय जल दोनों से मछली के उत्पादन में वृद्धि करना है। गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग के सम्बन्ध में सरकार की नीति यथासंभव कम समय में गहरे समुद्र

में मछली पकड़ने में अधिक से अधिक जलयान कार्य में लगा करके भारतीय उद्यमों को प्रोत्साहन देने का है, ताकि एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के 200 मील में उपलब्ध मात्स्यकी स्रोतों का भरपूर उपयोग किया जा सके। उपरोक्त उद्देश्य नीति को पूरा करने के लिए योजना के अन्तर्गत अनेक स्कीमें है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए प्रकाशन

2696. **प्रो. रूप चन्द पाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने शोध प्रकाशन तैयार किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कांग्रेस आफ इन्टरनेशनल एसोसिएशन फार हाइड्रालिक रिसर्च

2697. **श्री के. राममूर्ति** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 1 फरवरी, 1981 को हुए इन्टरनेशनल एसोसिएशन फार हाइड्रालिक रिसर्च के 19वें सम्मेलन में क्या मुख्य सुझाव दिये गये थे; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) इन्टरनेशनल एसोसियेशन फार हाइड्रालिक रिसर्च की 19वीं कांग्रेस नई दिल्ली में 1 से 7 फरवरी 1981 तक हुई थी। कांग्रेस ने निम्न शीर्ष (लो हेड) जल-विद्युत के मितव्ययतापूर्ण विकास के लिए लगातार अनुसंधान करने, इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए, जल विद्युत परियोजनाओं के सर्भा चरणों में जल-वैज्ञानिकों, और सिंचाई और विद्युत इन्जीनियरों के बीच पर्याप्त समन्वय होने जल ससाधनों के आंकड़े एकत्र करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकों का प्रयोग करने, तूफानों और वायु वेगों आदि के बारे में आँकड़े एकत्र करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया था। कांग्रेस ने नदियों के तलों के स्वरूप के बारे में फील्ड आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता पर भी बल दिया क्योंकि सरिताओं में गाद के आने पर प्रभाव डालने वाले घर्षण-कारकों (फ्रिक्शन फेक्टर) के लिए नदी तल के स्वरूप का बड़ा महत्व है। कांग्रेस की कार्यवाही को जिसमें विचार-विमर्श के आधार पर दी गई सिफारिशें/सुझाव भी शामिल होते हैं, इन्टरनेशनल एसोसियेशन फार हाइड्रालिक रिसर्च द्वारा व्यापक प्रचार के लिए प्रकाशित किया जाता है।

दक्षिण में केन्द्रीय सरकार के भवन

2698. **श्री ईरा मोहन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, कोयम्बटूर, त्रिची और मदुराई में केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालय स्थित हैं;

(ख) इनमें से कितने कार्यालय केन्द्रीय सरकार के अपने भवनों में हैं;

(ग) इनमें से कितने कार्यालय किराये के भवनों में स्थित हैं;

(घ) मद्रास, कोयम्बटूर, त्रिची और मदुराई में अलग-अलग केन्द्रीय सरकार ने ऐसे कार्यालयों के लिए कितनी-कितनी राशि किराये के रूप में दी है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए किराये पर लिए गये भवनों के लिए दिये जाने वाले किराये की अत्यधिक राशि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार अपने निजी भवन बनाने का है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : रेल विभाग डाक तार विभाग तथा रक्षा विभाग को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बारे में भाग (क) से लेकर भाग (घ) तक की सूचना निम्न प्रकार है :—

	मद्रास	कोयम्बटूर	त्रिची	मदुरै
(क)	105	23	12	32
(ख)	56	4	1	6
(ग)	49	19	11	26
(घ)	412300 रु. प्रतिमाह	56000 रु. प्रतिमाह	5412 रु. प्रतिमाह	29053 रुपये प्रतिमाह

(ङ) निधियों की कमियों के कारण सरकार का इस समय कोई प्रतताव नहीं है।

अगरतला प्रधान डाक के भवन का निर्माण

2699. **श्री अजय विश्वास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला प्रधान डाकखाने के लिए नए भवन के निर्माण और उसके विद्यमान भवन की ऊंचाई में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) जी हां।

(ख) अगरतला मूख्य डाकघर पुराने भवन के साथ-साथ एक नव निर्मित भवन में स्थित है। पुराने भाग को गिरा कर उसके स्थान पर 14 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक बहुमजलीय इमारत बनाने का प्रस्ताव है, जिसका प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत से नव-निर्मित भवन का उध्वधिर विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। इस उद्देश्य हेतु आवश्यक मंजूरी दी जा चुकी है और निविदायें मांगी जा चुकी है। निविदाये को 11 मार्च 1981 को खोले जाने की संभावना हैं।

रायल इण्डिया नेवी विद्रोह अभिलेख

2700. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में रायल इण्डिया नेवी द्वारा फरवरी, 1946 में किये गये विद्रोह से सम्बन्धित अभिलेख, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे हुये हैं, शोध छात्रों को अध्ययन के लिये अभी तक देखने नहीं दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी अथवा ऐतिहासिक दस्तावेजों को शोधकर्ताओं के लिये प्रदर्शित करने की 30 वर्ष की अन्तर्राष्ट्रीय समयावधि समाप्त हो जाने के बाद भी इन ऐतिहासिक अभिलेखों को वास्तविक शोधकर्ताओं से दूर रखने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। अब यह निर्णय किया गया है कि फरवरी 1946 के रायल इण्डियन नेवी विद्रोह से संबंधित अभिलेख, जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानान्तरित किया गया था, शोध छात्रों के परामर्श के लिये उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अनुदान

2701. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अब तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अनुदान अपर्याप्त था और इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वांछित विकास नहीं हो सका;

(ग) क्या जिस प्रयोजन के लिये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था उसे अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 1970-71 से अब तक दिए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण सलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2065/81]

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को उसके विकास के लिए निधियों का आवंटन विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों के कार्यक्रमों का विशेषज्ञ निरीक्षण समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन और योजना अवधि के दौरान इसके लिए उपलब्ध कुल वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रख कर आयोग द्वारा प्रस्तावित आवटन के अन्दर और अधिक विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। फिर भी विश्वविद्यालय अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध करता रहा है।

(ग) वे उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है अधिनियम की धारा 4 में दिए गए हैं, जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के साथ पठनीय है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल ही पूरे नहीं हुए।

पांचवीं योजना निरीक्षण समिति ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, यह टिप्पणी की थी कि विश्वविद्यालय ने अपने कार्य कलापों ने कुछ क्षेत्रों में सराहनीय सफलता प्राप्त की है और इसके विभिन्न स्कूलों तथा केन्द्रों में ऐसे अनेक उत्कृष्ट प्रोफेसर तथा सह-प्रोफेसर हैं जो अनुसन्धान अध्ययन और शिक्षण कार्यक्रमों

को चला रहे हैं। हालांकि, किसी संध्या के लक्ष्योंको बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए गुंजाइश तो सदा ही रहती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजूरी का भुगतान न किया जाना

2702. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत काम पर लगाये गये लोगों को खाद्यान्नों में उनकी मजूरी का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए दिया जाने वाला खाद्यान्न कृषि मंत्रालय द्वारा रोक लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) खाद्यान्नों का बंटन किया जा चुका है और उनका वितरण राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को पहले से उपलब्ध किए गये खाद्यान्नों के उपयोग में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए शीघ्र किया जाएगा।

विथो बाँध और पंचनपुर बांध का निर्माण

2703. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाल्गु नदी पर विथो बाँध और मोरहर नदी पर पंचनपुर बांध के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, इस निर्माण कार्य की क्या प्रगति है; और

(ग) यह परियोजना कब पूरी होगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि फल्गू नदी पर वीथो बांध और मोरहर नदी पर पंचमपुर बाँध का निर्माण करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते।

गंगा नदी में प्रदूषण

2704. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधानों से पता चला है कि गंगा नदी विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सचाई का पता लगाने के लिए व्यापक अनुसन्धान करने हेतु, कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) अनुसन्धानों का ब्यौरा क्या है और अधिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) गंगा नदी में प्रदूषण स्तर का पता लगाने के लिए जल प्रदूषण निवारण एव नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने सम्बन्धित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के राज्य बोर्ड के सहयोग से "गंगा नदी तट का विस्तृत प्रदूषण सर्वेक्षण" आरम्भ किया है। इस सर्वेक्षण कार्य को अभी पूर्ण किया जाना है।

पर्यावरण विभाग ने भी गंगा नदी के इस प्रदूषण से सम्बन्धि निम्नलिखित तीन परियोजनाओं को विधियाँ दी है :

1, कृषि कीट नाशक के भूमि, जल में अवशिष्ट तथा इलाहाबाद से पटना तक गंगा नदी के पानी में समजीवता।

2. मानवीय गतिविधियों का गंगानदी पर प्रभाव तथा सर्वेक्षण।

3. गंगा नदी में, जल गुणवता के जैविक सूचकों का निर्धारण करने के लिए अनुसंधान।

जल(प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 उन विभिन्न राज्यों में लागू है जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। सम्बन्धित राज्य बोर्ड कानून के उपबन्धी का कार्यान्वियन कर रहे है। इस पट्टी पर नये या वर्तमान सभी उद्योगों को अपने बहिस्रावों को गंगा नदी में निपटान से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड की सहमति लेनी अपेक्षित है।

राजस्थान के गांवों में पेयजल

2705. **श्री अशोक गहलोत** : क्या निर्माण और आवस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान के सभी गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो जिन गाँवों को पेयजल की सप्लाई की जाएगी उनके तथा जिन समयबद्ध कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन गाँवो को शामिल किया जायेगा उनके नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रयास यह होगा कि देश के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाए अर्थात वे गांव जहाँ पेयजल का स्रोत उपयुक्त दूरी जैसे 1.6 कि. मी. के भीतर नहीं है या वे गाँव जहां जल का स्रोत जल जन्य भारी से ग्रस्त हैं या वे गांव जहाँ उपलब्ध जल में लवण, लोह, फ्लोराइड या अन्य जहरीले पदार्थों की अधिकता है। इस प्रयोजन के लिए प्लान में 200.11 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय से, इस उद्देश्य को प्राप्त करना सम्भव होगा सिवाय कतिपय कठिनाई वाले पर्वतीय तथा मैदानी इलाकों के, जहां व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण कार्यक्रम को अधिक समय लगे। क्योंकि पेयजल राज्य का विषय है, अतः कार्यक्रम और योजना के अन्तर्गत लाये जाने वाले गाँवों का चयन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाना है।

दक्षिण गोआ में मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह

2706. **श्री एडुआर्डो फलीरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साऊथ गोआ में बहुत बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ने का धंधा करते हैं;

(ख) यदि हाँ, क्या सरकार उस क्षेत्र में मत्स्य पत्तन के लिए एक बन्दरगाह बनाने पर विचार करेगी; और

(ग) उस क्षेत्र में मछली पालन के विकास के लिए सरकार अन्य क्या सुविधाएं प्रदान करना चाहती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) मछली पकड़ने बन्दरगाहों की 'मास्टर' योजना में गोआ में मछली पकड़ने की बन्दरगाह की व्यवस्था मौजूद है। इससे पहले, मत्स्य बन्दरगाहों की निवेश-पूर्व सर्वेक्षण परियोजना ने कैरनजैल्यू में मत्स्य बन्दरगाह के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। परन्तु जब निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने से पहले गोआ सरकार से परामर्श किया गया तो उन्होंने भारत सरकार को सूचित किया कि जनता की भावनाओं को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक संवीक्षा समिति गठित की है।

(ग) अन्य प्रस्ताव में शीतागार भण्डार, बर्फ फैक्टरी, मछली संसाधन प्रांगण व कार्यशाला आदि की व्यवस्था शामिल है।

मछली पकड़ने के जलपोतों (ट्रालर्स) के लिए हाईस्पीड डीजल पर उत्पाद शुल्क में छूट देने में भेदभाव

2707 **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने महाराष्ट्र के मछुआरों के उस अभ्यावेदन पर क्या निर्णय लिया है जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें मछली पकड़ने के जलपोतों, जिनमें 150 अश्वशक्ति से कम के नौजहाजी इन्जन लगे हैं, के लिए आवश्यक हाई स्पीड डीजल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट दी जाए और उनके तथा मछुआरों के बीच पक्षपात समाप्त किया जाए जिनके पास 150 अश्व शक्ति से अधिक के नौजहाजी इन्जन वाले मछली पकड़ने के जलपोत हैं तथा जिन्हें इस प्रकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी में छूट दी गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : इस बारे में प्राप्त हुए अभ्यावेदन पर सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

दूर संचार उपकरणों का गैर सरकारी क्षेत्र में निर्माण

2708. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में दूर संचार उपकरणों के निर्माण को स्वीकृति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या भारतीय टेलीफोन इन्डस्ट्री के यूनिटों अथवा टेलीग्राफ/टेलीफोन वर्कशापों का

विस्तार करके अथवा उनके वर्तमान मूलभूत ढांचे का उपयोग करके इन उपकरणों का निर्माण कर पाना सम्भव नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई प्रयास किये गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ने निर्णय लिया है कि संचार उपस्करों का शत प्रतिशत उत्पादन केवल सरकारी क्षेत्र को कम्पनियों द्वारा ही किया जाए।

(ग) से (ङ) दूरसंचार उपस्करों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज/दूरसंचार के वर्तमान कारखानों का विस्तार करने तथा इस तरह के उपस्करों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उत्पादन लाइसेंस देने के लिए अनेक व्यवस्था की है। इनमें से महत्वपूर्ण हैं :—

(क) देश में ही विकसित क्रासबार स्विचिंग उपस्कर (आई. सी. पी.) की 2 लाख लाइनें हर वर्ष तैयार करने के लिए रायबरेली में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का एक कारखाना स्थापित करना;

(दो) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के पालघाट कारखाने में छोटे इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की मौजूदा उत्पादन क्षमता में इलैक्ट्रोनिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज तथा ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज का उत्पादन भी शामिल कर, उत्पादन को 10,000 लाइनें प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.5 लाख लाइनें प्रति वर्ष तक ले जाना।

(तीन) ई. सी. आई. एल., हैदराबाद में लम्बी दूरी के पारेषण उपस्करों को कुछ मदों जैसे अति उच्च आवृत्ति, परा उच्च आवृत्ति उपस्कर, एन्टीना आदि बनाने की क्षमता स्थापित करना, और

(चार) उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति, परा उच्च आवृत्ति उपस्कर, टेलीफोन उपकरण आदि बनाने के लिये शतप्रतिशत राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की नौ कम्पनियों को उत्पादन लायसेंस देना।

उत्तर प्रदेश में बदायूं स्थित टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

2709. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बदायूं स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के, 1-4-1977 से आज तक, जब एक्सचेंज 'क्रासबार' से नई पद्धति में बदला गया था, दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त एक्सचेंज के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि एक्सचेंज अब भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा;

(घ) क्या सरकार ने ऐक्सचेंज के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में जाँच की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्न उपाय किये जा रहे हैं।

(1) खराबियों का पता लगाने तथा दोषों पर तुरन्त ध्यान देने के लिए अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक्सचेंज उपस्कर की जाँच करना।

(2) नया विद्युत संयंत्र चालू हो गया है। बैटरियों को बदलने के लिए भी कार्यवाई की जा रही है।

(3) टेलीफोन एक्सचेंज के स्विचकक्ष के कक्ष वातानुकूलकों की मरम्मत कर दी गई है।

(4) अनुरक्षण स्टाफ के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखी जा रही है।

(5) प्रणाली की कमियों की जाँच करने तथा दोषयुक्त उपस्कर की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करने लिए एक तकनीकी दल बदायूं के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) जी नहीं। एक्सचेंज सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(घ) इसका उत्तर भाग (ख) में शामिल है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दिए गए उपायों के परिणाम स्वरूप शिकायत और दोष दर में गिरावट आई है।

खण्डसारी के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

2710. श्री रघु नन्दन लाल भाटिया : कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खण्डसारी में चीनी तत्व कम होने के कारण सरकार का विचार कम से कम चीनी पेराई की चालू अवधि के दौरान चीनी के अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए खंडसारी पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा लेवी लगाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चीनी फैक्ट्रियों की बजाय अन्यत्र अनुचित ढंग से गन्ने को भेजने से रोकने और चालू मौसम के दौरान चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 31-12-1980 तक खंडसारी के उत्पादन पर रोक लगा दी थी और खडसारी उत्पादन राज्यों की सरकारों से कहा था कि वे उत्पादित खंडसारी पर लेवी लगाने की व्यवहार्यता पर विचार करें। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की सहमति से प्रथम सल्फीटेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित खंडसारी पर 50 प्रतिशत लेवी पहले ही लगा दी है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने अपेक्षाकृत कम लेवी लगाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं और ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

आई. आई. टी कानपुर के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की माँग

2711. श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आई. आई. टी. कानपुर में हड़ताली गैर-शिक्षक कर्मचारियों का माँग पत्र मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य माँगें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) आई. आई. टी. कानपुर के गैर-शिक्षक स्टाफ द्वारा संस्थान के प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया माँग पत्र सरकार को प्राप्त हो चुका है।

(ख) प्रमुख माँगें इस प्रकार हैं :—

आपात काल के दौरान प्रारम्भ किए गए अत्याचार के मामलों को वापिस लेना, तदर्थ सेवा के कर्मचारियों का नियमन, मूल्यांकन की सही नीति का कार्यान्वयन, पदोन्नति सम्बन्धी अवसरों की योजना का कार्यान्वयन, सेवा निवृति के लाभों की शीघ्र अदायगी, जिन कर्मचारियों ने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो उन्हें स्थायी करना आदि। इन माँगों की जाँच करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है और अब हड़ताल को वापिस लिया गया है।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बालापुर में मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंज

2712. **श्री उत्तम राठौर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में आग्रा बालापुर और भोकर तथा गाँडवी के लोग एस. ए. एस. के स्थान पर एक मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंज की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) भोकर में स्वचल एक्सचेंज के स्थान पर करचल एक्सचेंज की मांग है।

(ख) भोकर में करचल एक्सचेंज की स्थापना की परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। कार्य चल रहा है और 31-3-1981 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

भीलवाड़ा की आर्सी तहसील में सार्वजनिक टेलीफोन

2713. **श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या सचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की आर्सी तहसील में अचली, जगपुरा, ब्राइमनों की श्रेणी और निबाहेडा के लोग वहाँ पर सार्वजिन टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए माँग कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक गाँव की जनसंख्या 3000 से अधिक है और वहां पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की आवश्यकता है क्योंकि ये व्यापारिक केन्द्र है; और

(ग) सरकार इन गाँवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कब तक खोलेगी।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। यद्यपि वहां एटाली नाम का एक स्थान मौजूद है फिर भी उक्त क्षेत्र में एचली नाम के स्थान का पता लगाना संभव नहीं हो सका है। ऐसा समझा जाता है कि संदर्भित स्थान एटाली ही है।

(ख) जी नहीं। इन स्थानों पर जहाँ तक लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों का संबंध है, तो और ये प्रस्ताव विभाग के मौजूदा उदारीकृत मानदडों के अन्तर्गत नहीं आते।

(ग) यदि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति करने को तैयार हो तो लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों को किराए और गारंटी के आधार पर खोला जा

सकता है। और इस प्रकार इस हालत में इन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की कोई समय सीमा नहीं बतलाई जा सकती।

आलू की नई किस्म

2714. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने हिमाचल प्रदेश के लिए आलू की नई किस्म विकसित की है और उसका प्रचार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान द्वारा इस बीज की कितने हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई की सिफारिश की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामी नाथन) : (क) केन्द्रीय आलू अनुसधान संस्थान, शिमला ने 'कुफरी बादशाह' नाम की एक नई किस्म विकसित की है जो मौलिक रूप से मैदानों के लिए जारी की गई है परन्तु हिमाचल प्रदेश में भी इसने पर्याप्त रूप से सफलता पाई है।

(ख) 'कुफरी बादशाह' में मैदानों में 200 क्विंटल प्रति हैक्टयर और पहाड़ियों में 150 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज की संभावना है। इसके कन्द मध्य आकार के तथा अण्डाकार और सफेद रंग के होते हैं। यह पिछेती मुर्झान रोग रोधी और पाले को सह सकती है। पहाड़ियों में इस किस्म की खेती रोग मुक्त बीज की आपूर्ति को सुनिश्चित करती है।

(ग) इस संस्थान ने इस किस्म के अन्तर्गत पहाड़ियों में या मैदानों में बोने के लिए किसी क्षेत्रफल की सिफारिश नहीं की है।

1980 में पश्चिम बंगाल को सप्लाई किया गया गेहूँ

2715. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय पूल से कितना गेहूँ दिया गया; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार की मांग क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल ने 1980 के दौरान गेहूँ की निम्नलिखित मात्राओं की मांग की थी और उनको केन्द्रीय पूल से निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई की गई थीं :—

(हजार मीटरी टन)

मांग	सप्लाई
3397	1127.5

सहकारी सामूहिक आवास संस्थाओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आबंटन

2716. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** सहकारी सामूहिक आवास संस्थाओं को डी. डी. ए. द्वारा भूमि के आबंटन के बारे में 15 दिसम्बर, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण सहकारी सामूहिक आवास संस्थाओं को भूमि के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने में कितना समय लेगा ।

(ख) क्या उक्त भूखण्ड की स्थिति और मूल्यों के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या रोहिणी योजना में इन संस्थाओं को भूमि के आबंटन हेतु कोई क्षेत्र निश्चित कर लिये गये हैं, यदि हाँ, तो उनकी सही-सही स्थिति क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि शीघ्र ही एक प्रेस नोट जारी किया जायेगा।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हाँ । किन्तु चूंकि यह योजना निर्माण की अवस्था में है इसलिए इस स्थिति में सही-सही स्थान नहीं बतलाया जा सकता ।

हवा और जल कटाव के कारण क्षति

2717. **श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :**

श्री के लकप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 15 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर हवा और जल कटाव के परिणाम स्वरूप कृषि, पशु और वन उत्पादन के सन्दर्भ में देश को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ । लगभग 1500 लाख हैक्टार क्षेत्र हवा तथा जल कटाव से प्रभावित है जिससे कृषि तथा गैर-कृषि भूमि की उत्पादकता प्रभावित होती हैं । अतः कृषि, पशु तथा वन उत्पादन में हर वर्ष भारी क्षति हो रही है ।

(ख) अपरदन तथा उससे उत्पादन में होने वाली कमी को कम करने के लिए मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ताकि विभिन्न प्रकार से उपयोग किए जा रहे और भू-क्षरण की चपेट में आए भू-क्षेत्रों का केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत उपचार किया जा सके। इसमें ये कार्यक्रम शामिल हैं – बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों का सुधार, हिमालय क्षेत्र की पुनर्व्यवस्था' झूम खेती वाले क्षेत्रों का सुधार व विकास लवणता और अम्लता से प्रभावित तथा ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों व सूखाग्रस्त एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों का सुधार । इन कार्यक्रमों को छठी योजनावधि के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल उपयोग की प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार से संबंधित एक कार्यक्रम भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय

2718. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कोई अलग कृषि विश्वविद्यालय नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि उदयपुर विश्वविद्यालय जो कि एक बहुउद्देश्यीय विश्वविद्यालय है, में एक कृषि महाविद्यालय है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस राज्य में जो मुख्यत: एक कृषि प्रधान है, में कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार राजस्थान में निकट भविष्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की माँग पर विचार करेगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनायन) : (क) यह सच है कि राजस्थान में कोई अलग कृषि विश्वविद्यालय नहीं है।

(ख) जी हाँ, श्रीमान। उदयपुर विश्वविद्यालय के अपने कृषि संकाय में संघटक संस्थाओं के रूप में दो कृषि महाविद्यालय हैं—एक पशुचिकित्सा महाविद्यालय, एक कृषि इंजीनियरी महाविद्यालय और एक गृह विज्ञान महाविद्यालय।

(ग) जी हां, श्रीमान। कृषि विश्वविद्यालयों पुनरीक्षण समिति, 1978, जिसने देश में कृषि विश्वविद्यायों के कार्यकरण की जाँच की थी, ने सिफारिश की है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि परिसर को विद्यमान परिसर को यथावत रखते हुए एक स्वतन्त्र विश्वविद्यालय के रूप में पृथक किया जाना चाहिए तथा विकसित किया जाना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इसे राजस्थान सरकार की भी जानकारी में लाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित एक समिति ने भी राजस्थान में स्वतन्त्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की है।

(घ) यदि राजस्थान सरकार इस सिफारिश के आधार पर कोई निर्णय लेती है तो अनुमोदित पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में अनुसन्धान और प्रशिक्षण सुविधायें

2719. **श्री गदाधर साहा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल में जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में अनुसन्धान एव प्रशिक्षण सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रयास किये गये थे; यदि हाँ, तो कहाँ पर; और

(ख) क्या राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आय बढ़ाने और रोजगार हेतु 1979-80, 1980-81 के दौरान कोई अनुसन्धान परियोजना स्थापित की गई थी; यदि हां, तो राज्यवार तथा जिला-वार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान :

(1) तटीय लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास हेतु केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसन्धान सन्स्थान (भा. कृ. अ. प.) के अधीन पश्चिम बंगाल के

केनिंग टाउन में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस केन्द्र को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। (2) खेती में दक्षता हेतु स्थानीय किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए पश्चिम बंगाल में तीन कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। वे निम्न स्थानों पर स्थित हैं :

(क) कापगड़ी, जिला मिदनापुर

(ख) नीमपीठ (सुन्दरबन)

(ग) काकद्वीप

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

बाढ़ क्षेत्र में कोसी नदी पर बहुप्रयोजनीय ऊंचा बांध

2720. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री बाढ़ क्षेत्र में कोसी पर ऊंचे बांध के बारे में 18 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ क्षेत्र में कोसी नदी पर बहु-प्रयोजनीय ऊंचे बांध के सम्बन्ध में प्रतिवेदन को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और क्या उस पर नेपाल सरकार की सहमति मांगी और प्राप्त कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) यह विलम्ब परियोजना के कुछ तकनीकी पहलुओं का पुनरवलोकन और संशोधन किए जाने के कारण हुआ है।

(घ) और (ङ) चूंकि अभी अद्यतन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है, इसलिए इस समय उसकी विशेषताओं को बताना समय-पूर्व होगा। रिपोर्ट की प्रतियां नेपाल सरकार को तभी भेजी जाएंगी जब रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों में निवेश

2721. **श्री दौलत राम सारण** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है और उसमें से सरकारी निवेश कितना है तथा गैर-सरकारी कितना; और

(ख) उनका वार्षिक उत्पादन कितना है और उनमें कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो हो रहा है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

शीत लहर से हुई मौतें

2 22. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री धर्मवीर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों में चालू मौसम के दौरान शीत लहर चलने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) सरकार द्वारा उत्तरी क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का मुकाबला करने हेतु साधनहीन गरीब लोगों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या शीत लहर से मरने वाले लोगों के आश्रितों के लिए किसी किस्म की सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नीम की खली का उर्वरक के रूप में उपयोग

2723. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को नीम की खली को उर्वरक के रूप में खेतों में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा राज्य में जिन स्थानों पर नीम के पेड़ों का बहुल्य है वहाँ पर नीम-तेल साल्वेण्ट एक्सटेक्शन प्लाँट स्थापित करने हेतु कदम उठाये जायेंगे;

(ग) क्या उक्त संयंत्र उड़ीसा में भी स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा की छोटी सिंचाई परियोजनाओं का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वयन

2724. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1981-82 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा की कुछ छोटी सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का काम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा की इस प्रकार की परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है जिन्हें प्रत्येक जिले में शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) लघु सिंचाई परियोजनाएं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग नहीं है।

उड़ीसा में चिल्का झील के समीप भूसंडपुर में मछली पकड़े जाने की संभावना

2725. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा की चिल्का झील के समीप भुसंडपुर में मछली पकड़ने की संभावनाओं का लगाने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए भुसंडपुर में एक लघु बन्दरगाह की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

छठी योजना में डेरी विकास के लिए धनराशि

2726. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान डेरी परियोजना के विकास के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) विकास किए जाने वाली परियोजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) संलग्न विवरण I मे राज्यवार आधार पर होने वाले आवंटन तथा केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना में की गई व्यवस्था का विवरण दे दिया गया है।

(ख) इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उन्नत प्रजनन और आहार प्रणाली के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दुधारू पशुओं की चिकित्सा संबंधी देखभाल करना, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्पादक सहकारी समितियों के आधार पर एक संगठन की व्यवस्था करना और परिसंसकरण और विपणन सुविधायें प्रदान करना है :

विवरण

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में डेरी और दूध वितरण योजनाओं के लिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 का परिव्यय

क्र. संख्या	विवरण	डेरी विकास (लाख रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	600.00
2.	असम	400.00
3.	बिहार	760.00
4.	गुजरात	200.00
5.	हरियाणा	223.00

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	425.00
7.	जम्मू और कश्मीर	100.00
8.	कर्नाटक	845.00
9.	केरल	721.00
10.	मध्य प्रदेश	370.00
11.	महाराष्ट्र	3287.00
12.	मणीपुर	300.00*
13.	मेघालय	70.00
14.	नागालैंड	525.00
15.	उड़ीसा	1000.00*
16.	पंजाब	236.00
17.	राजस्थान	1064.00
18.	सिक्किम	500.00*
19.	तमिलनाडु	580.00
20.	त्रिपुरा	142.00
21.	उत्तर प्रदेश	1419.00
22.	पश्चिम बंगाल	690.00
23.	अण्डमान द्वीप	226.00*
24.	अरुणाचल प्रदेश	42.00
2 .	चण्डीगढ़	65.00*
26.	दिल्ली	150 00
27.	गोवा	75.00
28.	लक्षद्वीप	65.00*
29.	मिजोरम	500.00
30.	पांडि चेरी	21.00
31.	दादरा और नगर हवेली	40.00
	कुल (राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश)	15641.00
32.	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें	29210.00
33.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें	4600.00
	उपयोग	33810.00
	महायोग	49451.00

टिप्पणी : * पशुपालन के लिए प्रावधान भी शामिल है ।

कृषि मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत हरियाणा को केन्द्रीय सहायता

2727. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मन्त्रालय के अधीन विभिन्न योजनाओं के लिए हरियाणा सरकार को 198 के दौरान कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) वर्ष 1981 के दौरान (योजना वार) कितनी राशि दी जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) राज्यों को विभिन्न प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता वित्तीय वर्ष के अनुसार दी जाती है न कि कैलेन्डर वर्ष के अनुसार। वित्तीय वर्ष 1980-81 (1-4-80 से) के दौरान हरियाणा सरकार को अभी तक (28-2-81 तक) कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न प्लान योजनाओं के लिए कुल 23.97 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान दी जाने वाली धनराशि का निश्चय वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने पर ही किया जाएगा, जिसमें संसद द्वारा पारित धनराशि, हरियाणा सरकार द्वारा माँगी गई धनराशि, प्लान योजनाओं की प्रगति उन पर किये गये व्यय की गति और पिछले वर्षों में राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई धनराशि से बची हुई रकम आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

हरियाणा में तम्बाकू की कास्त

2728. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में कुल कितने क्षेत्र में तम्बाकू की कास्त होती है; और

(ख) राज्य में तम्बाकू-उत्पादकों को क्या विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) 1979-80 के दौरान तम्बाकू की बुवाई का कुल क्षेत्र 200 हैक्टार था।

(ख) हरियाणा राज्य में तम्बाकू के उत्पादकों को विशेष प्रोत्साहन मुहैया करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

खाद्यान्नों तथा सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि

2729. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महिनों के दौरान सब्जियों तथा खाद्यान्नों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो मूल्यों में ऐसी आकस्मिक वृद्धि के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जैसा कि नीचे दिए गए आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि सब्जियों के अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक में पिछले तीन महीनों में 28.2 प्रतिशत की कमी आई जबकि खाद्यान्नों के मामले में सूचकांक में 1.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

मद	निम्नलिखित सप्ताहों के अन्त में सूचकांक		22-11-80 की तुलना में 21-2-81 को प्रतिशत भिन्नता
	22-11-80	21-2-81	
खाद्यान्न	232.7	236.1	(+) 1.5
सब्जियाँ	223.0	160.1	(—) 28.2

(ख) आंशिक रूप से उर्वरकों, डीजल तथा कुछ अन्य आदानों की लागत में हुई वृद्धि, अर्थव्यवस्था पर आम मुद्रा—स्फीति का दबाव, रबी खाद्यान्नों के मामले में कमी का मौसम तथा 1979-80 में व्यापक सूखे के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी गिरावट आने के अनुवर्ती प्रभावों के फलस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है -

बर्हामपुर विश्वविद्यालय द्वारा लीड कालेजों का चयन

2730. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्हामपुर विश्वविद्यालय ने आदिवासी क्षेत्र में लीड कालेज योजना के अधीन कितने लीड कालेजों का चयन किया तथा उन्हें सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सिफारिश की और आयोग ने वर्ष 1980-81 के दौरान इन कालेजों को कितनी सहायता प्रदान की; और

(ख) आदिवासी क्षेत्रों के कालेजों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार बरहामपुर विश्वविद्यालय ने अगुआ (लीड) कालेजों की योजना के अन्तर्गत विचार करने के लिए राजकीय महिला कालेज बरहामपुर, अस्का विज्ञान कालेज, आस्का, राजकीय विज्ञान कालेज, फूलबनी, डी. ए. बी. कालेज कोरापुट और रायगढ़ कालेज, रायगढ़ की सिफारिश की थी। फिर भी, इनमें से किसी भी कालेज ने अगुआ (लीड) कालेजों की योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं किए। वास्तव में, यह योजना पांचवी योजना में कार्यान्वित नहीं हुई।

उड़ीसा में जिला मुख्यालयों को सीधी डायल सेवा (एस. टी. डी.) द्वारा राजधानी से जोड़ा जाना

2731. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास छठी योजना के दौरान उड़ीसा में, सभी जिला मुख्यालयों को सीधी डायल सेवा (एस.टी.डी.) द्वारा राज्य मुख्यालयों को जोड़ने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने जिला मुख्यालयों को सीधी डायल सेवा उपलब्ध है और वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य में उक्त सेवा के कनेक्शनों के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ग) राज्य के किन-किन जिलों तथा औद्योगिक नगरों में, विशेषकर तथा आदिवासी जिलों को वित्त वर्ष 1981-82 के दौरान उक्त सेवा के कनेक्शन देने के लिए चुना गया है, और

(घ) क्या कोरापुट जिला मुख्यालय तथा औद्योगिक महत्व के नगर रायगढ़ को उक्त जिले में भारी उद्योग-स्कूल की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, सीधी डायल सेवा में जोड़ने के लिए चुना गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। तथापि यह दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत शामिल है।

(ख) फिलहाल उड़ीसा के जिला मुख्यालय, जहाँ से राज्य की राजधानी के साथ एस.टी डी. सुविधा उपलब्ध है वह कटक है। कटक भुवनेश्वर तथा राउरकेला की वर्तमान एस.टी.डी सुविधाओं को 1981-82 के दौरान और अधिक शहरों तक विस्तृत किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) राउरकेला जो सुन्दरगढ़ जिले का इस्पात का महत्वपूर्ण कस्बा है, से 1981-82 के दौरान और अधिक नगरों को एस.टी.डी सुविधा प्रादान किए जाने की संभावना है।

(घ) जिला मुख्यालय होने के कारण कोरापुट को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के साथ एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ने हेतु दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है रायगढ़ से भुवनेश्वर हेतु एस.टी.डी. सुविधा की व्यवस्था करने की अभी तक कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को आबंटित राशि

2732. **श्री हरिहर सोरन** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में उड़ीसा को 1979-80 और 1980-81 में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार का कार्यक्रम उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में भी लागू किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो क्योंझर जिले के कितने गाँवों में इस प्रकार का कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) प्रौढ़ शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान 81,56,374 रुपये की राशि आबंटित की गई थी। वर्ष वार ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (रुपये)
1979-80	64, 76, 574
1980-81	16, 79, 800
कुल:	81, 56, 374

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छठी योजना के दौरान शिक्षा के प्रादेशिक कालेज खोला जाना

2733. **श्री हरिहर सोरन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजनावधि के दौरान शिक्षा के कुल प्रादेशिक कालेज खोलने का है;

(ख) क्या इस प्रकार का कोई कालेज उड़ीसा में खोला जाएगा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार का शिक्षा का कालेज उड़ीसा के क्योंझर जिले में खोला जाएगा; और

(घ) इस प्रकार के प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए संस्थान खोला जाना

2734. **श्री हरिहर सोरन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारे समाज की निर्धन आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लाभ के लिए महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए 2 वर्ष का मैट्रिकुलेशन लघु पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) क्या इस प्रकार के कोई संस्थान राज्यों में भी खोले जाएंगे;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार के संस्थान उड़ीसा में किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बाल सेविका केन्द्र

2735. **श्री हरिहर सोरन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 में देश के विभिन्न भागों में कुछ बाल सेविका केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा में खोले जाने वाले इस तरह के केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उड़ीसा के क्योंझरे जिले में इस तरह का कोई केन्द्र खुलने जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारतीय बाल कल्याण परिषद देश के विभिन्न भागों में 36 बाल सेविका प्रशिक्षण संस्थान चला रही है। भारत सरकर इन संस्थानों को चलाने के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद को सहायता देती है। इन संस्थानों में से एक संस्थान भुवनेश्वर (उड़ीसा) में स्थित है। भारत सरकार वर्ष 1981-82 के दौरान तीन और बाल सेविका प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है।

(ख) से (घ) इन संस्थानों के स्थानों और अन्य ब्यौरे के बारे में अब तक निर्णय नहीं किया गया है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ब्लाक स्तर योजना सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत।

2736. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तीव्र क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर योजना बनाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

(ख) यदि हाँ, तो 1979-80 और 1980-81 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये गये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के कितने ब्लाकों को शामिल किया गया है ;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या विशेष निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार 198'-82 के दौरान कुछ और गाँवों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित करने का है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ।

(ख) 1979-80 में, उड़ीसा में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 131 खण्ड लिये गये थे और 2 अक्तूबर, 1980 से उड़ीसा में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी 314 खण्डों को शामिल किया गया है।

(ग) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग के चुने परिवारों को कृषि पशुपालन, कुटीर उद्योग की गतिविधियाँ तथा व्यावहारिक रूप से किसी भी सक्षम गतिविधि जिसमें लाभभोगी रूचि रखता हो, शुरू करने हेतु सहायता सुलभ की जाती है। उड़ीसा में, शुरू की गई गतिविधियों में खुदे कुएं, नलकूप, पम्प सैट और दुधारु पशुओं, कुक्कुट पालन यूनिटों तथा भेड़पालन यूनिटों की व्यवस्था शामिल है।

(घ) व (ङ) कार्यक्रम का विस्तार अब सभी खण्डों में कर दिया गया है और समस्त छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता की व्यवस्था करने हेतु गाँवों को सामूहिक आधार पर लिया जाएगा।

मकानों की कमी

2737. **श्री नवीन रवाणी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय, राज्य तथा अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों और अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और कर्मकार वर्गों के लिए आवासीय मकानो की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो 1 अप्रैल, 1977 से 31 जनवरी, 1981 के दौरान समाज के उपर्युक्त वर्गों के प्रत्येक वर्ग को आवासीय मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए ज्यादा मकानों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) देश में मकानों की कमी है और प्रश्न में उल्लिखित श्रेणियाँ अपवाद स्वरूप नहीं है।

(ख) तथा (ग) आवास राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें आम लोगों

और अपने कर्मचारियों को मकान देने के लिए उनके द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं तथा प्रायमिकताओं के अनुसार योजनाएं बनाने, उनका प्रावधान करने तथा ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सक्षम हैं। इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की भूमिका स्वयं अपने कर्मचारियों को रिहायशी आवास की व्यवस्था करने के लिए और आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको), जीवन बीमा निगम (एल, आई. सी.) तथा सामान्य बीमा निगम (जी. आई. सी.) के माध्यम से राज्य सरकारों और अन्य आवास अभिकरणों को ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल में लगभग 32,331 स्टाफ क्वार्टरों होस्टल अपार्टमेंटों की मंजूरी दी गई थी/निर्माणाधिन थे और 1 अप्रैल, 1977 से 31 जनवरी, 1981 तक का अवधि के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण से 132 फ्लैट खरीदे गए थे। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान, 100 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल में रिहायशी आवास के निर्माण पर खर्च किए जाने की सम्भावना है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए हुडको की ऋण देने का कार्यक्रम 600 करोड़ रुपये का है, इसमें से 30 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है। सामाय बीमा निगम से वार्षिक ऋणों का मौजूदा स्तर जो कि सिर्फ ग्रामीण आवास के लिए तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आवास के लिए है, 18 करोड़ रुपये तक है जबकि जीवन बीमा निगम से 44 करोड़ रुपये के वार्षिक ऋण में से 10 करोड़ रुपये सिर्फ ग्रामीण आवास के लिए हैं।

उड़ीसा के लिए उर्वरक की मांग

2738. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के लिए उर्वरक की पूरी माँग को पूरा करने में समर्थ है;

(ख) यदि नहीं, तो किस किस्म के उर्वरक की कमी है और इसे पूरा करने के लिये क्या उपाय किए गए है;

(ग) क्या यह सच है कि उर्वरकों के मूल्य उसके उपभोक्ताओं तक पहुँचने पर निर्धारित किए गए मूल्यों से काफी ज्यादा हो जाते हैं, विशेषकर वहाँ जहाँ इसकी ढुलाई रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन द्वारा की जाती है;

(घ) क्या इससे राज्य के अन्दरूनी क्षेत्रों में गरीब किसानों की हालत कठिन हो जाती है; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव उड़ीसा में सड़क परिवहन की लागत के कुछ भाग को वहन कर उर्वरकों के अन्तिम उपभोक्ता के लिये सामानता लाने का है— और यदि नहीं तो सरकार यहां के अन्दरूनी क्षेत्रों में किसानों को किस रूप में राहत देना चाहती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) उपभोक्ताओं के लिये उर्वरकों का मूल्य भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये

उर्वरकों के खुदरा मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिये । सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये खुदरा मूल्य है जिनमें बिक्री कर और अन्य स्थानीय कर (जहाँ ये लागू है) शामिल नहीं है । चाहे उर्वरकों की ढुलाई रेल से हो या सड़क मार्ग से परन्तु देश भर में एक उत्पाद के लिये एक ही मूल्य है । ऐसे मामलों में परिवहन की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है ।

(घ) और (ङ) उक्त (ग) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं होता है ।

आटा मिलों को सप्लाई की गई गेहूं की मात्रा

2739. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान काश्तकारों को गेहूँ पर प्रति क्विंटल क्या समर्थन मूल्य दिये गये;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम रोलिंग आटा मिलों को अपने ही स्टाक से गेहूँ की सप्लाई करना है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान आटा मिलों को कुल कितना गेहूँ सप्लाई किया गया; और

(घ) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान रोलिंग आटा मिलों से प्रति क्विंटल कितना मूल्य वसूल किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

(क) 1979-80 —115/-रुपये प्रति क्विंटल
1980-81 —117/-रुपये प्रति क्विंटल

(ख) जी हां ।

(ग) 1979-80 —31.6 लाख मीटरी टन
1980-81 —29 लाख मीटरी टन
(जनवरी, 1981 तक)

(घ) 130/— रुपये प्रति क्विंटल

प्रदूषित नदियों से होकर आने वाले पेयजल

2740. **श्री के. प्रधानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेयजल की ऐसी प्रतिशतता का कोई सर्वेक्षण किया है जो प्रदूषित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों से होकर आता है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसिंग लिमिटेड

2741. **श्री तारिक अनवर** :

श्री हीरालाल आर. परमार : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसिज (I) लिमिटेड द्वारा अब तक पूरी कर ली गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) इस कंपनी के पास इस समय चल रही परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है और उसके पास कितने आर्डर शेष पड़े हैं; और

(ग) इस कम्पनी का कुल बजट कितना है और इसके कार्य का विशाखन करने के लिये उसमें कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लि० (वापकोस) एक सलाहकार संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए सलाह सेवाएं देना है। लेकिन, भारत में सिंचाई परियोजनाओं को सलाह देने का काम भी किया जाता है, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

एक— वापकोस द्वारा निम्नलिखित दो परियोजनाओं के बारे में सलाह सेवाएं देने का काम पूरा कर लिया गया है :

(1) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र;

(2) महाराष्ट्र में छः संयुक्त सिंचाई परियोजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना।

दो— निम्नलिखित सलाह सेवाओं का कार्य किया जा रहा है :—

(1) मध्य प्रदेश में वृहद सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना,

(2) बिहार और उड़ीसा में स्वर्णरेखा परियोजना की मूल्यांकन रिपोर्ट

(3) उत्तर प्रदेश अपर गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना

(ग) 1979-80 में किये गये वास्तविक कारोबार और 1980-81 की अनुमान के जानकारी नीचे दी गई है :—

	1979-80 (वास्तविक)	1980-81 (संशोधित अनुमान)	अभ्युक्ति
	(लाख रुपये)		
(1) कुल आय	327.19	393.03	
(2) कुल व्यय	260.48	330.70	
(घ) सकल लाभ	66.71	62.33	
घटाइए—लाभांश	12.00	12.00	(1979-80 का लाभांश नवम्बर, 1980 में घोषित किया गया और अदा किया गया। 1980-81 का लाभांश संशोधित अनुमान के अनुसार है)
विशुद्ध लाभ	54.71	50.33	

कम्पनी को अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपये और चुकता पूंजी 30 लाख रुपये है। कम्पनी की

1969 में अपनी स्थापना के समय से उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, न किसी प्रकार का धन जमा के लिए मांगा गया और स्वीकार किया गया। कम्पनी अपने मौजूदा पूंजी ढांचे से अपने क्षेत्र में ठीक काम कर रही है और कम्पनी को अपने कार्यों का विविधीकरण करने के लिए सामान्य पूंजी की अथवा सरकार या किसी अन्य एजेंसी से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2342. **श्री गुफरान आजम :**

श्री भीखा भाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गैर-सरकारी और सरकारी स्वामित्व वाले कितने टेलीफोन हैं और "ओ. वाई. टी." और अन्य वर्गों की प्रतिक्षा सूची में कितने आवेदक हैं; और

(ख) दिल्ली की यह मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सरकारी और निजी स्वामित्व वाले टेलीफोनों का अलग-अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता तथापि सरकारी शीर्ष के अन्तर्गत टेलीफोन डायरेक्टरी की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान किया जाता है कि कुल 1,85,773 टेलीफोन कनेक्शनों में से लगभग 48,000 कनेक्शन सरकारी कार्यालयों आदि के लिये कार्य कर रहे हैं।

कुल मिलाकर 1.2.80 को प्रतीक्षा सूची इस प्रकार थी :—

ओ. वाई. टी.	5317
विशेष	2887
सामान्य	55393
कुल	63,597

(ख) मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है तथा नये एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

हुडको द्वारा नोएडा को ऋण

2743. **श्री केशवराव पारधी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नोएडा' ने 'हुडको' योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979 में पंजीकृत हुए मध्य आयवर्ग के लोगों से आमन्त्रित आवेदन का 6 फरवरी, 1980 को 'ड्रा निकाला था और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के 2,000 आवेदन पत्रों में से केवल 12 मकानों का 'ड्रा' निकाल कर रद्द कर दी गई थी तथा भविष्य में एक मंजिला मकान आबंटित न करने का निर्णय किया गया है;

(ख) इस योजना के लिए 'हुडको' द्वारा कितना ऋण दिया गया था और क्या उसका पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ग) क्या 'नोएडा' द्वारा वर्ष 1980 के अन्त में एक मंजिला मकान आबंटित करने संबंधी जारी किये गए विज्ञापन पर उक्त निर्णय का प्रभाव पड़ेगा, यदि नहीं, तो वर्ष 1979 के निर्णय को रद्द करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रभावित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के प्रयोजन से इस बारे में 'नोएडा' को कुछ अनुदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ग) जिन मकानों के लिये हुडको द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाते हैं उनका आवंटन उधार लेने वाले अभिकरणों के अधिकार क्षेत्र में है जो स्वयं अपने कायदे-कानून बनाते हैं। इसलिए नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अन्तर्गत स्वायत्त निकाय है, वह अपनी प्रक्रिया के अधीन मकानों को आवंटन करता है।

(ख) हुडको ने अभी तक नोएडा के लिये 4 योजनायें स्वीकृत की और उनमें से केवल 2 योजनायें मध्यम आय वर्ग की हैं। इन दो में से एक जिसमें 360 मध्यम आय वर्ग मकान हैं, प्रगति पर हैं। हुडको ने इस योजना के लिये 7910 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं जिसमें से नोएडा ने 70.62 लाख रुपये ले लिये हैं। हुडको की 175.94 लाख रुपये जिसमें मध्यम आय वर्ग के लिए 97.15 लाख रुपये शामिल हैं, की ऋण सहायता की नोएडा की दूसरी योजना अभी प्रलेखबद्ध नहीं हुई है और इसलिए नोएडा द्वारा इसके लिये कोई ऋण नहीं लिया गया।

(घ) और (ङ) जी, नहीं, प्रश्न के भाग (क) तथा (ग) के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुये।

भागीरथी नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए फरक्का बांध के अधिकारियों के विचार

2744. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बराज परियोजना के जंगीरपुर उप-बराज से प्रस्तावित पुल स्थल की निकटता को देखते हुये पश्चिम में रघुनाथगंज की ओर से पूर्व में जंगीरपुर की ओर तक भागीरथी नदी पर एक पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव के बारे में फरक्का बांध के अधिकारियों के विचार माँगें हैं;

(ख) क्या फरक्का बाँध प्रशासन से इंजीनियरों का कोई तकनीकी दल पुल पर गया था जैसा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया था; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव पर तकनीकी दल द्वारा व्यक्त किए गए विचार क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने रघुनाथगंज और जंगीपुर को आपस में जोड़ने के लिये भागीरथी नदी पर एक पुल का निर्माण करने के लिये फरक्का बराज प्राधिकारियों और भारत सरकार से अनुरोध किया था लेकिन राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि फरक्का बराज परियोजना इस पुल के निर्माण का व्यय नहीं उठा सकती। राज्य सरकार को यह सलाह भी दी गई थी कि यदि वह चाहे तो अपने साधनों से रघुनाथ-गंज-जंगीपुर में भागीरथी पर पुल का निर्माण कर सकती है।

भिखारियों की परिभाषा

2745. **श्री के. मालन्ना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में भिखारियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो भिखारियों की परिभाषा करने में सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां।

जनगणना में भिखारियों के वर्ग को अन्य वर्गों जैसे कि आवाराओं अथवा जिनकी आय के साधन का पता नहीं है तथा जिनकी जीविका के कोई निश्चित साधन नहीं हैं और जो किसी आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य में लगे हुए नहीं हैं, के साथ जोड़ दिया गया है।

शकूरबस्ती काम्पलैक्स के रानी बाग में सीवर बिछाना

2746. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकूरबस्ती काम्पलेक्स, दिल्ली के रानी बाग में सीवर बिछाने का कार्य शुरू किया गया था;

(ख) क्या सीवर लाइन शुरू हो गई है और यह साढ़े तीन वर्षों से रानी बाग, शकूर बस्ती के आधे हिस्से में कार्य कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लगभग साढ़े पाँच वर्ष पूर्व रानी बाग के शेष क्षेत्रों में भी सीवर लाइन बिछाने का कार्य साथ-साथ शुरू किया गया था लेकिन यह अब तक नहीं हुई है; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मुलतानी मोहल्ला, रानी बाग की बहुत सी गलियों में सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है हालाँकि इस आशय का आश्वासन दिया गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन सभी वर्षों में बन्द पड़ी सीवर लाइन को चालू करने के लिए नगर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मार्च, 1975 में।

(ख) अधिकांश क्षेत्रों में पम्प के द्वारा मल को खुले बरसाती पानी के नाले, जहां कहीं ऐसे नाले हैं, में डालने के लिए अस्थायी तौर पर पम्प लगवा कर सीवर की व्यवस्था की गई है।

(ग) रानी बाग के नियमित किये गये भागों में भूमिगत सीवर गत वर्ष 1975-76 में बिछाया गया था। कुछ क्षेत्रों में जहां बरसाती पानी के नाले नहीं हैं वहां मल निर्यात नाली को चालू नहीं किया जा सका है।

(घ) रानी बाग, मुलतानी मोहल्ला की नियमित कालोनी में सीवर वर्ष 1975-76 में बिछाया गया था।

(ङ) जिन स्थानों में बरसाती पानी के खुले नाले नहीं हैं वहां बरसाती पानी के कच्चे नाले बनाने का प्रस्ताव है ताकि जब तक कि मिलाने वाले सीवर की व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती तब तक पम्प से मल को ऐसे नालों में डाला जा सके।

मध्य प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा लघु कृषक विकास एजेंसी के लक्ष्य

2747. **डा. बन्सत कुमार पण्डित** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और लघु कृषक विकास एजेंसी ने वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय आवंटन, दी गई राशि में मध्य प्रदेश को दिया गया धन, संस्थागत ऋणों का ब्यौरा क्या है तथा 1979-80 और 1980-81 (फरवरी, 1981 तक) मध्य प्रदेश के सभी ब्लाकों में इसका कुल कितना उपयोग हुआ है;

(ग) 1979-80 के दौरान राजगढ़, विदिशा, गुना और धाजापुर जिलों के अन्तर्गत दर्ज लाभ प्राप्तकर्ताओं और वास्तविक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या क्या है, तथा राशि की तुलना में कुल कितनी राशि का उपयोग किया गया है; और

(घ) मध्य प्रदेश में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चावल की फसल

2748. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में काटी गई चावल की फसल की कुल मात्रा कितनी है; और

(ख) 1981 की चावल की फसल के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) फसल वर्ष 1980-81 (जुलाई 1980 से जून 1981 तक) के लिए चावल के उत्पादन के अन्तिम अनुमान कुछ महीने बाद उपलब्ध होंगे। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि खरीफ के चावल का उत्पादन लगभग 520 लाख मीटरी टन होगा। इसके अलावा 40 लाख मीटरी टन ग्रीष्म कालीन चावल (जिसकी फसल अभी पकनी है) काफी उत्पादन होने की सम्भावना है।

(ख) फसल वर्ष 1981-82 के लिए चावल के उत्पादन के लक्ष्य को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

त्रिलोकपुरी और दिलशाद बाग में डी. डी. ए. के नव-निर्मित फ्लैटों के खरीदार

2749. **डा. बसन्त कुमार पण्डित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना पार क्षेत्र में त्रिलोकपुरी और दिलशाद बाग में निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत नव-निर्मित फ्लैट खरीदानों के अभाव में खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया था और ये कितने से खाली पड़े हैं और इसके फलस्वरूप डी. डी. ए. को कितनी क्षति हुई; और

(ग) द्वितीय विज्ञापन के बाद इन फ्लैटों के बारे में जनता की क्या प्रतिक्रिया रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "न्यू पैटर्न स्कीम" 1979 के अधीन पंजीकरण

2750. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैटों का आवंटन करने हेतु न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अधीन 1,70,000 व्यक्तियों का पंजीकरण किया था;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित करने के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण उनके आवंटन को स्थगित करता रहा है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त पंजीकृत व्यक्तियों को अब तक फ्लैट आवंटित क्यों नहीं किये जा रहे;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने इस योजना के अन्तर्गत आवंटन करने के लिए पहले ही 4875 फ्लैट देने की घोषणा कर दी है। आवंटन करने प्रक्रिया को भी घोषित कर दिया गया है।

उड़ीसा में म्यूनिसिपल तथा अधिसूचित क्षेत्र परिषदों का समेकित नगरीय विकास

2751. **श्री के. पी. सिंह देव**

श्री सुभाष चन्द्र अल्लूरी :

श्री दौलत राम सारण : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूनिसिपल तथा अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के समेकित नगरीय विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए कौन-कौन सी योजनायें शामिल की गई हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित, एकीकृत विकास की योजना छोटे तथा मध्यम नगरों के लिए है, जिसमें पालिका क्षेत्र तथा अधिसूचित क्षेत्र परिषदों को शामिल किया जायेगा।

(ख) योजना के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(1) इस योजना में 1971 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या इससे कम आबादी वाले नगरों को शामिल किया जायेगा।

(2) उप मण्डलीय नगरों के मुख्यालयों या मण्डियों या अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों को वरीयता दी जायेगी।

(3) अनुमोदित योजनाओं के आधार पर प्रति नगर व्यय का स्तर। करोड़ रुपये के आसपास होगा जिसमें से, मार्गनिर्देशनों के अनुरूप की योजनाओं के किए योजना अवधि के दौरान 40 लाख रुपये तक की केन्द्रीय ऋण सहायता दी जायेगी और शेष राशि राज्य सरकार तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दी जायेगी।

(4) समानता के आधार पर सहायता के लिए पात्र घटक इस प्रकार हैं :

(क) रिहायशी, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक योजनाओं के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास। रिहायशी योजना में ढांचों सहित या/रहित स्थलों तथा सेवाओं को शामिल किया गया।

(ख) यातायात तथा परिवहन।

(ग) दूर दराज क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लाभ के लिए मण्डियों/मार्किटों, औद्योगिक सम्पदाओं तथा अन्य सेवाओं या प्रगति सुविधाओं का विकास।

(घ) राज्य सरकारों को अपने घटकों में गन्दी बस्ती सुधार की योजनाओं, नगर नवीकरण, जलपूर्ति तथा स्वच्छता, निवारक चिकित्सा सुविधाएं, पार्क तथा खेल के मैदान इत्यादि को शामिल करना चाहिए।

(5) इस बात पर बल दिया गया है कि नगर के स्थानीय निकायों को कार्यक्रम के बनाने में भाग लेने तथा उनके कार्यान्वयन करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उनको सहायता दी जानी चाहिए।

(6) केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है जिसको 25 वर्षों में 5 वर्ष की स्थगन अवधि सहित 5.5 प्रतिशत की ब्याज की दर पर अदा करना होता है।

(ग) उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में निम्नलिखित नगरों के लिए योजनाओं को स्वीकृत किया गया है और प्रत्येक नगर के लिए केन्द्रीय सहायता की पहली किश्त दे दी गई है :

राज्य का नाम	नगर का नाम
राजस्थान	पाली
	भीलवाड़ा
	बरान
	सिकार
	चूरू
	सुमेरपुर
	नाथद्वारा
	बाड़मेर
	गंगानगर

1	2
उड़ीसा	पुरी
	सम्बलपुर
आन्ध्र प्रदेश	अनकापाली
	रामचन्द्रपुरम
	तेनाली
	विजिया नगरम
	भीमवरम

रेंगाली और भीमकुंड बहु-उददेश्यीय परियोजना के लिए सहायता

2752. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने रेंगाली और भीमकुंड बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार कितनी राशि मांगी गई है;

(ग) परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या विश्व बैंक से कोई सहायता लेने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने भीमकुंड बहुद्देश्यीय परियोजना को कार्यान्वयन के लिए अभी अनुमोदित नहीं किया है। केन्द्रीय सहायता के लिए अब तक सिंचाई मंत्रालय को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। रेंगाली परियोजना के मामले में केन्द्र राज्य सरकार को बाँध की लागत के 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण-सहायता दे रहा है।

(ग) रेंगाली बहुद्देश्यीय परियोजना को दो चरणों में कर्यान्वित करने की योजना बनाई गई है। परियोजना के चरण-एक में जल-विद्युत और बाढ़-नियंत्रण लाभों के लिए 3410 मिलियन घनमीटर (120 टी. एम. सी.) की सक्रिय जल-संचयन क्षमता वाले एक बाँध का निर्माण परिकल्पित है। प्रारम्भिक प्रतिष्ठापित जल-विद्युत क्षमता 50-50 मेगावाट के दो यूनिटों तथा अन्तिम क्षमता 50-50 मेगावाट के तीन यूनिटों की होगी। 1.41 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र को बाढ़ नियंत्रण के लाभ मिलेंगे। इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा जून, 1973 में अनुमोदित किया गया था और इस पर 57.93 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था, जिसमें से 'बाढ़ नियंत्रण' पर 22.6 करोड़ रुपये की लागत आनी थी और शेष लागत 'विद्युत' भाग पर आनी थी।

परियोजना के चरण-दो में, दो सोपानों में सिंचाई की सुविधाएं देने के लिए बाँध के अनुप्रवाह में एक बराज बनाने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के चरण-दो के सोपान-एक को जिस पर 233.6 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, योजना आयोग द्वारा मार्च, 1978 में अनुमोदित किया गया था। इससे 4 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा

प्राप्त होगी और इसके अलावा वर्तमान अखुआपाड प्रणाली के अन्तर्गत 29,500 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी की सिंचाई के लिए जल प्राप्त होगा।

394.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली भीमकुंड बहुद्देश्यीय परियोजना की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है, ताकि योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। इस परियोजना में ये शामिल हैं :—(1) केन्द्रीय उमड़मार्ग सहित 11 किलोमीटर लम्बे और 57.25 मीटर ऊंचे एक मिट्टी के बांध का निर्माण। जलाशय में 2430 मिलियन घन मीटर जल-भण्डारण की सक्रिया क्षमता होगी।

(2) बेगुन्डो में और बाँध के सिरे पर 115-115मेगावाट के 6 यूनिटों वाला एक विद्युत गृह। परियोजना से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की आशा है :—

(क) 738 मेगावाट की कुल क्षमता के विद्युत उत्पादन यूनिटों की स्थापना, जिनसे 138.84 मेगावाट 'फर्म' विद्युत प्राप्त होगी।

(ख) बेतरणी डेल्टा में 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना।

परियोजना के सिंचाई संघटक को चरण-दो में शामिल किया गया है जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

(घ) रेंगाली परियोजना चरण-दो की राजस्व वर्ष 1982 में विश्व बैंक सहायता को पाइपलाइन में शामिल कर लिया गया है। परियोजना के आकार और विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता की मात्रा के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है। भीमकुंड बहुद्देश्यीय परियोजना की विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात के जिलों के लिए सूक्ष्मतरंग परियोजनाएं

27.3. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ तथा राजकोट जिलों में काफी समय से मुख्य सूक्ष्मतरंग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कब आरम्भ की गई थीं और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इसे शीघ्रतापूर्वक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ङ) इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है तथा अब तक वास्तव में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ। अमरेली, भावनगर और राजकोट जिलों में निम्नलिखित सूक्ष्मतरंग परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है :—

(1) अहमदाबाद-भावनगर-अमरेली-राजकोट भावनगर-बड़ौच-सूरत चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग प्रणाली।

(2) राजकोट-जामनगर चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग प्रणाली जूनागढ़ जिले की सूक्ष्मतरंग परियोजना के लिए स्वीकृति हेतु कार्यवाई की जा रही है।

(ख) प्रायोजनाओं के प्रारम्भ करने की तारीख तथा पूर्ण होने के संभावित वर्ष नीचे दिये जा रहे हैं :—

योजना का नाम	प्रायोजना आरम्भ करने की तारीख	चालू होने का नियोजित वर्ष
(1) अहमदाबाद-भावनगर-अमरेली-राजकोट/भावनगर-बड़ौच-सूरत-चौड़ी पट्टा सूक्ष्मतरंग प्रणाली	फरवरी, 1975	1983
(2) राजकोट-जामनगर चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना	दिसम्बर 80	1983

(ग) अहमदाबाद-भावनगर-अमरेली-राजकोट/भावनगर-बड़ौच-सूरत चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना में विलम्ब का कारण देश में सूक्ष्मतरंग रेडियो उपस्कर के विकास और उत्पादन में अप्रत्याशित विलम्ब होना है। अन्य प्रायोजनाओं की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार हो रही है।

(घ) इस योजना तथा अन्य योजनाओं के लिये सूक्ष्मतरंग रेडियो उपस्कर के आयात हेतु एक प्रासंगिक योजना बनाई गई है। रेडियो उपस्कर के आयात के लिये निविदाएं प्राप्त हो गई है तथा अब उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। यदि ऐसी सभावना हुई कि देशी उपस्कर की सप्लाई में अभी और समय लगेगा तो आयात का आश्रय लिया जएगा।

(ङ) प्रत्येक प्रायोजना की स्वीकृत लागत तथा अब तक खर्च की गई रकम नीचे दी जा रही है :—

प्रायोजना का नाम	प्रायोजना की स्वीकृत लागत (लाख रुपयों में)	अब तक खर्च हुई रकम (लाख रुपयों में)
(1) अहमदाबाद-भावनगर-अमरेली-राजकोट/भावनगर-बडोच-सूरत-चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना	424.13	491.44 (परियोजना संशोधित की जा रही है)
(2) राजकोट-जामनगर-चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग योजना	177.30 (संबंद्ध तगपट्टी मार्ग को शामिल करके)	5.90

पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल, दिल्ली

2754. **श्री तारिक अनवर :**

श्री हीरालाल आर. परमार : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल की अकुशलता के बारे जानकारी है;

(ख) क्या छात्रों को अध्ययन सामग्री सामान्यत: समय पर नहीं भेजी जाती है;

(ग) क्या कई महीनों तक छात्रों की उत्तर पुस्तिकायें छात्रों को सामान्यत: वापस नहीं की जाती हैं; और

(घ) पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल की कार्यकरण क्षमता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, हालांकि पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत् शिक्षा स्कूल में दाखिलों की औपचारिक अनुमति नियमित कालेजों के साथ-साथ ही दी जाती है किन्तु कालेजों में स्थान भर जाने के बाद ही ये स्कूल दाखिले देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश दाखिले वर्ष के 14 अगस्त के बाद ही होते हैं और 14 अक्तूबर तक चलते हैं। पाठों का प्रेषण इसके बाद ही शुरू होता है। सारे शैक्षिक वर्ष के दौरान प्रत्येक कक्षा के लिये अध्ययन सामग्री चार सैटों में भेजी जाती है और छात्रों से प्राप्त उत्तर-पुस्तिकाएं उन्हें समय पर वापस कर दी जाती हैं।

(घ) किसी भी संस्था के कार्यकरण में और अधिक सुधार की गुंजाइश हमेशा ही रहती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वि. अ. आ. द्वारा नियुक्त समिति ने पाठ तैयार करने तथा उनके प्रेषक के सम्बन्ध में किफायती उपायों की सिफारिश की थी। मार्ग दर्शन की दृष्टि से इन्हें स्कूल के ध्यान में ला दिया गया है।

पब्लिक स्कूल

2755. **श्री तारिक अनवर** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पब्लिक स्कूलों की संख्या क्या है तथा उन स्थानों तथा राज्य के नाम क्या है जहां वे स्थित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में खोले गए पब्लिक स्कूलों की वर्ष-वार संख्या क्या है; और

(ग) क्या पब्लिक स्कूल खोलले के लिये केन्द्रीय/राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) पब्लिक स्कूलों का आशय सामान्यत: ऐसे स्कूलों से है, जो इंडियन पब्लिक स्कूल क्रान्फरेन्स, के सदस्य हैं, जोकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वैच्छिक सस्था है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय सारे देश में 55 ऐसे स्कूल हैं। इन स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इसके लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को अनुमति की आवश्यकता वहाँ पड़ती है, जहां स्कूलों के नियमन सम्बन्धी विधान में इस प्रकार की आवश्यकता निर्धारित की गई हो।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद (दो स्कूल), ऋषिवैली (चित्तौड़) कोरुकोन्ड्स (विशाखापट्नम)।
2.	असम	गोलपाड़ा
3.	बिहार	तिलैया (हजारी बाग), राँची।
4.	गुजरात	बड़ौदा, राजकोट, बालचादी (जामनगर)
5.	हरियाणा	राई (सोनीपत), कुंजपुरा (करनाल)
6.	हिमाचल प्रदेश	छेल, सनवार
7.	जम्मू और काश्मीर	नगरता (जम्मू)
8.	कर्नाटक	बंगलौर, बेलगाम, बीजापुर, सन्दूर पोस्ट (बेल्लेरी), किटूर (बेलगाम)
9.	केरल	काजाटूटम (त्रिवेन्द्रम)
10.	मध्य प्रदेश	इन्दौर, रायपुर, रीवा, ग्वालियर (दो स्कूल
11.	महाराष्ट्र	पंचगणी (सतारा), बम्बई प्रवरनगर (अहमदनगर), सतारा, पुणे।
12.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
13.	पंजाब	कपूरथला, पटियाला
14.	राजस्थान	अजमेर, (दो स्कूल), धौलपुर, जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, पिलानी।
15.	तिमिलनाडु	अमरावती नगर (कोयम्बटूर), लावडेल (नीलगिरी)।
16.	उत्तर प्रदेश	नैनीताल (दो स्कूल), लखनऊ (दो स्कूल) देहरादून (दो स्कूल)
17.	पश्चिम-बंगाल	पुरुलिया।
18.	दिल्ली	नई दिल्ली (तीन स्कूल), दिल्ली कैन्ट।

पब्लिक स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण

2756. **श्री तारिक अनवर** :क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण किस तरह का तथा कितना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : पब्लिक स्कूलों का आशय सामान्यत: ऐसे स्कूलों से है जो इण्डियन पब्लिक स्कूल कान्फ्रेन्स के सदस्य हैं, जो कि सोसायटी पजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वैच्छिक संस्था है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय पूरे देश में 55 ऐसे स्कूल हैं।

साधारणतया पब्लिक स्कूल निजी प्रबन्धकों द्वार संचालित संस्थाएं हैं। उनके कार्यकरण का सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा उस सीमा तक नियमन किया जाता जहाँ तक अन्य मान्यता प्राप्त "गैर पब्लिक" स्कूलों के नियमन के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्राम आवास तथा गन्दी बस्ती सुधार योजनाएं

2757. **श्री हीरालाल आर. परमार :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखेंगे :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनाअवधि में ग्राम आवास तथा गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) कुल व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य में कौन सी विशेष योजनायें आरम्भ की जायेंगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास स्थल तथा झौंपड़ी निर्माण योजना के लिए 35,350 लाख रुपये और नगरीय गंदी बस्तियों की पर्यावरणी सुधार योजना के लिए 15,145 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में प्रत्येक दो योजनाओं के लिए राज्यवार नियतन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास स्थल तथा झौंपड़ी निर्माण योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को मुफ्त आवास स्थलों का आवंटन करने और मकान बनाने के लिए सहायता का प्रावधान है। लाभ भोगियों से आशा है कि वे सभी श्रम कार्यों के लिए स्वय व्यवस्था करें। नगरीय गंदी बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना में नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियों में सुधार कार्यों की व्यवस्था करना, पानी के नलके लगाना, सामूहिक स्नान गृहों, और शौचालय की व्यवस्था, गलियों को चौड़ा करना और खड़ंजे बिछाना, नालियाँ बनाना और सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था आदि का विचार है। क्योंकि दोनों योजनाएं राज्य क्षेत्र में है इसलिए, योजना बनाने, निधियों की व्यवस्था करने और कार्यों का निष्पादन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित राशि दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भूमिहीन कामगारों की ग्रामीण आवास स्थल झौंपड़ी तथा निर्माण योजना	गंदी बस्तियों की पर्यावरणी योजना
			(लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	7675	800
2.	असम	1000	75

3.	बिहार	1100	410
4.	गुजरात	3085	500
5.	हरियाणा	990	380
6.	हिमाचल प्रदेश	25	40
7.	जम्मू और कश्मीर	100	440
8.	कर्नाटक	5500	1500
9.	केरल	1200	600
10.	मध्य प्रदेश	2900	800
11.	महाराष्ट्र	3500	1400
12.	मणीपुर	—	25
13.	मेघालय	—	30
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	800	100
16.	पंजाब	1200	500
17.	राजस्थान	475	250
18.	सिक्किम	—	15
19.	तमिलनाडु	2500	2500
20.	त्रिपुरा	100	50
21.	उत्तर प्रदेश	1800	1000
22.	पश्चिम बंगाल	1200	2700
	कुल राज्य	35150	14115
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान और निकोबारद्वीप समूह	5	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	चण्डीगढ़	—	—
4.	दादरा और नगर हवेली	10	—
5.	दिल्ली	40	920
6.	गोवा, दमन और दीव	50	75
7.	लक्षद्वीप	—	—
8.	मिजोरम	—	—
9.	पांडिचेरी	90	35
	कुल संघीय राज्य क्षेत्र	200	1030
	कुल योग	35350	15145

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये संस्थायें

2758. श्री हीरालाल आर. परमार : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक रूप से विकलांग और अपंग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न संस्थायें कौन-कौन सी हैं और वे कहाँ कहां पर स्थित हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन संस्थाओं का अलग अलग व्यय कितना है; और

(ग) इन संस्थाओं में अलग अलग कितने व्यक्ति रह रहे हैं और कितने व्यक्तियों की देखभाल की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में विकलांग व्यक्तियों और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए विभिन्न संस्थानों का ब्यौरा नीचे विवरण में दिया गया है :—

रुपए लाख की राशियों में)

क्रम संख्या	संस्थानों के/स्थान नाम	दो वर्ष का खर्च 1978-79	1979-80	लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या
1.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, राजपुर रोड, देहरादून	42.60	35.50	2500
2.	राष्ट्रीय अस्थि बाधितार्थ संस्थान, बोन हुगली, बी.टी. रोड, कलकत्ता			3940
3.	वयस्क बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, मालकपेट, हैदराबाद	3.81	3.95	89
4.	आंशिक रूप से बधिर बच्चों के लिए स्कूल, याकूतपुरा, हैदरावाद	2.64	2.00	49
5.	मंदबुद्धि बच्चों के लिए माडल स्कूल, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर नई दिल्ली।	5.23	5.27	117
6.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान, 4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली	16.39	17.37	1325

सरकारी क्वार्टरों में मामूली परिवर्तन और परिवर्तन करने से इन्कार किया जाना

2759. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को आबंटित मकानों में अनुपूरक नियम 323 के अनुसार कुछ मामूली परिवर्धन और परिवर्तन की व्यवस्था है परन्तु जब इन सुविधाओं की माँग की जाती है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इनको देने से इन्कार कर दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार ऐसी निर्धारित प्रक्रिया में उल्लंघन की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) गत एक वर्ष में कितने सरकारी कर्मचारियों ने इस सुविधा की मांग की थी और उस पर क्या कार्यवाही की गई,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रामकृष्ण पूरम सेक्टर एक में पर्यावरण संबन्धी वातावरण

2760. **प्रो. अजीत कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान विंग द्वारा ठीक से कार्य न करने के कारण सरकारी रिहायशी कालोनियों में और विशेषकर रामकृष्ण पुरम सैक्टर एक में लान बाड़ों, पौधों और पर्यावरण संबन्धी वातावरण की कोई देखभाल नहीं की जा रही है और उन्हें अपेक्षित छोड़ दिया गया है और वहाँ से धूल उड़ती रहती है तथा सैक्टर एक के निवासियों के संगठन (पजीकृत) के प्रयासों का कोई फल नहीं निकला है, और

(ख) यदि हाँ, तो वृक्षों, बाड़ों लानों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने तथा उससे हरियाली और स्वस्थ्य वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(क) पार्कों के अनुरक्षण तथा उनमें पानी देने में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

आर. के. पूरम के क्वार्टरों में घटिया किस्म की सफेदी, रंग तथा लकड़ी का कार्य

2761. **श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर. के. पुरम, नई दिल्ली में सफेदी तथा रंग की किस्म तथा लकड़ी का कार्य एव मरम्मत कार्य (खास कर सैक्टर एक में) संतोषजनक नहीं है और रजीडन्स वैलफेयर एसोसियन्स द्वारा किए गए विरोध की ओर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और न वे अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मामलों के कोई वास्ता रखते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी जाँच करने तथा निवासियों के लिए कुशल सेवा कार्य की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और सावधानियाँ बरत रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। रामकृष्ण पुरम में सफेदी रंग रोगन, काष्ठकार्य और मरम्मत के कार्य की कोटि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार है। रेजीडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशनों या अलग अलग व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

(ख) यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण स्टाफ की देख रेख में किया जाता है।

आर. के. पुरम, नई दिल्ली में सड़कों का रख-रखाव

2762. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर. के. पुरम में (खासतौर पर सैक्टर 1 में) पहुँच मार्ग खराब हो गया है और खस्ता हालत में है तथा वार्षिक रख रखाव और मरम्मत के लिए निर्धारित धनराशि में से इनकी मरम्मत/रख रखाव नहीं किया गया है (1962 से) ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निवासी कल्याण समिति (रैजीडेन्स वैलफेयर एसोसियशन) यह कार्य करने के लिए भरसक प्रयास करती रही है लेकिन धन की कमी के कारण अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो सैक्टर एक, आर. के. पुरम से शुरू होने वाले मार्गों को मरम्मत कराने के लिए सरकार का आवश्यक धन राशि कब नियत करने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) राम-कृष्ण पुरम में सम्पर्क मार्गों की मरम्मत करना अपेक्षित है। किन्तु यह सत्य नहीं है कि 1962 से मरम्मत नहीं की गई। 1977-78 और 1978-79 के दौरान उपलब्ध सीमित निधियों में से भी कुछ मरम्मत की गई थी।

(क) जी, हाँ।

(ग) ज्योंही समग्र रूप से वित्तीय स्थिति सुधरेगी सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य आरम्भ किया जाएगा। तब तक केवल ऐसी ही सड़कों की जिनकी तरफ ध्यान देना अपेक्षित होता है, उपलब्ध सीमित संसाधनों के भीतर, मरम्मत की जाती है।

संसद्विदों के लिए कालोनी

2763. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद्विदों तथा राजनैतिक क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण लोगों को देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थाई आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से उनके लिए आरक्षित "चाणक्य नगर" अथवा "चन्द्रगुप्त नगर" नाम से एक कालोनी के निर्माण का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए स्थान का चुनाय प्रेजीडेण्ट एस्टेट के भीतर अथवा बिरला मन्दिर के पश्चिम में स्थित जंगल की जगह को साफ करके तथा विकसित करके किया जाएगा और यदि हां, तो इस दिशा में ठोस उपाय कब तक किए जाएंगे;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नाराण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेहरू नगर मार्किट फ्लेट्स

2764. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेहरू नगर मार्किट फ्लैट्स के प्रत्येक आबंटी के लिए एक पृथक शौचालय के लिए मंजूरी दी है और क्या उक्त कार्य उन फ्लैटों में भी अधूरा ही छोड़ दिया गया जहां उसे सुगमता से पूरा किया जा सकता था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेहरू नगर मार्किट में कुछ उद्योगियों ने दुकानों को औद्योगिक शैडों में परिवर्तित कर दिया है और डी. डी. ए./दिल्ली नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां भारी मशीनें लगा ली हैं जिसके फलस्वरूप नेहरू नगर मार्किट में इन दुकानों के ऊपर बने फ्लैटों के आबंटियों के लिये आग लगने की तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम पैदा हो गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार उन औद्योगियों को वहाँ से निकालेगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पोलिएस्टर खादी का उत्पादन

2765. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलिएस्टर खादी का उत्पादन कब आरम्भ किया था;

(ख) उस पर वर्ष 1978-79 और 1980 के दौरान कितनी राशि व्यय की गई तथा इस अवधि में बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग के नवीकरण के लिए कोई अन्य कार्यवाही करने का है,

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) 1979-80 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में 32 पोलीवस्त्र यूनिटें स्थापित की गई थीं। 1979-80 में आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पंजीकृत संस्थाओं राज्य बोर्डों को ऋण के रूप में 38.39 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई थी। चूंकि यूनिटों में उत्पादन अभी बढ़ाया जाना है अतः बिक्री अभी तक नगण्य ही हुई है। कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया गया है और इतनी जल्दी इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है।

छठी योजना के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा के लिए संस्थान

2766. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली "टाप हैवी एण्ड बाटम वीक" के सिद्धान्त पर आधारित है;

(ख) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 4 प्रतिशत संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने की 1980-85 की छठी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए 905 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) 4 प्रतिशत संसाधनों का संदर्भ स्पष्ट नहीं है। शिक्षा के लिए की गई कुल योजनागत व्यवस्था में से प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 36 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

श्वेत क्रान्ति में पूंजी निवेश

2767. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में 'श्वेत' क्रान्ति के संवर्धन के लिए अब तक कितनी धनराशि का पूंजी निवेश किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : पशुपालन तथा डेरी विकास की योजनाओं के तहत अब तक का वित्तीय व्यय संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

ब्यौरा	पशुपालन तथा डेरी विकास का वास्तविक व्यय
पहली योजना	16.00
दूसरी योजना	33.00
तीसरी योजना	77.00
1966-69	59.70†
चौथी योजना	135.40
पाँचवी योजना	337.47
1979-80	131.25†
1980-81	147.68†
योग	937.50

†अनुमानित व्यय।

जयपुर में आयोजित डेरी सहकारी राष्ट्रीय सम्मेलन

2768. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1978 में जयपुर में डेरी सहकारी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें किये गये निर्णय क्या हैं; और

(ग) अब तक कार्यान्वित किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से निर्णय अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहयोग से नवम्बर 1978 में जयपुर में डेरी सहकारी समितियों के एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था।

(ख) और (ग) जानकारी अनुबन्ध में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 206/81]

डाक सेवाओं के विकास के लिए योजना

2769. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश में डाक सेवाओं के विकास के लिए अभी हाल में निर्णय किया है और 175 करोड़ रुपए की एक योजना की मंजूरी दी है,

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के बारे में ब्यौरा क्या है और राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई है,

(ग) क्या सरकार का बिहार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों सहित पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विचार करने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान देश में डाक सेवाओं के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा 172 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) अनुमोदित राशि को योजना-वार आवंटित किया जाता है न कि राज्यवार। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय का योजनावार वितरण निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	आवंटित राशि (करोड़ रुपयों में)
(1) डाक जाल कार्य का विस्तार	9.82
(2) डाक भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	140 47
(3) प्रशिक्षण	10.00
(4) डाक मोटर सेवा वाहनों की खरीद	4.91
(5) रेल डाक सेवा वाहनों की व्यवस्था	3.15
(6) सेवा का मशीनीकरण तथा आधुनिकीकरण	3.65
	172 00 करोड़ रुपए

(ग) जी हां।

(घ) 1980-85 की योजना अवधि के दौरान देश के पहाड़ी, पिछड़े तथा जन जातीय क्षेत्रों में जिनमें बिहार राज्य भी शामिल है, 5,000 नये डाक घर खोलने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक के स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन

2770. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में प्राथमिक स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापक अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन करते आ रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार धन की कमी के कारण उन की भी माँगों को पूरा नहीं कर सकी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि प्राथमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की माँग पूरी करने के लिए धनराशि आवंटित की जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त माँगों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने केरल राज्य को कितनी धनराशि देना स्वीकार किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार को ऐसे किसी आन्दोलन की जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

2771. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में विश्व बैंक से अत्यधिक सहायता प्राप्त कृषि अनुसंधान परियोजना चलाई गयी है जिसके लिए 5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) परियोजना कब तक आरम्भ हो जाएगी;

(घ) विश्व बैंक कितना ऋण देने पर सहमत हुआ है; और

(ङ) क्या इस परियोजना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता भी दी जायेगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) भारत में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु खाद्यान्नों तथा तिलहनों पर, विशेषकर बारानी खेती में, स्थान विशेष की अनुसंधान को चलाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 1.1.79 से एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना शुरू की गई है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत पाँच वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से योग्य विश्वविद्यालयों को सहायता मिलने की आशा की जाती है; प्रत्येक राज्य कृषि विश्वविद्यालय के लिए औसत आबटन का हिसाब 5 करोड़ रुपए लगाया गया है। कृषि विज्ञान विश्व वद्यालय, बंगलौर इस प्रायोजना के अन्तर्गत भाग लेने के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

2. इस प्रायोजना के अन्तर्गत निवेश हेतु कर्नाटक के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने हेतु वर्तमान अनुसंधान कार्यकलापों का पूरा पुनरीक्षण भा.कृ.अ.प. द्वारा स्थापित प्रवर समिति द्वारा किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1979 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर, निम्नलिखित उप-प्रायोजनाएं भा.कृ.अ.प. द्वारा स्वीकृत कर दी गई है जो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा कार्यान्वित होंगी :—

कृषि जलवायु क्षेत्र	क्षेत्रीय केन्द्र	प्रारम्भ करने की तिथि	स्वीकृत लागत
1. उत्तरी शुष्क क्षेत्र	बीजापुर	1.5.80	79.27 लाख
*2. तरीय क्षेत्र	ब्रह्मावार	1.4.81	111.30 लाख
*3. पर्वतीय क्षेत्र	मूडीगेरे	1.4.81	68.74 ,,
*4. पूर्वी सक्रमण क्षेत्र	रायचूर-बीदर	1.4 81	40.84 ,,
5. —	अनुसंधान निदेशक, बंगलौर के कार्यालय को सुदृढ़ करना	1.7.80	13.94 ,,
		कुल :	314.09 लाख

अनुसंधान केन्द्रों को मजबूत करने हेतु कुछ और प्रस्ताव कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से प्राप्त हुए हैं जिनकी परिषद् में जांच की जा रही है।

(घ) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के लिए पूरी प्रायोजना हेतु अन्तराष्ट्रीय विकास संघ ने, जोकि विश्व बैंक से संबद्ध है भारत सरकार को 23 करोड़ रुपए का विकास ऋण देने की स्वीकृति दी है। विश्व बैंक की सहायता इन प्रायोजना पर किए गये खर्च के 50% तक सीमित होगी।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (1) कर्मचारी (2) सिविल कार्य (3) फार्म विक स (4) उपस्कर (5) फुटकर व्यय से सम्बन्धित विभिन्न उप-प्रायोजनाओं पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों को शत प्रतिशत अनुदान देती है। यह सहायता प्रत्येक उप-प्रायोजना के प्रारम्भ होने की तिथि से पांच वर्ष के लिए दी जाती है। पाँच वर्ष के अन्त में, केन्द्र के रखरखाव की जिम्मेवारी सरकार/ विश्वविद्यालय द्वारा उठायी जायेगी। भूमि अधिग्रहण, खेती करने की सामान्य लागत और केन्द्र की उपयोगिताओं के बंधे-बंधाये खर्चों से सम्बन्धित मदों पर खर्चे का वहन राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

ग्रामीण आवासीय योजनाओं का सर्वेक्षण

2772. श्री बी. बी देसाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*यद्यपि 28 2.1981 को स्वीकृति जारी की गई परन्तु कार्यान्वयन 1.4.1981 से शुरू होगा।

(क) क्या प्रमुख संस्थागत एजेंसियों द्वारा उपलब्ध किये गये 800 करोड़ रुपये के लगभग सम्पूर्ण आवासीय ऋण से शहरी क्षेत्रों को लाभ मिला है और ग्रामीण क्षेत्रो के लिए कुछ भी नहीं किया गया है ।

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह विचार "ग्रामीण आवास" पर भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ पेपर में व्यक्त किए गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो किस सीमा तक

(घ) क्या अध्ययन से अनुमान लगाया गया है कि देश के ग्रामीण निर्धनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 75 वर्ग मीटर के मकान पर 1503/-रुपये की औसत लागत से 428 लाख मकान बनाए जाने होंगे जिन पर 13,090 करोड़ रुपये की लागत आएगी;

(ङ) क्या उक्त अध्ययन से यह भी पता चला है कि तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अधिक परिवार बेघर हैं;

(च) क्या यह भी बताया गया है कि देश में लगभग 42 लाख परिवार बेघर हैं; और

(छ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) और (ख) तथा (घ) से (च) इस प्रकार के विचार "ओकेजनल पेपर्ज" शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निकाले गये एक छमाही प्रकाशन में भारतीय रिजर्व बैंक के एक अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक लेख में व्यक्त किये गये हैं सिवाय कि 13,090 करोड़ रुपये का दिखाया गया व्यय 1,503 रुपये प्रति मकान की बजाए 3,054 रुपये की औसतन लागत के आधार को मानकर लगाया गया है जिसका कुर्सी क्षेत्र लगभग 75 वर्ग मीटर है और मकान रहित परिवारों की संख्या 42 लाख की बजाय 46 लाख बताई गई है ।

(ग) नगर क्षेत्रों पर खर्च की गई राशि के बारे में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं दिये गये हैं । जो बताया गया है वह केवल यह है कि प्रायः इस सभी से (750 रुपये से 800 करोड़ रुपये तक) नगरीय क्षेत्रों को लाभ होगा ।

(छ) आवास राज्य का विषय होने के कारण, इस क्षेत्र में उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर आता है । छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में, राज्य क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए गृह निर्माण हेतु आवास स्थल तथा राज सहायता की व्यवस्था करने के लिए एक योजना शामिल है । छठी योजना में 353.5 करोड़ रुपये की कुल लागत से 68 लाख परिवारों को आवास स्थल देने तथा 36 लाख परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है ।

मकानों के मामले में आवास योजनाओं के लिए भारत सरकार की गतिविधियां राज्य सरकारों और अन्य आवास अभिकरणों को आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) सामान्य बीमा निगम (जी.आई.सी.), और जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने तक ही प्रायः सीमित हैं । इसमें बल ग्रामीण आवास पर दिया जाएगा । छठी योजना के दौरान हुडको के 600 करोड़ रुपये के ऋणों में से, 90 करोड़ रुपये ग्रामीण आवास के लिए निर्धारित किये गये हैं । सामान्य बीमा निगम के वार्षिक ऋण की मौजूदा मात्रा 18 करोड़

रुपये हैं जो केवल ग्रामीण आवास और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए है, जबकि जीवन बीमा निगम के 44 करोड़ रुपये के वार्षिक ऋण में से, 10 करोड़ रुपये केवल ग्रामीण आवास के लिए है।

खाद्य तथा जल प्रदूषण के बारे में पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों का दौरा

2773. **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री सुभाष चन्द्र अल्लूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी के एक विशेषज्ञ दल ने खाद्य तथा जल प्रदूषण सम्बन्धी उन परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विभिन्न निकायों तथा प्राधिकारियों से वार्ता करने के लिए भारत का दौरा किया था जिन्हें पश्चिम जर्मनी की सहायता से भारत में स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम जर्मनी के इन विशेषज्ञों ने भारत के कुछ राज्यों का दौरा किया था और इसे सरकार के अनुमोदन के लिए एक पूरी योजना पेश की थीं; और

(ग) यदि हां, तो वे खाद्य परियोजनायें क्या हैं जिन्हें पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्य और जल प्रदूषण से सम्बद्ध विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए पश्चिम जर्मनी के किसी विशेषज्ञ दल ने भारत का दौरा नहीं किया तथापि उक्त देश के छ: सदस्यों के एक शिष्ट मण्डल ने अप्रैल, 1978 में भारत का दौरा किया था और धान्यों व अन्य कृषि जिन्सों की कटाईइतर संभाल, भण्डारण, परिसंस्करण, ऋण नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में नेशनल पार्क के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग।

2774. **श्री भोखा भाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के एक मरुस्थलीय नेशनल पार्क की स्थापना की सिफारिश की है।

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राजस्थान में कौन सा स्थान चुना गया है।

(ग) क्या किसी विशेषज्ञ दल ने राजस्थान का दौरा किया है और स्थान का चुनाव किया है।

(घ) उक्त मरुस्थली नेशनल पार्क पर कितनी लागत आयेगी और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है।

(ङ) क्या सरकार का विचार पर्वतीय क्षेत्रों में भी नेशनल पार्क स्थापित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) राजस्थान के जैसलमेर तथा बाढ़मेर जिलों के क्षेत्र।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क की लागत 247.16 लाख रुपए है। व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपए)
(1) स्थापना	35.57
(2) मरुस्थल में पेड़ पोधों का संरक्षण	5.85
(3) मरुस्थल में पौधों का पुनरुत्पादन	146.00
(4) जल संरक्षण	23.38
(5) भवन	29.00
(6) पशुधन	3.40
(7) वाहन	11.13
(8) वुड फोसिल पार्क	1.83
योग	247.16

(ङ) तथा (च) राज्य सरकारें वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना कर सकती हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक आवास

2775. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई जैसे महानगरों में नगर योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत गिराये जा रहे पुराने मकानों के उन गरीब किराएदारों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के मामलों पर उसी रूप में विचार करेगी, जैसाकि गन्दी बस्तियों से हटाए गए व्यक्तियों के मामले में उन्हें केन्द्रीय सहायता के माध्यम से सस्ते किराये पर वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करके लिया था; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है कि विस्थापित किराएदारों के लिए उनके गिराए गए मकानों से अधिक दूरी पर वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाये, ताकि ये अपने आस-पास के वातावरण तथा व्यसाय के स्थानों से उजड़ न जाएं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) नगर विकास राज्य का विषय है और यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे सम्बन्धित विधान के उपबन्धों के आधार पर नगर पालिका शहरों में नगर आयोजना स्कीमों को बनाने एवं लागू करने के लिए मार्गनिर्देशन निर्धारित करें। गन्दी बस्तियों का उन्मूलन और विस्थापितों को उन्हीं

स्थलों या वैकल्पिक स्थलों पर पुनः स्थान देने की यह गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना 1-4-69 से राज्य क्षेत्र योजना के रूप में चलाई जा रही है। इसलिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई सीधी वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मण्डीद्वीप, भोपाल में डाक-तारघर

2376. **श्री रामअवध** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल स्थित मंडीद्वीप में कोई डाक और तारघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर डाक और तारघर खोलने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) मंडीद्वीप में उप डाकघर पहले से ही मौजूद है जिसमें फोनोकाम पर तार सुविधा उपलब्ध है। फोनोकाम सर्किट का मोर्स कार्यकरण में परिवर्तन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भण्डारों के प्राप्त होने पर यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा विलम्ब शुल्क और ढुलाई पर किया गया खर्च

2777. **श्री रामअवध** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को पर्याप्त भन्डारण क्षमता न होने के कारण हर वर्ष विलम्ब शुल्क और ढुलाई प्रभार के रूप में भारी राशि खर्च करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास 31-12-1980 को लगभग 213 लाख मीटरी टन का भण्डारण स्थान (निजी और किराए का) उपलब्ध था जिसमें से केवल 49.8 प्रतिशत का उपयोग हो रहा था। तथापि, यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि की आवश्यताओं को पूरा करने के लिए अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों की रेल तथा सड़क मार्ग से खाद्य न्नों को भेजने के लिए और यथावश्यक बफर स्टाक का भन्डारण करने के लिए भी पर्याप्त राशि खर्च करता रहा है। कभी-कभी ठेकेदारों की चूक/विभागीय श्रमिकों द्वारा धीरे-धीरे काम करने, हड़ताल तथा बन्द, वैगनों को जमा हो जाने, वैगनों को दूसरे स्थान पर भेजने, भारतीय खाद्य निगम और रेलवे के काम के घन्टे में भिन्नता होने आदि जैसे कई कारणों से रेलवे वैगनों पर डेमरेज देना पड़ता है।

पिछले तीन वर्षों में डेमरेज और ढुलाई प्रभार शीर्ष के अन्तर्गत रेल भाड़ा और लारी भाड़ा के रूप में खर्च हुई कुल राशि इस प्रकार है :—

(आकड़े लाख रुपयों में)

	1977-78	1978-79	1979-80
डेमरेज	181.34	230.32	304.38
रेल भाड़ा	10,969.33	9,982.58	12,816.40
लारी भाड़ा	1,450.44	1,796.91	2,086.02

(ग) भारतीय खाद्य निगम के डेमरेज की राशि को बहुत ही कम करने की दिशा में आवश्यक पग उठता रहा है जोकि इस प्रकार हैं :—

(1) जहां कहीं हैंडलिंग तथा ट्रांस्पोर्ट टेकेदार डेमरेज/स्थान शुल्क देने के लिए उत्तर-दायी होते हैं वहां उनसे यह राशि वसूल की जाती है।

(2) विभागीय श्रमिकों के बारे में मामले में जहाँ कहीं आवश्यक होता है, स्टाफ की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।

(3) रेलवे से वैगनों में माल लादने और उतारने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैय्या करने के लिए कहा जाता है।

(4) जहाँ कहीं यह देखा जाता है कि वैगन अथवा माल का रोकना भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रण के बाहर है अथवा रेलवे द्वारा माल लादने तथा उतारने के लिए प्रदान की गई सुविधायें अपर्याप्त होने के कारण वैगनों को रोकना पड़ा है, वहां रेलवे से वसूल की गयी राशि को लौटाने के लिए भी पत्र व्यवहार किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम की भन्डार क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। छठी योजनावधि के दौरान, भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 25 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता बनवाए जाने की व्यवस्था की गई है।

गुजरात के सूरत टेलीफोन मंडल के टेलीफोन एक्सचेन्जों में अपने टेलीफोन स्वयं खरीदो टेलीफोन के लिए आवेदन पत्र

2778. **श्री छोतूभाई गामित :** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत टेलीफोन मंडल में वारडोली, मदनी, पालोड, वेयरा तथा सोनगढ़ टेलीफोन केन्द्रों से 'अपने टेलीफोन स्वयं खरीदें" तथा अन्य वर्गों के टेलोफोन कनेक्शनों के लिए 1977 से 1980 के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उपरोक्त मांग के विरूद्ध अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गऐ हैं; और

(ग) शेष कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे और टेलीफोन कनेक्शन शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है। पालोड नामक किसी स्थान में कोई एक्सचेन्ज नहीं है। अनुमान है कि प्रश्नमलोद से सम्बन्धित है जिसके बारे में सूचना दी जा रही है।

(ग) मौजूदा एक्सचेन्जों का विस्तार किया जा रहा है। आशा है कि लगभग 1981 के मध्य तक इन एक्सचेन्जों की प्रतीक्षा सूची के अधिकांश आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

विवरण

गुजरात में सूरत तार मंडल के बारडोली, मदनी, भलोद, बेयरा तथा सोनगढ़ टेलीफोन एक्सचेन्जों में 1977 से 1980 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदन तथा 1-2-81 तक प्रदान किए गए कनेक्शनों का विवरण ।

क्रम संख्या	एक्सचेन्ज	1977 से 1980 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र				1977 से 1980 के दौरान तथा जनवरी 1981 में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या ।			
		ओवाइटी	विशेष	साधारण	कुल	ओवाईटी	विशेष	साधारण	कुल
1.	बरडोली	10	23	207	240	9	18	132	159
2.	मदनी	5	कुछ नहीं	25	30	3	कुछ नहीं	12	15
3.	वालोद	2	2	23	27	1	1	4	6
4.	वेयरा	4	5	66	75	3	5	58	66
5.	तोनगढ़	8	4	41	53	6	2	19	27

गुजराज के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2779. **श्री छोतूभाई गामित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 से 1980 के दौरान गुजरात टेलीफोन सर्किल के प्रत्येक जिले में 2000 की आबादी वाले गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र उपलब्ध कराने की एक योजना थी तथा उसके अन्तर्गत मन्जूर किए गए तथा वास्तव में लगाए गए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) सूरत जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायकों तथा संसद सदस्यों द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना की मांग की गई तथा उन गांवों के नाम क्या हैं जिनके लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की मन्जूरी दी गई है;

(ग) उन गांवों के नाम क्या हैं जहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है तथा शेष ऐसे गांवों में, जहां के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) सूरत जिले में 2000 की आबादी वाले गाँव में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की मन्जूरी कब तक दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं । प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उटता ।

(ख) तथा (ग) सूचना विवरण में दी गई है ।

(घ) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए 2000 की आबादी होना कोई मानदन्ड नहीं है और इस प्रकार तथ्य को देखते हुए समय बताना सम्भव नहीं है ।

विवरण

सूरत जिले के उन स्थानों का नाम जहां लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मांग प्राप्त हुई और जिन्हें मन्जूर तथा संस्थापित कर दिया गया है।

प्राप्त मांग	मन्जूर तथा संस्थापित किए गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	कैफियत
वेदकुवा	वेदकुवा	
भड़भूजना	भड़भूजना	
बोधान	बोधान	
आरथन	आरयन	
हाथूरन	हाथूरन	
कापूरा	कापूरा	
मूहूवारिया	मूहूवारिया	
मोर	मोर	
मोटा	मोटा	
नानी-नरोली	नानी-नरोली	
उम्बा	उम्बा	
ऊंचमाला	ऊंचमाला	
वारिया	वारिया	
वाव	वाव	
पाती	पाती	
मोटा-वरंछा	मोटा-वरंछा	
दोलवाना	दोलवाना	
फुलपाड़ा	फुलपाड़ा	
पिजारत	पिजारत	
नोगामा	नोगामा	
दाभेल	दाभेल	
कोस	कोस	
नगामा	नगामा	
आररोघ	—	विभाग की मौजूदा नीति में निर्धारित मानदन्ड पूरा न करने के कारण इन स्थानों पर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का औचित्य नहीं है। इन गांवों को किराया या गारन्टी के आधार पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि प्रत्येक मामले में अलग-अलग कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाली क्षति की पूर्ति करने को तैयार हो।
गटोली	—	
मोतिचेर	—	
पाटल	—	

किसानों के आवास के लिए वित्तीय स्त्रोत

2780. श्री छीतूभाई गामित : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन किसानों के बारे में जिनके पास अपनी आवास समस्या हल करने के लिए कोई वित्तीय स्त्रोत नहीं हैं, आंकड़े एकत्र किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे किसानों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) उनकी आवास समस्या हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन परिवारों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्र किये गए राज्य वार आंकड़े हैं जिन्हें ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों, फार्म मजदूरों सहित, दस्तकारों, मछियारों इत्यादि की मकान निर्माण के लिए मकान की जगह व सहायता की व्यवस्था के लिए राज्य क्षेत्र प्लान योजना के अधीन सहायता की आवश्यकता है।

(ग) आवास, राज्य का विषय होने के कारण इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताई गई यह योजना शामिल है जिसका पूंजीगत परिव्यय 353.5 करोड़ रुपये है।

आवास के मामले में भारत सरकार की गतिविधियां अधिकतर राज्य सरकारों और अन्य आवास अभिकरणों को उनकी आवास योजनाओं और ग्रामीण आवास के प्रावधान के लिए ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित है जिसे कि आवास तथा नगर विकास निगम (हुड़को), सामान्य बीमा निगम (जी. आई. सी.) तथा जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.) के माध्यम से दिया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुड़को के 600 करोड़ रुपये के ऋण में से 90 करोड़ रुपये ग्रामीण आवास के लिए उद्दिष्ट किए गए हैं। सामान्य बीमा निगम का वार्षिक ऋणों का वर्तमान स्तर जो कि अलग से ग्रामीण आवास तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए, 18 करोड़ रुपये है जबकि जीवन बीमा निगम के 44 करोड़ रुपये के वार्षिक ऋणों में से 10 करोड़ रुपये अलग से ग्रामीण आवास के लिए हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमानित आवास स्थालों के आवंटन तथा निर्माण सहायता के लिए पात्र परिवारों की संख्या (जैसा कि 30-9-1980 तक बतलाया गया है)
1. आन्ध्र प्रदेश	16,00,000
2. असम	2,37,607
3. बिहार	19,58,000(क)

1	2
4. गूजरात	4,62,333
5. हरियाणा	2,46,392
6. हिमाचल प्रदेश	20,694
7. जम्मू व काश्मीर	20,120
8. कर्नाटक	10,60,852
9. केरल	1,34,889
10. मध्य प्रदेश	9,13,037
11. महाराष्ट्र	4,97,547
12. उड़ीसा	4,19,000
13. पंजाब	2,97,046
14. राजस्थान	8,54,023
15. तमिलनाडु	14,97,000 (क)
16. त्रिपुरा	42,650
17. उत्तर प्रदेश	12,40,340
18. पश्चिम बंगाल	2,82,961
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,628
2. चन्डीगढ़	90
3. दादर तथा नागर हवेली	1,035
4. दिल्ली	14,800
5. गोवा, दमण तथा दीव	1,596
6. पाँडिचेरी	15,213
कुल	1,18,16,213

(क) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार।

इस योजना का कार्यान्वयन मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिजोरम में नहीं किया जा रहा है।

झालावाड़ के जिला मुख्यालयों के लिए माइक्रोवेव लाइन बिछाया जाना

2781. **श्री चतुर्भुज :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झालावाड़ के जिला मुख्यालय में टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के लिए माइक्रोवेव लाइनें बिछाने का प्रस्ताव कब से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या जिले के भीतर सीधी टेलीफोन लाइनें स्थापित करने तथा इन्दौर, उज्जैन, कोटा, बम्बई, भोपाल जैसे प्रमुख नगरों से जिला मुख्यालयों को सीधे जोड़ने का कोई प्रस्ताव आवश्यकता के रूप में सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) झालावाड़ के लिए सूक्ष्म तरंग प्रणाली प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु झालावाड़-कोटा मार्ग पर 60 सर्किट क्षमता वाली यू. एच. एफ. रेडियो प्रसारण प्रणाली प्रदान करने का एक प्रस्ताव नवम्बर, 1978 से विचाराधीन है ।

(ख) झालावाड़ से जयपुर, कोटा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, अकलेरा, खानपुर झालड़ा पटन तथा जिले के अनेक सार्वजनिक टेलीफोन घरों में सीधी टेलीफोन लाइनें पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। इस समय जिले में झालावाड़ से अतिरिक्त सीधी टेलीफोन लाइनों के प्रदान करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है । झालावाड़ के जिला मुख्यालयों से देश के अनेक अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के प्रश्न पर, झालावाड़-कोटा-यू. एच. एफ. प्रणाली, जिसे 1984-85 के संस्थापन कार्यक्रम में अस्थाई तौर पर शामिल किया गया है, के पूरा होने के पश्चात विचार किया जाएगा ।

(ग) अभी तक इसका कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है ।

पुनरीक्षित प्रोत्साहन परियोजनाओं के अन्तर्गत चीनी मिलों को लाभ

2782. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई चीनी मिलों को पुनरीक्षित प्रोत्साहन और एककों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये ऊंची लागत पर स्थापित विस्तार परियोजनाओं के अन्तर्गत कितनी चीनी मिलों को लाभ पहुँचेगा; और

(ख) सरकार द्वारा पुनरीक्षीत योजाना के अन्तर्गत प्रत्येक मिल की पात्रता की जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) सरकार के पास अब तक संशोधित योजना के अधीन प्रोत्साहनों का दावा करते हुए पहले से ही स्थापित हुई 60 नयी चीनी फैक्ट्रियों और वर्तमान चीनीफैक्ट्रियों द्वारा पूरे किए गए 35 विस्तार प्रोजेक्टों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों, जिनमें ऐसे पैरामीटरों का उल्लेख कियागया है, जिनको पूरा करने पर ऐसी फैक्ट्रियां, प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकती हैं, के अनुसार ऐसी नयी फैक्ट्रियां, जिनके प्लांट और मशीनरी की रेल तक निष्प्रभार लागत 200 लाख रुपये से अधिक हो और विस्तार के मामलों में विस्तार कार्य पूरा करने के फलस्वरूप उत्पादन पिछले तीन वर्षों के औसत उत्पादन से अतिरिक्त हो, प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार होंगी । उनके दावों की जांच की जा रही है । और पात्र फैक्ट्रियां ही इस प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार होंगी ।

(ख) सरकार ने प्रत्येक दावेदार फैक्ट्री की पात्रता का जायजा लेने से सम्बन्धित कार्य को अग्रता के आधार पर पहले ही शुरू कर दिया है । इस प्रयोजन हेतु फैक्ट्रियों के लिए महत्वपूर्ण और पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत करना अपेक्षित है । प्रस्तुत किए गए अपेक्षित आंकड़ों की की जांच करने के बाद दावों को अन्तिम रूप दिया जाता है । इन सभी दावों को यथा सम्भव शीघ्र भुगताने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । लेकिन इस समय कोई निश्चित समयावधि बताना व्यवहार्य नहीं है ।

चिल्का झील उड़ीसा का विकास

2783. **श्री राम चन्द्र रथ :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की चिल्का झील में बड़ी तेजी से गाद जमा होता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को चिल्का झील के विकास के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई योजना अनुमान प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो झील को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। गाद तेजी से जमा नहीं हो रही है।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) योजना आयोग में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

कटिहार बिहार के टेलीग्राफ कर्मचारियों की मांगे

2784. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार, बिहार के टेलीग्राफ कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एस. डी. जी. टी के कार्यालय के सामने 24 जनवरी, 1981 को भूख हड़ताल करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां तो क्या कटिहार शाखा की ए. आई. टी. ई. ई. एल/एस और ग्रुप 'डी' शाखाओं द्वारा मांगपत्र दिया गया था; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। फिर भी कर्मचारियों ने 27 जनवरी, 1981 को भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया था न कि 24 जनवरी 1981 को जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है।

(ख) एवं (ग) विभाग की दूर संचार शाखा सम्बन्धित छः मांगे थीं जिनमें से दो मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने की मांग को छोड़कर शेष सभी पर पटना के महा प्रबन्धक दूरसंचार द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। इस मांग पर भी कार्यवाही की जा रही है।

दम दम हवाई अड्डे में कीड़ों कृमियों की भरमार

2765. **श्री एन. राम गोपाल रेड्डी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि दम दम हवाई अड्डे में कीड़ों-कृमियों की भरमार है;

(ख) क्या इनमें से एक कीड़ा भारत के पूर्वी क्षेत्र में धान की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक और क्षति पहुँचाने वाला साबित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) दम दम हवाई अड्डा, कलकत्ता में विभिन्न रंगों के तेज रोशनी वाले प्रकाश-स्रोत है, जो विभिन्न प्रकार के फोटोट्रोपिक कीटों को आकर्षित करते हैं। भारतीय जीवविज्ञान सर्वेक्षण कलकत्ता हवाई अड्डे में रात को प्रकाश की ओर आकर्षित होने वाले कीटों की गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है। इस प्रकार के कीटों में पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में धान लगने वाले कुछ खास कृमि भी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न और नकद राशि का उपयोग

2786. श्री के. टी. कोसलराम : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-82 के दौरान खाद्यान्न की कितनी मात्रा का (राज्यवार) उपयोग किया गया;

(ख) कौन-कौन से राज्य इस कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं;

(ग) मुख्यत: स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए नकद सहायता के रूप में दी गई 70 करोड़ रु० की धनराशि में से राज्यों द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है, उन राज्यों के नाम क्या है और प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या केन्द्र को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इस योजना का उपयोग पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में सत्तारुढ़ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अक्तूबर, 1980 में ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्थान पर शुरू किया गया है। इस समय प्राप्त रिपोर्टों से काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों को संयुक्त रूप से उपयोग में लाए जाने का पता चलता है। 1980-81 के दौरान अब तक सूचित खाद्यान्नों के उपयोग सम्बन्धी आंकड़े संलग्न विवरण मे दिए गए हैं।

(ख) दादरा तथा नागर हवेली, गोवा, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप और दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ग) सृजित परिसम्पतियों को स्थायी बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री हेतु 70 करोड़ रुपये में से राज्यों में अब तक 57.30 करोड़ रुपये की धनराशि बंटित की गई है। वास्तविक रूप से उपयोग में लाई गई धनराशि का अब प्राप्त होने वाली प्रगति रिपोर्टों से पता चलेगा।

(घ) व (ङ) पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई शिकायतों में से एक शिकायत योजना के अन्तर्गत सुलभ किए गए खाद्यान्नों को सत्तारूढ़ पार्टी को मजबूत बनाने हेतु उपयोग में लाए जाने के सम्बन्ध में है। इस तरह की एक शिकायत तमिलनाडु से भी प्राप्त हुई है। दोनों राज्य

सरकारों से इस सम्बन्ध में जांच करने तथा की गई कार्यवाही से सूचित करने का अनुरोध किया गया है केरल से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	उपयोग में लाई गई मात्रा	अवधि जिससे यह सम्बन्धित है
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,20,021.00	जनवरी 81
2.	असम	925.20	दिसम्बर, 80
3.	बिहार	1,20,831.37	अगस्त, 80
4.	गुजरात	17,117.00	अगस्त, 80
5.	हरियाणा	25,013.03	नवम्बर, 80
6.	हिमाचल प्रदेश	10.471.78	जुलाई, 80
7.	जम्मू तथा काश्मीर	7,484.22	सितम्बर, 80
8.	कर्नाटक	19,949.24	मई, 80
9.	केरल	13,575.78	सितम्बर, 80
10.	मध्य प्रदेश	1,47,087.00	अगस्त, 80
11.	महाराष्ट्र	86,703.00	नवम्बर, 80
12.	मणिपुर	—	—
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	3,901.46	दिसम्बर, 80
15.	उड़ीसा	1,14,695.23	दिसम्बर, 80
16.	पंजाब	4,720.47	जनवरी, 81
17.	राजस्थान	1,88,830.00	अक्तूबर, 80
18.	सिक्किम	78.77	अक्तूबर, 80
19.	तमिलनाडु	38,413.23	दिसम्बर, 80
20.	त्रिपुरा	8,465.00	दिसम्बर. 80
21.	उत्तर प्रदेश	2,33,105.08	नवम्बर, 80
22.	पश्चिम बंगाल	73,811.00	दिसम्बर, 80
23.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1,739.99	अक्तूबर, 80
24.	अरुणाचल प्रदेश	101.69	अक्तूबर, 80
25.	चंडीगढ़	—	—
26.	मिजोरम	80.00	दिसम्बर, 80
27.	पांडिचेरी	591.42	अगस्त, 80
	योग	12,37,711.96	

डी. डी. ए. वर्कस यूनियन

2787. श्री भोगेन्द्र झा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. डी. ए. वर्कस यूनियन पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त यूनियन है;

(ख) क्या यूनियन ने अलग-अलग छपे हुए पाँच पर्चे जारी किए हैं जिनमें भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात आदि के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) यूनियन द्वारा परिचालित कुछ इश्तिहार दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिस में आये हैं।

(ग) इश्तिहारों में यूनियन द्वारा उठाए गये मुद्दों के ब्यौरे जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिस में आये हैं तथा उन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की टिप्पणियाँ सभा पटल पर रखे विवरण में दी गई हैं।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की वर्कर्ज यूनियन द्वारा उठाये गये मुद्दे	प्रबधकों की टिप्पणियाँ
(क) न केवल अधिकारी बल्कि आशुलिपिक उच्च श्रेणी लिपिक तथा ड्राइवर जैसे नीचे के कर्मचारी भी प्रतिनियुक्ति पर लिये जा रहे हैं।	उठाई गई आपत्तियां सामान्यतया तुच्छ एवं अस्पष्ट हैं। कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिये गये हैं। अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेते समय या विदेश में प्रशिक्षण पर भेजते समय लोक हित का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है। अनियमितता के विशिष्ट मामलों की सदा जाँच की जाती रही है और ऐसा ही भविष्य में भी किया जाता रहेगा।
(ख) कि प्रतिनियुक्ति पर के व्यक्तियों को वापस भेजने के आदेश रद्द कर दिये गये हैं और लोगों को 4 महीने की छुट्टी स्वीकृत की गई है और अनन्त: उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण में स्थायी तौर पर रख लिया गया है।	
(ग) कि प्रतिनियुक्ति पर लाये अधिकारियों को उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है। ऐसे प्रशिक्षण का लाभ दिल्ली विकास प्राधिकरण को नहीं मिलता क्योंकि ऐसे अधिकारीगण अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी हो जाने के बाद वापस चले जाते हैं।	
(घ) कि लेखा विभागों के अधिकारी अनियमित रूप से यात्रा भत्ता लेते हैं।	

(ङ) औचित्य की जांच किये बिना अधिकारियों को निश्चित वाहन भत्ता दिया जा रहा है।

(च) कि स्टाफ कार/जीपों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

(छ) कि श्रेणी चार कर्मचारियों के निधन पर बुलाई गई शोक बैठकों में वरिष्ट अधिकारी शामिल नहीं होते।

(ज) कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती जो श्रेणी चार के कर्मचारियों को गालियां देते हैं और पीटते हैं।

(ड) कि सीमापुरी और सीलमपुरी कालोनियों में गन्दी बस्ती विंग के कर्मचारियों को 25% मकान किराया भत्ते की अदायगी नहीं की जा रही है।

(ढ) कि स्वर्गीय सर्वश्री राजाराम बेलदार और राम किशन माली जिनकी मृत्यु दिल्ली विकास प्राधिकरण की सेवा करते हुए हुई थी, उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी नहीं दी गई है और उन्हें परोपकारी निधि से भुगतान नहीं किया गया है।

(ण) कि वे अधिकारी जो पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें दोबारा लिया जा रहा है।

(त) कि वे अधिकारी जो सेवानिवृत होने वाले होते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और बाद में उन्हें पुनः नौकरी पर ले लिया जाता है।

(थ) कि प्रतिनियुक्ति पर लोगों को निर्धारित 4 वर्ष की अवधि के बाद भी दिल्ली विकास प्राधिकरण में रखा जा रहा है और नियमों के उपबन्धों को लागू न होने देने के लिये प्रतिनियुक्ति भत्ते के स्थान पर असमय ड्यूटी भत्ता दिया जाता है।

(द) वरिष्ट अधिकारियों को पुनः नौकरी देने और अधीनस्थ स्टाफ को देने की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है।

(ध) कि 1100 1600 रुपये के वेतनमान में कर्मचारियों को ठेके पर रखा जाता है।

(न) कि अधिकारियों को उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूरी होने पर दण्ड लगाने के बाद पदोन्नति से रोक दिया जाता है।

(ट) कि पुलिस द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को अदालतों में झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है।

(ठ) कि कर्मचारियों को अनिश्चित काल तकनिलंबित रखा जाता है

जहाँ तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का संबन्ध है, सभी को एक समान 25% मकान किराया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता जाता

सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार दो दिवंगत कर्मचारियों की विधवाओं को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गई है। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार प्रत्येक मामले में परोपकारी निधि से अदायगी स्वीकृत की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना 1960 के अन्त में हुई थी। क्योंकि यह पिछली हाल की होअवधि में बना है, संगठन ने तकनीकी व गैर तकनीकी दोनों की विभिन्न शाखाओं में अपने अधिकारियों का कोई सुदृढ़ कःडर नहीं बनाया है। अतः वे अधिकारी जिन्हें अपने क्षेत्र में अनुभव और पृष्ट भूमि है उन्हें मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सिविल सेवाओं और इंजीनियरिंग सेवाओं से लोक हित में लिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उनको अपने विभागों में वापस भेजा जा रहा है। तथापि, अपवादात्मक मामलों में कुछ अधिकारियों को सामान्य अवधि के बाद भी सेवा में रखा गया है। इसी प्रकार वे अधिकारी जो संगठन में कमी रहे हैं उन्हें सामान्यतया दूसरी बार प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाता जबतक कि ऐसा करना लोक हित में अति आवश्यक न हो। तथापि, ऐसा बहुत कम किया जाता है। इस समय सारे संगठन में ऐसे केवल दो मामले हैं।

डेल्टा क्षेत्र उड़ीसा में महा नदी पर तटबंध

2788. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में महानदी में इस वर्ष भयंकर बाढ़ से डेल्टा क्षेत्र में बनाये गए प्राय: सभी तटबंध बह गए थे;

(ख) क्या यह सच है कि विद्यमान तटबंधों का पुन: निर्माण किए जाने तथा बाढ़ नियंत्रण संबन्धी उपायों में वृद्धि किए जाने की आवश्कता है; और

(ग) क्या संघ सरकार ने इस समस्या के बारे में राज्य सरकार से बातचीत की है, और यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) महानदी और टेल नदियों के ऊपरी वाहक्षेत्र में अभूतपूर्व वर्षा होने के कारण, महानदी में आई बाढ़ों से उड़ीसा के कटक और पुरी जिलों में तटबंधों में दरारें आ गई जिसके फलस्वरूप व्यापक जल-प्लावन हुआ। राज्य सरकार द्वारा तटबंधों की मरम्मत का कार्य हाथ में लिया गया है।

(ग) राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अन्वेषण करने के पश्चात एक मास्टर योजना, तैयार की जानी चाहिए, जिसमें सहायक नदियों के बेसिनों में जल-संचय जलाशयों की व्यवस्था हो।

जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जांच के लिए गठित किया गया आयोग

2789. **श्री एन. ई. होरो :**

श्री आर. एन राकेश : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 8 फरवरी, 1981 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि न्यायधीश श्री सी. ए. वैद्यलिंगम ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनेक वरिष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जाँच करने के लिए गठित किये गये आयोग से अपने आपको अलग कर लिया है, चूंकि उनकी ईमानदारी तथा निष्पक्षता के बारे में संशय प्रकट किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1980 में मन्त्रालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक नोट भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ संकाय सदस्यों और अधिकारियों के विरुद्ध लगाए कुछ आरोपों का उल्लेख था, और इस नोट में बताये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां देने के लिए उनसे अनुरोध किया। अक्तूबर, 1980 में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा इन आरोपों की जाँच करवाने का निर्णय किया और सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति श्री सी. ए. वैद्यलिंगम को इनकी जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया। इस कार्य को शुरू करने के संबध में निर्णय लेने से पहले न्यायमूर्ति श्री वैद्यलिंगम ने यह इच्छा व्यक्त की कि डा० अशरफ की

सहमति ले ली जाए, जिन्होंने ये आरोप लगाये थे। उन्होंने विधिवत रूप से सहमति दे दी थी। न्यायमूर्ति श्री वैद्यलिंगम की इस एक सदस्यीय जांच समिति की 18-12-80, 2-1-81, 12-1-81 और 27-1-81 को चार बैठकें हुईं। इसी बीच, डा. अशरफ ने 15-1-81 को न्यायमूर्ति श्री वैद्यलिंगम को एक पत्र भेजा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच की यथार्थता के सम्बन्ध में न्यायाधीश के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे। 27 जनवरी, 1981 को हुई चौथी बैठक में न्यायमूर्ति श्री सी. ए. वैद्यलिंगन ने डा. अशरफ के दिनांक 15-1-81 के पत्र का हवाला दिया और उन्होंने यह कहा कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार तथा बिलकुल बेबुनियाद हैं और उनके लिए जांच को जारी रखना सम्मत नहीं है तथा उन्होंने अपना नाम इससे वापस लेने का निर्णय किया।

(ग) क्योंकि जांच समिति के नियुक्त करने का निर्णय विश्वविद्यालय की कार्य समिति ने किया था, अतः इस मामले में उपयुक्त कार्यवाई करना भी विश्वविद्यालय का ही काम है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की स्थापना की रजत जयन्ती मनाया जाना

2790. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की स्थापना को 25 वर्ष हो गए हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इस अवसर को मनाने तथा इसके कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) जी, हां, खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली 13 अप्रैल, 1955 को स्थापित किया गया था तथा इसकी स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गये हैं। खादी भवन, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन एक व्यापार-केन्द्र है और आयोग इस अवसर को मनाने और भवन के कर्मचारियों को कुछ स्मृति-चिह्न देने के बारे में विचार कर रहा है।

लसलगांव मार्केट से प्याज का न उठाया जाना।

2791. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नेफेड' और महाराष्ट्र स्टेट कोओपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा जनवरी 1980 में खरीदी गई 50,000 क्विंटल प्याज के महाराष्ट्र में नासिक जिले की लसलगांव मार्केट के खुले यार्डों में ढेर लगे पड़े हैं क्योंकि 'नेफेड' इसे कोलम्बो और पेनांग के लिए निर्यात करने में असफल रहा है तथा रेलवे वैगनों की कमी के कारण भी प्याज की ढुलाई न हो सकी; और

(क) यदि हाँ तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या उपाय किए और उनके क्या परिणाम रहे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए नीति

2792. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत में अगले 10-15 वर्षों में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए जिस नीति ढ़ाँचे को अन्तिम रूप दिया गया है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ख) क्या वह नीति ढाँचा विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दिया गया है ताकि उस पर विचार-विमर्श कर सकें और उपयुक्त निर्णय कर सकें तथा उस पर की गई कार्यवाही के बारे में आयोग को सूचित कर सकें;

(ग) उड़ीसा के उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस नीति ढाँचे पर सहमति प्रकट की है और उसके कार्यान्वयन के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) उस नीति ढाँचे के कार्यान्वयन के बारे में कार्य-दल की रिपोर्ट क्या है और उन्होंने विश्वविद्यालय पद्धति पर आवश्यक प्रभाव डालने के लिए किन कार्यक्रमों का पता लगाया है; और

(ङ) उड़ीसा के विश्वविद्यालयों ने कार्यदल के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अब तक क्या उपाय किए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) आयोग द्वारा अपनाए गए नीति ढाँचे में अगले 10-15 वर्षों में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए व्यापक नीति के सुझाव दिए गये हैं जिसमें विस्तार, सामाजिक परिवर्तन, शैक्षिक अवसरों को एक समान बनाने, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने, स्तरों को बनाए रखने और पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान की सामाजिक प्रासंगिकता की विचारधारा पर विशेष जोर दिया गया है।

(ख) इस नीति ढाँचे को छात्रों और शिक्षकों के विचार-विमर्श के लिए मार्च, 1978 में विश्वविद्यालयों में परिचालित कर दिया गया था।

(ग) उड़ीसा से केवल बरहामपुर विश्वविद्यालय ने आयोग को कुछ टिप्पणियाँ भेजी थी। विश्वविद्यालय के अनुसार यद्यपि नीति ढाँचे का उद्देश्य प्रशंसनीय था फिर भी यह विवादास्पद प्रश्न था कि क्या नीति में दिए गये कुछ सुझाव वर्तमान संदर्भ में व्यावहार्य हैं। विश्वविद्यालय ने उद्देश्यों को स्पष्ट करने और आम सहमति प्राप्त करने के लिए सेमिनारों इत्यादि के माध्यम से राष्ट्रीय बहस का सुझाव दिया था।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नीति ढाँचे के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कार्यक्रम का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कार्यदल नियुक्त किये थे :

(1) छुट्टियों का अधिकतम ऊपयोग सहित विस्तार।

(2) कालेजों के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड।

(3) शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व।

(4) दाखिलों और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का नियमिन, ताकि समाज के कमजोर वर्ग उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

(5) क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना।

(ङ) उड़ीसा के विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट उपाय छठी योजना

(1980-85) के लिए उनके विकासात्मक कार्यक्रमों में दर्शाए जाएंगे जिनका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी मूल्यांकन किया जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या

2793 **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता वर्ग के मकानों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत उन व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है जो अभी तक इन मकानों में आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण से कब तक मकान मिलने की संभावना है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

मध्यम आय वर्ग	51,478	व्यक्ति
निम्न आय वर्ग	70,544	,,
जनता	57,491	,,

(ख) 5 से लेकर 7 वर्षों में जो कि निधियों तथा भवन सामग्री पर निर्भर है।

गुजरात के गांवों में पेय जल सुविधाएं

2794. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 तक गुजरात राज्य में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां पेय जल की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) वर्ष 1980 के दौरान गुजरात राज्य में कितने गांवों को पेय जल सुविधा उपलब्ध की गई है;

(ग) क्या गुजरात राज्य के प्रत्येक गांव में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वह निर्धारित लक्ष्य क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1.4.1980 की स्थिति के अनुसार अभी तक 5318 समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल मुहैया करना है। 1.1.80 की स्थिति के अनुसार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1.4.1980 से लेकर 31.12.1980 की अवधि के दौरान 205 समस्याग्रस्त ग्राम।

(ग) तथा (घ) छठी योजना अवधि के दौरान देश के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल मुहैया करने का लक्ष्य है।

तमिलनाडु और कर्नाटक में नारियल की जड़ कुम्हलाने की बीमारी

2795. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि नारियल की जड़ कुम्हलाने की बीमारी तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में केरल में नारियल वृक्षों पर किया गया और कारगर पाया गया छिड़काव तमिलनाडु और कर्नाटक में भी आरम्भ करने का है ताकि यह बीमारी व्यापक क्षेत्रों में न फैल सके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार को केरल से तमिलनाडु या कर्नाटक में फैल रही नारियल की जड़ मुरझान बीमारी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सहायता के लिए तमिलनाडु तथा कर्नाटक की राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजाब से दिल्ली को भेजे जाने वाले गेहूं का गायब हो जाना

2796. **श्री दौलत राम सारण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पजाब से दिल्ली को भेजे जाने वाले गेहूँ के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के कारण दो मामलों की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरों और केन्द्रीय आसूचना विभाग को सौंप दिया गया है; यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पजाब स्थिति भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी तथा पंजाब सरकार की खाद्य एजेंसी के लगभग दो दर्जन अधिकारियों से इस गेहूँ घोटाले के बारे में पूछताछ की जा रही हैं; और

(ग) क्या एक और मामले में रेल कर्मचारियों के साथ साँठ गाँठ करके रेलवे रसीद बनाकर गेहूं की हेरा.फेरी की गई थी और क्या इस मामले की भी जांच की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामी नाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम के सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन पर कार्यरत स्टाफ ने उस स्टेशन पर उत्तरी रेलवे के मुख्य माल बाबू को पंजाब से भेजे गये दो प्रेषणों में पाई गई कमियों के बारे में रिपोर्ट की थी। रेलवे प्राधिकारियों ने इन मामलों के बारे में रेलवे पुलिस को रिपोर्ट की थी जिन्होंने इसकी जांच करने का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया था।। भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में तैनात अपने उन तीन अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया था जोकि अपनी ड्यूटी ठीक ढग से पूरी न करने के दोषी पाए गये थे। पुलिस ने इनमें से दो अधिकारियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया था।

(ख) पुलिस इन मामलों के बारे में भारतीय खाद्य निगम और मार्कफेड पंजाब के कितने अधिकारियों से पूछताछ कर रही है उनकी संख्या ज्ञात नहीं है।

(ग) सरकार को ऐसे किसी अन्य मामले की कोई जानकारी नहीं है जिसमें रेलवे की जाली रसीद बनाकर गेहूँ की, की गई हेरा-फेरी के बारे में जाँच की जा रही हो।

डिस्ट्रिक्ट सर्किल आफ टेलीफोन में पूछताछ सम्बन्धी कर्मचारियों की संख्या में कमी किया जाना

2797. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जिला सर्किलों में पूछताछ सम्बन्धी सभी कर्मचारियों की संख्या कम करने के बारे में कोई निर्माण किया गया है;

(ख) क्या कर्मचारियों की संख्या कम किये जाने के कारण आम जनता को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो जनता की बेहतर सेवा करने के लिए सरकार का क्या सुधारने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सरकारों द्वारा पाठ्यचर्या में परिवर्तन

2798. **श्री जी. नरसिंह रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें पाट्कचर्या में परिवर्तन कर रही है और ऐसी पाठ्यचर्या आरम्भ कर रही है जो उनकी राजनीतिक पार्टी के लिए लाभप्रद है। और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) शिक्षा, यद्यपि अब यह समवर्ती सूची में है, लेकिन फिर भी यह अभी भी मुख्यतः राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है। स्कूल स्तर पर अध्ययन की योजना माध्यमिक शिक्षा बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनके अपने-अपने क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती है। स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने और निर्धारण/सिफारिश से सम्बन्धित निर्णय भी राज्यों द्वारा स्वय ही लिए जाते हैं।

हिन्दुस्तान लीवर के लाइसेंस का नवीकरण

2799. **श्री कमला मिश्र मधुकर** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर को जो यूनी लीवर, यू. के. की एक सहायक कम्पनी है, को जारी लाइसेंस सं. एफ. पी. ओ. जेड. बी-1380 का कम्पनी के अनुरोध पर वर्षानुवर्ष नवीनकरण किया गया है;

(ख) यदि नहीं तो इसका पिछली बार किसी वर्ष में नवीकरण किया गया था; और

(ग) क्या इस कम्पनी द्वारा वर्ष 1973 और 1974 के लिए उपरोक्त लाइसेंस के अन्तर्गत पिहाइड्रेशन केनिंग आदि के लिए नवीकरण शुल्क के रूप में 790 रुपये के लिए खजाना चालान संख्या 7 और 1000 रुपये का खजाना चालान संख्या 70 सरकार के पास जमा कराया गया था ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन)। (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ। इस फर्म ने 1973 और 1974 के वर्षों के लिए क्रमश: 210/—रुपये और 500/—रुपये शेष लाइसेंस फीस के रूप में और धनराशि भी भेजी थी, जैसाकि भारी पेमाने की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली फैक्ट्रियों के लिए निर्धारित की गई है.

दूर-संचार बनाम क्रास बार प्रणाली

2800. **श्री एम एम. लारेंस** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूर-सचार की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये क्रासबार प्रणाली आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) इसका आयात किस से किया जायेगा तथा इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी लागत क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) क्रास बार प्रणाली का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है अत: टेलीफोन स्विचिंग क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस प्रणाली को ही प्रयोग में लाया जायेगा। टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर का देशी उत्पादन अपर्याप्त होने के कारण कमी को आयात के जरिए पूरा किया जायेगा तथा इस आयात में कुछ भाग क्रास बार किस्म होगा। विश्वजनीन निविदा पर आधारित सामान्य नियमों एवं शर्तों के अधीन अभी तक 21.7 करोड़ रुपये की एफ. ओ. बी. लागत पर इस प्रकार के उपस्करों की 1.34 लाख लाइनों के आदेश जापान की फर्मों को दिए गये हैं।

ध्यान आकर्षण आदि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए। मैं एक-एक करके आप सभी की बात को सुनूंगा। यदि कोई बात है तो मैं अवश्य सुनूंगा।

श्री देवीलाल (सोनीपत) : मामला इतना इम्पोर्टेन्ट है, हरियाणा में सरपंच की मौत···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। आप मेरी मजबूरी को समझ लीजिए, यह टेस्ट का सवाल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं कोई प्रश्न नही, अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री देवीलाल**

अध्यक्ष महोदय : आज उनकी एसेम्बली है। यह टेस्ट एसबजेक्ट है। मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, कानून मुझे इजाजत नहीं देते हैं।···(व्यवधान) मुझे उस बात का पता नहीं है कोई अनुमति नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। विधान को मैं नहीं तोड़ सकता। कानून को नहीं तोड़ सकता। कोई प्रश्न नहीं है। कोई अनुमति नहीं है। मैंने इसे रद्द कर दिया है। इसे पूछने का यह तरीका नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान).

श्री आर. एन. राकेश : मेरा एक एडजार्नमिट मोशन है···

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नही किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। मैंने इसे रद्द कर दिया है। मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत कुछ भी नहीं शामिल किया जा रहा है। (व्यधवान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। अस्वीकृत कर दिया गया है। मेरी अनुमति के बिना कोई कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुतति नहीं है। 'श्री पासवान आप पढ़कर आइये। आप मेरी मदद कीजिए, कानून चलाने में, व्यवस्था में। आप ठीक ढंग से पढ़कर आइये और बोलए-बजट आ रहा है।···(व्यवधान)···

आप इसको उठाने वाले ढंग से ऊठाए। मैंने पहले भी एलाउ किया है। फिर एलाउ करूंगा, लेकिन ठीक ढंग से।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप इसको गम्भीरतापूर्वक लीजिये—हरियाणा वाले मामले को···

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैंने आपको बताया कि यह राज्य का विषय है। वहां विधान सभा का सत्र चल रहा है। (व्यवधान) आपको इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए ? मैं इससे निपट रहा हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैं आपसे सफाई चाहता हूं। आप हमें रास्ता दिखाइए। अगर मेरा कोई राजनीतिक समर्थक इसलिए मारा जाता हैं कि वह मेरा समर्थन है···

अध्यक्ष महोदय : हत्या हुई है। चाहे वह राजनैतिक हो या अन्य हो। आप किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मर्डर राजनीतिक होता है···

अध्यक्ष महोदय : आप किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते हो। सामान्य चर्चा होने जा रही है। हत्या तो हत्या ही है। (व्यवधान) नहीं, कोई अनुमति नहीं। आप इसे चुपचाप नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं। (व्यवधान) मैं नियमों के अधीन बाध्य हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूँ। कोई अनुमति नहीं। (व्यवधान) नहीं अनुमति नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछली बार आपने मुझे अनुमति दी थी और आपने कहा था कि आप इस सभा में एक वक्तव्य देने के लिए सरकार से कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी थी

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कहा था कि कुछ हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार के ऊपर है। मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता हूं। अब भी आप इसे फिर से बजट चर्चा के दौरान उठा सकते हो। (व्यवधान) अनुमति नहीं है। (व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अनुमति नहीं है। (व्यवधान) मैंने इसे स्वीकृत नहीं किया है। मैंने उसे स्पष्ट नहीं किया है। अनुमति नहीं है। कार्यवाही सारांश में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करोगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में सामान्य बजट के दौरान बोल सकते हो।

* कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं नहीं समझता हूं कि बंगलौर का मामला सामान्य बजट के लि एक विषय बन सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकते हो। मैंने इसकी एक बा अनुमति दी है। हम देख सकते हैं कि क्या एक बार फिर इसकी अनुमति दी जा सकती है औ हम एक बार फिरइस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसके बाद एक महीना बीत चुका है।

अध्यक्ष महोदय : समय बीतेगा। समय तो बीतना है ही। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप फिर कोशिश कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं आपकी इस बात को यह समझूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो ऐसा नहीं कहा। इसीलिये मैंने इसकी अनुमति दी। मैंने दो बार इसकी अनुमति दी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, एक बार।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में अनुमति दी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसके बाद उन्होंने हड़ताल समाप्त करने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक बार ध्यानाकर्षण की अनुमति दी और फिर आपके द्वारा वक्तव्य दिये जाने की अनुमति दी। (व्यवधान) अनुमति नहीं है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान) मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होने वाला है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने सदा आपकी बात सुनी है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसको ठीक ढंग से उठाइए ऐसे किस तरह से एलाउ कर दूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप कहते हैं कि मैं नियम 377 के अधीन नोटिस दूं। मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे चुका हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मामला बहुत अधिक गम्भीर है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने जार्ज फर्नान्डीस को अनुमति नहीं दी है। मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान) कोई अनुमति नहीं (व्यवधान)* सभा को चलाने के भी कुछ तरीके हैं। (व्यवधान)*

मैंने रोका नहीं है। मेरे पास किसी के लिए कोई संक्षिप्त कथन नहीं है। (व्यवधान) आप नियमों के अन्तर्गत मामला उठा सकते हैं। और मैं आपकी अनुमति दे सकता हूं। परन्तु मैं इस प्रकार नहीं। इस पर इस तरह से चर्चा नहीं की जा सकती है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें इसे किस ढंग से उठाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए नियम हैं। यह नियम पुस्तिका है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने मुझे अनुमति देने में उदारता नहीं दिखाई है···

अध्यक्ष महोदय : हे भगवान। यदि मैंने अनुमति नहीं दी है तो आपको कोई भी अनुमति नहीं देगा। किस मामले पर मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बंगलौर हड़ताल पर

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं तथ्यों को बता दूं तो मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी। उसके अन्तर्गत मैंने आपकों अनुमति दी। परन्तु यह एक लगातार चल रहा मामला है। मैं रोजाना सदन में इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप इस पर एकाधिकार नहीं कर सकते हो। (व्यवधान) जब मैं खड़ा हूँ तो आप बैठ जाइये। (व्यवधान) मैं वह कर रहा हूँ जो मैं सही समझता हूँ। मेरा मार्ग दर्शन नियमों से होता है, न कि श्री नीरेन घोष द्वारा।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान मैं सहमत हूँ कि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। परन्तु यह एक गंभीर मामला है···

अध्यक्ष महोदय : आप दे दें, तो देखेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आग कालिंग एवं राव ही हमारा मान जरूर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात का भी वचन नहीं दे सकता हूँ। मैं इसे देखूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अभी नहीं कह रहा हूँ। आपको जब लेना है तब लीजिए।

प्रो. मधु दंडवते : इस पर किसी प्रस्ताव की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब ओबजेक्ट किया है। मैंने नहीं कहा है कि मैंने इसे अस्वीकृत कर दिया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान यह एक विस्फोटक प्रगति है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे जानता हूं। मैं इसका सही रूप से अनुमान लगा सकता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री स्टीफन आपका कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं लेगा क्योंकि आपके राय से चुनाव नहीं लड़ सकते हो। दिल्ली ने आप को हरा दिया है। कर्नाटक से आप चुने गये हो··· (व्यवधान) आपका कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, श्री स्टीफन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय : आज के लिये एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कल के लिए एक दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्य है। हर महत्वपूर्ण मामला उठाया जा रहा है। (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा··· जो कुछ भी वह कह रहे हैं।

प्रो. के. के. तिवारी : आप अपनी बात कह चुके हो। कृपया बैठ जाइये। अध्यक्ष महोदय, मैं वैद्यलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर बार-बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए नोटिस देता रहा हूँ। आप जानते हैं कि एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री का पुत्र तथा एक भूतपूर्ष प्रधान मंत्री की पत्नी···

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य मन्त्रता समिति में चर्चा करेंगे। (व्यवधान) * कुछ भी

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) * मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप क्या कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अनभिज्ञता की सीमायें होती हैं। श्री फर्नान्डीस नहीं जानते हैं कि यह···

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्री फर्नान्डीस को मालूम नहीं है कि यह···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कुछ नहीं, (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दूंगा कि वह सभा को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव को आने दो। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) * अच्छा ठीक है। बैठ जाइये। (व्यवधान) * मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा (व्यवधान) * कृपया बैठ जाइये।

प्रो. मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, बजट चर्चा अभी शुरू होनी है और वित्त मंत्री महोदय को अभी लेवी में कोई परिवर्तन करना है। परन्तु सूचना तथा प्रसारण मत्री···

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे मिल चुकी हैं। मैं तथ्य मालूम कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बता ऊगा। (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : फिर भी मैं आपको तथा इस सभा को भी बता दूं कि यह मामला क्या है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने सभा के बाहर सामाचार मुद्रण लेवी के बारे में वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं अच्छा मुझे इसका नोटिस पहले ही मिल चुका है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने अध्यादेश के बारे में बात कही। क्या उन्होंने आपकी बात सुनी ? क्या उन्होंने आपके विचारों की परवाह की ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों को मालूम करना है। मुझे तथ्यों के आधार पर कार्यवाही चलानी है। (व्यवधान) मैं बाद में अपना निर्णय दूंगा।

प्रो. मधु दंडवते : बजट चर्चा शुरू हो जाने के बाद।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम इसे कल करेंगे।

प्रो. मधु दंडवते : इसलिये आपने मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव को अनिर्णीत रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ तथ्य मालूम कर रहा हूँ।

प्रो. मधु दंडवते : इसका अर्थ है कि यह अनिर्णीत है।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। मैंने इसे अस्वीकृत नहीं किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री ने सदन में उस रोज जो भाषण दिया उसके अनुसार बढ़े हुए किराये···

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं इसका पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ।

* *कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलत किया है। यह सदन की अवहेलना की जा रही है। रेलवे बोर्ड इस तरह से सदन के बाहर एलान करे और सदन की अवमानना करे···

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं रेल मंत्री महोदय से टिप्पणी के लिए कह रहा हूं। अगर आपने यह नहीं बताया होता तो मैं कैसे पूछता। जब आपने यह कहा···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो दोनों को मौका दीजिये··· (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह देखिये··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मैंने अलाऊ किया है। आप दो दफा नहीं बोलेंगे। आप क्या कर रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : आपने 377 अलाऊ किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान बैठ जाइये। मैंने अनुमति नहीं दी है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होने वाला है।

श्री राम विलास पासवान : (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ और कहते हो तो मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा। मैं पहले ही आप को अनुमति दे चुका हूँ। आप सभा का समय क्यों ले रहे हो। मैं क्रुद्ध हो जाऊंगा। (व्यवधान) * कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री ई. बालानन्दन : *

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : निर्देश 2 के अन्तर्गत हम प्रतिदिन सदन के कार्य की व्यवस्था करते हैं। पिछले सप्ताह हमको बराबर बियरर बांडस रहा पर चर्चा करने का आश्वासन दिया जाताहै। मुझे मालूम हुआ है कि निर्णय हो चुका है। इसका अवश्य ही कोई स्पष्टीकरण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उस पर कार्य मन्त्रणा समिति में विचार किया जायेगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : हो सकता है धारक— बाण्डो सम्बन्धी निर्णय पर अमल नहीं किया जा रहा हो, इसका मुझे पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, चिन्ता न कीजिए। वे लिये जायेंगे।

श्री टी. आर. शमन्ना (बंगलौर - दक्षिण) : मैं पिछली रात बंगलौर से लौटा हूँ। बंगलौर की स्थिति बड़ी दयनीय है। यदि तुरन्त कदम नहीं उठाये गये तो मुझे पक्का विश्वास है कि बंगलौर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ जायेगी। वहाँ पर साम्प्रदायिक स्थिति नाजुक है, विभिन्न भाषाओं का नाजुक दौर···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे मैं कह रहा हूँ। हम इस पर चर्चा करेंगे। श्री एस. बी. चौहान।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मन्त्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिये। हम पहले से ही एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. वे राज्य सरकार में अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं··· (व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ··· (व्यवधान) यह एक पैदा की गई ·· व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री देवी लाल : * (व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (दिल्ली) संशोधन नियम, 1980 तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेजों के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदनों को निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण और पुरःविशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम 1981।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण), मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (दिल्ली) (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनाँक 4 नवम्बर, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 42 (एसआईटी)/79—डीएसडब्यू-आईसीडब्ल्यू में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी, 2023/81]

(3) प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेजों के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-2024/81]

(4) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.सां.नि. 56 (ङ) में प्रकाशित हुए हैं : [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-2025/81]

केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नाराण सिंह) : मैं जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये एल.टी.-संख्या 2026/81]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन अधिसूचनायें और चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम 1978 के अधीन अधिसूचनायें।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा.सां.नि. 39 (ङ) जो दिनांक 31 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या सा.सां.नि. 627 (ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सा सां.नि. 588 (ङ) जो दिनांक 11 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा.सां.नि. 865 (ङ) का निरसन किया गया है।

(तीन) उर्वरक (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1981 जो दिनांक 18 फरवरी, 19 1 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा.सां.नि. 7. (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) उर्वरक नियंत्रण सशोधन आदेश, 1981 जो, दिनांक 18 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.सां.नि. 72 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-2027/81]

(2) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 की धारा 21 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां. आ. 7 (ङ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 28 मार्च 1980 की अधिसूचना संख्या सां. आ. 218 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-2028/81]

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली के वर्ष 1979-80 के, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा समीक्षाएं तथा उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण और सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के लेखापरीक्षित लेखे निर्धारित अवधि में सभापटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :—

(1) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-2029/81]

(2) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-2030/81]

(3) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास सस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-2031/81]

(5) सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के लेखापरीक्षित लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सख्या एल. टी. 2032/81]

चीनी 1980-81 के उत्पादन के लिए मूल्य (निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश 1981

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (1980-81 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण (दूसरा सशोधन) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 फरवरी, 1981 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या सा.सां.नि. 78 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2033/81]

आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1981, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 और केन्द्रीय उत्पादशुल्क, नियम 1944 के अधीन अधीसूचनाएं।

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (चौथा संशोधन) नियम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ. 139 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2034/81]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.सां.नि. 82 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 342 सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा यूनान को उन देशों की सूची से हटा दिया गया है जो टैरिफ वरीयता के पात्र हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-2035/81]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.सां. नि. 231 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि रिफाइनरी गैस पर समस्त उत्पाद-शुल्क नहीं लगेगा यदि इसका प्रयोग रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में अथवा कच्चे माल के रूप में होगा। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2036/81]

वस्त्र नीति के बारे में विवरण

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी : मैं वस्त्र नीति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-2037/81]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दण्डवते।

श्री देवीलाल (पानीपत) : (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाना चाहिए। श्रीमती प्रमिला दण्डवते सदन में उपस्थित हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आगरा में गोला बारूद के विस्फोट का समाचार

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : स्पीकर साहब पहले मेरा एक सवाल है। अभी 12 बजकर 6 मिनट पर हमको यह जवाब दिया गया है। फिर हम जवाब को कब पढ़ेंगे ? यही सारी गड़बड़ी है।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्टेलिजेन्ट हैं। सवाल करिए।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं रक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"आगरा में विस्फोट का समाचार जिससे आधुनिक शस्त्रों की चोरी के एक देश-व्यापी गिरोह और सेना डिपुओं की मिली भगत से शस्त्र चोरी होने के जाल का पता चलता है।"

श्री देवी लाल : *

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री देवी लाल : मैं वाक आउट करता हूँ। (इसके बाद श्री देवीलाल सदन से उठकर चले गये)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : 24-2-1981 को बर्तनों का व्यापार करने वाली आगरा की एक फर्म आगरा बर्तन भण्डार के परिसर में एक बिस्फोट हुआ। बताया गया है कि इसमें दो व्यक्ति मारे गये और चार घायल हुए। विस्फोट की सूचना मिलने पर जिला अधिकारी मामले के तथ्यों का पता लगाने और जाँच शुरू करने का आदेश देने के लिए मौके पर आये। जाँच के दौरान पता चला कि इस परिसर में कारतूस के खोलों और धातु की कतरनों के कुछ ढेर पड़े हैं। जांच पड़ताल में स्थानीय पुलिस ने नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन व्यक्ति फर्म के मालिक हैं और छः इसके कर्मचारा। फर्म के इन तीनों मालिकों को रक्षा सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जिला अधिकारी आगरा ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के लिए आगरा के उप मण्डलाधिकारी को भी वहां भेजा। चूंकि वहां विस्फोट हुआ था इसलिए इस बात का पता लगाना जरूरी था कि उस सामान में कुछ अविस्पोटित या आंशिक रूप से विस्फोटित गोला-बारूद तो नहीं है। इसलिए इस सारे इलाके को घेर कर सील कर दिया गया। साथ ही जिला अधिकारियों ने राज्य सरकार की मार्फत सेना अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे गोला बारूद विशेषज्ञों का एक दल भेजें, ताकि इस परिसर तथा वहाँ पड़े कारतूसों तथा अन्य सामान का सर्वेक्षण-परीक्षण किया जा सके।

जिला अधिकारियों द्वारा स्टेशन कमाँडर आगरा को किए गए अनुरोध के आधार पर थल सेना मध्य-कमान के अधिकारियों ने सिविल प्रशासन की सहायता के लिए गोला बारूद विशेषज्ञों का एक दल भेजा। यह दल आगरा पहुँचा और स्थानीय पुलिस तथा जिला अधिकारियों के सहयोग से इस दल ने आगरा बर्तन भण्डार के परिसर में रखे गये इस सामान के ढेर की जांच की।

जाँच करने के बाद दल ने रिपोर्ट दी है कि वहां अन्य वस्तुओं के अलावा निम्नलिखित किस्म का सामान पाया गया है :

(क) 84 एम. एम. काल गुस्ताव टार्मेट प्रेक्टिस गोला-बारूद के 87 टुकड़े जो फायर किये हुए थे और जिनमें विस्फोटक सामग्री नहीं थी।

(ख) 84 एम. एम. काल गुस्ताव हाई एक्सप्लोसिव एन्टी-टैंक एम्यूनिशन के फायर किए हुये दो टुकड़े। इन टुकड़ों के अविस्फोटित होने (अर्थात् फायर किये हुये लेकिन अविस्फोटित और इनमें विस्फोटक सामग्री होने का सदेह है।

(ग) 84 एम. एम. काल गुस्ताव इल्यूमिनेटिंग एम्यूनिशन के खोल (एल्युमीनियम एलोय) का एक टुकड़ा।

(घ) लोह और एल्युमिनियम की कतरनों से भरे हुए 14 बोरे जिनमें निम्नलिखित सामग्री थी :

(1) .6 एम. हैंड ग्रेनेड के बेस प्लग।

(2) राकेट प्रोपेल्ड गन की फाइनल असेम्बली-7 एम्यूनिशन।

(3) प्रोजेक्टाइलों के टेल यूनिट।

(4) फ्यूजों के हिस्से-पुर्जे।

(ङ) कारतूस के 14 खाली खोल, जो सेना निर्मित के नहीं थे :

थल सेना के इस तकनीकी दल ने उस गोला-बारूद का भी सर्वेक्षण-परीक्षण किया, जो दूसरे स्थान से बरामद हुए बताये जाते हैं और जिनका मालिक भी आगरा बर्तन भण्डार बताया जाता है और जिन्हें कोतवाली में रखा गया था। इसमें निम्नलिखित सामान मिला :

(क) 7.62 एम. एम., 9 एम. एम. और 50 स्पाटर ट्रेसर की लघु अस्त्र कारतूस खोलों की 5 बोरियां जिनका वजन 341 कि. ग्रा. के लगभग था।

(ख) 7.62 एम. एम. शस्त्र के 5 राउन्ड जिनमें से तीन पर पी. ओ. एफ. (68) के चिन्ह लगे थे और शेष पर ओ. एफ. वी (71) के चिन्ह।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि छोटे-छोटे हथियारों के कारतूसों का उपयोग करने के बाद उनके पीतल का इस्तेमाल करने के लिए उनके खोल आयुध, कारखाना महानिदेशालय को दिए जाते हैं. आयुध कारखानों में इनकी जरूरत नहीं होने पर इन्हें 1973 से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भी बेचा जाता है। बाद में अक्तूबर 1979 से इन छोटे हथियारों के कारतूसों के खोल थल सेना डिपुओं द्वारा नीलामी से भी बेचे जा रहे हैं। कतरने भी नीलामी द्वारा बेची जाती हैं। कतरनों का व्यापार करने वाले और बर्तन निर्माता प्रायः इस तरह का सामान अपने इस्तेमाल के लिए खरीद लेते हैं।

सैनिक अभ्यास के दौरान कुछ लोग अपने जीवन को खतरे में डाल कर अभ्यास रेंजों के आस पास छिप जाते हैं और जैसे ही फायरिंग समाप्त होती है ये लोग उन्हें बीनने लगते हैं और बाद में बेच देते हैं।

कभी कभी ये ऐसे गोले भी उठा लेते हैं जो फायर करने के बाद फटे नहीं होते। ऐसे गोले बाद में कभी भी फट सकते हैं और आस पास के लोगों को घायल और जख्मी कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि विस्फोटित टुकड़ों में भी कुछ हिस्सा अविस्फोटित रह जाता है और ठोक-पीट करने पर फट सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस खतरनाक इलाके में न जाने की बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद और इस सम्बन्ध में काफी प्रचार करने पर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खोल, कतरने आदि उठाने लगते हैं।

आयुध कारखानों और डिपुओं में इमारतों, सामान और भंडार की सुरक्षा के कड़े उपाय किए हुए होते हैं। इसके अलावा कारखानों के आस पास आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जाती है ताकि वहाँ किसी तरह की चोरी या उठाईगीरी की घटना न होने पाए।

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि शस्त्र सामग्री की चोरी शस्त्र डिपुओं या आयुध कारखानों में हुई है। शस्त्रों की सुरक्षा के बारे में रक्षा सेवाओं में काफी एहतियाती उपाय किए गए हैं और समुचित आदेश जारी किए गये हैं जो इस तरह की चोरी या उठाईगीरी को रोकने के लिए पर्याप्त समझे गये हैं।

अभी तक जाँच पड़ताल से यह बात साफ नहीं हो पायी है कि आगरा बर्तन भण्डार में

जो सामान पकड़ा गया है वह उनके पास कहाँ से आया, यानी उन्होंने इसे ऐसे व्यक्तियों सेखरीदा जिन्होंनेनीलामी में उसे खरीदा था या उन लोगों से खरीदा था जिन्होंने चांदमारी क्षेत्र से उन्हें उठा लिया था या दूसरे तरीके से अपने कब्जे में लिया था। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही यह बात साफ हो पायेगी।

हमारे पास जो तथ्य हैं उन्हें देखते हुए मेरा निवेदन है कि आगरा में हुए कथित विस्फोट आधुनिकतम हथियारों की चोरी का देशव्यापी रैकिट होने या सेना के डिपुओं के सहयोग से गोला-बारूद चोरों का जाल बिछा होने की शंका करना सही नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह जवाब हमको अभी थोड़ा कुछ मिनट पहले मिला है। लेकिन जवाब पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पुल के वजह से यह सारा मामला हश-अप करने की कोशिश हो रही है। जो सवाल पूछा गया है और जो जवाब बताया गया है, जो ऐम्युनिशन डैकोइट्स के पास से रिकवर किए गए हैं उन पर आर्मी की मार्किंग है। उसके बारे में हमारे मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। आज यह सवाल इतने महत्व का है, देश की सेक्योरिटी का, कि यह सवाल केवल रूलिंग पार्टी का ही नहीं बल्कि हम सब का और पूरे देश का है, इसलिये मुझे लगता है कि इस सवाल के ऊपर ज्यादा गहराई में जाना चाहिए।

मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं मिनिस्टर साहब से कि जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें कुछ पोलिटीशियन्स, बिजनेसमैन और आर्मीमैन का इन्वाल्टमेंट है, उसके बारे में कुछ घुन करके खोज हो रही है क्या ? इतना ही नहीं, क्योंकि अगर प्रैशराइज नहीं करते तो आगरा के डी. एस. पी. रेन्ज ने जो कहा कि हम यह सारा मामला सी. बी. आई. को देना चाहते हैं, इसी से मालूम होता है कि उनके ऊपर प्रैशर आ रहा है इंडिपेंडेन्ट इनक्वायरी हो। लेकिन सी. बी. आई. ने इनक्वायरी के बारे में आपने अपने जवाब में कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती हूं कि इस बारे में एक इन्डिपेंडेन्ट इनक्वायरी कराने के लिए क्या सरकार इस सारे मामले को सी. बी. आई. के सुपुर्द करने के लिए तैयार है। मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में इस विषय में कुछ नहीं कहा है।

कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस बिल्डिंग में यह घटना घटी हुई, उसके ओनर ने कहा है कि हम यह स्क्रैप खरीद कर लाये हैं। दूसरी तरफ आर्मी आफिसर्ज ने कहा है कि बम वगैरह स्क्रैप में नहीं बेचे जाते हैं। अखबार में यह कहा गया है कि कार्टरिज रीफिल कर के बेचे जाते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह काम कितने सालों से चल रहा है। कितने ही सालों से डेकायट्स से आर्म्स और एम्युनिशन रिकवर किए जाते रहे हैं। सरकार ने इस बारे में आज तक क्या किया है। जब तक यह एक्सप्लोजन नहीं हुआ, तब तक इस सम्बन्ध में कोई इनवेस्टीगेशन नहीं किया गया।

मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आर्मी आफिसर्ज कोई गलत काम नहीं करते हैं और इसमें उनका इनवाल्वमेंट नहीं है। इस बारे में ज्यादा गहराई से खोज होनी चाहिए। अगर हमारी आर्मी के कई लोग इस प्रकार का गलत

काम करते हों और डेकायट्स के साथ-इस रैकट के साथ-उनका सम्बन्ध हो यो यह एक बहुत दुःख की बात है और देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, लोगों को पता है कि पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा नहीं होती है। अभी तक हम समझते हैं कि हमारी आर्मी के लोग, डिफेंस के लोग, जो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं और वे इस प्रकार का गलत काम नहीं करते होंगे। इस एक्सप्लोजन की वजह से अखबारों के जरिए कुछ बातें जनता के सामने आई हैं। मैं समझती हूं कि हमें इंडियन एक्सप्रैस के रिपोर्टर को धन्यवाद देना चाहिए। यह प्रैस का काम है कि अगर कहीं इस प्रकार के गलत काम हों, तो वे उन्हें एक्सपोज करें। न्यूजप्रिंट को महंगा करने से काम नहीं चलेगा। जो रिपोर्ट आई है, उसमें गहराई से जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि कई लोग रिस्क लेकर, खतरा उठा कर, ऐसी चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, जो अनएक्सप्लोडिड हैं और जो बाद में एक्सप्लोट हो सकती हैं। इस बात से हमारा समाधान नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि लोग यह समझेंगे कि यह काम सही ढंग से हो रहा है। आज देश में डेयायट्स का बहुत बड़ा खतरा है। जगह-जगह डैकायटीज हो रही हैं। ट्रेनों में लूट-पाट हो रही है। फूलन देवी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। (व्यवधान) अगर उनके पास यह एम्युनिशन जाता है, तो वह कितने सालों से जा रहा है। कहां से जाता है, किस प्रकार जाता है, इन बातों की गहराई से जांच करनी चाहिये।

मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस बारे में जो इनक्वायरी हो रही है, वह सी. बी. आई. द्वारा होनी चाहिए। मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि इस इनक्वायरी को जल्दी से जल्दी खत्म करके जो कोई भी जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

डैकायट्स से मार्क्सिज वाला जो एम्युनिशन रिकवर होता है, वह उनके पास कैसे पहुंचता है ? वर्तन मन्डार के पास ये चीजें कैसे पहुंच गई ? वहां के दो नौकरों को वेग में भरते हुए पकड़ा गया, इसलिये खोज शुरू हुई मैं यह जानना चाहती हूं कि इस तरह की कार्यवाहियों के बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री शिवराज बी. पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो शैल्स वगैरह होते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है फाइल केस उसके अन्दर, दूसरा होता है प्रोपेलैंट जो चलकर गैस बनकर उसके सामने जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको जाकर पूरा करता है। उसको वह बाहर फेंकता है और वह वहां जाकर डिस्ट्रक्शन करता है। ऐसे जनरली ये तीन हिस्से होते हैं। अब वहां पर जो पाया गया है, ये तीनों हिस्से एक जगह पर (पाया गया हो, ऐसी कोई चीज) पाई नहीं गई है। यहां पर जो पाया गया है वह प्रोजैक्टाइल है। जो सामने का हिस्सा है वह पाया गया है। मैंने अपने स्टेटमैंट में बताया भी है कि कभी कभी जो सामने का हिस्सा है, बुलैट के जैसा जो सामने का हिस्सा होता है जो हिट करता है। उस हिस्से के साथ-साथ जो एक्सप्लोटिव प्रोपैलैंट होता है कभी-कभी बच जाता है और जब वह एक्सप्लोटिव उसके साथ रह जाता है तो कभी-कभी पूरी तरह से एक्सप्लोडेट होता है, कभी कुछ हिस्सा एक्सप्लोड हुआ रहता है और कुछ हिस्सा रह जाता है। जब तक वह पूरी तरह से एक्सप्लोड नहीं हुआ रहता है अर्थात एक्सप्लोटिव पूरी तरह से न खत्म हुआ होता

है तो वहाँ गिर जाने के बाद उसको हाथ में लेकर कोई खेले, कोई खिलवाड़ करे, लकड़ी से खेले या किसी और चीज से खेले तो वह एक्सप्लोड हो सकता है और बर्स्ट हो सकता है। यहाँ पर जो पाये गये हैं वह प्रोजैक्टाइल के हिस्से ज्यादातर पाये गये हैं और दूसरी जो चीज पाई गई है वह बुलैट्स के एम्पटी केसेज हैं। ऐसी चीजें वहाँ पर पाई गई है।

ये चीजें दुकानदार के पास कैसे पहुंची यह सवाल यहाँ उठता है। मैंने स्टेटमैंट में बताया है कि ऐसी चीजें दुकानदार के पास कै. पहुंच सकती हैं। हमारे सिपाही, सैनिक या आर्मी के लोग जब एक्सरसाईज करने के लिए जाते हैं तो फायरिंग रैंज पर फायर करते हैं। कभी कभी फायरिंग रैंज बड़ा रहता है, दो मील, चार मील का भी रहता है और कुछ लोग वहाँ छिपकर बैठते हैं। फायरिंग खत्म होते ही वहाँ वह भाग कर जाते हैं और वहाँ पर जो प्रोजैक्टाइल के टुकड़े पड़े रहते हैं उसको ले लेते हैं। वह प्रोजैक्टाइल का टुकड़ा···(व्यवधान)

कभी कभी वह जो टुकड़े वहां पर पड़े हुए रहते हैं वह लेकर वे जाते हैं और यह जो होता है, इसकी दखल जो पहले आर्डर निकला है उसमें भी हुई है। मैंने तो खुद अपनी आँखों से जा कर देखा है कि कैसे लोग फायरिंग रैंज पर जा कर बैठते हैं और कैसे फायरिंग होने के बाद वहाँ भागते हुए आते हैं। इसके बाद मैं आपको 1974 का आर्डर पढ़ कर बताता हूं जिसमें इस फैक्ट की दखल मिलती है—

"सिविलियन साधारणत: चाँदमारी क्षेत्रों से धातु के टुकड़े बाजार में बेचने हेतु उठाने के आदी हैं। ऐसी धातु · टुकड़ों में ऐसी विस्फोटक धातु भी हो सकती है जिसे छेड़ने से गम्भीर दुर्घटनाएं हो सकती है"

यह जो 1974 का आर्डर है प्रिन्टेड बुक में फायरिंग के ऊपर जो भी प्रीकाशंस लेने पड़ते हैं, दक्षता लेनी पड़ती है, उसके सम्बन्ध में लिखा गया है। मैं जो बोल रहा हूँ कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ। जो होता है उसके बारे में आपको इन्फार्म कर रहा हूँ।

दूसरी बात यह है कि जब ये शेल्स फायर हो जाते हैं और उसके केसेज मिलते हैं तो पहले तो जो केसेज हैं उनका यह दूसरा हिस्सा जो बचा हुआ रहता है फायर करने के बाद उसे पहले डायरेक्टर जनरल आर्डिनेंस फैक्ट्री को दे देते हैं ताकि उसका मैटर वह यूज कर सकें। उसके बाद दूसरों को भी देते हैं। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन जो पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में है उनका भी हमने देना शुरू किया है। अब 1971 से पब्लिक आक्शन में उसे बाहर भी देना शुरु कर दिया है। जब पब्लिक आक्शन होता है तो बाहर के जो यूटेंसिल्स बनाने वाले लोग हैं वह भी उसमें हिस्सा लेते हैं और खरीद कर ले जाते हैं। इससे पता चलेगा कि जो सामान उनके पास पाया गया है वह सामान इस तरीके से भी जा सकता है। इन तरीकों से उसके पास जाने की वजह से अगर उसमें कोई ऐसा हिस्सा रह गया हो जो एक्सप्लोड नहीं हुआ हो वह एक्सप्लोड हो सकता है।·····(व्यवधान)

मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि हमारे आर्डिनेंस डिपो से कोई चोरी हो गई है। हमारे पास कोई रिर्पोट नहीं आई है कि आर्डिनेंस फैक्ट्री से चोरी हुई है। ऐसी कोई रिर्पोट नहीं है। ·····(व्यवधान)···जब चोरी होती है तो उसकी रिर्पोट की जाती है। रिर्पोट की सूचना भी यहाँ हमारे पास नहीं है। इस तरह से भी परिस्थिति है वह मैंने आपके सामने रख दी है।

अब आपने जो सप्लमेन्टरी क्वैश्चन्स किए हैं कि क्या इसमें पोलिटीशियन्स हैं, बिजनेसमन हैं, आर्मीमैन हैं या डकैट्स हैं तो अब इसका इंवेस्टिगेशन चालू है कि उनके पास यह कैसे पहुंचे। उसका एक यह भी कारण हो सकता है। और दूसरा कारण भी हो सकता है इंवेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद ही, उनके पास सारी चीजें कैसे पहुँची इसका अन्दाज लगाया जाता है। पहले से ही हमारे शूर सैनिकों के बारे में मन में कोई शंका लाना, मैं समझता हूँ गलत होगा। जब कोई चीज इस्टैबलिश हो जाए तब आप भले ही कहें लेकिन पहले से कोई शंका लाना, मैं समझता हूँ सैनिकों के आत्मविश्वास की दृष्टि से गलत होगा। सदन में या सदन के बाहर न्यूजपेपर में इस तरह की बात कहना जिससे कि सैनिकों के आत्म विश्वास को ठोकर लगे, मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है।

यह भी पूछा गया कि सी. बी. आई. से जांच कराने की बात हम सोच रहे हैं या नहीं। असल में जो वहाँ पर घटना हुई इसमें मृत्यु भी हो गई इसलिए जो इंवेस्टिगेशन हो रहा है वह मृत्यु का भी होगा और कैसे उनके पास यह पहुँचा इसका भी होगा। आर्मी से भी मदद माँगी है और हमने मदद की है। आज तो यह जाँच सी. बी. आई. को देने का सवाल नहीं उठता है। आज ऐसा नहीं लगता है कि सी. बी. आई. को देने की कोई जरूरत है।

डकैट्क के बारे में कहा गया कि वे ऐसे हथियार पा जाते हैं। आपका जो काल-अटेंशन नोटिस था उसमें इस सम्बन्ध में कोई आभास नहीं लगा इसलिए मैं इसके बारे में उत्तर नहीं दे सका।

इस तरह से जो पूरी स्थिति है वह मैंने आपके सामने रख दी है और इसमें कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं की गई है। जो भी सूचना आई है आपके सामने रख दी है। मैं आशा करता हूं इससे आपका समाधान हो जाना चाहिए।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : डकैट्स के बारे में तो कल न्यूज में आया है और सी. बी. आई. को देने के लिए आपने उत्तर नहीं दिया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने उसका उत्तर दे दिया है। इन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में उत्तर दे दिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवती (कलकत्ता-दक्षिण) : ध्यानाकर्षण नोटिस में जिस घटना का उल्लेख किया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : उन्होंने पूछा था कि क्या पुलिस अधिकारियों ने, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच के लिये कहा है इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती, इन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवती : विवरण में सरकार के योगदान का उल्लेख है जो सरकार अपने उत्तरदायित्व को टालने के लिए दे रही है। मंत्री महोदय द्वारा सभा में रखे गये विवरण में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इस घटना से सम्बन्धित एक अजीब बात यह है। यह कहा गया है कि इन सब बातों के लिये कुछ स्थानीय लोग जिम्मेवार हैं। हमारे देश की रक्षा के लिए मंत्री महोदय जिम्मेवार हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए सरकार जिम्मेवार है। इस प्रकार के विवरण देने से सरकार की इस बात का पर्दाफाश होता है कि सरकार सोयी बैठी है और अपनी जिम्मे

वारी को टालने की कोशिश कर रही है अथवा सरकार कुछ लोगों को अपना संरक्षण प्रदान करने की कोशिश कर रही है। मैं यही बात बताना चाहता हूँ। मुझे यह मालूम नहीं कि क्या मंत्री महोदय को गोली चलाने आदि का कोई प्रत्यक्ष अनुभव है या नहीं। क्या मैं उनसे एक बात पूछ सकता हूँ ? क्या यह प्रथा नहीं रही है कि जब कोई गोलीकांड होता है, उस समय यदि कोई गोली बिना फटे रह जाये तो उसे भी हिसाब में लिया जाता है।

प्रो. मधु दण्डवते : इन्होंने एक आदमी के दूसरे आदमी पर गोली चलाते हुए देखा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सेना में कोई साधारण व्यक्ति इन सब बातों को एकत्र कर सकता है, जैसे कि ये चीजें आसमान से गिर रही हों। यदि आप विवरण को देखें तो आपको पता चलेगा कि मन्त्री महोदय ने प्रश्न को टालने के लिए कित्तना खतरनाक प्रयत्न किया है। मैं उनकी कठिनाईयों को समझता हूँ। इसका कारण यह है कि इन्हें कुछ अधिकारियों पर निर्भर करना पड़ता है। यह सम्भव है कि सेना के कुछ अधिकारी व्यापारियों के साथ इस घोटाले से सम्बद्ध हैं ; अन्यथा आप यह कैसे कहेंगे कि समाज विरोधी तत्व इस समय परिष्कृत शस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं ? ये शस्त्र या तो विदेशों से आ रहे हैं या देश के अन्दर से ही सप्लाई हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्य को रोकना सरकार का विशेषकर रक्षा विभाग का कर्तव्य है। उन्हें उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहाँ से इस प्रकार की तस्करी हो सकती है। अपराधियों को भी सजा दी जानी चाहिए। आपको इस बारे में सर्वोच्च सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विवरण में कहा गया है कि जब जब चांदमारी के अभ्यास होते हैं तो आसपास के निवासी वहीं तलहटियों में छिपे जाते हैं और अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। आप उन्हें आस-पास क्यों छिपने देते हैं ? यदि राजनैतिक तत्व छिपेंगे तो आप उन्हें एक घण्टे के अन्दर हटा लेंगे। लेकिन जब ये लोग खतरनाक चीज ले जाने की कोशिश करते हैं तो उनका यहाँ छिपना कैसे सम्भव हो जाता है ? कहा गया है कि वे उन शैलों को ले जाते हैं जो फायर करने के बाद भी बिना फटे रहते हैं। यह कहानी बच्चों को बहलाने के लिए फैलाई गयी है। यह कहानी सच्ची मालूम नहीं होती। इस प्रकार की कई घटनायें हो चुकी है जहां-जहाँ सेना कर्मचारियों तथा व्यपारियों का एक वर्ग ऐसे घोटालों से सम्बद्ध रहता है। मंत्री महोदय को याद होगा कि रक्षा विभाग के कुछ उच्चाधिकारी विदेशी नागरिकों को विभाग के कुछ गोपनीय दस्तावेजों को देने के कार्य से सम्बद्ध रहे हैं मैं कहना चाहूँगा कि यह सुनिश्चत करना सरकार का कर्तव्य है कि ऐसी बातें फिर भविष्य में न हों। इस बारे में विवरण में कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। आपने कहा है कि आप को यह मालुम नहीं कि ये चीजें दुकानों तक कैसे पहुंची। यह बात महत्वपूर्ण है और यदि आप अपनी विभागीय जांच पर निर्भर करेंगे और यदि आप विभागीय व्यक्तियों पर विश्वास करेंगे तो आपके लिए तथ्यों का पता लगाना कठिन हो जायेगा। यह उनके लिए एक लाभप्रद कारोबार बन गया है और वे इस किस्म के काम से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसा न होता तो यह सन्नाटा क्यों होता है ? बर्तन भण्डार का कर्मचारी व्यपारी से कह रहा था कि "कृपया मुझे अस्पताल भेज दीजिए। मुझे मारिये नहीं। यदि एक कर्मचारी भी मारा जाता है तो दूसरा कर्मचारी भी मारा जायेगा।" में मन्त्री से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपने इस बारे में राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया है जिसे मैंने पढ़ा है और उसमें कहा गया है कि इस बारे में जांच

चल रही है। यहाँ भी आप कह सकते थे कि आप जाँच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि जाँच कब पूरी होगी ? यदि किसी गैर कानूनी काम के बारे में कोई स्पष्ट मामला दीखता है तो क्या आप इसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपेंगे ? क्या आप ऐसा वक्तव्य देंगे कि इस बारे में आपका मन साफ है और आप अपराधियों को सजा देंगे ? मुझे आशा है कि आप निष्पक्ष होकर इन बातों को प्रकाश में लायेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसके लिए जिम्मेवार लोग बिना दण्ड पाये न रह जायें क्योंकि आप प्रेस के एक वर्ग विशेष को नहीं चाहते। लेकिन हमारे जैसे प्रजातंत्रीय देश में, इन सब बातों को प्रकाश में लाना प्रेस का काम है और सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री बसन्त साठे सहित मन्त्री महोदय का भी यह कर्तव्य है कि इन सब बातों तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का व्यापक प्रचार करें।

श्री बसन्त साठे : मैं व्यापक प्रचार कर सकता हूं, जंगली प्रचार नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब तक आप जंगली न बन जायें आप समय तक आप जंगली प्रचार नहीं कर सकते।

श्री शिवराज पाटिल : मुझे सभा को बताना है कि सेना का कर्तव्य और जिम्मेवारी राष्ट्र की प्रभुसत्ता तथा सीमाओं की रक्षा करना है। चोरों, डाकुओं, और हत्यारों का पता लगाना पुलिस बल का काम है। सम्भवतः दूसरे पक्ष के मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि हम मामले की जाँच करें और सूचना एकत्र करके सभा को दें। मैं नम्रतापूर्वक कहूँगा कि यह सेना अथवा रक्षा मन्त्रालय की जिम्मेवारी नहीं है। चूंकि रक्षा मन्त्रालय की कुछ चीजें जिनका उपयोग रक्षा मन्त्रालय करता है इससे सम्बद्ध हैं, इसी लिए हम यह पता लगाने के उद्देश्य से उन्हें सहायता दे रहे हैं कि क्या ये चीजें उपयोग योग्य उपयोग के अयोग्य अथवा अन्धी या कुछ इस प्रकार ही हैं। इससे अधिक कुछ करने की सेना से आशा नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य ने कहा है कि सेना के कुछ लोग इससे सम्बद्ध हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सेना के बहादुर सैनिकों तथा अफसरों के विरुद्ध ऐसे आरोप न लगायें। पूरे प्रमाण मिलने के बाद यदि उन्हें दोषी पाया जाये तभी आप ऐसे आरोप लगा सकते हैं। कहा गया है कि इस तरह निर्णय न दें कि आपको अपने ही बारे निर्णय देना पड़े। प्रमाण मिलने से पहले हमें उनके बारे में निर्णय नहीं देना चाहिये। हमें उनके विरुद्ध आरोप नहीं लगाने चाहिये··· (व्यवधान)। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा न करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमने अपने सिपाहियों के बारे में कुछ नहीं कहा; हमें उन पर गर्व है। परन्तु अधिकारियों का एक वर्ग ऐसा भी हो सकता है कि उनके आचरण को असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता है। कुछ गद्दार भी हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : और आपने कहा हो सकता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी हाँ श्रीमान।

प्रो. मधु दण्डवते : डबवाली तथा बागपत के मामले में पुलिस के एक वर्ग पर उसमें अन्तर्ग्रस्त होने का आरोप लगाया गया था और जाँच आयोग ने यह सिद्ध किया है कि वे इसके लिए जिम्मेवार थे; और उन्हें इस बात का जिम्मेवार ठहराया गया था। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सारे पुलिस बल पर आक्षेप कर रहे हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैंने अभी उसके उत्तर में कहा जो यहां पर कहा गया था। अब, यदि आप रिकार्ड की जांच करते हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि अब जो मैं कह रहा हूं वह ठीक है। यदि आप उन बातों को वापस लेते हो जो आप कह चुके हैं तो मुझे इसके बारे में बड़ी खुशी होगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह अनुचित है·····(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। वह आपको उत्तर दे रहे हैं और आप बार-बार खड़े हो जाते हैं··· ध्यानाकर्षण के लिए कुछ नियम हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप मुझे यंत्रणा देंगे।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मित्र को यन्त्रणा दी जाये। मैं चाहता हूँ कि उनके वक्तव्य को यन्त्रणा दी जानी चाहिए। एक माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पड़ताल कब तक पूरी हो जायेगी। मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि इस मामले की जांच-पड़ताल करना रक्षा मन्त्री तथा सैनिकों का काम नहीं है। जांच पड़ताल करना उत्तर प्रदेश में पुलिस का काम है और उन्हें न्यायालय तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों को रिपोर्ट देनी चाहिए आमतौर पर वे ऐसे मामलों की पड़ताल करने में लगभग तीन महीने लगाते हैं, परन्तु यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो उन्हें शीघ्रता करनी चाहिए। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु मैं इस बात को कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि पड़ताल पूरी हो जायेगी।

मैंने सभा से कुछ नहीं छुपाया है और सभी बातें सभा के समक्ष रख दी है इस पर निर्णय लेना सभा के ऊपर है। मैं केवल अनुरोध करूंगा कि बहादुर सिपाहियों तथा बहादुर अधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप न लगाइये जब तक कि सिद्ध न हो जाए।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, हम उनके स थ हैं और मारे सदन की ऐसा ही भावना है। हमें अपनी सेनाओं पर और सेना के लोगों पर गर्व है लेकिन जैसे पहले भी अखबारों के जरिये हमको मालूम हुआ है कि 1969 में कुछ आर्मी परसोनेल के बारे में ऐसी रिपोर्ट थी कि वे विदेशों के साथ जासूसी करते हुए पाए गए और इस तरीके की बात सुनने में आई थी। तो यह हो सकता है कि कुछ ऐसे गलत तत्व हैं, जिन की वजह से सारी आर्मी बदनाम होती है और उस संदर्भ में मैं दो, तीन बातें मंत्री जी से जानना चाहूँगा।

पहली बात यह है और आपने अपने उत्तर में भी कहा है कि हमने सेना के एक्सपर्टस और अधिकारियों को वहां जांच के कार्य में सिविल आथेरिटीज की मदद करने के लिए भेजा है, तो इस में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपको सेना के जो अधिकारी वहां गये थे, उन्होंने इस बात का पता लगाया कि जो सामग्री उस बर्तन भण्डार में पाई गई, विस्फोट की, वह किस एम्यूनीशन डिपो में बनी हुई थी, उस पर किसका मार्क था दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस सेना के किस यूनिट को वह सप्लाई की गई ताकि इस बात की जानकारी हो सके कि जहां यह मैनूफैक्चर हुई थी, वहां तो कोई गलती नहीं हुई, वहां से तो किसी प्रकार का लीकेज नहीं हुआ है या जिस यूनिट को वह दी गई, वहां तो कोई गलती नहीं हुई है क्योंकि अगर वहां से किसी तरह की गलती हुई है, तो उसकी जांच होना जरूरी है।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस बर्तन भण्डार में यह चीज मिली है क्या वह इस बात के लिये आथोराइज्ड एजेन्ट था कि वह इस तरह की जो रक्षा की चीजें हैं, उनको खरीद सके और उनको किसी और यूज में ला सके ? क्या इस चीज के लिए वह लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो आर्मी के अफसर वहाँ गये थे, उन्होंने इसकी जाँच पड़ताल की है या नहीं और वह क्या है ? मैं यह कहना चाहूँगा कि जब इन्वेस्टीगेशन होता है, तो इन्वेस्टीगेशन करने का काम पुलिस का है आर्मी का नहीं है आर्मी के लोग वहाँ जाकर बता रहे हैं कि वह कैसा एम्यूनीशन है, एक्सप्लोड होने जैसा है या एक्सप्लोड हुआ वाला है, पूरा एम्यूनीशन है या आधा एम्यूनीशन है । जब पुलिस वहाँ जाती है, तो वहां जो कुछ भी गिरा हुआ रहता है···

एक माननीय सदस्य खड़े हुए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । वह श्री रावत को उत्तर दे रहे हैं । वह केवल स्पष्टीकरण माँग सकते हैं । (व्यवधान)* यह सामान्य चर्चा नहीं है ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह इन्वेस्टीगेशन किस पद्धति से होता है . इस चीज के बारे में जानकारी पाने के बाद जो शंकाएं हैं, कुछ शंकाएं जो हमारे सदस्यों के मन में उठ रही हैं, वे खत्म हो सकती हैं । जब इंवेस्टीगेशन होता है, तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और वहाँ पर जो भी चीज पाई जाती है, उसका पंचनामा किया जाता है, बाहर के लोगों को लेकर वहाँ जो भी चीज पाई जा है, हर चीज का पंचनामा किया जाता है और वह कोर्ट में भेजा जाता है और उसमें सब कुछ लिखा रहता है । यह काम पुलिस का है और हमारी आर्मी के जो जोग वहां पर पहुँचते हैं, उनका नहीं है । एक्सपर्ट लोग वहां जाते हैं । अब सवाल यह उठता है कि आर्मी के लोगों को इसमें इन्वेस्टीगेशन करनी चाहिए, वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ? मेरा कहना यह है कि इसमें आर्मी के लोग इन्वेस्टीगेशन कर नहीं सकेंगे, ऐसे हालात में जबकि पुलिस वहां पर इन्वेस्टीगेशन कर रही है ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : कोई लीक्रेज तो नहीं है, इसका इवेस्टीगेशन कर सकते हैं ताकि आयन्दा ऐसा न हो सके ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं यही बोल रहा हूँ । जो इन्वेस्टीगेशन हो रहा, वह एक तरीके से हो रहा है और आप ऐसा समझ कर चल रहे हैं कि इन्वेस्टीगेशन करने का काम आर्मी का है, इसलिए आर्मी को करना चाहिए । आर्मी को उसके अन्दर कोई चीज मिली है या कार्टरिजेज मिली हैं, इसलिए आर्मी को इन्वेस्टीगेशन करना चाहिए, इसमें पहले समझने की बात यह है कि यह चीज चोरी के मामले की है, जिसमें एक्सीडेंट हुआ है । अब उसके पास लाइसेन्स है या नहीं है, यह देखने का काम भी वहां हो रहा है और इसके बारे में मेरे पास अभी कोई इन्फार्मेशन नहीं है कि उसके पास लाइसेन्स है या नहीं, लेकिन उसके बारे में इन्वेस्टीगेशन होना जरूरी है और कोर्ट में उसका जाना जरूरी है, मगर इतना आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टीगेशन का काम पुलिस के ऊपर है और आर्मी को अगर आप यह समझें कि वह इन्वेस्टीगेशन करे और उसको हमारे सामने लाए, तो इन दोनों में डिफ्रेंशियेट करना जरूरी है ।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो होम मिनिस्टर को देना चाहिए था। जिन सारी बातों का हमें जवाब चाहिए था, वह तो आ नहीं रहा है। होम मिनिस्टिर जवाब देते तो अच्छा होता और मंत्री जी यह कह देते कि यह मेरा काम नहीं है। खैर जो सवाल हम आप से कर रहे हैं उन सवालों का जवाब तो आपको देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा गलत काम यह हुआ है कि इसमें सारी इन्क्वायरी होम मिनिस्ट्री कर रही है।

अब मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आपके यहां की बातें चाहे गलत हों या सही, अखबार वाले निकालें तो आपको उन्हें देखना है या नहीं। यह 24 तारीख को वाकया हुआ था। इसमें यह कहा है कि—

"जिस भवन में विस्फोट हुआ था जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मौतें हुई उससे बरामद वस्तुओं में से 84 विस्फोटक बम, 15 राकेट, 6 समुद्री प्रक्षेमणास्त्र तथा अन्टी-एयर क्राफ्ट बन्दूक के खोलों को बनाने के लिए प्रयोग किए गये फालतू पुर्जों तथा टैंक के फालतू पुर्जों के 30 भरे हुये थैले हैं।"

यह जो इस तरह का लिखा है और यह भी लिखा है। आप कहते हैं कि जवानों के लिए हमारा आदर है लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि यह जो 40 अरब रुपये का हमारा डिफेंस का बजट है, इसमें हमें यह भी देखना है कि वहाँ सब कुछ दूध का धुला हुआ नहीं है। आपको यह आइडिया लेकर नहीं चलना चाहिए।

आपके यहाँ जो फायरिंग रेंज है क्या वहाँ से कोई भी, हरेक आदमी स्क्रेप ले जा सकता है क्या वह स्क्रेप आप इक्ट्ठा करके आक्शन नहीं करते हैं ? आप यह कहते हैं कि वहाँ से कोई ले गया होगा, आपका इतना बड़ा रेंज है।

दूसरी बात, इतना जो सामान निकला है, वह सामान कहां का है ? आपने जवाब में कहा कि इन्वेस्टीगेशन टीम वहां भेजी गयी, आपकी टीम जब वहाँ गयी और उसने इसकी जांच की तो उसने देखा होगा कि सामान कहाँ से निकला हुआ है। क्या यह सामान आक्शन हुआ था, किसी कांट्रेक्टर ने लिया था ? कितनी कीमत का यह सामान उसके पास से निकला है, इसके बारे में आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं ? अखबार में निकला है कि इस टीम के जाने से पहले वहाँ 12 बार मिलिट्री के आफिसर्स जा चुके हैं।

उन्होंने बार बार देखा कि क्या बात है और उन्हने अखबार वालों को कहा कि हम मैसेजेज भेज रहे हैं। जब आपके आफिस में खबर आयी रक्षा विभाग के नोटिस में यह बात आयी तो रक्षा विभाग इसमें कोई डिटेल में इंक्वायरी कर रहा है या नहीं ? आपने इसे होम मिनिस्ट्री पर ही छोड़ दिया है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि आप जवाब क्यों दे रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं दे रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने हमसे पूछा तो हम जवाब दे रहे हैं, अगर आप होम मिनिस्टर साहब से पूछते तो वे जवाब दे देते।

दूसरी बात आपने बतायी है कि वर्तमान सत्र में जो कुछ भी आ रहा है उसके आधार पर यह सही घटना है। मैंने अपने स्टेटमेंट में, जो कुछ भी फेक्ट वहाँ पाया गया है वह सब

इस सदन के सामने रखा है। इस सदन में जो कुछ भी हम कहते हैं वह प्रोटेक्टेड है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता और न ऐसा होना ही चाहिए।

क्या मैं विनती कर सकता हूँ कि वर्तमान सत्र में जो आया है वह सही है उसकी भी जांच पड़ताल करके आप पूछते ? जिसकी कि हमें रक्षा करनी है, क्या उसके बारे में ऐसे ही शंका करके, उसके आधार पर आप बहुत कुछ बुरा भला कहना चाहेंगे ? आपने अगर इसके बारे में जांच पड़ताल की है, उसकी रिस्पाँसिब्लिटी भी आप ले रहे हैं तो आप पत्र का नाम भी लीजिए। अगर रिस्पाँसिब्लिटी आप नहीं ले सकते तो केवल पत्र में यह आया है, उसके आधार पर आप क्या ऐसी बात कहना चाहेंगे ? (व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह इन्डियन एक्सप्रेस में छपा था। इन्डियन एक्सप्रेस में सात तारीख को यह घटना हुई है। (व्यवधान)

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं इन्डियन एक्सप्रेस या किसी वर्तमान पत्र के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आपने इस आधार को लेकर यह प्रश्न उठाया है, इसलिए कहना चाहता हूं···। (व्यवधान)*

श्री मूल चन्द डागा : डिफेंस डिपार्टमेंट ने उसमें रिबटल नहीं किया गया है। आपने उसका खंड नहीं किया है यह विभागीय अध्ययन था। आपने इसका खंडन नहीं किया है। आप इसका खंडन क्यों नहीं करते हो ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मेरा इतना ही निवेदन है कि आप वर्तमान पत्र के आधार पर ही कुछ कहना चाहेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान और हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ ऐब रह गया है तो···। (व्यवधान)*

श्री शिवराज वी. पाटिल : इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो कुछ भी यहां पर कहने जा रहे हैं, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, श्री डागा को उत्तर दे रहे हैं। व्यवधान को कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मंत्री महोदय आप जवाब दें। (व्यवधान)* मंत्री महोदय आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप श्री डागा को उत्तर दें इसे कार्य वृतांत में सम्मिलित न करें। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। (व्यधबान)* मैं अनुमति नहीं दूंगा नियम अनुमति नहीं देते है। जी हां, मंत्री महोदय आप उत्तर दीजिए। मुझे नियमानुसार सभा का कार्य चलाना है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। किसी प्रश्न की अनुमति नहीं है। (व्यवधान)*

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके रूल में भी यही प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी पत्र के आधार पर यदि कोई चीज सदन में आप उठाना चाहते हैं··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप श्री डागा को उत्तर द। (व्यवधान)* उन्हें उत्तर देने दें।

श्री मूल चन्द डागा : मैं समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचना के आधार पर बोल रहा हूँ। (व्यवधान)*

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शिवराज वी. पाटिल : आपने जो सवाल उठाया है उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं कही लेकिन यदि आप किसी के खिलाफ कुछ कहने जा रहे हैं तो आपके पास पूरा आधार भी होना चाहिए, इतना ही नम्रता से मैं आपको बता रहा हूं ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं ! नहीं ! मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

थोक अनाज व्यापार के हाथ में लेने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने आदि के बारे में याचिका

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं थोक अनाज व्यापार के प्रबन्ध ग्रहण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्य तथा चीनी, कपास, वस्त्र तथा औषिध उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में श्रीमती विमला फारूकी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करती हूं ।

मैं चाहती हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं ।

सभा अब 2.10 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 15 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।)

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं । डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने पहले उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति देने के लिए मुझ से अनुरोध किया है क्योंकि वह जल्दी में हैं । क्या ऐसा नहीं है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : जी हां, मुझे किसी को गिरफ्तार करवाना है ।

सभापति महोदय : क्या डा. स्वामी इस तरफ आ गये है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अगले चुनावों में हम उधर हो जायेंगे । तब तक मुझे धैर्य रखना है ।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : सदा सर्वदा तक इन्तजार करना अच्छा है ।

(एक) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कुछ छात्रों की गिरफ्तारी

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे आश्चर्य तथा दुख है कि संसद को दिये गये सरकारी आश्वासन का स्पष्ट उल्लंघन करते हुये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का छात्रों के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है । जिला मजिस्टेट, अलीगढ़ ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वारंट

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के श्री मंजूर सफी तथा अन्य छः छात्रों के विरुद्ध जारी किये गये है।

मैं सरकार से हस्तक्षेप करने तथा इन नजरबन्दी आदेशों को रद्द करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को चेतावनी देने का आग्रह करता हूँ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं श्री मंजर सफी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक छात्र है, की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ जो स्वयं मेरी मदद लेने के लिए मेरे निवास स्थान पर आया है।

सभापति महोदय : आप जिला मजिस्ट्रेट की मिशाल दे रहे हो।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं मैं अपने ही शब्दों का उल्लेख कर रहा हूँ।

मैं कभी उनसे नहीं मिला हूँ, परन्तु उसने कहा कि मुझ पर उसका पूर्ण विश्वास है कि मैं उसकी शारीरिक रक्षा कर सकूंगा और वह दिल्ली पुलिस को समर्पण करना चाहता है।

जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार (2 फरवरी 1981 के स्टेटमैन, दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित) श्री सफी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र आन्दोलन का 'मार्ग दर्शक' है और एक वांछित अपराधी है। जिला मजिस्ट्रेट ने श्री सफी को फरार 'घोषित अपराधी' भी घोषित किया क्योंकि अलीगढ़ पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन उसे गिरफ्तार करने में असफल हो गई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सफी है, साफी नहीं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं एक हिन्दू हूं। मुझे मालूम नहीं है कि इस का कैसे उच्चारण किया जाता है। वह मुस्लिम है।

सभापति महोदय : क्या आपको मिश्रित संस्कृति में विश्वास नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने पारसी महिला से शादी की है। इसलिये पारसी-हिन्दू चलेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी सुबुद्धि से निष्कासन आदेश जारी किया जिसमें श्री सफी के जिला अलीगढ़ में घूसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। श्री सफी अलीगढ़ में कैसे गिरफ्तारी दे सकता है जब कि उसे वहाँ से निष्काषित कर दिया गया है ? उसके बाद उसे फरार घोषित करने का क्या अर्थ है ?

इस प्रकार के विरोधाभास आदेशों ने श्री सफी के दिमाग में न्यायसंगत रूप से आशंका पैदा कर दी है और उसे किसी षड़यंत्र का सन्देह हो गया है।

संसद सदस्य के रूप में मेरे लिए व्यक्तिगत अधिकार तथा लोक हित से सम्बन्धित ऐसे कर्तव्यों का निर्वाहन करना अनिवार्य है।

(दो) गोबर गैस संयंत्रों के लिए राज सहायया की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : समापति महोदय, ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोगैस (गोबर गैस) एक सफल प्रयोग है जो भारत में अभी इस स्थिति में नहीं पहुँचा है जैसा पहुँचना चाहिये। बायोगैस को गांवों में अधिक लोक प्रिय बनाने के लिये केन्द्रिय सरकार

तथा राज्य सरकार मिल कर अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करें। अभी हाल ही में दी जाने वाली अनुदान की राशि का है इसे बढ़ाया जाये। चीन में यह प्रयोग काफी सफल रहा है। अमेरिका फ्रांस तथा जापान में तो गली सड़कों पर फेंके जाने वाले कूड़ा करकट, खेती के साथ उत्पन्न बेकार पौधे जंगली घास आदि को जला कर भी गैस बनाई जाती है। इसका प्रयोग भारत में भी किया जाना चाहिये।

भारत में जो ग्रामों का देश है, ग्रामीण जीवन की काया पलटने में बायोगैस एक महत्व-पूर्ण भूमिका निभा सकती है; इसको लोक प्रिय बनाने के लिये अनुदान की राशि बढ़ाने की तरफ सरकार अवश्य ध्यान दे तथा निरन्तर इस क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसन्धानों के प्रोत्साहन हेतु सरकार विशेष ध्यान दे।

(तीन) हैदराबाद में निर्मित पशु-प्लेग टीके की प्रभावहीनता

श्री पी. राजगोपाल नायडु (चित्तूर) : आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में अनेक भागों में भेड़ों और दुधारु पशुओं की पशु प्लेग से बहुत हानि हुई है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद भी वे इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। इस बीमारी के परिणाम स्वरूप, कीमती दुधारु पशु तथा भेड़े मर गई जिससे मालिकों का भारी नुकसान हुआ। यह कहा गया है कि हैदराबाद में उत्पादित पशु प्लेग टीके में कोई नुक्स है। कुछ स्रोतों से मालूम हुआ है कि टीके में कोई नुक्स नहीं है बल्कि टीके आयात करने में एक्सटेंशन स्टाफ द्वारा अपनाये गये तरीकों में नुक्स हो सकता है। कोई भी कारण हो, किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

यह जान पड़ा है कि आन्ध्र प्रदेश में गुन्टूर के निकट लाडम में जहाँ पशु पोषण फार्म है, हैदराबाद से टीका नहीं खरीदा जा रहा क्योंकि वहाँ उत्पादित टीका त्रूटि पूर्ण है परन्तु वे इस इस मद्रास से नहीं खरीद रहे हैं। इससे सभी के मस्तिष्क हैदराबाद में उत्पादित पशु प्लेग के टीके की क्षमता के बारे में शंकायें पैदा कर दी। टीके के नुक्स का पता लगाना बेहतर है ताकि भविष्य में इस प्रकार की हानि न उठानी पड़े।

(चार) जनवार्ता के सम्पादक पर कथित हमला

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में पत्रकारों पर हो रहे हमले की घटनायें अत्यन्त चिंता का विषय बनती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा और उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों मे ऐसी घटनायें हुई हैं, किन्तु जनवार्ता के संपादक पर सुनियोजित हमला अत्यन्त गंभीर घटना है यदि इस प्रकार की घटनायों को नहीं रोका गया, तो प्रेस की आजादी खतरे में पड़ जायेंगी और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निर्भीक पत्र-कारिता के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे लोकतंत्र की मौलिक मान्यतायें प्रभावित होंगी। परिणाम-स्वरूप लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जायेगा। अतः भारत सरकार को शीघ्र इस दिशा में प्रभावी कदम उठाना चाहिए और सम्बन्धित प्रदेश सरकारों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

(पांच) बीड़ी की बजाय तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क लगाने की आवश्यकता

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं और वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :—

जब से उत्पादित बीड़ियों पर प्रति हजार की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगने लगा है, तब से बीड़ी उत्पादक सरकारी समितियों को उन व्यष्टि बीड़ी उत्पादकों से असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है जो अपनी मुख्य उत्पादक इकाइयों को दूरस्त गाँवों में और उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की पहुँच से बाहर लगाकर उत्पाद-शुल्क का अपवंचन करते हैं। इस प्रकार व्यष्टि बीड़ी निर्माताओं के उत्पादन का मुख्य भाग उत्पाद-शुल्क लगने से बच जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वे सहकारी बीड़ी उत्पादक संघों की तुलना में लाभ में रहते हैं।

उत्पाद शुल्क की इस चोरी को केवल तभी रोका जा सकता है जब कि शुल्क उत्पादित बीड़ी पर न लगाया जाकर तम्बाकू पर लगाया जाए जिससे सहकारी बीड़ी संघों और व्यष्टि उत्पादकों के बीच एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता को भी स्थान मिलेगा।

अतः मैं मांग करता हूँ कि बनी हुई बीडियों पर लगे शुल्क को रद्द कर दिया जाए और उसे तम्बाकू पर लगाया जाए जिससे कि सहकारी बीड़ी संघों और व्यष्टि बीड़ी उत्पादकों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित की जा सके।

(छः) सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में डाक्टरों की कथित लापरवाही

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : देश में डाक्टरों द्वारा मरीजों के साथ लापरवाही बरती जा रही है और डाक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों की क्या दुर्गति होती है, उसका एक उदाहरण सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

14 सितम्बर, 1980 को आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में सर्जरी विभाग के अध्यक्ष द्वारा साहेवसिंह यादव नाम के एक गरीब व्यक्ति का पेट आपरेशन किया गया। श्री यादव इटावा जिले के पिलखर ग्राम का निवासी है।

सभापति महोदय : आपने "कालेज" कहा है या "हास्पिटल"?

श्री रामविलास पासवान : वह मेडिकल कालेज और हास्पिटल है।—यह फोटो खींचा है इसमें बहुत बड़ी कैंची दिखाई देती है।

सभापति महोदय : बवेस्चन आवर में देखा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसको सभा-पटल पर रखा जाये।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं।

श्री रामविलास पासवान : मैं पढ़ने के बाद रख देता हूं। अध्यक्ष द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण, दस्तावेज को सभापटल पर रखा हुआ नहीं माना गया।

पिछले माह जब उसके पेट में भीषण दर्द होने लगा, तो वह पुनः उस अस्पताल में दिखाने गया। वहाँ डाक्टरों ने कहा कि पहले बाहर से एक्स-रे करवा लो। उसके बाद उसे प्राइवेट एक्स-रे वालों के यहाँ ले जाया गया। जब उसका एक्स-रे करवाया गया, तो पता चला कि उसके पेट में छः इंच लम्बी कैंची छोड़ दी गई है।

इस मामले के सम्बन्ध में आगरा मेडिकल कालेज के छात्र संघ के अध्यक्ष द्वारा पिछले माह मुख्य मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री (उत्तर प्रदेश) को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह कार्यवाही नहीं की गयी है। मरीज के पेट में अभी तक कैंची ज्यों की त्यों है और मरीज मृत्य से जूझ रहा है।

इसी तरह की घटना पिछले वर्ष पटना मेडिकल कालेज में भी घटी थी।

सभापति महोदय : क्या बिहार और यू. पी. में एक ही किस्म के सरजन होते हैं ?

श्री रामविलास पासवान : यह कोई रिजर्वेशन वाला डाक्टर नहीं है।

अतः सरकार से माँग है कि सरकार ऐसे लापरवाह डाक्टरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करे तथा सदन में इस पर वक्तव्य दें।

अब सभापति जी, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूं।

सभापति महोदय : नहीं, छोड़िऐ कोई जरूरत नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह तो एक तरह का सबूत है।

सभापति महोदय : अगर गवर्नमेंट माँगेगी तो दीजिएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसे सभा पटल पर रखा जाय। इसमें उसका जिक्र है कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसका जिक्र जब आपने स्वीकार किया तो उसे रखने में क्या हर्ज है ?

एक माननीय सदस्य : दस्तावेज के एक भाग के रूप में।

सभापति महोदय : इसकी जांच की जायेगी।

प्रो. मधु दन्डवते : अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय : कम से कम सभापति तो आम आदमी होता है। निस्सन्देह वह लम्बे समय तक स्वास्थ्य मन्त्री रहे हैं। परन्तु वह आम आदमी बनकर रहते रहे हैं।

(सात) आत्माराम सनातन धर्म कालेज, नई दिल्ली के श्री प्रमोद कुमार पर हुए हमले की न्यायिक जांच की आवश्यकता

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) सभापति महोदय, आत्माराम सनातन धर्म कालिज, नई दिल्ली के छात्रों की एक बैठक' कालिज के छात्र श्री प्रमोद कुमार की मृत्यु पर, जिसे 21-2-81 को दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली एक निजी बस में छुरा घोंप दिया गया था और बाद में 26-2-81 को जिसका निधन हो गया था, शोक प्रकट करने हेतु बैठक 5-3-81 को हुई। बस के चालक ने, जो कि बस का मालिक भी था, श्री प्रमोद कुमार के बस के अगले दरवाजे से बस में चढ़ने पर विरोध प्रकट किया था। इसके परिणाम स्वरूप चालक और छात्र में विवाद उठ खड़ा हुआ और उसके बाद दोनों में हाथापायी हो गयी। इस बीच चालक के चार-पांच मित्र जो कि उसी बस में यात्रा कर रहे थे उस हाथापायी में शामिल हो गये। उनमें से एक आदमी ने छूरा निकाल लिया और छात्र प्रमोद को घोंप दिया। यद्यपि चालक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है परन्तु उसके अन्य मित्रों को, जिनका नाम चालक ने बता दिया है, अभी तक नहीं पकड़ा गया है।

5-3-81 को हुई शोक-संवेदना बैठक के बाद अपराध की जांच में और सभी अपराधियों को पकड़ने में पुलिस द्वारा बरती गई ढील के विरूद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए छात्रों ने महाविद्यालय के बाहर धरना दिया। छात्रों ने कुछ बसें भी रोकी।

छात्रों को यह आश्वासन देकर शान्त करने के बजाय कि अपराधियों को पकड़ लिया जायेगा, पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ी और छात्रों पर घातक लाठी चार्ज किया। पुलिस कैसे और किस सीमा तक उन्मत्त हो गई वह तो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जायेगा :—

1. छात्राओ को भी, जिनको प्रतिवाद से कुछ लेना देना नहीं था जो कि घोला कुआं बस स्टाप पर बस की प्रतीक्षा कर रहीं थीं लाठियों से पीटा गया।

2. दिल्ली विश्व-विद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष को उठाकर हवा में उछाल दिया गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके एक घण्टे तक पुलिस हिरासत में रखा गया। "बाद मे जब पुलिस ने यह अनुभव किया कि इस बात की तो जवाब देही होगी कि पुरुष-पुलिस ने लड़कियो को पकड़ा और उनके साथ हाथापायी की" तो उसे छोड़ दिया गया।

3. जब छात्रों ने स्वयं गिरफ्तारियाँ दीं तब उस के बाद भी उन्हें पुलिस हिरासत में पीटा गया। दिल्ली विश्व-विद्यालय छात्र संघ के मन्त्रिव की एक टाँग और एक बाँह टूट गई है। दि. वि. वि. छा. सं. के अध्य को तब तक निर्दयता से पीटा गया जब तक कि वह अचेत न हो गया। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के सिर में लाठी लगने से इतनी गम्भीर चोट पहुँची कि उनके सिर मे कई टाँके लगवाने पड़े।

मैं छात्रों द्वारा यातायात को अवरूद्ध करने और बसों पर पथराव करने के विरूद्ध हूं, लेकिन जो कुछ मैंने बताया है, उससे यह स्पष्ट है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है और उन छात्रों के विरूद्ध अविवेकपूर्ण शक्ति प्रदर्शन करने में उन्होंने निर्दयता दिखाई है जो कि स्वाभाविक रूप से अपने सहपाठी की मृत्यु पर विरोध प्रकट कर रहे थे। यह हम सब के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिए कि आजकल विधि और व्यवस्था तन्त्र की कार्य करने की यह एक पद्धति हो गई है।

मैं मांग करता हूं कि छात्र प्रमोद कुमार पर कातलाना हमला करने वाले सभी लोगों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाये और इस बात का पता लगाने के लिए कि पुलिस को लाठी-चार्ज क्यों करना पड़ा और इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाये एक न्यायिक जांच करायी जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। छात्रों के विरूद्ध सभी मामलों को तुरन्त वापिस लिया जाना चाहिए।

(आठ) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में मछुओं का संरक्षण

***श्री रासबिहारी बहेरा** (कालाहांडी) : पुरी के समुद्रतटीय जल में तथा चिल्का झील के जल में उपलब्ध स्वादिष्ट झींगा मछली के लिए उड़ीसा देश और विदेश में प्रसिद्ध है। उड़ीसा के समुद्रतटीय क्षेत्र में रहने वाले हजारों मछुओं की जीविका का एक मात्र साधन मछली पकड़ना है। भारतवर्ष करोड़ों रुपये मूल्य की झींगा मछली बड़ी मात्रा में विदेशों को निर्यात करता है। इस झींगा मछली को परिक्षित करने के उपाय किए जा रहे है। झींगा मछली के व्यापार को कारगर ढंग से चलाने के लिए चिलका झील के निकट बड़ी संख्या में बर्फ के कारखाने और कुछ अन्य सहायक उद्योग स्थापित किए गये है। हजारों मछुये झींगा मछली के व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुये हैं और मछली पकड़ना उनकी आय का मुख्य साधन है। आन्ध्र प्रदेश के हजारों छोटे मछुये भी इन क्षेत्रों में मछली पकड़कर अपनी जीविका कमाते हैं।

परन्तु उन बड़े मछुआरों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण, जिनके पास ट्रलर जहाज और जाल होते हैं और बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का जिनका धन्धा चल रहा है, गत तीन

*उड़ीया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का रूपान्तर।

वर्ष से झींगा मछली के व्यपार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। यान्त्रिकृत साधनों से समुद्र तटीय क्षेत्रों में अन्धा-धुन्ध मछली पकड़े जाने के कारण, झींगा मछलियों की संख्या कम होती जा रही है और उ हें विनाश का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त पुरी के निकट की समुद्रीय पट्टी में बड़ी तेजी से मिट्टी जमती जा रही है जोकि इस नस्ल की मछलियों के लिये खतरा है।

यदि पुरी के समुद्र में से मिट्टी निकालने और झींगा मछली की नस्ल को फैलाने के लिए कदम नहीं उठाये गये तो इस व्यापार में विशेषकर मछुआरा समाज को और सामान्यतया लगे अन्य लोगों को भी हानि उठानी पड़ेगी। चूंकि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को इससे लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा मिलती है, इसलिए इस समुद्रतटीय क्षेत्र में झींगा मछली की पैदावार को बढ़ावा देने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें।

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक-जारी

सभापति महोदय : अब सदन जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर और आगे खण्डवार विचार करेगा।

श्री सुनील मैत्रा भाषण कर रहे थे।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय खण्ड 2 में पेश किया गया मेरा संशोधन संख्या 17 महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए मैंने यह विशेष संशोधन प्रस्तुत किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के बावजूद, यह सरकार उन आदेशों को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। केवल इतना ही नहीं, सरकार की ओर से वित्त मंत्री महोदय ने भी कुछ वक्तव्य दिए हैं जोकि स्पष्टतया ठीक नहीं हैं।

मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान उनके उस दिन के कथन की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने इस बारे में कुछ टिप्पणियां करने की बात कही थी।

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : आप आगे कहिये।

श्री सुनील मैत्रा : जब आप वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे तो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि क्या वह आदेश की प्रति सभा पटल पर रखें ?

आपका कहना था "श्रीमन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास उस आदेश की प्रति नहीं है।"

उसके बाद सभापति महोदय ने टिप्पणी की थी। "वे उस का उल्लेख कर रहे हैं।"

तत्पश्चात वेंकटरामन ने कहा था "अब मैं इससे अपने ही ढग से निपटूंगा।'

उसके पश्चात न्यायालय के 13 जनवरी के अन्तिम और औपचारिक आदेश में यह कहा गया है :

"माननीय महान्यायवादी ने जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से पेश हुए थे, हमारे समक्ष एक वक्तव्य दिया है कि न्यायालय ने 10 नवम्बर, 1980 के अपने निर्णय में जो आदेश दिया है, उसको 15 अप्रैल, 1981 से पूर्व अमल में लाया जायेगा।"

उनके बाद श्री वेंकटरामन ने कहना जारी रखा "महोदय, यह आदेश का संगत भाग है।"

अब वह ऐसा कहते हुए उस उद्धारण को भुठला रहे हैं "मैं इस पर अपने ही ढंग से विचार करूंगा।"

तत्पश्चात 13 जनवरी को दिये गये न्यायालय के अन्तिम और औपचारिक आदेश में यही बात कही गयी है।

अत: आपका कहना है कि जो कागज का टुकड़ा आप सदन को पढ़ कर सुना रहे थे उसे आप न्यायालय का अन्तिम और औपचारिक आदेश मान रहे हैं।

वित्त मंत्री महोदय यह नहीं जानते कि जो कागज उन्होने पढ़ कर सुनाया वह उच्चतम न्यायालय के कार्यवाही वृतांत की एक प्रतिलिपि थी।

जो कुछ वित्त मन्त्री महोदय ने पढ़ कर सुनाया था, मेरे पास भी उसकी एक प्रति है। यह प्रमाणित प्रति है। आप की अनुमति से मैं इसे सभा पटल पर रखना चाहता हूँ।

अब यदि वित्त मन्त्री महोदय उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के रिकार्ड को उच्चतम न्यायालय के अन्तिम एवं औपचारिक आदेश के रूप में बताते हैं, तो तब उन्होंने उस दिन श्री गुप्त के दिनांक 10-4-80 के उच्चतम न्यायालय को कार्यवाही के रिकार्ड के बारे में बताने वाले इसी प्रकार के कागज को किस आधार पर एवं तर्क के अनुसार उच्चतम न्यायालय के एक आदेश, एक औपचारिक आदेश के रूप में नहीं बताया था, यदि वित्त मन्त्री उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के उसी रिकार्ड का कुछ उद्धारण देते हैं और कहते हैं कि यह न्यायालय का औपचारिक आदेश है, तो यह केवल इस कारण से न्यायालय का औपचारिक आदेश बन जाता है क्योकि हमें वित्त मंत्री महोदय ने उद्धृत किया है और जब उसी दस्तावेज से उसी बात को विरोधी पक्ष उद्धृत करता है, तो यह और अधिक समय तक एक औपचारिक आदेश नहीं रहता है क्योंकि हमें विरोधी पक्ष ने बताया है कि यह है' उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही का रिकार्ड है सिविल विविध याचिका संख्या 15195/80 (सी. ए. 2275/78)··· (ख) आर. पी. संख्या 23/81···" आदि '13/81 इन मामलों की सुनवाई आज की जाती थी। इस पर हस्ताक्षर मुख्य मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक, न्यायमूर्ति ए. डी. कौशल आदि के हैं।

इसके अतिरिक्त इस आदेश में बताया गया है कि वकील को सुनने के पश्चात न्यायालय ने यह आदेश दिया :—

भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से पेश होने वाले महान्यायवादी ने हमारे समक्ष बयान दिया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 1980 के अपने निर्णय में दिये गये आदेश को 15 अप्रैल, 1981 से पूर्व पूरा कर दिया जायेगा। इस आदेश में आगे यह भी बताया गया है कि यह आदेश स्वाभाविक रूप से पुनरीक्षण याचिका के परिणाम को देखते हुए लागू किया जायेगा। 'न्यायालय ने आगे कहा है कि पुनरीक्षण याचिका के साथ दायर की गयी स्थगन याचिका को अस्वीकृत कर दिया गया है और पुनरीक्षण याचिका को न्यायालय के समक्ष परिचारित कर दिया गया है।

इस आदेश पर मास्टर न्यायालय के हस्ताक्षर हैं। उस दिन जिस दिन श्री इन्द्रजीत गुप्त

ने इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्रस्ताव की, वित्त मंत्री महोदय ने यह कहा कि यदि एक दस्तावेज पर न्यायालय मास्टर के हस्ताक्षर होते हैं तो यह आदेश नहीं होता है, क्योंकि उनके अनुसार वह केवल एक कलर्क होता है। वित्त मत्री महोदय ने सभा में कुछ ऐसी बात कही जो 'न्यायालय मास्टर' द्वारा हस्ताक्षर किए गये दस्तावेज से उद्धृत की गई है जिन्हें वित्त मन्त्री ने केवल एक कलर्क बताया है। जब आप हमें उद्धृत करते हैं, तो यह आदेश बन जाता है और श्री इन्द्रजीत गुप्त उससे उद्धृत करते हैं तो यह आदेश नहीं रहता। इसमें क्या औचित्य है? अतः महोदय मैं आपकी अनुमति से इसे सभा पटल पर रखता हूँ। *

इसके साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ।

श्री आर. वेंकटरामन : सभापति महोदय, वास्तव में चर्चा हेतु जो बात संगत है वह इसके समक्ष विधान के औचित्य की है। जहां तक इसकी वैधता का सम्बन्ध है, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय' द्वारा किया जायेगा। मैं विधान की वैधता के सम्बन्ध में किसी प्रकार के तर्क में नहीं पड़ना चाहता हूँ। पूर्व के वक्ताओं ने यह कहा है कि विधान की वैधता के संबन्ध में निर्णय करना संसद का काम नहीं है बल्कि इसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना होता है।

मैं तो केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं सदैव इस बात पर जोर देता रहा हूँ कि वह आदेश एक औपचारिक आदेश है जिसमें बोनस के सम्बन्ध में 1974 के समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए जीवन बीमा निगम को निदेश दिया गया है जब तक कि औद्योगिक पचाट अथवा सगत विधान सम्बन्धी कोई नया समझौता नहीं कर लिया जाता है। यही बात है जो अन्तिम और औपचारिक आदेश है। चूँकि इसमें सरकार को यह विकल्प प्रदान किया गया है कि या तो वह दोबारा बात चीत करे अथवा संगत औद्योगिक न्याय निर्णय कराये या सगत विधान को लाये, इसलिए सरकार को विधान लाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यदि कुछ मैं कुछ कहना चाहता हूं वास्तव में श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस आदेश के बारे में कहा है। मैंने सभी तर्क सुने हैं, किन्तु उन तर्कों का प्रयोग उच्चतम न्यायालय में किया जाना चाहिए न कि यहाँ···

सभापति महोदय : आप गुप्त बातें नहीं बताना चाहते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

श्री सुनील मैत्रा : सभा में दिये गये आपके वक्तव्य के बारे में क्या है? (व्यवधान)।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं जो बात कहना चाहता था वही कह दी है। मैंने और कुछ नहीं कहना है आप जो अनुमान लगाना चाहें लगा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : विवेक प्रदाक्रम का एक बेहतर अंग है।

श्री आर. वेंकटरामन : वे सोचते हैं कि वे मुझे उत्तेजित कर सकते हैं किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे विधान मण्डल का 25 वर्षों का लम्बा अनुभव है। इसलिए मुझे उत्तेजित नहीं किया जा सकता है।

मैं इसके औचित्ये वाले भाग के बारे में बात करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह

---

* अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण इस को दस्तावेज सभा पटल पर रखा हुआ नहीं माना गया।

कानूनी तौर से ठीक है अथवा नहीं यह एक महत्वपूर्ण मामला नहीं है। क्या यह उचित है अथवा नहीं, यह वास्तविक मामला है और मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि···

श्री चित्त बसु (बारसाठ) : आप एक गैर कानूनी बात को उचित नहीं कह सकते।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं भी बाल की खाल निकाल सकता हूं, किन्तु इसमें समय लगेगा। मैं केवल इसके औचित्य वाले भाग के बारे में ही कहूंगा। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बिना किसी अधिकतम सीमा के महगाई भत्ता मिल रहा है जोकि किसी और कर्मचारी के बराबर नहीं हैं। अतः उन्हें इस व्यापक कार्य परिधि के अन्तर्गत लाना होगा जो अन्य कर्मचारियों पर लागू है।

दूसरी बात यह है कि देश के लगभग सभी कर्मचारी बोनस कानून के अन्तर्गत आते हैं। यह उचित कहना कि इसे जीवन बीमा कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें बोनस कानून से छूट मिलनी चाहिए, उनसे बिना किसी अधिकतम सीमा के मिलना चाहिए एक ऐसा प्रस्ताव है जोकि प्रत्यक्ष रूप से अनुचित है। मैं ऐसा इस लिए कहता हूं क्योंकि मेरा अनुरोध यह है कि यदि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त को कर्मचारियों के निम्नतर वर्ग पर लागू किया जाता है, तो इसे कर्मचारियों के उच्चतर वर्ग पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। और ऊंचे वेतन प्राप्त करने वाले लोगों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और कुछ लोगों को इतनी अधिक वेतनदर नहीं मिलनी चाहिए जिससे अन्य लोगों के लिए कठिनाई तथा भिन्न स्थिति पैदा हो जाय और जिसके फलस्वरूप स्वयं कर्मचारियों में असंतोष तथा ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाये। महोदय सौभाग्यवश, मुझे श्री जार्ज फर्नान्डीस जैसे आदरणीय मित्र से भी पूरी तरह समर्थन मिला है। मैं उन शब्दों को पढ़ूंगा जो श्री जार्ज फर्नान्डीस ने 1977 में लिखे थे जबकि वह सत्तारूढ़ दल में थे···

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : जब आप उनका हवाला देते हैं तो वह सदैव आपके आदरणीय मित्र बन जाते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : वह मेरे सदैव आदरणीय मित्र हैं। उनसे पूछिये कि क्या वह मेरे आदरणीय मित्र नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) जहां तक केवल इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है, मेरा हवाला मत दीजिए।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं उस बात का हवाला दूंगा जो मुझे अच्छी लगेगी। आप उस बात का हवाला दे सकते हैं जो मुझे अच्छी न लगे।

'मेनस्ट्रीम में पत्रिका के 15वें वार्षिक अंक, 1977 में श्री फर्नान्डीस ने लिखा है "इस समय जीवन बीमा निगम तथा बैंकों के कर्मचारियों द्वारा इस लिए आन्दोलन किये जा रहे हैं···

इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिये···अभी भी बेहतर वेतन शर्तों के होते हुए।

ये श्री फर्नान्डीस के शब्द हैं। उन्होंने आगे यह कहा है कि राष्ट्रीय वेतन नीति के बनाने का एक आवश्यक पहलू समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्वीकार करना है।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या ये शब्द जार्ज फर्नान्डीस के हैं अथवा लारेंस फर्नान्डीस के।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं यह पुस्तक आपको दूंगा।

सभापति महोदय : उन्हें बिलकुल ही संदेह नहीं है।

श्री आर. वेंकटरामन : इस पुस्तक में कहा गया है कि यद्यपि यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो प्रत्येक को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य है, फिर भी संगठित श्रमिक वर्ग ने इसे बारे में परिणत करने के अतिरिक्त स्पष्ट कारणों से इसे व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित करने हेतु बहुत कम कार्य किया है। इसका परिणाम हम देख सकते हैं कि संगठित औद्योगिक क्षेत्र में भी उच्च वेतन द्वीप बन गए हैं जिनका समस्त उद्योग में व्याप्त वेतन ढाँचे के साथ किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अब और भी बाते हैं और अब मैं और अधिक उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। मैं वास्तव में इस बात को कहने का प्रयास कर रहा हूं कि वेतनों के सम्बन्ध में केवल यह ही आवश्यक नहीं है कि न केवल निम्नतर दर्जो के लोगों के बारे में समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार के सम्बन्ध में समानता लाई जानी चाहिए, प्रत्युत उच्च वेतन प्राप्त करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से अन्य वेतन अर्जित करने वाले लोगों के साथ तुलनात्मक स्तर के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कडवाहट न रहे, किसी प्रकार की ईर्ष्या न रहे और किसी प्रकार का विद्वेष न रहे और समय-समय पर एक के बाद दूसरी उत्तरोत्तर वेतन वृद्धि न होती रहे। मैंने यह स्पष्ट किया है कि अन्य सभी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम महंगाई भत्ते का नियम लागू है और अन्य सभी कर्मचारियों पर लगभग उन सभी पर केवल उन्हीं को छोड़कर जिन्होंने बोनस सम्बन्धी अपने अधिकारों को त्याग दिया है, बोनस कानून लागू होता है। केवल जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को ही क्यों और किस अधिकार से इन कानूनों को उन पर लागू किए जाने से छूट मिलनी चाहिए और बिना किसी अधिकतम सीमा के अधिक महंगाई भत्ते अथवा बोनस का अधिकार मिलना चाहिए ?....

श्री सुनील मैत्रा : बोनस अधिनियम जीवन बीमा निगम पर भी लागू होता है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं किसी बात का उत्तर नहीं दूंगा। मैं तो केवल अपने मामले को प्रस्तुत कर रहा हू आप (व्यवधान) करके अपना प्रयास बेकार ही कर रहे हैं।

अत: सरकार ने सोचा कि मुकदमेबाजी को समाप्त करने की दृष्टि से जोकि चल रहा है जैसाकि एक के बाद दूसरी अपील अन्य मामला दायर किए जाने, संशोधन पत्रिका, अवमान आवेदन, पुनरीक्षण आवेदन और सभी प्रकार के अनिश्चित तथा निर्धारित न किये जा सकने वाले सभी प्रकार के मामलों तथा मुकदमों को सरकार को ठीक करना चाहिए और एक विधान बनाना चाहिए।

मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा विशेषकर कि अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस और प्रो. मधु दण्डवते से। आज वे यह कह रहे हैं कि सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा किए गए एक वेतन समझौते में हम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, आदि-आदि। पिछली सरकार, अर्थात हमारी अपनी पिछली सरकार ने वेतन समझौते में हस्तक्षेप किया था। इसमें एक अधिनियमन पारित किया था। उसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोटिसों को रद्द कर दिया। उस समय 1978 में जनता सरकार का ही शासन था।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : दोनों ने गलत किया। उन्होंने भी गलत किया और आपने भी।

श्री आर. वेंकटरामन : उन दोनों ने किया ? मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि वह भी ठीक नहीं है।

1978 में तो जनता दल सत्ता में था और जब मेरे माननीय मित्र तथा श्रमिक नेता श्री जार्ज फर्नान्डीस तथा मेरे मित्र प्रो. मधु दण्डवते मन्त्रिमण्डल में थे तो उस समय उन्होंने अपील क्यों की थी ? उन्होने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया था ? मैं इसका कारण जानता हूं। यदि आप सदन के इस ओर बैठे हों और आप पर देश की वित्त व्यवस्था का बोझ हो, तो निश्चय ही आप चाहेंगे कि उसमें किसी प्रकार की व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए।

प्रो. मधु मण्डवते : वह मन्त्रिमण्डल के रहस्यों को कैसे जान सकते हैं ?

श्री आर. वेंकटरामन : क्योंकि मैं उत्तराधिकारी हूं श्रीमान जी मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं; कि यदि आप किसी उत्तरदायी स्थिति में दो, तो आपके लिए भी यह सम्भव नहीं होगा कि श्रमिकों के एक वर्ग को वह सब कुछ दे दिया जाये जोकि वह चाहते हैं। यदि वर्तमान सरकार हो या भूतपूर्व सरकार, उसके लिए मंजूरी ढांचे में एक प्रकार से एक रूपता लाना अनिवार्य ही होता है।

सभापति महोदय : जो जूता पहनता है···

श्री आर. वेंकटरामन : उसी को मालूम होता है कि वह कहां काट रहा है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 1974 में तो आप सरकार में थे।

श्री आर. वेंकटरामन : हम इस बात को मान लेते हैं कि हम दोषी हैं, हमी बुरे हैं और केवल आप ही देवता हैं। परन्तु इन देवताओं ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थिति को तुरन्त स्वीकार क्यों नहीं कर लिया ? आपने अपील क्यों की थी ? यह देवता अपनी हिरासत में भला इसका कार्यभार हमारे लिए क्यों छोड़ गये थे जो कि उन्हें ही करना चाहिए था ?

श्री सुनील मैत्रा : वह तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है···(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : जहाँ जाने में देवता घबराते हों वहाँ दुर्जनो को ही जाना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : रेलवे तथा सरकारी कर्मचारियों को बोनस बहाल क्यों नहीं किया गया था। बाकी कटु संघर्ष के बाद ही इसे स्वीकार कर, इसे उत्पादन के साथ जोड़ा गया।

श्री आर. वेंकटरामन : इस आरोप का कोई उत्तर नहीं है। यदि उनका कहना है कि वह करार का समाधान करते हैं, या वह करार की पवित्रता को स्वीकार करते हैं, तो फिर उन्हें इसका प्रमाण उसी समय देना चाहिए था जबकि वह सत्ता में थे और जब उन्हें ऐसा करने का अवसर दिया गया था। मैंने देखा है कि उन्होंने भी वही प्रक्रिया अपनाई थी जो मैं अपना रहा हूं। उस समय वह अपील कर सकते थे। अब जोकि उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है, मुझे उसके अनुरूप विधान बनाने की छूट है। इसलिए श्रीमान जी, समानता के बारे में दिये गये यह सभी तर्क निराधार हैं।

मैं जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह भी अन्य कर्मचारियों समकक्ष आने का प्रयत्न करें तथा उन्हें अपने आपको उच्चतर वाले से वित्त वर्ग के कर्मचारी नहीं समझना चाहिए।···(व्यवधान) वह श्रमजीवी वर्ग में अपने आपको ऊंची श्रेणी

का मानने लगे हैं और अन्य निहित स्वार्थों की तरह ही उनमें भी निहित स्वार्थ वाले लोग पैदा हो गये हैं। अब वह निहित स्वार्थों को खोने लग गये हैं।

श्री सुनील मैत्रा : यह बहुत ही अपमान जनक है। आप 'बोलशेविक आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करके कर्मचारियों पर आक्षेप कर रहे हैं, जबकि वह इनका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है।

श्री आर. वेंकटरामन : सभापति महोदय, कटु शब्दों से किसी की हड्डियाँ नहीं टूटती।

श्री अजय बिस्वास : परन्तु आप एकाधिकार वादियों की हड्डिया कब तोड़ेंगे।

श्री आर. वेंकटरामन : गालियों की भाषा का प्रयोग तो दोनों ही पक्षों द्वारा किया जा सकता है। यदि आप किसी बात को शर्मनाक कह सकते हैं तो मैं इसे अधिक शर्मनाक की संज्ञा दे सकता हूँ। परन्तु मैं ऐसा करने का आदी नहीं हूँ। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा कि मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा जहां कि यह भाषा पढ़ाई जाती थी जिसकी आपको विशिष्टता प्राप्त है। समापति महोदय, मैं केवल यही बात कहना चाहता हूँ कि अन्य कर्मचारियों के साथ तुलना करते हुये या उनके साथ समानता बनाने के आधार पर क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के पास उनके समकक्षी अन्य सेवाओं या वाणिज्यिक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों से अच्छा तथा ऊंचा साबित करने का कोई न्यायोचित तर्क है या नहीं, इसका अध्ययन किया जायेगा। इसलिए जो भी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : श्री के. ए. राजन उपस्थित नहीं हैं अब मैं उनके द्वारा प्रस्तुत किये संशोधन संख्या 8 तथा 9 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ:

प्रश्न यह है :

पृष्ठ, 2—

पंक्ति 9 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए**—

"परन्तु ऐसे निबन्धन और शर्तें 31 जनवरी, 1981 से पूर्व विद्यमान निबन्धनों और शर्तों की तुलना में कर्मचारियों और अभिकर्त्ताओं के अनुकूल नहीं होंगी।" (8)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 12 से 36 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**—

"(2क) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के अध्यधीन और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य करार, परिनिर्धारण, पंचाट या अन्य लिखित के उपबन्धों के अध्यधीन होंगे।"

दीर्घायें खाली की जाये। दीर्घाये खाली कर दी गई है। क्या मैं दोनों ही संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रख दूं ?

प्रो. मधु दण्डवते : हम दो बार अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं

सभापति महोदय : ठीक है। अब मैं खंड 2 का संशोधन संख्या 8 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

[संशोधन संख्या 8 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ]

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 9 सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

(संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 13 तथा 14 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। क्या आप मत विभाजन करवान चाहेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

(सशोधन संख्या 13 और 14 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 16 तथा 17 मतदान के लिए रखता हूँ।

(संशोधन संख्या 16 और 17 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 19 मतदान के लिए रखता हूं।

(संशोधन संख्या 19 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ)

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।" क्या आप मत विभाजन चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : हम विभाजन चाहते हैं ?

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी गई है।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : दीर्घायें फिर खाली करवानी पड़ेगी। मतदान दोबारा करवाने से पहले, दीर्घायें दोबारा खाली करवाई जानी चाहिये। ऐसा नियम है।

सभापति महोदय : यदि आप आग्रह करते हैं तो मैं इसे दोबारा करवा दूंगा।

श्री एन. के. शेजवलकर : यह नियम है।

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जाये। दीर्घायें खाली कर दी गई है। अब मैं खंड 2 को सभा के समक्ष रखूंगा।

प्रश्न यह है।

'कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मतविभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 8

पक्ष में 15.09 बजे

अकिनीडू, श्री एम.	भगवान देव, आचार्य
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.	भारद्वाज, श्री परसराम
अराकल, श्री जेवियर	भाटिया, श्री रघुनन्दल लाल
आजाद, श्री भागवत झा	भोई, डा. कृपासिन्धु
बालेश्वर राम, श्री	भोले, श्री आर. आर.
बन्सी लाल, श्री	भूरिया, दिलीप सिंह
बैरो, श्री ए. ई. टी.	चक्रधारी सिंह, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी	चन्द्रशेखर सिंह, श्री
भगत, श्री एच. के. एल.	चव्हाण, श्री एस. बी.

चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिगंयाग कोनयक, श्री
चोहान, श्री फतेहमान सिंह
दलबीर सिंह, श्री
डामोर, श्री सोमजी भाई
*दंडवते, श्रीमती प्रमिला
डेनिस, श्री एन.
देसाई, श्री बी. वी.
देव, श्री संतोष मोहन
दिग्विजय सिंह, श्री
डूंगर सिंह, श्री
दुबे, श्री रामनाथ
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौडा' डी. एम. पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
जय नरायन रौत, श्री
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
* जाटिया, श्री सत्य नारायण
जेना, श्री चिन्तामणि
काहनडोल, श्री जेड. एम.
कमलनाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री जुल्फिकार अली
कुसुम, कृष्ण मूर्ति, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री वाई. एस.
महाला, श्री आर. पी.
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोहसिन, श्री एफ. एच.
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुथु कुमारन, श्री आर.
नगीना राय, श्री
नायडू, श्री पी. राजगोपाल
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
नेताम, श्री अरविन्द
निखरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री मोहन भाई
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पट्टाभि रामा राव, श्री एस. बी. पी.
पुजारी, श्री जननार्द
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
रामुलु, एच. जी.
रंगा, प्रो. एन. जी.
राठौर, श्री उत्तम
रावत, हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
रोथूआमा, डा. आर.
साही, श्रीमती कृष्णा

* गलती से पक्ष में मतदान किया ।

* गलती से पक्ष में मतदान किया ।

साहू, शिव प्रसाद
समीनुद्दीन, श्री
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शक्यावार, श्री नाथूराम
शमन्ना, श्री टी. आर.
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, नन्द किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिंगारावाडीवेल, श्री एस.
सिंह देव, श्री के. पी.
सोलंकी, श्री बाबू लाल
स्पैरो, श्री आर. एस.
सुब्बा, श्री पी. एम.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
तिवारी, श्री नारायण दत्त
वेलू, श्री ए. एम.
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयाराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री राम सिंह
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

आजमी, डा ए. यू.
बालन, श्री .ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बसु, श्री चित्त
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्तसाधन
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो. मधु
दास, श्री रेणुपद
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
जेठमलानी, श्री राम
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मैत्रा, श्री सुनील
महालगी, श्री आर. के.
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्री समर
मुलतान सिंह, चौधरी
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नेगी, श्री टी. एस.
पंडित, डा. वसन्त कुमार
पासवान, श्री राम विलास
राजदा, रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
सेन, श्री सुबोध
* सेठी, श्री वी. सी.
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

* गलती से विपक्ष में मतदान किया।

सभापति महोदय : शुद्ध के अध्याधीन मत विजाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में=117 विपक्ष में=40

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड—3

सभापति महोदय : खन्ड 3 के लिए कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत—विभाजन संख्या : 9

पक्ष में 15-11 बजे

अंकिनीडू श्री एम.
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अराकल, श्री जेवियर
आजाद, श्री भागवत झा
बालेश्वर राम, श्री
बन्शीलाल, श्री
बैरो, श्री ए. ई. टी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, आचार्य
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर
भूरिया, श्री दलीपसिंह
चक्रचारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक, श्री
चौहान, श्री फतेहमान सिंह
दलबीर सिंह, श्री
डामोर, श्री सोमजी भाई
डेनिस, श्री एन.
देसाई, श्री बी. वी.
देव, श्री संतोष मोहन
दिग्विजय सिंह, श्री
डूंगर सिंह, श्री
दूबे, श्री रामनाथ
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगो, श्री गिरधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते
जय नारायण रोत, श्री
जयदीप सिंह, श्री

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री बी. आर. नाहटा, एच. आर. परमार, सुभाष यादव तथा प्रकाश चन्द्र सेठी।

विपक्ष में : सर्वश्री शिबु सोरन, चन्द्रपाल सिंह, सत्यनारायण जटिया तथा श्रीमती प्रोमिला दन्डवते।

जैन, श्री भीकूराम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धिचन्द्र
जेना, श्री चिन्तमामणि
काहनडोल, श्री जैड. एम.
कमलनाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खाँ, श्री जुल्फिकार अली
कृष्ण प्रतापसिंह, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाला, श्री आर. पी.
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, लक्ष्मण
मल्किार्जुन, श्री
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोहसिन, श्री एफ. एच.
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुथु कुमारन, श्री आर.
नहाटा, श्री बी. आर.
नायडू, श्री पी. राजगोपाल
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
नेताम, श्री अरविन्द
निखरा, श्री रामेश्वर
उराँव, श्री कार्तिक
पान्डे, श्री कृष्ण चन्द्र
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री मोहन भाई
पाटिल, श्री चन्द्र भान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी
पट्टाभि रामा राव, श्री एस. बी. पी.
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पादेवी सिंह, कुमारी
रंगा, प्रो. एन. जी
राठौर, श्री उत्तम
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
रोथूआमा, डा. आर.
शाही, श्रीमती कृष्णा
साहु, श्री शिवप्रसाद
सेठी, श्री पी. सी
शक्शावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शास्त्री, श्रीधर्मदास
शिव शंकर, श्री पी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
सिंगारावाडीवेल, श्री एस.
सिंह देव, श्री के. पी.
सोलंकी, श्री बाबूलाल
स्पैरो, श्री आर. एस.
सुब्बा, श्री पी. एम.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
तारीख अनवर, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
तिवारी, श्री नारायण दत्त
वेलू, श्री ए. एम.
वेंकटारामा, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्रसिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधर लाल

यादव, श्री रामसिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
जैलसिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

आजमी, डा० ए. यु.
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बसु, श्री चित्त
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यासाधन
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो. मधु
दण्डवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
गुलाम मोहम्मद खां, श्री
गिरि, श्री सुधीर
गोयल, श्री कृष्णकुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
जाटिया, श्री सत्यनारायण
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मैत्रा, श्री सुनील
महालगी, श्री आर. के.
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्री समर
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
पंडित, डा० बसन्त कुमार
पासवान, श्री रामविलास
रियाय, श्री बाजू बन
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सोरन, श्री शिबु
वाजपेयी, श्री अटल विहारी

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में—116 विपक्ष में—37

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड—4

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ट 3,- पंक्तियाँ 6 से 9 के स्थान पर प्रतिस्थापित कीजिये :—

"(2) इस निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।"

*निम्न सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया

पक्ष में : सर्वश्री वाई. एस. महाजन, एच. जी. रामुतु तथा के.वी. एस. मणि ।

विपक्ष में : सर्वश्री टी. एस. नेडी, रीतिलाल प्रसाद वर्मा तथा फूलचन्द वर्मा ।

समापति महोदय, धारा 4(2) इस प्रकार :—

"(2) इस निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित मूल अधिनियम अधीन की गई समझी जाएगी।"

मैं अपने संशोधन के द्वारा चाहता हूँ कि इसके स्थान पर ये शब्द रखे जायें :—

"(2) ऐसा निरसन होने पर यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही अध्यादेश के प्रस्थापन की तारीख से प्रभावहीन हो जायेगी।"

सरकार चाहती है कि अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन जो भी कार्यवाही की गई हो, इस अध्यादेश के निरशन के बाद, रिपील हो जाने के बाद, भी उसे वैध माना जाये। मैं चाहता हूँ कि यह बात इस धारा में न रहे। अगर इस अध्यादेश का निरसन हो जाता है, तो उसके द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार जो भी कार्यवाही की गई होगी, जो भी काम किया गया होगा, उसे सही न समझा जाये। उसे भी उसी समय से रद्द माना जाए। सरकार उसे जायज करार करना चाहती है और मैं उसे नाजायज करार करना चाहता हूँ। यही दोनों में अन्तर है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे। और इस कानून के बनने के पहले जो भी कार्यवाही आपने की उसको रद्द करिए। उसको सही साबित करने की कोशिश आप मत कीजिए। यही मेरे संशोधन का आशय है।

श्री आर. वेंकटरामन : समापति महोदय, शास्त्री जी का संशोधन विधिशास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। हर कानून में यह व्यवस्था की जाती है कि यदि इसे रद्द किये जाये तो पहले की गयी कार्यवाही की सुरक्षा की जायेगी। इस खंड में यही कहा गया है कि पहले की गई कार्यवाही की रक्षा की जायेगी। अतः एक नकारात्मक सशोधन होने के कारण मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं खड 4 के संशोधन संख्या 15 को सभा द्वारा मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

मत बिभाजन संख्या—10

पक्ष में 15.22 बजे

अमरीन्द्र सिंह श्री	वाजपेय, डा. राजेन्द्र कुमारी
अंकिनीडू श्री एम.	वालेश्वर राम, श्री
अंकनीडू प्रसाद राव, श्री पी.	बन्सी लाल, श्री
अराकल, श्री जेवियर	भगत, श्री एच. के. एल.
अजाद, श्री भागवत झा	भगवान देव, श्री आचार्य

भारद्वाज, श्री पारसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दल लाल
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर.
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
चक्रधारी सिंह श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक, श्री
चौहान, श्री फतेहभान सिंह
दलबीर सिंह, श्री
डामोर, श्री सोमजी भाई
डेनिस, श्री एन.
देसाई, श्री बी. वी.
देव, श्री संतोष मोहन
दिग्विजय सिंह, श्री
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डूंगर सिंह, श्री
दुबे, श्री रामनाथ
गाडगिल, श्री बी. एन.
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगो. श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गोजागिन, श्री एन.
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जय नारायण रोत, श्री
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री मीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
काहनडोल, श्री जैड. एम.
कमल नाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
खाँ, श्री आरिफ मोहम्मद
खाँ, श्री जुल्फिकार अली
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
महाजन, श्री वाई. एस.
महाला. श्री. आर· पी.
मकवाना, श्री नरसिंह
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुथु कुमारन, श्री आर.
नायडू, श्री पी. रामगोपाल
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के एस.
नेताम, श्री अरविन्द
नियरा, श्री रामेश्वर
उरांव, श्री कार्तिक
पाँडे, श्री कृष्णचन्द्र
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पटेल, श्री मोहन भाई
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पट्टाभि रामा राव, श्री एस.वी.पी.
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
रामुलु, श्री एच. जी.
रंगा, प्रो. एन. जी.
राठौर, श्री उत्तम
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री शिव प्रसाद

समीनुद्दीन, श्री
साठे, श्री वसन्त
सेठी, श्री पी. सी.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
*शमन्ना, श्री टी. आर.
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री धर्मदास
शिव शकर, श्री पी.
सिंह देव, श्री के. पी,
सोलंकी, श्री बाबू लाल
सोनकर, श्री कल्पनाथ
स्पैरो, श्री आर. एस.
सुब्बा, श्री पी. एम.
सुलतानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
तारिक अनवर, श्री
तेइयेंग, श्री साबेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
तिवारी, श्री नारायण दत्त
वेलू, श्री ए. एम.
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

आजमी, डा. ए. यू.
बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई.
बसु, श्री चित्त
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो. मधु
दास, श्री रेणुपद
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
गुलाम मोहम्मद खाँ, श्री
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
जाटिया, श्री सत्यनारायण
मैत्रा, श्री सुनील
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्री समर
मुलतान सिंह चौधरी
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नेगी, श्री टी. एस.
पासवान, श्री राम विलास
राजदा, श्री रतन सिंह
रियान, श्री बाजू बन
साहा, श्री अजित कुमार
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सोरन, श्री शिबु
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यायधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में : 116

विपक्ष में : 34

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब हम खंड 1 पर जाते हैं । श्री रामवतार शास्त्री क्योंकि श्री सोमनाथ चटर्जी चले गये हैं ।

खण्ड 1

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"पृष्ठ 1—

पंक्ति 9 के **स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये**—

"(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो निगम और निगम के कर्मचारियों के एसोसिएशनों और सघों द्वारा और उनके बीच तय पाई जाए ।" —(संशोधन संख्या 11) होगा

मेरा संशोधन बहुत मामूली है लेकिन महत्वपूर्ण हैं । इस विधेयक की धारा । (2) में कहा गया है· कि 21 जनवरी, 1981 से यह प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । मेरा संशोधन है कि पंक्ति 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो निगम और निगम के कर्मचारियों के एसोसिएशनों और संघों द्वारा और उनके बीच तय पाई जाए ।"

मेरा निवेदन बहुत स्पष्ट है तथा महत्वपूर्ण हैं । दोनों के बीच समझौता होकर तय हो और कलेक्टिव बार्गेनिंग (सामुहिक सौदेबाजी) की जो आप हत्या कर रहे हैं उसको फिर से बहाल किया जाए । पुनर्जीवित किया जाये और उसके बाद किस तारीख को इसे लागू करना चाहिए और किस तरीके से लागू करना चाहिए इसके बारे में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और उनके संगठनों, जितने पाँच संगठन हैं, सबसे मिल-जुलकर और आपकी भी आई.एन.टी.यु. सी. शामिल है, पाँचों की बैठक बुलाइये और उनके साथ विचार-विमर्श कीजिए कि इसको लागू किया जाए । विचार विनियम के बाद जो वहाँ तय हो, उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए । यहां 31 जनवरी जिस दिन से आपने अध्यादेश जारी किया, उस ।दन से आप चाहते हैं कि इस बात को छोड़ दीजिए । अभी भी समय है कि आप उनकी कटुता को कम कीजिए । उनके अन्दर जो सरकार की मजदूर विरोधी के खिलाफ दिलों में बगावत को भावना फैली है, उस भावना को थोड़ा कम कीजिए और अगर इस संशोधन को मान लेंगे तो थोड़ी बात इतनी जरूर होगी कि फिर एक टेबिल पर बैठिएगा और तानाशाही की तरह जो आप चाहते हैं, वह नहीं कर पाइएगा ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में :—सर्वश्री रामबिहारी बहेरा, बी. आर. नहाटा अहमद मोहम्मद पटेल तथा महावीर प्रसाद,

विपक्ष में :—सर्वश्री रामजेठमलानी, कमलमित्र मधुकर, टी. आर. शमन्ना तथा श्रीमती प्रमीला दण्डवते ।

अन्त में, मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि "देर आयद, दुरुस्त आयद" वाले सिद्धान्त के मुताबिक आप अभी भी सही रास्ते पर आ जाइए और हमारे इस संशोधन को मान लीजिए।

श्री आर. वेंकटरामन : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं इन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता।

श्री रामअवतार शास्त्री : यह विधिशास्त्र के विरुद्ध नहीं है।

श्री आर. वेंकटरामन : शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन कानून को नकारता है। वह ऐसी नहीं है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किसी प्रकार के सुलह-समझौते के लिये प्रयास नहीं किये गये। लेकिन मैं शास्त्री जी से एक मजदूर नेता के नाते पूछना चाहूँगा कि क्या वे अपने युनियन को कुछ अपने अधिकार त्यागने की सलाह देंगे। स्थित यह है कि जीवन बीमा निगम के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अन्य कर्मचारियों की तुलना में कहीं अधिक हैं जिनके बारे में कोई भी वार्ता सम्भव नहीं। इसी कारण सरकार को कानून बनाने की जरूरत पड़ी। अतः मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वकृित हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।

सभापति महोदय : मुझे 15 सदस्यों की सूची मिली है जो बोलना चाहते हैं; बेशक उनमें से अनेक अनुपस्थित हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य कम से कम जो उपस्थित हैं, वे तो बोल सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : हाँ, श्री सुनील मैत्रा। लेकिन आप पहले ही बोल चुके हैं (व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : मेरी बात कभी भी समाप्त नहीं हो सकती (व्यवधान) इस वातानुकूलित चेम्बर में बैठे-बैठे भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को उनके लाभों से वंचित करना और उनकी मांगों की आलोचना करना कठिन नहीं है। वित्त मंत्री ने आज हुई चर्चा का उत्तर दिया है। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी बुर्जुआ हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि 'बुर्जुआ' से उनका तात्पर्य क्या है। मैं इसकी गहरायी में नहीं जाना चाहता (व्यवधान)

श्री आर. वेंकटरामन : यहाँ एक सूची है (व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा बुर्जुआ वह व्यक्ति है जो श्रमिक की श्रमशक्ति से जानते अतिरिक्त मूल्य

को हथियाता है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारी अन्य लोगों द्वारा जानते अतिरिक्त मूल्यों को नहीं हथिया रहे हैं। उनकी श्रमशक्ति अपनी ही है (व्यवधान)

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुये)

वित्त मंत्री ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की केवल दो बातों पर विचार किया एक तो महंगाई भत्ता तथा दूसरा बोनस उन्होंने उनको दिये जा रहे मकान किराया भत्ते के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वित मंत्री ने कहा कि जीवन बीमा के कर्मचारियों को वेतन आदि के मामले में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों की तुलना में लाया गया है। उन्हें उचित ढग से मामले के बारे में नहीं बताया गया। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को वेतन के 12.5 प्रतिशत भाग की दर से, कम से कम 60 रुपये और अधिक से अधिक 150 रुपये प्रतिमास किराया मकान भत्ता मिलता है। लेकिन जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को प्रति मास वेतन का केवल 10 प्रतिशत या अधिक से अधिक 40 रुपये मिलता है।

जहां पर चिकित्सा व्यय का सम्बन्ध है, केन्द्रीय कर्मचारियों को अपने परिवार के लिये 2 रुपये 50 पैसे प्रतिमास के बदले पूरे चिकित्सा सम्बन्धी व्यय मिल जाते हैं लेकिन जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को केवल समूचे ही वर्ष के लिए राहत मिलती है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को इस प्रकार की राहत मिल रही है और वित्त मंत्री ने केवल महगाई भत्ते तथा बोनस की अदायगी के बारे में ही अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होने मकान किराया भत्ते तथा चिकित्सा व्यय का कोई भी जिक्र नहीं किया है।

सभापति महोदय मैं सभा का ध्यान वित्त मंत्री के इस बयान की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे महंगाई भत्ते के मामले में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की तुलना में ला रहे हैं और पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जिनका वेतन 1099 रुपये प्रतिमास से कम है उन्हें रिजर्व बैंक कर्मचारियोंकी तरह 15 रुपये 80 पैसे महगाई भत्ता दिया जाता है अत. विवाद वहाँ है ? कठिनाई कहाँ है ? कठिनाई यह है कि वित्त मन्त्री यह नहीं जानते हैं शायद उन्हें गलत ढंग से बताया गया हो कि रिजर्व बैंक के कलेरिकल कोडर को 25 रुपये निश्चलना वेतन वृद्धि सहित 210 रुपये से 615 रुपये तक का वेतन मिलता है। अब यह वेतन 50 रुपये निश्चलता वेतन वृद्धि सहित बढ़कर 400 रुपये से 1170 रुपये प्रति मास हो गया है। इसका अर्थ यह है कि महगाली भत्ते के 90 प्रतिशत भाग को उनके वेतन के साथ मिला लिया गया है और अब उन्हें अधिक राशि मिलती है अर्थात 400 रुपये से 1170 रुपये तक जहाँ तक जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अब तक कोई भी महंगाई भत्ता वेतन में नहीं मिलाया गया है। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के मामले में भी मूल वेतन में महंगायी भत्ता मिलाया जाना चाहिये और तभी उनके लिये भी रिजर्व बैंक कर्मचारियों वाला महंगायी भत्ता लागू होना चाहिए। वित्त मंत्री सभा में दिये गये अपने वक्तव्य को देखें। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का महगायी भत्ता तभी कम किया जाना चाहिए जबकि उनके मूल वेतन में 90 प्रतिशत महगाई भत्ता मिलाया जा चुके। ऐसा करने के पश्चात् जीवन बीमा निगम के ऐसिस्टेंटों को मूल वेतन अधिकतम 1261 रुपये और न्यूनतम 332 रुपये होगा।

इसका अर्थ यह है कि उनका महंगाई भत्ता भारतीय रिजर्व बैंक से कर्मचारियों की तरह ही 1895 रुपये होना चाहिए। आशुलिपिकों के लिए न्यनतम वेतन 399 रुपये और अधिकतम

1347 होना चाहिए था और उनका महंगाई भत्ता 20.55 रुपये होना चाहिये था। इसी प्रकार ऊंचे ग्रेड के सहायकों का अधिकतम वेतन 1546.50 रुपये होना चाहिये और उन्हें महंगायी भत्ते में 23.70 रुपये दिये जाने चाहिये थे। अधीक्षकों के मामले में उनका अधिकतम 1757 रुपये होना चाहिए था उनका महंगायी भत्ता 25.30 रुपये होना चाहिए था। परन्तु वित्त मंत्री महोदय बड़े मजे में यह बताना भूल गये कि उस मामले में 90% की तो बात हो क्या जीवन बीमा कर्मचारियों के मूल वेतन में 1% का भी विलय नहीं हुआ है। जब वह यह कहते हैं कि यह समानता का मामला है, महंगाई भत्ते के मामले में भी आप भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को तो अधिकतम 25.30 रुपये महंगाई भत्ता दे रहे हैं, परन्तु जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को आप केवल 15.30 रुपये ही अधिकतम दे रहे हैं। दूसरे, आपके कथनानुसार जीवन बीमा निगम के कर्मचारी बूर्जुआ बन गये हैं। उनका ग्रेड 175-585 रुपये है जो कि 22 वर्ष में जाकर पूरा होता है। आप गत 33 वर्षों से इस देश का शासन चला रहे हैं। यदि आप वर्ष 1960=100 को आधार वर्ष मान लें तो आज अखिल भारतीय उपभोक्ता सूल्य सूचकांक 415 के लगभग होना चाहिए। जीवन यापन महंगा होता जा रहा है क्या इसके लिए जीवन बीमा निगम के कर्मचारी उत्तरदायी हैं? इसके लिए आप उत्तरदायी हैं। आपकी आर्थिक नीतियों से मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल रहा है। आपकी कराधान नीति, आपकी घाटे की अर्थव्यवस्था की नीति, आपकी जनता ऋण की नीति, आपकी बड़े बूर्जुआ-घरानों को रियायतें प्रदान करने की नीति ही इन सबके लिए उत्तरदायी हैं। टाटा, बिरला तथा अन्य बड़े बूर्जुआ घराने की मतों को बढ़ाकर लोगों को लूट रहे हैं। इन सब कारणों से कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए आपको महंगाई भत्ता देना ही पड़ेगा। मैं फिर उसी तर्क को दोहरा रहा हूँ।

यह कोई तर्क नहीं है कि आप दूसरों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों को धोखा देने और वंचित करने में सक्षम हैं तो यह आपके पास पूर्ण सत्ता या शक्ति अथवा प्राधिकार रखने का कोई तर्क नहीं है यह कोई संगत प्राधिकार तर्क नहीं है कि आप जीवन बीमा के कर्मचारियों को धोखा देते रहे और उन्हें उनके समुचित अधिकार से वंचित रखें। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं और न केवल जीवन बीमा निगम के 45,000 कर्मचारियों के साथ मिलकर मैं इसका विरोध करता रहूँगा, अपितु समस्त श्रमिक वर्ग, जो कि इसके विरूद्ध हैं, के भी साथ हूं।

श्री सुबोध सेन (जलपाई गुड़ी) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि सरकार को उस सिद्धान्त को लागू करने के लिए एक ऐसा सक्षमकारी उपकरण चाहिए जिसे कि सत्तारूढ़ दल 1974 से प्रतिपादित करता चला आ रहा है। आपको याद होगा कि 1974 से स्वयं प्रधान मन्त्री महोदया यह कहती आ रही हैं कि राष्ट्रीय विकास के लाभ संगठित क्षेत्र उठा रहा है, जिसका यह अभिप्राय हुआ कि इस क्षेत्र को समाप्त किया जायेगा तथा संगठित श्रमिक वर्ग के विरूद्ध किसान को खड़ा किया जाए। अब इस सक्षमकारी उपकरण का शीघ्र तेज किया जा रहा है। पहले यह बीमा कर्मचारियों पर पड़ेगा। उसके बाद, धीरे-धीरे यह संगठित श्रमिक वर्ग के अन्य क्षेत्रों पर भी कुठाराघात करेगा। यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्तारूढ़ दल कोई बहुत सामंजस्य-पूर्ण नहीं है। उन्होंने वह सिद्धान्त 19.4 में प्रतिपादित किया था क्योंकि इस समय देश में

हड़ताल हो रही थी। परन्तु अब कुछ ही मास पूर्व, जब इस देश का किसान गलियों में निकल आया तो हमें फिर दूसरा सिद्धान्त पकड़ा दिया गया—कि किसान राष्ट्र के विरूद्ध मोर्चा बन्दी कर रहा है। किसान देश को बर्बाद करने में लगा है। इस प्रकार आज यदि श्रमिक वर्ग को बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो कल किसानों को बनाया जायेगा। संकट बढ़ता जा रहा और गहराता जा रहा है। अपने आर्थिक सर्वेक्षण में उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि मुद्रा स्फीति अब एक विश्व व्यापी रोग हो गया है। भारत इससे बच नहीं सकता। वे यह मानकर चल रहे हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ती ही जायेगी जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ेंगी और लोग गलियों में निकल आयेंगे। फिर एक-एक करके सक्षमकारी उपकरणों की सहायता ली जाएगी।

अत: मैं जोरदार शब्दों में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मेरी दूसरी बात यह है। सरकार एक निरन्तर चलती रहने वाली संस्था है 1974 में हुए समझौते को तत्कालीन मन्त्रि मन्डल ने स्वीकृति प्रदान की थी, विशेषकर तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय ने। यदि आप इस समझौते को रद्द करते हैं और उसका निराकरण करते हैं तो यह न केवल कर्मचारियों के प्रति कुटिल होगा अपितु तत्कालीन वित्त मंत्री महोदय के प्रति भी गलत कार्य होगा। लोगों में सरकार के प्रति क्या आस्था और विश्वास बच रहेगा यदि तीसरी या चौथी सरकार आकर अपने से पहले वाली सरकारों द्वारा किए गये समझौतों का निराकरण करती है।

तीसरी बात यह है कि जीवन बीमा निगम एक स्वायत्त—संस्थान है। यह सच है कि इससे निपटने के लिए यह अधिनियम सरकार को बहुत सी शक्तियां देता है। परन्तु क्या केवल इसीलिए, कि उनके पास सत्ता है, वे हस्तक्षेप करने के अधिकारी हैं? वर्ष 1974 में जब उन्होने इस समझौते को स्वीकृत किया था। तो निश्चितरूप से इसे उसका भार उठाने के योग्य पाया गया था और उन्होने ऐसा नहीं सोचा था कि इससे देश की अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी। अत: अब उनके लिए यह बड़ी ही गलत बात है कि वे समझौते का निराकरण करने के लिए इस विधेयक को लेकर आये हैं।

मैं इसे इस उस प्रहार का प्रथम चरण मानता हूं जो कामगारों पर किया जायेगा। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरे विचार से उन किसानों समेत, जिन्हें वे संगठित श्रमिक वर्ग के विरूद्ध खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, कामगार और परिश्रम करने वाले लोग एकजुट होकर सदन के बाहर इस विधेयक का मुकाबला करेंगे।

श्री अजय बिस्वास (त्रिपुरा-पश्चिम) : महोदय, मैं जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के विरूद्ध लगाये गए इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह श्रमिक विरोधी है। श्रमिक-वर्ग के श्रमिक-संघ सम्बन्धी अधिकारी को कुचलने की सरकार की नीयत इस विधेयक में स्पष्ट हो गई है। इसलिए समस्त देश के कामगार और कर्मचारी इस मामले में चिन्तित हैं। अब चूंकि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से सरकार ने शुरुआत कर दी है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि भविष्य में अन्य क्षेत्रों के कामगारों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार सरकार द्वारा किया जायेगा।

सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में ही नीति अपना रही है जो इस देश में मजदूर-मालिक

सम्बन्ध व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर देगी। अब सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जो मजदूरों को आज तक मिलने वाले वित्तीय लाभों से वंचित कर देगा। परन्तु क्या मन्त्री महोदय कोई ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिससे पूजीपतियों और एकाधिकारवादियों के लाभ कम किए जायें ? वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सच्चाई तो यह है कि वह उन्हीं लोगों के फायदे के लिए इस विधेयक को लाए हैं उन्हें तो इस विधेयक से बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब वे अपने क्षेत्र में ही कामगारों पर प्रहार करेंगे और सरकार की शह लेकर उनके लाभों को समाप्त कर देंगे।

इस देश के कर्मचारी और कामगार इस विधेयक के विरूद्ध हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल पूर्णतया श्रमिक-विरोधी हैं। अतः न केवल जीवन बीमा निगम के ही कर्मचारी, अपितु केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों समेत, समस्य श्रमिक-वर्ग एकजुट होकर, श्रमिक-वर्ग को उनके उचित अधिकारों से वंचित करने के आपके प्रयासों को संसद के बाहर विफल करने के लिए सतत लड़ता रहेगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, यह सरकार बराबर हरिजनों, श्रमिकों और मजदूरों की पक्षधर होने का स्वांग रचती रहती है। इस सरकार ने आज से 25 साल पहले मजदूरों के हित के लिए नियम बनाए और बराबर उनको व्यवहार में लाने के लिए उनका पक्ष लेती रही, वही सरकार आज जीवन बीमा कर्मचारियों के अधिकारों पर इस बिल के द्वारा कुठाराघात करने जा रही है। कर्मचारियों को वर्षों से जो कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे, आपसी समझौते और न्यायालयों के निर्णयों के द्वारा उनको जो अधिकार हासिल हुए थे, उन सब अधिकारों को यह सरकार एक ही प्रहार के द्वारा समाप्त करने जा रही है जो श्रमिक हित में नहीं होगा। सरकार ने आशय रखा है कि बीमा धारकों और निगम के हित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का वेतन, बोनस और अन्य सुविधाए बहुत अधिक हैं, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि पिछले 5 वर्ष में निगम के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर के और पालिसी धारकों से संपर्क करके पालिसी धारकों की संख्या में काफी वृद्धि की है और आय को 220 प्रतिशत बढ़ाया है। यह सारा श्रेय बड़े अधिकारियों को नहीं जाता. बल्कि उन सारे कर्मचारियों पर निर्भर करता हैं जिन्होंने अपने मनोयोग से बीमा-धारकों से संपर्क करके पालिसियों को बढ़ाया है। इस तरह से इन कर्मचारियों पर यह प्रहार प्रजातत्र और मजदूरों के विरोध में है। यह बिल कतई लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। इस बिल से मैं समझता हूं कि सारे देश में एक विद्रोह की भावना सुलगेगी, क्योंकि इसके द्वारा मजदूरों के सारे अधिकारों को समाप्त किया गया है।

सभापति महोदय, अभी तक जब कभी भी कोई बात होती थी तो उसे आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया जाता था और हड़ताल को टाल दिया जाता था, लेकिन अब तो जीवन बीमा कर्मचारियों के पास हड़ताल के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। अब उनके पास एक मात्र हथियार हड़ताल ही कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में सारे देश में जीवन निगम के हजारों कर्नचारियों को हड़ताल के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इस बिल के द्वारा सभी कर्मचारियों को सरकार के प्रति अनास्था पैदा हो गई है। जो सरकार मजदूरों का दम भरती है, पेपरबाजी करती है, मजदूररों के हितों की रक्षा करने के ढोल बजाती रहती है वही सरकार इस प्रकार के कानून के द्वारा श्रमिकों के अधिकारों का हनन करने जा रही है। यह

उसकी कथनी और करनी के अन्त का सबूत है। हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के कुछ और होते हैं। उसी तरह से सरकार का यह कदम भी है। व्यवहार में यह कानून मजदूर विरोधी है इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : सभापति महोदय, यह सर्वाधिक हास्यास्पद तथा बुरे विधेयकों में से एक हैं, यह फासिस्टवादी तरीके का विधेयक है, जिसे आज तक संसद में प्रस्तुत होते मैंने कभी नहीं देखा है। यह केवल श्रमिक विरोधी ही नहीं हैं, अपितु राष्ट्र विरोधी भी है।

मैंने वित्त मंत्री को यह कहते हुए सुना है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी बूर्जुआ हो गए हैं। सम्भवत: वित्त मन्त्री का मत है कि टाटा और बिरला श्रमिक हैं और भारतीय श्रमिक पूंजीपति एव बूर्जुआ वर्ग बन गए हैं। वह उन श्रमिकों—टाटा और बिरला की सेवा में हैं—वे बूर्जुआ नहीं हैं, वे श्रमिक हैं।

क्या मैं आपको बता सकता हूं कि जब जब टाटा और बिरला आदि की बात होती हैं, तो यह सरकार तथा उसके मन्त्री उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं ? परन्तु जब श्रमिक वर्ग की बात होती है तो वे एक शक्तिशाली पुलिस मैन बन जाते हैं, उन्हें पीटते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अपनी देशभक्त पूर्ण सेवा की है। मैं कहता हूँ इस विधेयक के द्वारा सरकार ने श्रमिक वर्ग के विरूद्ध युद्ध घोषित कर दिया है। हमें इसके वास्तविक महत्व को समझ गये हैं।

वे अपने सभी वचनों से पीछे हट रहे हैं जैसा कि बगलौर स्थित सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के मामले में हुआ है। वे उच्चतम न्यायालय तथा उसके निर्णय को निष्प्रभाव करने के लिए कानून बना रहे हैं। जिस सीमा तक वे चले गये हैं यह राष्ट्र विरोधी कृत्य है, क्योंकि देश के लोगों के विरूद्ध कार्य करना राष्ट्र विरोधी कार्य होता है। बडे बूर्जुआ वर्ग की सेवा में रहना भी राष्ट्र विरोधी कार्य है। वे सभी राष्ट्र विरोधी हो गए हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से यह बात स्पष्ट हो गई है।

केवल इतना ही नहीं। जब वे कहते हैं कि भारतीय श्रमिक बूर्जुआ बन गए हैं तो वे श्रमिक वर्ग को एक भाग को दूसरे वर्ग का विरोधी बना रहे हैं और उनका उद्देश्य विभाजन पैदा करना है ताकि शहरों और गांवों के श्रमिक लोग एक साथ उनके वास्तविक शोषकों के विरूद्ध आन्दोलन न कर सकें। यही उनका मुख्य उद्देश्य है। जिस हद तक वे श्रमिक वर्ग और देश में भारतीय लोगों के बीच विभाजन पैदा करना चाहते हैं, वह जान-बूझ कर बनाई गई शैतानी नीति है जिसका वे पालन कर रहे हैं।

वे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों में 50 प्रतिशत लोगों का जीवन स्तर सुधारने की बात करते हैं। 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। उनमें कृषि श्रमिक भी हैं। उनका जीवन स्तर कभी भी सुधारा नहीं जा सकेगा। इसके बजाय उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे धकेला जाएगा। वे उनका उल्लेख करेंगे और कहेंगे कि यह एक संगठित क्षेत्र है। अपने लिए कुछ रियायतें प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफी लम्बे समय तक संघर्ष किया था। वे उनसे ये रियायतें छीन लेना चाहते हैं, वे उनमें कटौती करना चाहते हैं। वे कंगाली का जीवन बिता रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में दस पूंजीपतियों की परिसम्पत्तियाँ तीन वर्षों में 500 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1000 करोड़ रुपयों से अधिक हो गई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी परिसम्पत्तियाँ दुगुनी हो गयीं हैं।

जब कभी पूरे उद्योग में निश्क्रियता या मन्दी आई तो उसके लिए श्रमिकों पर झूठा दोष लगाया गया कि उन्होंने ठीक काम नहीं किया। मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में भी यही आरोप लगाते रहेंगे।

मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि मजदूर संघ आन्दोलन और श्रमिक वर्ग की घोर अपेक्षा की जा रही है। चुनौती को स्वीकार करने और संघर्ष करने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारे पास उपलब्ध साधनों के साथ स्वभावतः यह संघर्ष जारी रहेगी। इस संघर्ष में कोई बाधा या रुकावट नहीं होगी। चूंकि यह सामान्य युद्ध है अतः युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित होता है। हम घोषणा करते हैं कि हम इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जी जान से, संसद के अन्दर और बाहर हड़ताल के माध्यम से आन्दोलन के माध्यम से और हर संभव तरीके से लड़ेंगे और शहरी व ग्रामीण पक्षों को एकजुट करेंगे। यह सरकार भारतीयों के उन्नति के मार्ग में बाधक बन गई है। इसलिए मैं इस विधेयक का हर प्रकार पुरजोर विरोध करता हूँ।

मैं जानता हूँ कि यह तानाशाह वादी सरकार इस कृत्य से नहीं हटेगी। परन्तु हम भी अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेंगे। सत्तावादी शक्तियों और लोगों के बीच समझौता कभी नहीं हो सकेगा। अतः युद्ध आरम्भ हो गया है। हम इस युद्ध को लड़ेंगे। चाहे जैसे भी परिणामों का सामना करना पड़े, हम सामना करने को तैयार हैं और हम उनका सामना करेंगे और युद्ध जारी रहेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, में इस विधेयक का जोरदार विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के जरिये सरकार ने द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौते के सिद्धान्त पर सब से करारी चोट की है। आश्चर्य की बात है कि जो सरकार द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौते की अब तक बराबर वकालत करती रही और मजदूर आन्दोलन में इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया तब सरकार स्वयं ही उस सिद्धान्त पर हमला कर रही है। अगर इसे तानाशाही प्रवृति का द्योतक माना जाय तो क्या हर्ज होगा ? इस बात को यह प्रमाणित करता है कि सरकार ने अपनी जो पुरानी कार्यवाही और नीति निर्धारित की स्वयं उस पर चोट कर रही है। हिन्दुस्तान में पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिये।

सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है कि उनको बहुत तनख्वाह मिलती है, उनको हम नीचे लाना चाहते हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम मिलता है। खेत मजदूर का नाम सरकार लेती है। किसने आपको रोका कि खेत मजदूरों को कम से कम 5 रु० मिनिमम मजदूरी देने का जो हमारे बिहार में नियम है उसको आप ऊंचा करके 10, 20 रु. ले जायें। कौन रोकता है ? अगर कोई रोकता तो कह सकते थे कि विरोधी दल के लोग इसमें रुकावट डालते हैं। हम तो आपका साथ देंगे। ऐसा कानून लाइये। सरकार ने वादा भी किया है कि वह खेत-मजदूरों के लिए एक कानून लायेगी और पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जायेगी, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो। लेकिन अभी तक वह ऐसा ऐसा कानून नहीं ला पा रही है। कौन रोकता है उसे ? वह ऐसा कानून लाये, हम उसका साथ देंगे। लेकिन वह तो लोगों में फूट पैदा करना चाहती है, उद्योग-धंधों में काम करने वाले मजदूरों और देहात मे काम करने वाले मजदूरों के बीच विभेद पैदा करना चाहती है। ऐसा करके वह गरीबों की हितैषी बनने का स्वांग रचाना चाहती जो चलने वाला नहीं है।

किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि सरकार मुनाफाखोरों के खिलाफ, उनके मुनाफे पर बंदिश लगाने के लिए, इजारेदारों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी चाय कंपनियों के मुनाफे पर बंदिश लगाने के लिए कानून क्यों नहीं लाती है। टाटा और बिड़ला बरह अरब रुपये के मालिक बन चुके हैं। या सरकार ने कभी उनके मुनाफे पर बंदिश लगाने की हिम्मत की है ? उसकी हिम्मत उनके सामने खत्म हो जाती है। वह उनके सामने भीगी बिल्ली की तरह व्यवहार करती है और मजदूरों पर डडा चलाती है।

मैं मुगलसराय से बोल रहा हूँ। कल मुझे खबर मिली कि जो महिलायें यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आ रही थीं, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं को रोजगार देने की माँग करने के लिए, दहेज प्रथा के खिलाफ, उन पर होने वाले बलात्कार और अत्याचार के खिलाफ, इस सरकार की बेशरम पुलिस ने मुगलसराय में उनपर बर्बर लाठी-चार्ज किया। यह शरम की बात नहीं, तो और क्या है ? सरकार लम्बी-चौड़ी बातें करती है कि हम मजदूरों के हितैषी हैं। वह मजदूरों की हितैषी होने का सुबूत लाठी चलाकर दे रही है।

सरकार इस तरह के रवैये को छोड़ दे। वह मजदूर संगठनों के साथ, मजदूर जमातों के साथ समझौते और और सुलह-सफाई का व्यवहार करे। जिन सिद्धान्तों को उसने पहले स्वीकार किया है, वह उनका पालन करे। एल. आई. सी. के मजदूरों के साथ उसने 1974 में बोनस देने का सिद्धान्त स्वीकार किया था। यह निर्णय समझौता-वार्ता के फलस्वरूप हुआ था। सरकार ने उन्हें कोई भीख नहीं दी थी, उनके प्रति कोई दया नहीं दिखाई थी। वे लड़े थे- अपनी ताकत और सगठन के बल पर उन्होंने आन्दोलन किया था। सरकार ने उनकी मांग को सही समझा और उनको बोनस दिया। अब वह उसको छीनना चाहती है।

सरकार ने इस कानून के जरिये बिरनी के छते पर पत्थर मारने की कोशिश की है। अगर बिरनी के छते पर पत्थर मारा जाता है, तो बिरनी आ कर काटती है। मधुमक्खी भी वही करती है। अगर आप उसके छते पर ईंट-पत्थर मारेंगे, तो वह काटेगी, आपको झंझोर लेगी, जिससे आपका बदन फूल जायेगा और आपको तकलीफ होगी। सरकार ने हिन्दुस्तान के संगठित और असंगठित दोनों मजदूरों को चुनौती दी है कि उसके लिए कानून और व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो वह चाहेगी, जो उसकी नेता चाहेगी, जो उसका संगठन चाहेगा वही होगा और बाकी लोगों की बात नहीं मानी जायेगी।

कहने के लिए यह जनतंत्र है, लेकिन अमल में वह कोई और तंत्र है, यह धन-तन्त्र है, जिसमें सारा काम पूंजीपतियों के स्वार्थ की रक्षा के लिए होता है। लेकिन अब मजदूर चुप रहने वाले नहीं हैं। उनमें बहुत अधिक गुस्सा है। उसका सुबूत यही है कि सरकार के पीछे चलने वाले मजदूर— आई. एन. टी. यू. सी. के झन्डे के नीचे चलने वाले मजदूर- भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। एल. आई. सी. के मजदूरों के प्रति सरकार ने जो नीति अपनाई है, वे उसका जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। सरकार को उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि वह दमन का, अपनी पुलिस और फौज की शक्ति का इस्तेमाल न करें मजदूर आन्दोलन को कुचलने के लिए। मजदूर संगठित होंगे।

आखिर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। आप कहते हैं कि खेत मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है। जब हम लोग खेत मजदूर यूनियनों की तरफ से आन्दोलन करने जाते हैं, बिहार की बात मैं बता रहा हूँ कि पाँच रुपये भी उनको नहीं मिलते, जब हम कहते हैं कि उनको मिलना चाहिए तो आपके काँग्रेस के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्त्ता विरोध करते हैं और कहते हैं कि देखो, यह मजदूरों का दल है, यह किसान—विरोधी है। उस समय आप कहां जाते हैं ? उस समय आपको कहना चाहिए कि नहीं, शास्त्री जी या इनका दल इस तरह के जो वामपक्षी विचारधारा के लोग हैं, किसान सभा के लोग हैं या मजदूर यूनियनों के लोग हैं, ये जो माँग करते हैं इनकी माँग सही है ? ऐसा क्यों नहीं कहते ? लड़िए मिलजुल करके। इसलिए विधेयक का डर मत दिखलाइए। मजदूर समझ रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है। अगर आपकी हिम्मत होती तो इस विधेयक हर राय जानने के लिए आप इसको प्रचारित करते उसी से आपको अन्दाज लग जाता कि हिन्दुस्तान मजदूर वर्ग, हिन्दुस्तान का किसान बहुसंख्या में है क्योंकि मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं, बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को मुखरित कर रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। बहुमत जनता आपके विरूद्ध जा चुकी है। अगर आप अभी भी नहीं माने तो फिर आप जहाँ जाने वाले हैं सात समुद्र में वहाँ आपको डुबा कर ही जनता छोड़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन अमेंडमेंट बिल का मैं समर्थन करता हूँ माननीय शास्त्री जी जो बात अभी कह रहे थे उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान में चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज हो, पब्लिक सेक्टर एम्पलाईज हों या प्राइवेट सेक्टर में हों कहीं पर भी हो, जितनी तनख्वाह इस लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन में मिलती है उतनी तनख्वाह किसी में भी नहीं मिलती। हमारी नीति है कि वेज पालिसी हमारी ऐसी हो जिसके अन्तर्गत जितना काम करे उतनी तनख्वाह उसको मिले। तो जितना काम काम जो करता है जैसे एक क्लर्क स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, एक सेन्ट्रल गवर्नमेंट में करता है, एक पब्लिक सेक्टर में काम करता है, इन तीनों को कितना मिलता है और लाइफ इन्श्योरेन्स काम करने वाले को कितना मिलता है ? इसको देखा जाय जब एक ही प्रकार के क्लर्क हैं, एक ही कैटेगरी में सब आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इनको ज्यादा पैसा दिया जाता है, ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित तरीके से वह एक भेदभाव की नीति होगी और वह भेदभाव की नीति हमारी सरकार नहीं अपना चाहती इस लिए इस प्रकार बिल वह यहाँ लाई है जो बिल इस पालिसी को लागू करने के लिए लाया गया है निश्चित तरीके से वह स्वागत योग्य है।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहता हूँ—इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में वर्कर की डेफिनीशन में कौन आता है ? कौन वर्कमैन है ? इसका उसमें प्रावधान है कि कितना पैसा पाने वाले को वर्कर माना जाता है। उस डेफिनीशन को अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तरीके से आपको अन्दाज हो जायेगा कि किसको आप वर्कर मानते हैं और किसको किस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्कमैन की डेफिनीशन के आधार पर इन सारी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए इस प्रकार का बिल यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। निश्चित तरीके से यह हमारी उन नीतियों के जो काँग्रेस की सरकार ने लेबर के बारे में अपनाई है

उसके अनुकूल है। जिस प्रकार से मजदूरों को आगे बढ़ाने की नीति कांग्रेस की सदैव से ही रही है उसी के अनुरूप यह विधेयक भी है और निश्चित तरीके से उन वर्कमैन को जितना लाभ हमारे कायदे कानूनों से मिलना चाहिए वह देने का प्रयत्न सदैव हमारी सरकार ने किया है। यह जो कहते हैं कि बहुसंख्यक हम हैं यह गलत है। अगर आप बहुसंख्यक हैं तो हम यहां पर कैसे बैठे हुए हैं ? हमारा तो यहाँ से पत्ता कट जाना चाहिए था। शास्त्री जी बहुसंख्यक नहीं हैं। उनके पास थोड़े से लोग हैं जिनके आधार पर वह बात करना चाहते हैं और वह व्हाइट कलर के लोग है। उन व्हाइट कलर लोगों की हिमायत करके वह करोड़ों गरीब आदमियों के साथ अन्याय और अत्याचार करने में लगे हैं। इस प्रकार की नीति हिन्दुस्तान में निश्चित तरीके से नहीं चल सकती। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सी. पी. एम. के भाइयों को बिलकुल ठीक कहा कि ये बुर्जुआ लोग हैं, ये उन लोगों का समर्थन करते हैं जो लोग आज संगठित होकर इस देश के अन्दर खराब वातावरण बनाने की योजना बना रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के लोगों को बरगला कर इस सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों को संगठित करके इस सरकार के खिलाफ ये काम करना चाहते हैं। जहाँ इनकी सरकार है वेस्ट बंगाल में वहाँ तो जोतेदारों को निहाल कर रहे है ? उनके साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है ? जमीनें छीनी जा रहीं है, अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है वेस्ट बंगाल के अन्दर और ये आज उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं। यह पैरवी करते समय उनको ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी खुद की स्टेट में जहां वे सरकार चला रहे हैं वहाँ गरीब, मजदूरों गरीब काश्तकारों और छोटे लोगों को ऊंचा उठाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था वे कर रहे हैं ?

यह सही बात है कि आज मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस देश में गंदा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी आपने देखा है कि कोयले की खानों में क्या हो रहा है ? किस प्रकार की अव्यवस्था वहाँ पर आई हुई है। मार्क्सिस्ट कम्बुनिस्ट पार्टी के लोग वहां से 50 लाख टन कोयला स्मगल करके विदेशों को भेज रहे हैं। इस प्रकार की नीति इनके द्वारा अपनाई जा रही है। यहां पर ये कहते हैं कि इस व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं लेकिन इनकी नीतियों से बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि तरीके से ये इस देश में काम करना चाहते हैं ? इनकी कथनी में कुछ है और इनकी करनी में कुछ और है। यहाँ पर ये कुछ और कहते और बाहर कुछ और कहते हैं। इस प्रकार की नीतियाँ अपनाकर ये लोग निश्चित तौर से इस देश को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इन भाईयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में जो अन्तर है उसको ये दूर करें। यदि आप लोग मजदूरों का भला करना चाहते हैं, किसानों का भला करना चाहते हैं और गरीबों का भला करना चाहते हैं तो आप उन नीतियों को अपना समर्थन दें जोकि हमारी सरकार बराबर मजदूरों को आगे बढ़ने के लिए अपनाती रही है, किसानों और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अपनाती रही है।

शास्त्री जी, आप कहते हैं कि हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी तानाशाह हैं लेकिन वे तानाशाह नहीं हैं बल्कि वे प्रजातंत्र में पूरा विश्वास रखने वाली हैं। उन्होंने प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने के लिए सदैव अपनी आस्था व्यक्त की है। इस देश को ऊपर उठाने में जितना

काम किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। इस देश की सारी व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से चलाने के लिए जितना काम उन्होंने किया है उतना अन्य कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर हमें इस बात को सोचना चाहिए कि आज लाइफ इंश्योरेन्स के कर्मचारियों को क्या मिल रहा है और दूसरों को क्या मिल रहा है ? लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को कितना बोनस और डी. ए. मिल रहा है और दूसरों को कितना मिल रहा है ? दोनों को देखकर हमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। अगर आज इसको ठीक नहीं किया जायेगा तो इन लोगों ने आज लाइफ इंश्योरेन्स वालों को बहकाया है, कल को रिजर्व बैंक वालों को बहकायेंगे, फिर पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्ज वालों को बहकायेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बहकायेंगे। इस प्रकार से इस देश की व्यवस्था नहीं चल सकेगी।

हमारे कम्युनिस्ट साथियों ने पीछे जनता पार्टी का समर्थन किया था लेकिन मैं नहीं जानता उन्होंने मजदूरों और किसानों के हित में कौन सा काम किया ? ये केवल उन लोगों के पिछलग्गू बन कर रह गए। इन्होंने भी इस देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी। तीन साल के शासन में निश्चित तौर से इस देश को बर्बाद किया गया और आज भी ये बर्बाद करना चाहते हैं। फर्नान्डीस साहब यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने 1974 से बराबर इस देश को बर्बाद करने का काम किया और जब सरकार में आए तो सीमेन्ट का दाम बढ़ाया, उस में मिट्टी मिलाई और मल्टीनेशनल्स को प्रोत्साहन दिया। जनता पार्टी के शासन में इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, इस देश को रसातल में पहुँचा दिया। यह तो श्रीमती इन्दिरा गाँधी का नेतृत्व और उनकी नीतियां हैं जिन्होंने इस देश को जहन्नुम में जाने से बचाया और अब मजबूती के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इंफ्लेशन को रोका है और मंहगाई को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर की सूझ-बूझ से ऐसे कार्यक्रम बनाए जा रहें हैं जिनसे देश को शक्ति मिलेगी। इसीलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। पिछले कई दिनों से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने सामने बैठे वित्त मंत्री को 'मेन स्ट्रीम' के पुराने वार्षिक अंक को उल्टते हुए देख रहा था और मैं उन्हें गम्भीरता पूर्वक इसका अध्ययन करने को भी कहता हूं। मैं नहीं जानता था कि वह जो कुछ पढ़ रहे हैं वह मेरे द्वारा लिखा हुआ एक लेख है मैंने सोचा वह उससे कुछ अधिक कर रहे हैं— और वह भी पूरा लेख नहीं अपितु उस लेख के कुछ वाक्य ही पढ़ रहे हैं। तथापि मैं वित्त मंत्री को बताना चाहूँगा कि मेनस्ट्रीम' के वार्षिक अंक, 1977 के लेख में प्रकाशित हुए मेरे विचार ऐसे नहीं हैं— मानों कि मैं सरकार का एक सदस्य हूं। ये वे विचार हैं जो मेरे अपने पूरे मजदूर संघ जीवन के दौरान रहे हैं और यदि माननीय मंत्री एक और लेख पढ़ने का कष्ट करें, जो मैंने मई दिवस 1980 के बाद लिखा था और जो पिछले वर्ष जुलाई में कलकत्ता से प्रकाशित 'सन डे' नामक पत्रिका में छपा था, तो उन्हें पता लगेगा कि मेरे विचार नहीं हैं।

मैंने किसी विशिष्ट कर्मचारी वर्ग के वेतन ढांचे पर चर्चा नहीं की। मैं अपने सम्पूर्ण मजदूर संघ जीवन में राष्ट्रीय वेतन नीति का समर्थक रहा हूँ और अब लगभग बत्तीस वर्ष हो

लिए क्या केन्द्रीय सरकार योजनाओं के लिए सहायता देने के अतिरिक्त अलग से धनराशि देगी और कर्जा जो दिया जाता है उसको प्लान असिस्टैंस में एडजस्ट न करने का निर्णय लेगी या प्लान असिस्टेंस में जो कटौती कर दी जाती है इसकी वजह से उसको बन्द करेगी और अलग से अनुग्रह राशि देगी ?

मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास ग्यारह करोड़ रुपया पहले से है जो वह इस प्रकार की आपदाओं में खर्च कर सकतो है। वहां जो बाढ़ आई थी उसी में ग्यारह सौ करोड़ से ज्यादा का नुकसान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितनी सहायता की मांग की थी उतनी भी उसको नहीं दी गई। नतीजा यह है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको जो यह कहा गया था कि उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाए, दूसरी तरह से उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, आज वह भी नहीं हो पाई है। कारण यह है कि वहां सरकार के पास पैसा ही नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में लोग मरे हैं, फसलें नष्ट हुई हैं, जानवर मरे हैं। ग्यारह करोड़ उनके पास कहीं नहीं रह गया है। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं जानना चाहता हूं कि अलग से उत्तर प्रदेश की सरकार को इतना पैसा दिया जाएगा ताकि पिछला जो उसका कमिटमेंट है बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का वह पूरा हो सके और ओलावृष्टि के कारण जो नई क्षति हुई है उसकी वह पूर्ति कर सके ?

मैंने नैचुरल कैलेमेटीज़ के बारे में अलग से फंड बनाने के बारे में पूछा है, मैंने यह पूछा है कि योजना से जो कटौती की जाती है, इसको क्या आप खत्म करेंगे, अलग से अनुदान आप राज्य सरकारों को देंगे ? आप इवैल्युएशन वहां करते है जहां पचास प्रतिशत से अधिक की फसल को नुकसान पहुंचा होता है।

वहां पर आप सहायता देते हैं तो इसका क्या आधार है ? क्या प्रदेश के आधार पर करते हैं या जिले के आधार पर करते हैं ? मान लीजिए 10, 20 गांवों में ओला पड़ गया या दूसरी जगह पड़ गया तो पूरे प्रदेश के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 फीसदी भी नहीं होगा जिसका मतलब यह होगा कि कोई सहायता नहीं दी जाएगी। अगर जिले के आधार पर भी करेंगे तो बहुत से ज़िलों को सहायता नहीं दे पायेंगे। इसलिए क्या आप तहसील, प्रखंड को आधार मान कर कोई इवैलुएशन करेंगे ? या अलग-अलग कृषकों को इकाई मान कर इसका इवैलुएशन करते हैं ?

जो केन्द्रीय टीम आप भेजते हैं वह बहुधा सही तरीके से सर्वेक्षण नहीं करती है। जैसे मैंने बाढ़ के समय कहा था आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में टीम भेजी थी लेकिन वह गोरखपुर न जाकर बस्ती जाकर लौट आयी। कहा कि उनको हैलीकाप्टर नहीं मिला उत्तर प्रदेश सरकार की मेहरबानी की वजह से। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय टीम जो आप भेजेंगे सही रूप से जहां नुकसान हुआ है वहां जाएगी, या पुरानी पद्धति को अपना कर केवल स्टेट कैपिटल में जा कर लौट आएगी ? इसलिए इसके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें आप विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन्स दें जहां पर क्षति हुई है उन स्थानों पर अवश्य जाएं।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आखिर में जो सुझाव दिया माननीय सदस्य ने उसके लिए तो हम पहले ही इंस्ट्रक्शन्स जारी कर चुके हैं कि सेन्ट्रल टीम जब जाए तो कोशिश करे

हम जिले में जहां ज्यादा नुकसान हुआ है उसका दौरा करे और पता लगाए नुकसान का।

दूसरे मैं इनका यह शक मिटाना चाहता हूं कि अगर नुकसान 25 फ़ीसदी या इससे ज्यादा किसी जिले या स्टेट में हुआ तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे यहां की राशि राज्यों को नहीं मिलनी थी। इकाई तो हमारी छोटी से छोटी है एक-एक खेत की गिरदावरी। एक-एक मकान जिसको नुकसान पहुंचता है उसको देखा जाता है, एक-एक जानवर जो मरता है उसके लिए भी सहायता दी जाती है। इसके नीचे तो और कोई इकाई नहीं हो सकती ? एक किसान की अगर 4 एकड़ ज़मीन है उसमें अगर 1 एकड़ में नुकसान हुआ है तो उसको 1 एकड़ के लिए सहायता दी जाएगी। इसी तरह से मकान के नुकसान की पूर्ति होती है। अगर कोई मकान बिल्कुल गिर गया है तो उसके लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट सहायता देती है, पार्शली डैमैज्ड के लिए अलग है।

दूसरा इनको यह शक है कि सारा पैसा जो कुछ राहत के लिए मिलता है यह प्लान में ऐडजस्ट हो जाता है। यह बात भी ठीक नहीं है। आम तौर पर जो आपत्तियां आती हैं किसानों के लिए उनमें दो तरह की सहायता होती है—एक प्लान असिस्टेंस और दूसरी नान-प्लान असिस्टेंस। ड्राउट में भी और दूसरी चीजों में जो सहायता दी जाती है, दोनों तरह की सहायता होती है। प्लान असिस्टेंस ऐसे कामों के लिए जो काम प्लान में होने थे और मन्जूर हो चुके हैं उनके लिए ऐडवांस प्लान असिस्टेंस होती है ताकि आइन्दा भी काम पूरा हो जाय। नान-प्लान असिस्टेंस होती है जैसे पीने के पानी का इंतजाम करना, चारा मंगाना है, कैटिल कैम्प खोलना है, दवाइयां मंगानी हैं, इन चीजों के अन्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। यह ग्रान्ट होती है। इसी तरह से ओला, बाढ़ की मुसीबत में 75 परसेंट ग्रान्ट होती है आउटराइट और प्लान में एजस्ट नहीं होती। यह सारा का सारा भारत सरकार से राहत के काम के लिए पैसा मिलता है। इसका कोई एडजस्टमेंट प्लान में नहीं होता। और जो इस वक्त ओला पड़ा है, मकान गिरे हैं, आदमी मरे हैं, कैटिल मरे हैं उन चीज़ों के लिए जो पैसा भी भारत सरकार देगी सारा स्टेट सरकार के खर्च का 75 परसेंट वह ग्रान्ट होगी। उसमें भी आपकी तसल्ली हो जानी चाहिए। बिहार और जम्मू-कश्मीर सरकार को हमने तार भेजे थे 3 मार्च को।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : तार बाद में पहुंचते हैं, चिट्ठी पहले पहुंचती हैं।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : आपका टेलीफोन जल्दी काम करता होगा, आप कर दिया करो।

श्री मनीराम बागड़ी : टेलीफोन को तो साठे साहब खा गए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जम्मू-कश्मीर और बिहार सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई जवाब नहीं मिला। 3 तारीख के टेलेक्स का हमारे पास जवाब नहीं आया। जब तक राज्य सरकार से पूछने के बाद हमारे पास इत्तिला नहीं आये, उस वक्त तक मैं ओनरेबल मेम्बर्स को कोई जवाब नहीं दे सकता कि नुकसान है या नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : नेचुरल कैलैमिटी फंड कोई अलग से बनायेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जितना मार्जिनल मनी स्टेट गवर्नमेंट्स को एनुअली मिलता है, यह

बीमा निगम के क्लर्कों के बजाय आपने उस प्रभाव का प्रयोग करके आनन्द लेते रहेंगे जो अन्यथा के भारी खर्च करते हैं एक बोर्ड में दो या तीन व्यक्ति रखने के स्थान पर आप उनमें से 10 को 5 बोर्डों में रखना चाहते हो निदेशक बोर्ड में 10 सदस्यों के स्थान पर आप 50 की व्यवस्था करना चाहते हैं सारे के सारे स्वयं अपने लोग ? (व्यवधान) आप में से कुछ लोगों को यह शिक्षा देनी अति महत्वपूर्ण है विशेष रूप से उस समय जबकि हमारे पास आप जैसे नौजवान हैं और आप जैसे जोशीले व्यक्ति हैं जो इस आयु में भी सीखने के सदैव इच्छुक हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि आज हमने इस मुद्दे को फिर से उठाया है क्योंकि मैं वित्त मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आज हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो इस वजह से नहीं कि हम किसी दूसरी बात का समर्थन करते है जो अनुचित है, हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मन्त्री महोदय जिन कारणों से इस विधेयक को लाये हैं वे तर्क संगत नहीं हैं। अब मैं उस बात को लूंगा जो उन्होंने श्री फर्नान्डीस तथा प्रो. मधु दण्डवते के उस मन्त्रि मण्डल में होने के बारे में कही थी जिसने अपील कर दी। हम निष्पक्ष थे परन्तु आप हम पर आरोप लगा सकते हैं कि हमने अपील की थी। परन्तु हमने जो कुछ किया वह कानूनी था और हमने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। जो आपने किया है यह है कि आप गलत तरीके से अध्यादेश लागू करने का प्रयास करते हैं। श्रमिकों ने पिछले 20 साल में सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था द्वारा जो कुछ प्राप्त किया है उसे इस विधान द्वारा सरकार समाप्त करने जा रही है। क्या आप इस अध्यादेश की हमारे अधिनियम से बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सरकार अपील के विरुद्ध न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जा रही है ? हम में से कुछ ने उस विचार का समर्थन नहीं किया। परन्तु क्या इसकी बराबरी भी कर सकते है ? तो भी आज मैं देखता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय के पास कोई अन्य तर्क नहीं हैं और सहारा लेने के लिए कुछ भी नहीं है···(व्यवधान) मेरे सहयोगी प्रो मधु दण्डवते ने उद्धरण दिया था जिसमें कहा गया है कि वह बाइबिल को उद्धृत कर रहे थे जब हम लेख का मुख्य भाग पढ़ रहे थे···(व्यवधान) मैंने उस कहावत की तरह से महसूस किया कि शैतान हैं ·····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको गलत ढंग से उद्धृत किया गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यदि कभी भी शैतान मित्र होता है तो एक समस्या बन जाती है·····(व्यवधान)

प्रो. मधु दन्डवते (राजापुर) : यहाँ पर एक साधु है जो बहुत बुरे ग्रन्थ से उद्धृत कर रहा है ·····

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अब हम ऐसी स्थिति में हैं जबकि हमें सरकार ने वास्तव में एक चुनौती दी है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका हम हर जगह सामना कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि रामपुर निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य मुझे उस समय गलत नहीं समझेंगे जब मैं यह कहता हूँ कि इस चुनौती का सामना हम मोदी नगर में, बंगलौर के सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में और अनेक अन्य क्षेत्रों में कर रहे हैं जहाँ कि सरकार श्रमिकों के साथ न्याय नहीं कर रही है। आप सभी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं कि आप आज जो उनके पास है उससे भी इन्कार करते हैं। हममें से अधिकांश ने इस विधेयक की आलोचना की है कि यह न केवल मजदूरी पर रोक लगाने वाला विधेयक है बल्कि सरकार मजूरी में कटौती करने की दिशा में जा रही है जिसके

लिए आपने इस सभा में इस विधेयक को लाकर पहला कदम उठाया है। आप इस विधेयक को पारित करने के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगें। वह पहले भी सफल नहीं हुई और अब भी सफल नहीं होगी। पिछली बार आपने ऐसी बातें की थी। उसे न भूलिए। मैं पुराने इतिहास का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। तीन या चार साल पहले एक ऐसा ही प्रयास सरकार ने किया था जिस अवधि में आपने आपात स्थिति का विधेयक लाये थे और आपने उन छूटों को समाप्त करने का प्रयास किया जिनको मजदूरों से कई वर्षों के बाद प्राप्त किया था और आप उसके परिणाम को जानते हैं। आज आप इसे बिना आपात स्थिति के कर रहे हैं अथवा हो सकता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाये जिसमें इस देश के मजदुर वर्ग को चुनौती दी जाए उसके बाद आप इस पर विचार करेंगे कि हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों पैदा की जा सके जहां पर आप एक बार फिर आपात स्थिति की बात कर सकते हैं। उनके दिमाग की बात को जानना बड़ा कठिन है क्योंकि वहुधा वे 'न' कहते है इसका अर्थ हाँ है और जब वे 'हां' कहते है इसका अर्थ 'न' है। यह जानना बड़ा कठिन है कि उनके दिमाग में क्या बात है।

प्रो. मधु दण्डवते : विशेष रूप से जब महिलायें 'न' कहती हैं•••

सभापति महोदय : कभी-कभी महिलायें दयालु व कोमल हृदय वाली भी होती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसलिए सरकार के ऐसे इरादे हैं कि वह मजदूरों की पिटाई करेगी और जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने गरीब तथा ग्रामीण लोगों आदि के बारे में बताया है और मुझे मालूम है कि सत्तारूढ़ दल के अनेक माननीय सदस्य गरीब और ग्रामीण लोगों के बारे में बड़े चिंतित हैं और दूसरे दिन आपने उनमें से कुछ से मुलकात की। अब जो खर्चे हो चुके हैं, वे एक सौ करोड़ रुपये तथा दो सौ करोड़ रुपये के कहीं बीच आते हैं। यह देख कर तथा सुनकर अच्छा लगा था, कि आपके अनुसार देश के गरीब लोग केवल एक दिन के लिये दिल्ली आने के लिऐ 80 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकते हैं। सुनने में पढ़ने में वह अच्छा है और जानकारी करने में वह अच्छा है। परन्तु यदि आप सोचते हैं कि आप अब ऐसी स्थिति पैदा करने जा रहे हो कि जहां पर आप शहरी और ग्रामीण लोगों में, मजदूरों और किसानों के बीच मतभेद पैदा करने जा रहे हैं। उस संबन्ध में आप गलती कर रहे हैं। (व्यवधान)। हमने कभी वह गलती नहीं की। निस्सन्देह, हमने अनेकों गलतियाँ की परन्तु उस किस्म की नहीं••• (व्यवधान)••• क्योंकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि देश के मजदूर किसानों के बच्चे है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे सरकार बनाने जा रही है। यह पास हो जायेगा क्योंकि उनका बहुमत है। हम इस बात को जानते हैं। चूंकि अब वे इस कानून को पास करने जा रहे हैं और देश के ग्रामजीवी वर्ग को चुनौती दे रहे हैं. इसलिये मैं वित्त मंत्री तथा सरकार से कहता हूँ कि हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और यद्यपि हम अगले पाँच मिनट में हार भी जायें तो भी हम आपका सामना किसी भी शर्त पर कहीं भी करेंगे और हम अन्त में विजयी रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री मधुकर मुझे खेद है कि मैं आपका नाम नहीं पुकार सका क्योंकि समय बहुत कम रह गया है।

अब मंत्री।

श्री आर. वेंकटरामन : कानून की पढ़ायी के दौरान मैंने एक छोटा सा सिस्टम पढ़ा था और वह यह है कि यदि आपका मामला कमजोर है तो आप विरोधी पक्ष के अधिवक्ता की निंदा करें।

सभापति महोदय : अधिवक्ता की निंदा करना या चिढ़ाना।

श्री आर. वेंकटरामन : ऐसा भी किया जाता है लेकिन 'अधिवक्ता की निंदा करना' यह यह इसका ब्रिटिश अर्थ हैं।

जितनी भी निंदा मैंने सुनी है उससे सिद्ध होता है कि मामला कमजोर है।

जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह बहुत ही साधारण है। जीवन बीमा निगम का वर्तमान मजूरी ढांचा संगत है और इस बारे में दो रायें नहीं हो सकती। सरकार ने केवल इसे सर्वोत्तम व्यवस्था के बराबर लाने का ही काम किया है। यह कहना वास्तविकता को बढ़ा चढ़ा कर कहना है कि सरकार ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे सांझे सौदे का अधिकार वापस ले लिया गया है। कभी-कभी अतिश्योक्ति से मामला कुछ बिगड़ भी जाता है। यदि आप बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहें तो लोग वास्तविकता को भी नहीं समझ पाते। जीवन बीमा निगम तथा कर्मचारियों के बीच कोई सीधी वार्ता सम्भव नहीं। यह कह कर कोई भी शक्तियाँ वापस नहीं ली गयी और कोई भी कानून नहीं बनाया गया। हमने केवल इतना ही कहा है कि बहुत समय से चले आ रहे झगड़े, जो एक से दूसरी अदालत में जाता रहा, को ध्यान में रखते हुये सरकार ने उनके लिये मंहगाई भत्ते की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा बोनस कानून लागू करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति ग्रहण की है। अतः इससे यह अनुमान लगाना भावनाओं को भड़काता है जो इन परिस्थितियों में अनुचित है कि साँझे सौदे के अधिकार को वापस ले लिया गया है और समूचे श्रमजीवी वर्ग पर प्रहार किया गया है और इसके विरुद्ध आवाजें उठाई जा रही हैं। अनेक अप्रसांगिक बातें कही गयी हैं और मैं अपने आपको कठिनाई में पाता हूँ। साधारणतः मैं अप्रसांगिक बातों का जवाब नहीं देता लेकिन यदि इन में से कुछ बातों को चुनौती न दी जाये तो इसका अर्थ यह लिया जायेगा कि हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है। जो फर्नान्डीस ने यह बात विशेष रूप से कही है कि सरकार के कुछ लोगों ने श्रमिकों के बीच फूट डालने के प्रयत्न किये हैं। मैं उस आरोप का सख्त विरोध करता हूं। कर्मचारी स्वयं आते रहे हैं और विभिन्न मंत्रियों को मिलते रहे हैं और उनसे हस्तशेप करते तथा समझौता कराने का अनुरोध करते आ रहें हैं। ऐसा कहना बिलकुल अनुचित है कि मंत्रीगण हरिजनों-गैर हरिजनों अथवा तामिल के लोगों तथा अन्य लोगों के बीच मतभेद पैदा करते आ रहे हैं।

सभा में कुछ नोटिस तथा पोस्टर लगाये गये हैं। कोई नहीं जानता कि इसे किसने जारी किया और फिर भी आप जानते हैं कि इसे सत्तारूढ़ दल अथवा सरकार ने जारी किया है और फिर भी आप ऐसे प्रहार करते हैं जैसे कि यह सिद्ध हो चुका हो कि इसे सरकार अथवा सरकार के किसी अन्य प्रभारी अधिकारी अथवा सरकार से सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति ने जारी किया हो।

अब यदि आप यह समझें कि यह बात सिद्ध हो चुकी है तो हम कैसे इनकार कर सकते

हैं, हम इसकी प्रतिक्रिया कैसे कर सकते हैं ? मेरे विचार में ऐसे मामलों के लिये कोई न कोई तर्क तथा सबूत होना चाहिये और जब आप कोई आरोप लगाते हैं तो उन्हें सिद्ध भी करना पड़ता है। लेकिन आप करते कुछ हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ किया गया है। अतः सरकार अब श्रमीकों को क्षेत्रीय तथा भाषायी अधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार के वक्तव्य निश्चय ही निराधार हैं। किसी दोस सबूत के बिना हम नहीं जान सकते कि किस व्यक्ति ने इसे बनाया तथा प्रकाशित किया। सचमुच सरकार, अथवा सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध पीछे आरोप लगाना किसी के लिये भी सम्भव नहीं है।

श्री फर्नान्डीस विशेष तौर पर यह जानना चाहते थे कि क्या कुछ अन्य बातों में मैं उनका अनुसरण करता हूँ। उन्हें इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहिये कि मैं उनका अनुसरण नहीं करता। यदि हम उनका अनुसरण करते तो हम उसी जगह पर होते। आप विपक्ष में हैं और हम नहीं। यह बात इसी से सिद्ध होती है।

लेकिन जो कुछ मैंने कहा वह श्री फर्नान्डीस द्वारा बतायी गयी वही बुनियादी श्रमनीति थी जिसमें कहा गया था कि कुछ संस्थाओं के वेतन बहुत ऊंचे हैं और उन्होंने जीवन बीमा निगम तथा बैंकों का विशेष रूप से जिक्र किया था और कहा था कि वे और माँग रहे हैं जो उनकी राय में न्यायोचित नहीं है। मैंने कहा कि जब श्री फर्नान्डीस स्वयं संतुष्ट थे कि यह न्यायोचित नहीं तो वह अब इसका समर्थन क्यों करते हैं जब मैं एकरुपता लाने का प्रयास कर रहा हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : केवल एक मिनट। यदि आप पूरा पैरा पढे तो आपको पता चलेगा कि मैंने वास्तव में यह कहा था कि यदि वह अधिक माँग करते हैं उन द्वारा तो यह उचित ही है।

श्री आर. वेंकटरामन : क्या मैं इसे पढ़ूं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी हाँ।

श्री आर. वेंकटरामन : "जीवन बीमा निगम तथा बैंक कर्मचारी इस समय कुछ और प्राप्त करने के उद्देश्य से आंदोलन कर रहे हैं।"

"कुछ और शब्द को देखिये।

और जब आप इस पर आते हैं···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सारा पैरा पढ़िये।

श्री आर. वेंकटरामन : पैरा में कहा गया है :—

"सीमेंट श्रमिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की धमकी दे रहे हैं, यदि उनके वेतन में 50 प्रतिशत वृद्धि नहीं की गयी।"

वास्तव में आप उसी बात का समर्थन कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं।

"हरियाणा, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में अनेक औद्योगिक एककों में औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो गया है। यह धारणा गलत सिद्ध हो गयी है कि सी. डी. एस. और बोनस प्रश्न हल होने से मजूरी सम्बन्धी मांगों में ढील पड़ गयी है। ज्योंही उनके ठेके समाप्त होते हैं तो कर्मचारी नई मांगों पर वार्ता का अनुरोध करते हैं जो उचित ही हैं।"

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने कहा कि उनके द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाना उचित है।

श्री आर. वेंकटरामन : नहीं, आपने कहा कि वे "कुछ और अधिक के लिये कह रहे हैं" वास्तव में शब्द यही है।

यदि जीवन बीमा निगम और बैंक कर्मचारी और अधिक वेतन मांग रहे हैं तो इसका अर्थ यह कि उनके वेतन इतने अच्छे हैं जिसके वे हकदार नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : राष्ट्रीय मजूरी नीति के अभाव में ये सब बातें हो सकती हैं, मैंने यही कहा था।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं उसे भी पढ़ूंगा :—

"राष्ट्रीय मजूरी नीति निर्धारण का एक अनिवार्य पहलू समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करना है। यद्यपि यह सैद्धान्तिक दृष्टि से सब को स्वीकार्य है, फिर भी संगठित ग्रामजीवी वर्ग ने किन्हीं कारणों से इसे रचनात्मक रूप देने के लिये बहुत कम काम किया है। इसका परिणाम सभी देख रहे हैं। एक संगठित औद्योगिक क्षेत्र में भी ऐसी अधिक मजूरी की मांग ने जोर पकड़ लिया है जिसका समूचे उद्योग के मजूरी ढांचे से कोई भी सम्बन्ध नहीं है"।

और वह आगे कहते हैं :—

"लेकिन खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में अकुशल कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 300 रुपये प्रति मास है। और श्रमिक नेता के नाते हम खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए बोनस प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि खादी कर्मचारियों के लिए अच्छा वर्ताव हम कभी नहीं कर पाएंगे।"

इस लेख का पूरा अभिप्राय यह है (व्यवधान) यदि आप करते हैं कि मैंने गलत पढ़ा है तो मुझे इसका खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी तारीख क्या है ?

श्री आर. वेंकटरामन : 1977 (व्यवधान) ठीक है। इससे मेरी जानकारी में वृद्धि हुई है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम राष्ट्रीय वेतन नीति पर चर्चा कर रहे थे। यह केवल 1977 से पूर्व अथवा 1977 की नहीं है। मैं मन्त्री महोदय के लिए 1980 और 1981 के लेख भी पढ़ सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह 1977 में इससे अच्छा लेख नहीं लिख सकते थे।

श्री आर. वेंकटरामन : लेख का मुख्य तात्पर्य यह है। (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : उनकी ठीक यही स्थिति है।

श्री आर. वेंकटरामन : उन्होंने इस बारे में अपना औचित्य सिद्ध किया है। पूरे लेख का यही आशय है। (व्यवधान) ठीक है परन्तु यह किस पर आधारित है ? इसका आधार यह है कि कुछ ऊंचे वेतनों वाले व्यक्ति वहां पर विद्यमान हैं। जबकि खादी ग्रामोद्योग के श्रमिकों को बहुत कम मजूरी मिलती है क्योंकि उनके लिए कोई श्रमिक संगठन नहीं है जोकि उनके लिए वेतनों तथा बोनस के लिए संघर्ष कर सके। खादी ग्रामोद्योग में लिपिक अथवा कर्मचारी के रूप

में काम करने वालों के लिए वेतनों और बोनस की मांग की जाती है। (व्यवधान) यही बात उन्होंने कही है। यही स्थिति है।

मैं विस्तृत तर्क नहीं करना चाहता। मैं केवल स्थिति बताना चाहता था, जैसे कि श्री फर्नान्डीस ने स्वयं कहा है, हमारे देश में सही अथवा गलत रूप से, इच्छा से अथवा अनिच्छा से कुछ ऊंचे वेतनों के वर्ग तैयार कर लिए गए हैं, जिस व्यवस्था के ठीक किए जाने की आवश्यकता है।

श्री फर्नान्डीस ने फिर कहा है। हमने अपील दायर कर दी है। यह कानून लाने से पृथक है। मैं उन्हें न्यायालय की टिप्पणी पढ़कर सुना सकता हूँ। यदि वे समझते हैं कि उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय जिसमें कि कर्मचारियों का अध्यादेश के ऊपर जिन्हें कि सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद जारी किया समझौते को लागू करने का अधिकार है, तो इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है : "यह समझौता तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे किसी नये समझौते, न्याय निर्णय अथवा कानून द्वारा बदल नहीं दिया जाता।" और हमने इस कानून द्वारा इसे बदल दिया है। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि आपको सामूहित शक्ति द्वारा लाभ प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है, तो आपको अपील नहीं करनी चाहिए थी, और सामूहिक रूप से किए गए समझौते पर दृढ़ रहना चाहिए था।

श्री फर्नान्डीस ने जो कुछ कहा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनमें मतभेद था। परन्तु आपको मंत्रीमंडलीय प्रणाली का पता है, यह संसदीय प्रक्रिया है कि यदि कोई व्यक्ति, भिन्न विचार रखता है (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : श्रीमान, उन्होंने श्री फर्नान्डीस का बहुत अधिक हवाला दिया है। फर्नान्डीस को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा पटल के बहुत निकट हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : उन्होंने कहा कि वह सहमत नहीं थे और उन्होंने प्रो. दंडवते को भी जबकि वह उपस्थित नहीं थे। अपने साथ सम्मिलित किया—कि दोनों सहमत नहीं थे सामान्य संसदीय प्रक्रिया यह है कि यदि वह सहमत नहीं थे तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए था और यदि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिये तो इसका अर्थ यह है कि वह असहमत नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी. बी. गिरि के समान।

प्रो. मधु दंडवते : क्या हमें भूतलक्षी प्रभाव से त्यागपत्र देने की अनुमति है ?

श्री आर. वेंकटरामन : श्रीमान, मैं, उनके अधिकार को स्वीकार करता हूँ क्योंकि वे मुझे अधिकार देते हैं कि मैं भूतलक्षी प्रभाव से कानून बता सकूं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इससे वैसा भय एवं आशकाएं नहीं हैं जिनका कि उन्होंने उल्लेख किया है। जीवन बीमा निगम तथा कर्मचारियो के सम्बन्ध इस कानून के अनुसार स्थिर हो जायेंगे और कानून में उन्हें महंगाई भत्तों तथा बोनस कानूनों के उन पर लागू किये जाने का आश्वासन दिया गया है, वे इस पर बातचीत कर सकेंगे और इस बारे में उनके साथ समझौता किया जा सकेगा। मैं सभा को, इस मामले पर विस्तृत चर्चा करने तथा समय-समय पर उपयोगी सुझाव देने के लिए, धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत—विभाजन संख्या : 11

पक्ष में 16-49 बजे

अब्बासी, श्री काजी जलील
अंकिनीडू, श्री एम.
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अराकल, श्री जेवियर
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सीलाल, श्री
बरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, आचार्य
भाटिया, श्री रघुनन्दन
भोई, डा. कृपासिन्धु
भोले, श्री आर. आर.
भूरिया, श्री दलीपसिंह
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौहान, श्री फतेहमान सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
दलवीर सिंह, श्री
डामोर, श्री सोमजी भाई
डेनिस, श्री एन.
देव, श्री संतोष मोहन
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री वी. एन.
मरचा, श्री देवेन्द्र सिंह
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगो, श्री गिरधर
गौंडर, श्री ए. सेनापति
गुलशेर अहमद, श्री
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जय नारायण रौत, श्री
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जेना, श्री चिन्तामणि
जितेन्द्र प्रसाद श्री
काहनडोल, श्री जैड. एम.
कमल नाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
खाँ, श्री जुल्फिकार अली
कोचक, श्री गुलाम रसूल
कोसलराम, श्री के. टी.
कुचन, श्री गंगाधर एस.
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लास्कर, श्री निहार रंजन
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री वाई. एस.
महाला, श्री. आर. पी.
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मालन्ना, श्री के.
मलिक, श्री लक्ष्मण
मिश्र, श्री हरिनाथ
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुथु कुमारन, श्री आर.

नामग्याल, श्री पी.
नारायण, श्री के. एस.
नेताम, श्री अरविन्द
निखरा, श्री रामेश्वर
ओडेदरा, श्री मालदेवजी एम.
पाण्डे, श्री केदार
पारधी, श्री केशवराव
परमार, श्री हीरालाल आर.
पाटिल, श्री ए. टी.
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री उत्तमराव
पट्टाभि रामा राव, श्री एस. बी. पी.
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
राजू, श्री पी. वी. जी.
रंगा, प्रो. एन. जी.
राठौर, श्री उत्तम
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
साही, श्रीमती कृष्णा
समीनुद्दीन, श्री
सगमा, श्री पी. ए.
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
*शमन्ना, श्री टी. आर.
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्रीधर्मदास
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिंगडा, श्री डी. बी.
सिंह देव, श्री के. पी.
सोलंकी, श्री बाबूलाल
स्पैरो, श्री आर. एस.
सुल्तानपुरी. श्री कृष्ण दत्त
सुन्दरसिंह, श्री
सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह
तेइयेंग, श्री सवेंग
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
वेंकटारामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्रसिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधर लाल
यादव, श्री रामसिंह
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन

बालानन्दन, श्री ई.
बसु, श्री चित्त
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दन्डवते, प्रो. मधु
दन्डवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
फर्नान्डीस, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हसदा, श्री मतिलाल
जाटिया, श्री सत्यनारायण
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मैत्रा, श्री सुनील

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

महालगी, श्री आर. के.	साहा, श्री अजित कुमार
मिश्र, श्री सत्यगोपाल	सेन, श्री सुबोध
मुखर्जी, श्री समर	शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
नेगी, श्री टी. एस.	शास्त्री, श्री रामावतार
पन्डित, डा. बसन्त कुमार	वाजपेयी, श्री अटल विहारी
पासवान, श्री राम विलास	वर्मा, श्री रवीन्द्र
राजदा. श्री रतनसिंह	वर्मा, श्री फूलचन्द
रियान, श्री बाजू बन	वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 116

विपक्ष में : 32

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पारित हुआ। (व्यवधान)

(इस समय कुछ माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गए)

सामान्य बजट, 1981-82 सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य बजट पर चर्चा करेंगे।

श्री ई. बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मुख्य रूप से इस बजट पर इस सभा के सदस्यों तथा आम जनता की दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई हैं। कुछ व्यक्तियों में मध्यम वर्ग के करों में दी गई छूटों और कटौतियों के बारे में, जिसे कि इस बजट की अनिवार्य विशिष्टता के रूप में दर्शाया गया है, प्रसन्नता व्याप्त है। अन्य व्यक्तियों में सरकार की आर्थिक नीति विशेष रूप से बजट के बारे में लोगों में संदेह की भावना है—जोकि वाहक बंधपत्र योजना, निगमित क्षेत्र को दी गई रियायतों, इस वर्ष तथा पिछले वर्ष के बजट में घाटों विदेशी पूंजी पर बढ़ती हुई निर्भरता से स्पष्टत: लक्षित होती है, जोकि हमारे विकास कार्यों की विशिष्टता बन गई है। इस संदेह के आधार एवं उसकी उलझनों की ओर मैं सदस्यों का तथा स्वयं वित्त मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में बताया है कि संकट का समय समाप्त हो गया है और बिकास का समय आरम्भ हो गया है। तथापि बजट पर टिप्पणी करने से पूर्व मैं यह बताना चाहता हूँ। कि न तो संकट का समय ही समाप्त हुआ है और न ही छठी योजना के दस्तावेज आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को देखते हुए विकास आसार दिखाई देते हैं।

---

*निम्न सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में : सर्वश्री लक्ष्मण वर्मा, पी. राजगोपाल नायडू और चरणजीत सिंह।

विपक्ष में : सर्वश्री ए. के बालन और टी. ए. शमन्ना

वर्ष 1979-80 संकट का समय रहा है—इस बात पर मैं वित्त मन्त्री से सहमत हूँ। परन्तु उनकी इस बात से कि अर्थ-व्यवस्था स्थायित्व एवं विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है, न तो मैं सहमत हूँ और न ही आर्थिक समीक्षा इस मत से पूरी तरह सहमत है। हम संकट की उन तीन बातों पर विचार करते हैं जिनको आर्थिक समीक्षा में अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया गया है अर्थात (क) मुद्रा स्फीति की ऊंची दर, (ख) उत्पादन में रूद्धता, (ग) भुगतान संतुलन की गम्भीर स्थिति। जहाँ तक मुद्रा स्फीति का सम्बन्ध है, वित्त मन्त्री को इस बात पर गर्व है कि अप्रैल 1980 से जनवरी 1981 के दौरान मूल्यों में वृद्धि केवल 13.5 प्रतिशत रही तथा 1979-80 में 21.4 प्रतिशत वृद्धि होने के पश्चात् कुल वृद्धि 21 महीनों में 37.4 प्रतिशत हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्थिति में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। जो मूल्य वर्ष 1980 के अन्त में घटते हुए प्रतीत हो रहे थे, वे निःसंदेह फिर से बढ़ने लगे हैं। सरकार द्वारा 1980-81 में घाटे की अर्थ-व्यवस्था अपनाये जाने के कारण यह प्रवृति पैदा हुई है और जो सरकार फिर से ऐसी मूल्य वृद्धि एवं घाटे की अर्थ-व्यवस्था को अपनाती है वह मुद्रा स्फीति को रोकने का दावा नहीं कर सकती। इस सम्बन्ध में मैं दिनाँक 7 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक लेख से उद्धृत करता हूँ :

मुद्रास्फीति के आँकडों को बिन्दु-से-बिन्दु के आधार पर प्रस्तुत करके यह आशाजनक स्थिति दिखाई गई है। जनवरी 1980 में समाप्त होने वाली 10 महीने की अवधि के औसत सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति 15.6 प्रतिशत थी जबकि जनवरी 1980 में समाप्त होने वाली अवधि में यह और भी अधिक अर्थात 18.4 प्रतिशत थी। अब तक आर्थिक समीक्षा में मुद्रास्फीति के आंकड़े औसत मूल्य सूचकांक के आधार पर दिये जाते थे। इस वर्ष पहली बार मुद्रास्फीति के आँकड़े बिन्दू से बिन्दु के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं जो दिखावा मात्र है।

उत्पादन में आयी स्थिरता के बारे में वित्त मन्त्री महोदय के आशावादी विचारों से कोई भी सहमत नहीं हो सकता है। 1979-80 वर्ष में औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से 1.4 प्रतिशत कम था। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से नवम्बर के बीच की अवधि में औद्योगिक उत्पादन 1979-80 वर्ष के इन्हीं महीनों की अवधि के उत्पादन की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 1979-80 वर्ष के उत्पादन की तुलना में वर्तमान वर्ष के उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। तब भी वित्त मन्त्री महोदय ने औद्योगिक उत्पादन की तुलना में 4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है, किन्तु उनका यह अनुमान निराधार आशावाद पर आधारित है। कृषि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। पिछले वर्ष उत्पादन में 15.5 प्रतिशत गिरावट आने के पश्चात् अब उसमें 19 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है जिसका यह अर्थ हुआ कि उत्पादन में 1978-79 वर्ष की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि होगी। इसलिए इससे यह साफ पता चलता है कि स्थिरता अभी भी बनी हुई है।

अन्त में, भुगतान सन्तुलन की समस्या भी पहले की अपेक्षा आज काफी बनी हुई है। 2000 करोड़ रुपये के व्यापार सम्बन्धी घाटे के कारण 600 करोड़ रुपये की आरक्षित धनराशि निकालनी पड़ी हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बड़े पैमाने पर सहायता और ऋण लेना पड़ा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एन. ए. पालखीवाला के लेख से मुझे उद्धृत करने की अनुमति दें।

"इस समय हमारी विदेशी मुद्रा इतनी है कि उससे केवल पाँच महीनों के लिए आवश्यक आयात बिल का ही भुगतान किया जा सकता है।"

अतः हमारी भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति बड़ी गम्भीर है।

कुल मिलाकर, वित्त मन्त्री महोदय का यह विश्वास है कि संकट पर काबू पा लिया गया है, बिल्कुल सही नहीं है। उनका यह विचार भी निराधार है कि उत्पादन में गत आने लगी है, और उनके इस मत का भी कोई आधार नहीं है।

सूखे से निसन्देह 1979-80 में कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ था। किन्तु यदि सरकार ने एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की होती और खाद्यान्न के भन्डारों से लाभ उठाया होता तो चीनी की बात ही क्या सभी प्रकार की मूल्यों पर सुगमता से नियंत्रण पाया जा सकता था। फिर भी, 1979-80 में पड़े सूखे से तथा 1980-81 में जो कि अच्छी फसल का वर्ष था, औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति का आपस में कोई सम्बन्ध था यह बात मानी नहीं जा सकती।

भुगतान संतुलन पर जहां तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव क सम्बन्ध हैं, वित्त मन्त्रालय द्वारा दिए गए कारण इतने सीधे नहीं हैं जितना उन्हें बताया गया है। यदि हम तेल की खपत में कमी कर दें और तेल का राशन लागू कर दें तो आपके द्वारा बढ़ायें गए मूल्य का हमारे भुगतान संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह पता चला है कि आयातित तेल के अधिकाँश भाग की खपत अमीर व्यक्तियों द्वारा की जाती है। यदि राशन लागू कर इसकी खपत में कमी कर दी जाये तो भुगतान संतुलन सुधर जायेगा।

जहाँ तक आधारभूत ढाँचों का सम्बन्ध है, सरकार की वर्तमान नीति ही काफी सीमा तक इसके लिए जिम्मेदार है। यह कमियाँ सरकारी क्षेत्र में कुप्रबन्ध तथा आधारभूत उद्योगों में सरकारी निदेशों में कमी आने के कारण उत्पन्न हुई हैं। प्रबन्ध में कोई सुधार नहीं किया गया प्रतीत होता है। वह सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध योग्यता की अपेक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के तोर पर वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के पैरा 21 में बताया है;

> "इस सम्बन्ध में स्थिति की मांग यह भी है कि सरकार को देश में उपलब्ध क्षमता के साथ-साथ उत्पादन में हिस्सेदारी के आधार पर ठेके पर विदेशी पार्टियों को लगाने का निर्णय भी करना पड़ा है।"

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास देश में तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। किन्तु भारत सरकार ने उन्हें इस कार्य का दायित्व नहीं सौंपा है। उन्होंने फ्रांस की एक कम्पनी को आमन्त्रित किया है और वह भी बिना निविदा आमन्त्रित किए हुए। इस कम्पनी को यहाँ आमन्त्रित किया गया है और वह भी उत्पादन में हिस्सेदारी के आधार पर बुलाया गया है। यदि उन्हें कुछ धनराशि दी जाती है तो उसका हमारे पर अधिक प्रभाव नहीं होगा किन्तु हमारे बहुमूल्य तेल में उनका हिस्सा होगा। इस प्रकार भारत सरकार देश में उपलब्ध योग्यता की अपेक्षा कर रही है जिसके परिणामस्वरूप देश पर विदेशी ऋण में वृद्धि होती जा रही है।

भारत सरकार को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिये। श्रमिकों के सम्बन्ध में गलत और

हठी रवैया अपनाने से वह उत्पादन में भारी हानि कर रहे हैं जिसकी बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में हुई घटनाएं प्रतीक हैं। पिछले 77 दिनों से सरकारी क्षेत्र के एक उद्योग में हड़ताल चल रही है। मुझे इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। हड़ताल आरम्भ कैसे हुई ? हड़ताल इसलिए आरम्भ हुई क्योंकि सरकार समझौते को लागू करने में असफल रही थी।

आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्रमिकों में किस प्रकार अनुशासन लागू किया जाये। किन्तु सरकार यह अनुशासन कैसे लागू करना चाहती है। क्या वह समझौते लागू कर अनुशासन लागू करना चाहती है अथवा श्रमिक को उनके उचित अधिकारों से वंचित कर लागू करना चाहती है ? हमें यह पता चला है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में बढ़िया उत्पादन में श्रमिकों के योगदान में हर वर्ष वृद्धि हो रही है किन्तु यदि आप आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि श्रमिकों के हिस्से में हमेशा कमी हो रही है।

बढ़िया उत्पादन में हमेशा वृद्धि हो रही है। अतः देश में आर्थिक संकट के लिए सरकार श्रमिकों को फिर दोषी क्यों ठहराती है ?

अतः न केवल वित्त मंत्री महोदय का यह दावा कि संकट पर काबू पा लिया गया है, बिल्कुल गलत है बल्कि वास्तव में इस संकट के कारणों से निपटने के लिए कोई गम्भीर प्रयास भी नहीं किये गये हैं जैसा कि सरकार के द्वारा दिये गये सीधे से निदान से स्पस्ट है। हम विकास के चरण में प्रवेश कर चुके हैं, इस बारे में उनकी क्या राय है ? इस बात पर भी विश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित घरेलू उत्पादन में 5.2 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर ली जायेगी। पिछले 32 वर्षों में देश में उत्पादन की औसत दर 3.5 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय की औसत दर 1.3 प्रतिशत रही है। जब तक नीतियों में आधारभूत परिवर्तन नहीं लाया जाता तथा भूमि-सुधार तथा एकाधिकारियों का राष्ट्रीयकरण जैसे आधारभूत सुधार नहीं किये जाते, तब तक इस बात का विश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि इस सम्बन्ध में स्वयं सुधार हो जायेगा, इन आंकड़ों में सुधार लाने की तो बात ही नहीं आती। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय सकट और बढ़ते हुए संरक्षण और यूरोप के मुद्रा बजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश पाने की उत्सुकता के इस युग में निर्यात जिस पर राष्ट्रीय कोष से बहुत व्यय होता है और राज सहायता बढ़ रही है। के लिए आन्दोलन करना जरूरी है, इसके लिए यदि नीति में परिवर्तन न किया गया तो हमारी आत्म-निर्भरता घटती जायेगी।

रोजगार और गरीबी के सम्बन्ध में बजट में यह दावा किया गया है कि इस बजट के कारण गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम हो जायेगी। किन्तु जब बजट का ध्यान से विश्लेषण किया जाता है तो दूसरा ही चित्र नजर आया। यदि भूतकाल की विकास दर के बराबर ही विकास दर प्राप्त कर ली जाती है तो उसका ग्रामीण और शहरी गरीब जनता के लिए क्या अर्थ होगा ? 1979-80 में भारत में 1950 लाख श्रमिकों में से 1510 लाख श्रमिकों को ही रोजगार मिल सका था। इसका यह अर्थ हुआ कि 440 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। छठी योजना में भी 1850 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि श्रमिकों की संख्या बढ़कर 2350 लाख हो जायेगी। अतः बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 1985 में 500 लाख हो जायेगी अर्थात् योजना के आरम्भ में 60 लाख व्यक्ति

अधिक हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त, योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1979-80 में 48.44 प्रतिशत से 1985-86 में 30 प्रतिशत करने का दावा किया गया है । जो अभी कहा गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि इसके विपरीत होने की आशा है—कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में योजनावधि में वृद्धि की ही सम्भावना है ।

मध्यम-आय वर्ग के लोगों को दी गई तथा-कथित रियायतें, जिनकी बजट में व्यवस्था की गई है, भी सन्देह से परे नहीं हैं । मूल्य वृद्धि तथा सीमा शुल्क में वृद्धि, दोनों का प्रभाव मुद्रा-स्फीति प्रसार में होता है, के कारण इन वर्गों को दी गई रियायतों का वास्तविक लाभ बहुत ही कम होगा । बजट में 1539 करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था की गई है किन्तु वास्तव में यह घाटा कहीं अधिक होगा । किन्तु घाटे की राशि इस अनुमान पर दिखाई गई है कि 800 करोड़ रुपया धारक बन्धपत्रों सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो जायेगा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचालन में सुधार होगा । इन दोनों में से किसी के होने की आशा नहीं है ।

1980 के बजट में 1445 करोड़ रुपये के घाटे के कारण वर्तमान बजट में पूर्व अनुमानित घाटे के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति विस्फोटक होगी ।

अन्त में, मध्यम आय वर्ग को 40 करोड़ रुपये की रियायते दी गई हैं किन्तु निजी क्षेत्र के लिये उससे कहीं अधिक अर्थात् 60-70 करोड़ रुपये की रियायतें दी गई हैं, यह रियायतें नियमित कर, निर्यात राजसहायता आदि के रूप में दी गई हैं । वास्तव में, निर्यात सम्बन्धी आन्दोलन आरम्भ करने के नाम पर देश और विदेश में गैर-सरकारी पूंजी पर काफी लाभ दिये जा रहे हैं । और बजट में उल्लिखित धनराशि उसके कहीं अधिक होने की सम्भावना है । दी गई रियायतों में इन विशाल अन्तरों को देखते हुए यह पता चलता है कि बजट का वास्तविक स्वरूप क्या है तथा उसमें दी गई रियायतों का वास्तव में अर्थ क्या है ?

गैर-सरकारी पूंजी के सम्बन्ध में दी गई रियायतों के साथ गैर-विकास सम्बन्धी कार्यों का परिव्यय तथा विशेष रूप से रक्षा सम्बन्धी व्यय में भी वृद्धि हो गई है । रक्षा व्यय में 600 करोड़ रुपये की वृद्धि को "कठिन समय" का उल्लेख कर स्पष्ट कर दिया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह कठिन समय" देश के भीतरी अथवा देश के बाहरी कारणों से है । परिव्यय में वृद्धि से मूल्य स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा । पहले दो वर्षों की केन्द्रीय योजना का परिव्यय 40 प्रतिशत की तुलना में कुल का केवल 33 प्रतिशत है, हालांकि इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि छठी पंच-वर्षीय योजना के प्राक्कलन में 1979-80 मूल्यों के स्तर के आधार पर तैयार किये गये थे । इसके लिए भी छठी योजना के पहले दो वर्षों में पंचवर्षीय अवधि के लिए निर्धारित घाटे का बजट का लगभग 70 प्रतिशत प्रयुक्त किया जायेगा । यह सर्वविदित है कि परिव्यय के लिए घाटे के बजट पर निर्भर करना एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की जनता कम आय को और कम करना है । अतः जो थोड़ा-बहुत विकास होने की संभावना है, अन्ततः बोझा गरीब जनता पर ही पड़ेगा । इससे केन्द्रीय सरकार को यह सब दावे कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी हो जायेगी, असंगत प्रतीत होते हैं ।

अत्यधिक घाटे की बजट व्यवस्था पर निर्भर रहने के साथ साथ, निगमित आय कर

प्रत्यक्ष कर – निर्धारण द्वारा बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने से इनकार करने तथा भूपतियों के हितसाधन के कारण विदेशों तथा विदेशी व्यापारी ऋणों पर देश की निर्भरता बढ़ती जा रही निर्यात बढ़ाने के आन्दोलन के रूप में विदेशी निवेश की उदार नीति जिसका ऋणों सबंधीदायित्वों के बढ़ने के कारण और भी औचित्य हो जाता है के साथ इसका अर्थ यह है कि विदेशी ऋणों पर हमारी निर्भरता बढ रही है जोकि देश की स्वातन्त्रता के लिए हानिकारक हो सकती है। विदेशी वित्त तथा पूंजी पर बढ़ती हुई निर्भरता हमारे देश की स्वातन्त्रता के लिए ठीक नहीं है।

बजट तैयार करने के पीछे जो विचार है उनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसके द्वारा शहरी तथा ग्रामीण बहुसंख्यक गरीब लोगों तथा मध्यम वर्ग के हितों का बलिदान करके देशी एकाधिकार गृहों के लिए पूंजी जुटाने, विदेशी निजी पूंजी प्राप्त करने तथा बड़े बड़े जींमीदारों के हितों के संरक्षण की चेष्टा की गई है।

सरकार की वाहक बांड योजना, जिसके द्वारा अर्वध रूप से अर्जित धन को वैध बनाने का अवसर दिया गया है, सरकार की नीति भली-भांति प्रकट हो जाती है यह उपाय उस समय किया गया है जबकि आम लोगों पर पड़ने वाला भार सर्वाधिक है।

मैं श्री पालकी वाला के हिन्दुस्तान 'टाइम्स' में प्रकाशित हुए वक्तव्य को उद्धृत करता हूँ जिसका भाव इस प्रकार है :

"विशेष वाहक बांडों से वस्तुतः काले धन को मान्यता मिल गई हैं।। संघ के बजट के अन्तर्गत देश के सामने उत्पन्न खतरा वाहक बाँडों की अर्थ-व्यवस्था पर आधारित हैं, जिसपर कोई बल देने की आवश्यकता नहीं। चोर बाजारी तथा भ्रष्टाचार स्पष्टतः खतरनाक है परन्तु चोर बाजारी तथा भ्रष्टाचार को सरकारी तौर पर तथा सार्वजनिक रूप में स्वीकृति देना तो निश्चित रूप से और भी खतरनाक है।

जरूरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के अपने कर्त्तव्य में सर्वथा विफल रहा है तथा राज्य सरकारों को पहले ही कम आय को और भी कम करने की अपनी नीति पर दृढ़ है।

भारत सरकार ने अब निश्चय किया है कि राज्य बिक्री कर सूची में से पांच मदों को निकाल कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सूची में जोड़ दिया जाए जिससे राज्य सरकारों को बहुत हानि होगी। मुख्य मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन में पश्चिम बंगाल तथा केरल के मुख्य मन्त्रियों ने इस योजना का विरोध किया था। मैं वित्त मन्त्री से इस मामले में न्याय करने के लिए निवेदन करता हूं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की शक्तियों को कम करने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं, तथा राज्य सरकारों को शक्तियाँ देने वाले संवैधानिक उपबन्धों को हटाया जा रहा है। इस रवैये को त्यागने की आवश्यकता है।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि केरल, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के साथ भिन्न ढंग से बरतावा किया जा रहा है। मैं वित्त मन्त्री का ध्यान गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गए परिपत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल

तथा त्रिपुरा के राज्यों में से केन्द्रीय सरकार में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न प्रकार की विशेष पुलिस जाँच की व्यवस्था की गई है। वे केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिए सभी राज्यों से लिए जाने वाले लोगों के बारे भिन्न मानदंड की व्यवस्था करते हैं तथा पश्चिम बंगाल केरल और त्रिपुरा के के लिए अलग मानदण्ड निर्धारित करते हैं।

इस बजट में बेरोजगार देने के लिए बहुत से वचन दिए गए हैं। परन्तु केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। वास्तविक स्थिति ऐसी ही है क्योंकि उन्होंने मतदान द्वारा दूसरी सरकारों को चुना। वास्तव में हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी सरकार को चुनकर सत्ता सौंप दें। इस प्रकार की जांच लागू करके इस संवैधानिक अधिकार को चुनौती दी जा रही है। इस प्रकार की जाँच का अर्थ यह है कि हमें केन्द्रीय सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता यदि हमें रोजगार नहीं मिल सकता तो हम जी नहीं सकते। इस लिये हमारे जीने के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केरल पुलिस द्वारा ही की जाती है।

श्री ई. बालानन्दन : केन्द्र ने एक और जाँच लागू की है।

उपाध्यक्ष महोदय : पुलिस जाँच केरल पुलिस द्वारा की जाती है।

श्री ई. बालानन्दन : केन्द्रीय जाँच ब्यूरों की जाँच केन्द्र द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया का पालन केरल पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमें देश का नागरिक नहीं माना जाता। हमें पृथक नागरिक माना जाता है।

बंगलौर की हड़ताल के बारे में वित्त मन्त्री ने बताया है कि सरकारी तौर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। मैंने सभा में एक वक्तव्य दिया था। मैं प्रधान मंत्री को लिखे गए पत्र में से पढ़ना चाहता हूँ। आपकी अदुमति से मैं प्रधान मन्त्री के लिखे पत्र में से उद्धृत कर रहा हूँ :

"महोदय, हम आपसे माँग करते हैं कि तमिल तथा केरल वालों को एक सप्ताह के भीतर कर्नाटक से बाहर भेज दें क्योंकि हमारी संस्कृति को खतरा है, अन्यथा एन. एस. यू. आई. उनका पानी, बिजली, राशन बन्द कर देगी तथा इन असामाजिक तत्वों का बहिष्कार किया जायेगा तथा अपने जीवनों को खतरे में डालकर उन्हें उनकी बस्तियों के अन्दर ही बन्द कर दिया जायेगा।

श्री आर. वेंकटरामन : इसे किसने लिखा।

श्री ई. बालानन्दन : एन. एस. यू. आई. कर्नाटक के सचिव ने। यह प्रधान मंत्री के नाम लिखा गया था। आपको उसकी प्रति दे सकता हूं।

श्री आर. वेंकटरामन : क्या आप इसका दायित्व ले सकते हैं ? क्या आप सविधार ऐसा कह सकते है और क्या आप मानते हैं कि यह उसी संगठन द्वारा लिखा गया है जिसका आपने उल्लेख किया है ?

श्री ई. बालानन्दन : जब तक वे इस बात से इनकार न करें, तब तक मैं निश्चय पूर्वक समझता हूँ कि यह उनके द्वारा लिखा गया है। मैं पूछ रहा था···

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : यदि आप सत्तारूढ़ दल के बारे में सोचते हैं तो वह एन. एस. यू. आई. (आई) है। परन्तु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एन. एस. यू. आई. कांग्रेस (यू)··· (व्यवधान)

श्री ई. बालानन्दन : यदि आप इनकार करते हैं, तो मैं इस पर बल नहीं देता। इनकार करना तो ठीक है, परन्तु बात यह है कि कर्नाटक के एक सदस्य आए थे, उन्होंने स्वयं हमें बताया कि बगलौर की स्तिथि इस प्रकार है कि वहाँ के तमिल तथा मलयाली लोगों के घरों पर इन व्यक्तियों द्वारा घेरा डाला गया है और यदि वे सात दिनों में वहाँ से छोड़कर नहीं जाते तो उनका पानी बिजली तथा अन्य सभी सुविधाएं बन्द कर दी जायेंगी। यह परिपत्र 5 तारीख को जारी किया गया था। स्थिति वहाँ की ऐसी ही है। अब मैं अपनी अन्तिम बात को लेता हूँ।...

श्री आर. वेंकटरामन : चूंकि आपने आरोप लगाया है अतः मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं चाहता हूं कि यह रिकार्ड पर आये।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आप इस बारे में जांच-पड़ताल करें।

श्री ई. बालानन्दन : मैं केवल तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ। यदि आप इससे इनकार करते हैं, तो ठीक है।

अन्त में मैं एक बात अखबारी कागज के बारे में कहना चाहता हूँ जिस पर आपने शुल्क लगा दिया है। इस मद से आपको 21 करोड़ रुपए की आय होगी। इससे सरकार का क्या इरादा है ? शायद वे इसके द्वारा जनमत, लोक आलोचना, जनता की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं माँग करता हूं कि बिना चर्चा किए वित्त मन्त्री अखबारी कागज पर लगाए जाने वाले इस शुल्क को वापस लेने की घोषणा करें।

श्री आर. वेंकटरामन : क्या आपको पता है कि केरल सरकार ने हमें समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर कर लगाने तथा उसे अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत लाने के लिये कहा है ?

श्री ई. बालानन्दन : इस पर आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं तो केवल अखबारी कागज पर लगाये जा रहे शुल्क की बात कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि इसे वापस ले लिया जाये। यदि आप इस प्रकार के उपायों द्वारा जनमत, लोक आलोचना, लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समग्र रूपेण विरोध करता हूँ।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी (नरसाराव पेट) : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर मुझे लम्बे समय तक अपना भाषण देने, अपने ही शब्दों को सुनने का शौक नहीं है।

प्रो. मधु दंडवते : परन्तु हमें तो शौक है।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा तथा आपके द्वारा घंटी बजाये जाने से पहले ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

वित्त मन्त्री के मन में अनुकूल रवैया बनाने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ—निस्संदेह वह इसके पात्र भी हैं। क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में करों में बहुत सी राहतें दे दी हैं। वह अपने पिछले साल के बजट के दौरान आवाज बुलन्द करने वाले लोगों के साथ सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं। यह बात अपने आप में अच्छी है। उन्होंने अपने बजट में जो विभिन्न राहतें दी हैं, उनकी गणना करना ठीक नहीं है, उनसे मध्यम वर्ग को राहत मिली है और बचत करने तथा पूंजी लगाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्रीमान, सौभाग्य से मैं अर्थ-शास्त्री नहीं हूं। अर्थ-शास्त्री होने का मैं दावा भी नहीं करता। परन्तु मैं एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हूँ तथा पूरे देश के मनुष्यों तथा उनसे संबन्धित मामलों का मुझे अनुभव है। मेरी राय में किसी भी तरह के करों सम्बन्धी परिकल्पना, जो निश्चित सामाजिक संदर्भ से दूर हो, पूर्णतः युक्त नहीं होगी, विशेषकर भारत जैसे विशाल तथा विवधता वाले देश में तो यह और भी अनुपयुक्त होगी, इसलिए किसी भी राजनीतिक प्रणाली की तरह, जो किसी भी विशिष्ट आकार वाले किसी विशिष्ट देश के लिए कितनी भी अच्छी हो, उसे समाजिक ढांचे तथा लोगों की आर्थिक स्थिति, परम्पराओं, आदतों विशेषतया लोगों के स्वभाव पर ध्यान दिए बिना पूरी तरह अपनाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि समय-समय पर जो कोई भी राजकोष की नीतियां हों जिन पर विचार किया जाये, और घोषित की जाएं, उनकी भारतीय समाज के साथ संगति होनी चाहिए। यह मेरा पहला सुझाव है।

कई बार हम अपने देश में, सभी राजनीति दलों समेत, ऐसी राजनीतिक कसरतों में लग जाते हैं तथा मामलों का अतिसरली करण करने लग जाते हैं जैसे कि राजनीतिक प्रणाली में लोग उद्धृत करते हैं—संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली। यह इतना सरल मामला नहीं है। कई बातें संसदीय प्रणाली में बहुत श्रेष्ठ हैं जिन्हें लाभ पूर्वक अपनाया जा सकता है और कुछ बातें राष्ट्रपति प्रणाली में भी श्रेष्ठ हैं। राष्ट्रपति प्रणाली एक ही तरह की नहीं होती है। संसदीय प्रणाली में बहुत सी अच्छी बातें हैं जिन्हें भारतीय राजनीतिक प्रणाली में लाभ पूर्ण तरीके से अपनाया जा सकता है और अच्छी बातें राष्ट्रपति प्रणाली में भी हैं। इस बारे में एक मत है कि निर्वाचन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

श्रीमान, पिछले दिन हमने झा समिति की घोषणा देखी। निस्सन्देह यह भली प्रकार विदित है कि श्री झा एक अनुभवी विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कई दर्शकों को केन्द्र में प्रशासनिक तथा राज्य के राज्यपाल के कार्य का भी उन्हें अनुभव है। वित्त मंत्री महोदय यदि मैं कोई टिप्पणी करता हूँ, तो इसलिए कि आपका ध्यान उस ओर दिलाया जा सके। अब सौभाग्य से श्री झा ने स्वय एक स्पष्टीकरण दिया है जिससे कि हमारी गलतफहमियां आंशिक रूप से दूर हो गयीं हैं। इस तथ्य से कि वह अपनी सिफारिश सीधे प्रधान मन्त्री को भेजते हैं, संभवतः यह प्रकट होता है कि उनकी सिफारिशों को चाहे वे कुछ भी हों, उसी प्रकार ताक में नहीं रख दिया जायेगा जैसे कि पूर्ववर्ती कई आयोगों की सिफारिशों को रख दिया गया है।

इसलिए जो भी सिफारिशें झा आयोग द्वारा की जाती हैं चाहे वे हमारी प्रक्रियाओं के मामलों में हों, आयकर के बारे में हों अथवा भारत की अर्थ-व्यवस्था तथा सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली के बारे में हों, उन पर न केवल वित्त मंत्री द्वारा, अपितु प्रधान मन्त्री द्वारा भी उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि इन मामलों पर शीघ्र निर्णय लिए जा सकें तथा उन्हें क्रियान्वित किया जा सके।

मैं पहले आपको बता रहा था कि समान्य प्रशासन विस्तार कर रहा है एवं लगातार बढ़ रहा है। कहा जा सकता है कि यह हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ रहा है। निस्सन्देह यह प्रणाली हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। समान्य प्रशासनिक प्रणाली से हमारा सम्बन्ध रहा है—यह अधिकतर नियामक है। उनमें से 90 प्रतिशत नियामक प्रक्रियाओं से सम्बद्ध हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्हें कुछ सम्वर्धक कार्यवाहियों में भी लगना चाहिए। इसीलिए मैं आप से

निवेदन कर रहा हूं कि वे न केवल केन्द्र में हैं अपितु राज्यों में भी हैं। वहाँ यह बहुत बुरी स्थिति में है। वे विस्तार कर रहें हैं। यदि आप रोजगार-परक नीति के पक्ष में हैं तो आपकी यह नीति अदूरदर्शितापूर्ण होगी।

इसलिए, मैं सुझाव देता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। यदि आप समान्य प्रशासन सेवा में लगातार विस्तार करते रहेंगे जिसका विकास कार्यों के लिए एक प्रतिशत भी योगदान नहीं है या आप सही कदम नहीं उठाते, मैं छंटनी की बात नहीं कर रहा हूँ—वित्त मन्त्री महोदय यदि आप उन पर नियन्त्रण नहीं रखेंगे तो आपको आवधिक रूप से महंगाई भत्ते आदि देने पड़ेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले पर झा आयोग ने भी ध्यान दिया है, और यह कोई कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है। यदि आप केवल केन्द्र में ही नहीं अपितु राज्यों में फैलाव को देखें, तो आप देखेंगे कि दिन प्रति दिन अनेक संस्थाएं बन गई हैं। उनके कार्य भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक जैसे भी हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे आपको निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा तथा आपको अपने तत्सम्बन्धी व्ययों को कम करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

श्रीमान, आयकर सुधार ऐसी चीज है जिस पर हम एक दो बार नहीं अपितु तीन या अधिक बार सहमत हो चुके हैं। प्रत्येक वित्त मंत्री इस पर सहमत थे तथा जनता के सभी वर्ग सहमत हैं कि आयकर अधिनियम अथवा नियम और प्रक्रियाएं एक, भूलभुलैया हैं जिसमें नियमों रियायतों, दडों इत्यादि के ब्योरे उल्लेख हैं। इससे आपको अधिक राजस्व नहीं प्राप्त होता। उनके द्वारा केवल लोगों को तंग किया जा सकता है।

मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। आपका 1951 में कितना आय कर था आज आयकर कितना है ? क्या उसमें उसी अनुपात से वृद्धि हुई है जिससे कि उत्पादन-शुल्क एवं सीमा शुल्क में वृद्धि हुई है। अनेक वर्गों के लोग हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता न हीं उनके वर्गों का उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि वे मुझसे नाराज हो जायेंगे। आप वकीलों, डाक्टरों व्यापारियों, कलाकारों आदि व्यवासायी लोगों को ही लें। यदि आप उनमें एक से 100 रुपए आय में से 70 रुपए लेना चाहे तो वह झिझकेगा। यह स्पष्ट है। इसलिए मैं चाहूँगा कि झा आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद आप इस मामले पर विचार करें। मेरा कहना है कि यदि आप कुछ जोखिम भी उठायें तो भी आपको राजस्व में कोई हानि नहीं होगी। उसके साथ ही आप लोगों को अधिक नैतिक बना सकेंगे तथा वे राजकोश में अपना अंशदान अच्छी तरह दगे।

श्रीमान, मैं आपको जीवन बीमा निगम को विभाजित करने के लिए धन्यवाद देता हूं, बेशक इस बारे में मेरे अन्य मित्र कुछ भी सोचते हों। निएम का इतना विस्तार हो गया है कि उसका नियंत्रण करना कठिन हो गया है। उसी प्रकार मेरा सुझाव है कि भारतीय खाद्य निगम का भी विभाजित कर दें। इसे आप तीन भागों में विभाजित करें अथवा चार में यह आपका दृष्टिकोण है परन्तु उसे आप विभाजित अवश्य करें। आप जानते हैं कि इससे क्या हानि या बर्बादी होती है। माल लाने ले जाने में, भंडारण इत्यादि में, माल की क्षति होती है। क्या आप भारतीय खाद्य निगम को 400 से 500 करोड़ रुपए की राज सहायता नहीं देते हैं ? आप ऐसा क्यों करते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप अवश्य राज सहायता दें। परन्तु व्यर्थ के या आवश्यक

व्यय करने के लिए क्यो सहायता देते हैं ? यह राज सहायता नहीं है। यह बोनस है। इसलिए मेरा आपसे तथा कृषि मंत्री से जोकि कृषि के बारे में अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, निवेदन है कि वह इस बात पर ध्यान दें कि इस राज-सहायता की राशि को बचाया जा सके। मैं रेल मंत्री श्री पांडे से भी आग्रह कर सकता हूँ कि केरल से पंजाब, पंजाब से भुवनेश्वर का माल की अनावश्यक रूप से ढुलाई की जाती है। यह सब क्यों किया जाता है। यह रेलों पर अनावश्यक है। कल मैं रेल से निवेदन कर रहा था कि यदि कुछ यात्री गाडियों को कम भी करना पड़े आप रेलों को माल ढोने के लिए अधिक उपयुक्त बनायें। उन्हें नष्ट होने वाले माल की ढुलाई के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन बहुत कष्ट के साथ होता है तथा वे इसे उपभोक्ता केन्द्रों तक ले जा नहीं पाते। इसलिए कृपया इस ओर ध्यान दें।

श्रीमान, इस बारे में हम सभी सहमत हैं कि हमारे विकास का आधार कोयला, ऊर्जा तथा परिवहन है। ऊर्जा पर आप बहुत धन खर्च कर रहे हैं। आपको करना भी चाहिये। मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु क्या हमें लाभ मिल रहा है ? मुझे प्रसन्नता है तथा मैं संबद्ध मंत्रियों और मंत्री मंडलीय समिति को, जोकि इन मामलों पर विचार कर रही है, बधाई देता हूँ कि उन्होंने परिस्थिति में 6% से 7% प्रतिशत सुधार लाने का विचार किया है। यह बहुत अच्छी बात है। यह सही दिशा में एक कदम है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु क्या हमने इस बारे में उचित कार्यवाही की है कि प्रत्येक बिजली घर की अच्छी तरह देखभाल हो तथा उनके दोषों को समय पर दूर किया जा सके, तथा इस बात पर ध्यान दिया जाये कि क्या इस बारे में कुछ तकनीकी उन्नति की आवश्यकता है। जब तक आप प्रत्येक बिजली घर के कार्य पर निरंतर निगरानी नहीं रखते तब तक आप उनका बड़े रूप में विकास नहीं कर पायेंगे, जिससे उनका औद्योगिक तथा कृषि के विकास पर समुचित प्रभाव पड़ सके। जहाँ तक कोयले का सम्बन्ध है, मुझे खुशी है कि कुछ सुधार होने लगा है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। परन्तु उसके साथ ही ऐसी अफवाह है— मैं चाहता हूं कि यह सही न हो कि बिहार कोयला क्षेत्र में 40-45 हजार मजदूर हैं, जो खुदाई का कोई कार्य नहीं करते। न केवल वे खनन कार्य नहीं करते अपितु वे कानून और व्यवस्था की समस्याएं भी पैदा करते हैं। आपको इसकी जानकारी होगी राज्य सरकार परिस्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं है। श्रीमान मैं किसी राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्राथमिक संबन्ध राज्य सरकार से रहा है। बिहार सरकार चाहे उसका मुख्य मंत्री श्री मिश्र हो, श्री पांडे हो अथवा उदाहरण के तौर पर श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी हो, स्थिति का सामना नहीं कर पायेगा। मेरा सुझाव है कि इस विशेष परिस्थिति पर नियंत्रण करने के लिए एक सशक्त केन्द्रीय बल को इस स्थिति से निपटने के लिए बिहार में भेजा जाये, जिससे रक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुछ वर्षों के लिए परिस्थिति पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिये नियुक्त किया जाये, ताकि कोयले की अच्छी स्थिति सुनिश्चित हो सके।

इसलिए श्रीमान मेरा निवेदन है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक इन तीन क्षेत्रों पर पूरा ध्यान दिया जाये। हम भले ही सौ बातें करें। परन्तु जब तक इन तीन बातों में सुधार नहीं लाते, हम औद्योगित तथा कृषि उत्पादनों को बढ़ा नहीं सकते। श्रीमान, योजना परिव्यय में 20% की वृद्धि बहुत प्रभावशाली हैं। मैं इस पर गर्व अनुभव कर सकता हूँ। परन्तु मैं समझता हूं कि यह सब कुछ केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर क्रियान्वित पर निर्भर करता है।

हमें केवल वित्तय संसाधनों का आवंटन करने तक ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें सदा भौतिक लक्ष्यों के बारे में भी सचेत रहना चाहिए, यदि हम यह चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों के लाभार्थ यह कार्य किया जा रहा है उन्हें वास्तव में ही इससे समुचित लाभ मिल सके। अन्यथा श्रीमान, हम कोई वास्तविक विकास कार्य करने के स्थान पर केवल कल्पना लोक में विचरते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि छोटी या बड़ी केन्द्रीय अथवा राज्यों की परियोजनाओं पर अवधिक रूप से दिशा निर्देशक की व्यवस्था की जाये।

अब मैं मूल्यों को लेता हूँ। आपके सरकार के ये निरन्तर प्रयत्न रहे हैं। कि मूल्य को एक उचित स्तर पर कायम रखा जाये। मैं 'उचित शब्द का प्रयोग जान बूझ कर कर रहा हूँ। विश्व मुद्रा स्फीति का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर अपना प्रभाव पड़ता है। उसे रोका नहीं जा सकता। आप पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ा रहे हैं, आप कोयला, इस्पात आदि के मूल्य बढ़ा रहे हैं। इससे निश्चय ही मुद्रा स्फीति बढ़ती है। आपको निरन्तर यह प्रयत्न करते रहना चाहिए कि उन्हें उचित नियंत्रण में रखा जा सके इस पर बढ़ती हुई जन संख्या की सभी स्तरों पर खरीदने की क्षमता को देखते हुए उचित नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी।

दूसरे, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं कि आप अपने थोक मूल्य सूचकांक को किस प्रकार और किस ढंग से निकालते हैं। ग्रामीण क्षेत्र तथा हमारे अपने परिवार की महिलाओं का अनुभव है कि थोक मूल्यों का खुदरा मूल्य से कोई मेल नहीं बैठता है। शहरी क्षेत्र में खुदरा मूल्य का देहाती क्षेत्र में व्यपारियों के कारनामों से कोई संबन्ध नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उसके लिए अचानक सर्वेक्षण करें। इन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हमें अवश्य जानना चाहिए कि व्यापारी किस प्रकार के कृत्य करते हैं। यदि आप इस प्रकार की नमूना जाँच करायेंगे तो उस बारे में आप जान पायेंगे।

श्रीमान वित्त मंत्री जी उत्पाद कर न बढ़ाने के लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रत्यक्ष करों में आपके द्वारा वृद्धि किये जाने के खिलाफ हूँ, परन्तु मैं यह कहूँगा कि यदि आप अनेक वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाते हो और आप 500 या 600 या 700 करोड़ रुपये उगाहना चाहते हो तो आप कर लगाइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु बात यह है कि आप उत्पाद कर सोच समझ कर लगाओं और शुल्क तीन वर्ष के लिए लगाये जाए उसमें तब कोई परिवर्तन न करें जब तक कि इसमें कोई दोष नजर न आये या कोई चीज आपके ध्यान से न रह गई हो। अन्यथा आप यह देखेंगे कि आपको इसे बढ़ाने पर दो पैसे मिलते हैं और व्यापारी को तीन पैसे मिलते हैं और मेरे ऊपर पांच पैसे का भार पड़ता है। यह तो व्यापारी है जो राज करता है और सबसे अधिक लाभ कमाता है। मैं 1979 के बजट की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ परन्तु यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि 15 या 20 करोड़ रुपये की नगण्य राशि के लिए कुछ वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया गया था जो आपने अपने पिछले वर्ष के बजट में काट दिया था। इस पर मुद्रा स्फीति की धारणा पैदा हो चुकी है। श्रीमान जैसा कि आपको मालूम है कि हर आने वाले बजट से पहले व्यापारी कीमते बढ़ा देते हैं और बाजार से माल गायब कर देते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह बहुत अच्छी बात है कि जिस कार्य को आप को नहीं करना चाहिए उसे करने के लालच से आपने अपने को रोक लिया है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हो। इसलिए मैं इस बात को ध्यान में रखने के लिए अनुरोध करता हूँ और जिस वस्तु पर भी आप चाहते हो शुल्क

लगाओ। निसंदेह आप इसे 2 या 3 वर्ष के लिए रखो। दूसरे इसका लाभ न उठाने पावें। सरकार केवल आंशिक लाभ उठाती रहेगी। लोकतन्त्र में जनता की भलाई और जनता के संतोष की आवश्यकता है। आंकड़ों से आप उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकते हो। यदि गाँव में मेरे ग्रामवासी महसूस करते हैं, शहर में रहने वाले शहरी क्षेत्र में यही महसूस करते हैं, गन्दी बस्ती में रहने वाला व्यक्ति यहीं महसूस करता है और सड़क पर रहने वाला व्यक्ति भी यहीं महसूस करता है। किसी लोकतन्त्रिक राजनैतिक प्रणाली में सरकार का यहीं मापदण्ड है जिसे हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अब मैं कृषकों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मैं एक किसान हूं और मुझे किसान होने पर गर्व है, हालांकि मैं एक बड़ा किसान नहीं हूं। श्री वेंकटरामन भी एक किसान हैं और हममें से बहुत से किसान हैं। किसानों की अनेक समस्यायें हैं। किसी समस्या को केवल उजगार करने के लिए लोकतन्त्र में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन संभव हैं या अनुमेय भी हैं। अब यदि विपक्ष के मेरे मित्र तथा नेता यह सोचते हैं कि वे इन किसानों की असली कठिनाइयों का, उनकी इच्छा से या अनिच्छा से, गलत ढग से राजनैतिक लाभ उठा सकते हैं तो मुझे केवल यह कहते हुए दुख है कि यह गलत निर्णय होगा।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या आप 'किसान रैली' का उल्लेख कर रहे हो ?

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं किसान रैली का दो दृष्टिकोण से निश्चत रूप से स्वागत करता हूँ, इसलिए नहीं कि वह एक प्रभाव शाली रैली थी और सारे देश से बीस लाख लोग उसमें भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे वरन इसलिए स्वागत करता हूँ कि उससे विरोधी पक्ष द्वारा फैलाई गई यह धारणा समाप्त हो गई है कि कांग्रेस (आई) किसानों के विरुद्ध है। चाहे इस पर खर्च पांच, आठ या दस करोड़ है या यह आपकी जेब से हो या मेरी जेब से हो प्रश्न यह नहीं है। यदि व्यय का प्रश्न है तो सारा लोकतन्त्र ही धन की बर्बादी है। मैं इसे दो कारणों से सिद्ध करता हूं। एक तो उस धारणा को समाप्त करने के लिए है जो आवश्यक रूप से पैदा की जाती है। यह उनके लिए मृग तृष्णा है। आज भी वे जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये दलील दे रहे हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यदि वे सोचते हैं कि सारे 1.25 लाख कर्मचारी उनके पीछे हैं तो मैं समझता हूं कि वे किसी स्वर्ग में रह रहे हैं जो आवश्यक रूप से वांछनीय नहीं है। बात यह है श्रीमती इदिरा गांधी प्रधान मंत्री के रूप में बात को साफ करना चाहती थीं। वह आम जनता को केवल यह बताना चाहती थीं कि कांग्रेस का रवैया न केवल स्वतन्त्रता के बाद बल्कि आजादी से पहले भी क्या रहा था। यदि मेरे कुछ नवयुवक मित्र पढ़ना चाहते हैं तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा को पढें। ऐसे सैंकड़ों पृष्ठ हैं जिसमें उन कृषि सम्बन्धी समस्याओं का उल्लेख है जिन उन कांग्रेस नेताओं ने विचार किया और उन लोगों के बारे में सोचा। कांग्रेस का इतिहास यह रहा है कि ग्रामीण लोग तथा कृषक कांग्रेस दल का मेरूदण्ड हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने उनकी उपेक्षा की है।

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : हमने उपेक्षा नहीं की है। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि आप बात को तोड़-मरोड़ रहे हो। आप केवल तथाकथित औद्योगिक मजदूरों के एक छोटे विशेष वर्ग तक सीमित हो जिसमें आपकी दिलचस्पी भी है। परन्तु यदि आप स्तर ऊपर उठाना चाहते हो या गरीबी से पीड़ित या गरीबी की रेखा से नीचे के 40 या 50% लोगों की भलाई चाहते हो

तो जब आप देश में ऐसी बात पर विचार करें तो आपको सम्पूर्ण समाज के ढांचे पर विचार करना होगा। हो सकता है कि लिपिक के रूप में किसी को 2000/-मिलने चाहिए, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हमारे जैसा गरीब देश ऐसी व्यवस्था कर सकता है। बात यह नहीं है कि आप किस चीज के पात्र है। एक संसद सदस्य 10,000 रु. मासिक का पात्र हो सकता है, परन्तु क्या हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं ? जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में यह देश क्या व्यवस्था कर सकता है यहीं संगत प्रश्न है।

मैं एक किसान हूँ, मैं राज्य सरकारों द्वारा अस्व-त्यस्त तरीके से व्यय में जल्दी से लिए जा रहे निर्णय के विरूद्ध हूँ। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार कुछ संशोधन करके एक व्यापक आम नीति निर्धारित करे और उस नीति को निर्धारित करते समय लाभकारी मूल्यों के लिए प्रत्येक राज्य में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखा जाए तथा इस बात पर भी विचार किया जाये कि कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क कम करने के लिए, सस्ती दरों पर उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ और विशेष रूप से सस्ती ब्याज दर पर कुछ महीनों के लिए किसानों को ऋण देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यदि मैं जून में कोई चीज बोता हूँ तो आप मुझे सात महीने के लिए ऋण दें जब तक कि मैं उस फसल को काट न लूं और इसे बेच न दूं और फिर आपका ऋण दूं। हमारा देश कृषि प्रधान है। जब तक हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ता है और किसान अधिक उत्पादन नहीं करते हैं तो हम बड़ी भारी कठिनाई में पड़े रहेंगे। इस वर्ष मौसम की स्थिति और किसान के प्रयासों के कारण आप उचित रूप से अच्छा बजट हमारे सामने पेश करने की स्थिति में हों परन्तु यदि कुछ घटना घट जाती है तो सारी बात बेकार हो जाएगी। मैं एक बार योजना समिति में कह चुका हूँ और यहाँ पर भी कहता हूँ कि अपनी कृषि की स्थिति तथा सम्भवतया बिहार को छोड़ कर न केवल पंजाब, आँध्र प्रदेश, मद्रास आदि बल्कि हर जगह पर बड़े परिश्रमी किसानों के बल पर इस आकार का देश वह सब कुछ कर सकता है जो आप चाहते हो। बशर्ते कि आप उन्हें प्रोत्साहन दें। आप एक हजार करोड़ से रुपयों के मूल्य से अधिक की दालों तथा खाद्य तेल का आयात क्यों करते हो ? कृषि प्रधान देश होने के नाते जहाँ हम अच्छी से अच्छी उपज पैदा करते हैं, यह हमारे आत्मसम्मान के लिए अपमान जनक है। इसलिए आप कुछ वर्षों के लिए उनके समक्ष योजना बनाकर प्रस्तुत करिये और मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण देश में छोटे बड़े और मध्यम किसान आशा के अनुकूल कार्य करेंगे और आवश्यक मात्रा में उत्पादन कर दिखायेंगे। विश्व में आगामी दशक में भोजन की कमी होने वाली है और आप कुछ निर्यात करने की स्थिति में हो जाओगे और पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकोगे।

मैं जापान को उसकी उपलब्धियों के लिए आदर्श रूप में नहीं मानता हूँ। परन्तु मैं निश्चित रूप म कहूँगा कि यदि आज विश्व में जापान औद्योगिक विकास में शिखर पर है तो वह उत्पादन तथा उत्पादकता में दिलचस्पी के साथ मजदूरों की सामूहिक भागीदारी के कारण है। विशाल अमेरीका जापान के सामने घुटने टेक रहा है।

अब राष्ट्रीय सम्पत्ति क्या है ? यह हमारे आँकड़े नहीं हैं। यह धन नहीं है; यह सिक्के नहीं हैं। हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति यह है कि देश में लोग अपने कठिन परिश्रम तथा अनुशासन से प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अपनी शक्तियों को सामूहिक रूप से कैसे लगाते

हैं। वही एक मात्र इस देश को या किसी अन्य देश को बचा सकती है। यह आने पाई या कुछ करोड़ या अरबों की बात नहीं हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहां पर हम सबको राष्ट्र के रूप में एक साथ मिलकर अपनी शक्ति लगानी चाहिए। श्रीमान इसलिए मैं अपनी वह बात कहते हुये अपना भाषण समाप्त करूंगा कि बहुत सी बातें जो आपने की हैं उनके लिए आपको बधाई देते हुये तथा उन कई बातों का आपको सुझाव देते हुए जो आपके ध्यान में हो सकती है, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें एक मात्र कठिन परिश्रम तथा अनुशासन की आवश्यकता है। आखिरकार आत्म अनुशासन, जो विशेष रूप से हमारी परम्परा में है, हमारे खून में है। यदि यह आत्म-अनुशासन है तो बहुत बढ़िया बात है। इस जैसी तो कोई बात नहीं है। यदि आत्म-अनुशासन नहीं होगा तो लोगों में भय की भावना ही दिखाई देगी।

एक माननीय सदस्य : व्याप्त भय अर्थात आपात स्थिति ?

श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं आपात स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। आप आपात-स्थिति से इतने अधिक क्यों परेशान हो ?

व्याप्त भय से आपके अन्दर सही बात करने के लिए अनुशासन की भावना पैदा होगी।

श्रीमान अब मुझे केवल एक बात और कहनी है। सौभाग्यवश आपने उल्लेख किया है, पिछले वर्ष आपने इसका उल्लेख नहीं किया था। आपने परिवार कल्याण का उल्लेख किया है। मुझे उस परिवार कल्याण पर कोई आपत्ति नहीं है जो जनता सरकार ने लागू किया था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरे विचार से कल्याण तो एक सामान्य शब्दावली है। इसमें हर बात शामिल होती है। इसलिए सरकार ने जो इस शब्द का प्रयोग किया है उसके प्रति निरादर की कोई भावना न रखते हुए मैं यह अनुरोध करूंगा कि पुनः 'नियोजन' शब्द का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाए क्योंकि उसको ठीक-ठीक बात पता लगती है। परिवार नियोजन की आवश्यकता है। आप उसी की ओर सही तरीके से ध्यान दिलाइये। मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। इसलिए मैं अन्त में कहूँगा, 'नारा यह होना चाहिए : 'एक या कोई नहीं।'' धन्यवाद।

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमान, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 12वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल तक के लिये स्थगित होती है।

6.1 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 10 मार्च, 1981/19 फाल्गुन 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 पुरानी साइकिल मार्किट दिल्ली-6